चतुर्दश माला, खंड 30, अंक 3

मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007
29 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Committee & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 2 Sep 2008

(खण्ड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 3, मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007/29 कार्तिक, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 और 80	4-118
अतारांकित प्रश्न संख्या 407 से 574	118-447
सभा पटल पर रखे गए पत्र	449-461
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां से चौबीसवां प्रतिवेदन	461
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
सत्रहवां, अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन	462
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौबीसवां, एक सौ पच्चीसवां और एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन	363
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2007-08	
श्री पी. चिदम्बरम	364
अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 2005-06	
श्री पी. चिदम्बरम	364
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	465-466
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	466-472
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	473-473
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	473-473

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 20 नवम्बर, 2007/29 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का प्रस्ताव दिया हुआ है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पहले मेरे प्रस्ताव को लीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें स्वीकृति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, वेस्ट बंगाल में जो अत्याचार हुए हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बात क्यों कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ की बात सुनने को भी तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सभी के प्रति निष्पक्ष हूं। मैं कहता हूं कि उचित शब्दों में लाये गए प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। आप इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने पर ही बल दे रहे हैं। मुझे बड़े खेद से यह कहना पड़ रहा है कि आप इस विषय पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। आप अध्यक्षपीठ से सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रश्नकाल में आपका विश्वास नहीं है। कोई भी सभा की कार्यवाही चलाने के प्रति चिन्तित नहीं है। यह एक मज़ाक बन गया है और मुझे आशा है कि देश के लोग इसे ध्यान से देख रहे होंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं। कि वे प्रश्नकाल और सभा की अन्य कार्यवाही चलने दें। उनके द्वारा उठाये जा रहे मुद्दे के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि कल इस विषय पर एक बैठक बुलायी गयी थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस विषय को अल्पकालीन चर्चा के अधीन किस तरह लिया जा सकता है। आप इस मामले पर निर्णय ले सकते हैं। जिस विषय को माननीय सदस्य उठाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नियमों की रूपरेखा के भीतर उस पर चर्चा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके माध्यम से मैं विपक्ष से अपील करता हूं कि वे प्रश्नकाल चलने दें। तत्पश्चात् हम सभा की कार्यवाही में बाधा डाले बिना मिलकर इस मामले का समाधान ढूंढेंगें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, कल हमने सभी माननीय सदस्यों की एक बैठक बुलायी थी। मैंने सभी माननीय नेताओं से कहा कि मैं चर्चा करने की मनाही नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा है कि यह उचित तरीके से होनी चाहिए। मैंने सभी सदस्यों से मिलकर एक प्रस्ताव लाने का आग्रह किया है। जिस पर मैं विचार कर सकता हूं। अध्यक्षपीठ से इतना सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तथा रोज-रोज ऐसा हो रहा है। पिछले सत्र में भी सत्र की आधी से भी ज्यादा अवधि व्यर्थ हो गयी थी। यही तरीका अपनाया जा रहा है। जनता का धन बर्बाद करके इस तरह सभा चलाने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। मैं इसकी पुरजोर निन्दा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब अध्यक्ष महोदय ने इसे एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(इस समय श्रीमती नीता पटैरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यहां से चर्चा कैसे होगी? जो मोशन है उस पर चर्चा तो होने दीजिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं, लीडर्स की मीटिंग में क्या हुआ? अगर नहीं जानते हैं तो यहां क्यों आये? आप लोग नहीं जानते हैं, क्या हुआ। आपको हमने बोल दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आज कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देश को देखने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हमें देश की जनता के समक्ष जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यहां खड़े माननीय सदस्यों की सूची दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने यह निर्णय भी नहीं लिया है कि कौन से नारे लगाए जाने चाहिएं। मैं कह रहा हूं कि आपके नेता इसके बारे में जानते हैं कि मुझे इस पर उचित चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। आप जानबूझकर सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, उसकी इम्पॉर्टेंस आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं इस तरीके से बाधा डालने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं इस बात की सहमति पहले ही दे चुका हूं। कि एक उचित प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बार-बार अपील कर रहा हूं कि आप अपने-अपने स्थान पर वापस जाइए। कृपया इस सभा, देश के उच्चतम मंच को कार्य करने दीजिए। लोग हमें देख रहे हैं। लोगों ने हमें, यहां क्यों भेजा है? क्या लोगों ने हमें इस सभा में नारे लगाने के लिए चुना है? यह शर्मनाक है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

साइबर अपराध

*61. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष के दौरान साइबर अपराधों से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं और इन मामलों की प्रकृति क्या है;

(ख) ऐसे अपराध करने वाले लोगों की औसत आयु क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटील) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) द्वारा यथासंकलित 2004 से 2006 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आई०टी०

अधिनियम) तथा भारतीय दंड संहिता (आई०पी०सी०) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत साइबर अपराधों संबंधी राज्यों/संघ शासित वार मामले संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। एन०सी०आर०बी० केवल वार्षिक आधार पर इन आंकड़ों को एकत्रित और संकलित करता है। 2004 से 2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम और आई०पी०सी० धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के अपराध शीर्षक वार ब्योरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) एन०सी०आर०बी० गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की वास्तविक आयु संबंधी सूचना नहीं रखता। तथापि, वर्ष 2004 से 2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम और संबंधित आई०पी०सी० धाराओं के अंतर्गत विभिन्न आयु-समूहों में गिरफ्तार व्यक्तियों के राज्य/संघ शासित वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं। यह देखा गया है कि 2004, 2005 और 2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम और संबंधित आई०पी०सी० धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किए क्रमश: 82.01%, 86.64% और 85.31% व्यक्ति 18-45 आयु समूह के अंतर्गत हैं।

(ग) साइबर अपराधों से आई०टी० अधिनियम और आई०पी०सी० के उपबंधों के अंतर्गत निपटा जा सकता है। सरकार ने संसद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन; विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों के नए रूपों से निपटने का प्रावधान है जैसे इलैक्ट्रोनिक रूप, वीडियो में उत्तेजनापूर्ण सामग्री को प्रशासित करना, दृश्यरतिकवाद, सेवा प्रदान करने वालों द्वारा विश्वास तोड़ना और आंकड़े लीक करना, छद्मरूप धारण के जरिए ई-कामर्स ज़ालसाजी जिसे सामान्यत: फिशिंग, पहचान चुराना आदि कहा जाता है तथा संचार सेवा के जरिए अपराधपूर्ण संदेश भेजना।

विवरण-I

वर्ष 2004-2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम और आई०पी०सी० की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत साइबर अपराध की घटनाएं

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत ममाले								
		आई०टी० अधिनियम			आई०पी०सी० धारा			कुल (आई०टी० अधिनियम + आई०पी०सी० की धारा		
		2004	2005	2006*	2004	2005	2006*	2004	2005	2006*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8	14	14	93	68	102	101	82	116
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	18	0	0	28	30	0	46	30
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	2	2	5	124	153	1	126	155	6
8.	हरियाणा	0	8	1	0	1	1	0	9	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू-कश्मीर	1	0	0	0	0	0	1	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	14	38	27	0	0	0	14	38	27
13.	केरल	2	3	12	0	0	0	2	3	12
14.	मध्य प्रदेश	0	0	5	0	0	126	0	0	131
15.	महाराष्ट्र	17	26	35	4	1	4	21	27	39
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	2	0	0	0	0	0	2
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	1	6	0	0	0	0	1	6	0
21.	पंजाब	2	7	12	4	43	26	6	50	38
22.	राजस्थान	0	18	4	0	0	0	0	18	4
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	14	22	8	36	0	0	50	22	8
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2	4	0	3	0	0	5	4	0
27.	उत्तरांचल	0	0	3	0	0	0	0	0	3
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	6	0	0	3	0	0	9
	कुल (राज्य)	63	167	135	264	294	293	327	461	428
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	5	0	11	5	0	11
30.	चंडीगढ़	1	2	2	0	0	0	1	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	4	10	5	10	8	7	14	18	12
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	5	12	7	15	8	18	20	20	25
	कुल (अखिल भारत)	68	179	142	279	302	311	347	481	453

स्रोत : भारत में अपराध

टिप्पणी : *अनन्तिम आंकड़े दर्शाए गए हैं।

विवरण-II

वर्ष 2004.2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम और आई०पी०सी० के अंतर्गत अपराध शीर्षक-वार साइबर अपराध की घटनाएं

क्रम सं०	अपराध शीर्षक	पंजीकृत मामले		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
	क. आई०टी० अधिनियम के अंतर्गत अपराध			
1.	कम्प्यूटर स्त्रोत विभाग में हस्तक्षेप करना	2	10	10
2.	कम्प्यूटर सिस्टम को हैक करना			
	(i) कम्प्यूटर संसाधन/उपयोगिता को हानि पहुंचाना/क्षतिग्रस्त करना	14	33	25
	(ii) हैकिंग	12	41	34
3.	इलैक्ट्रोनिक रूप में अश्लील प्रकाशन/ट्रान्समीशन	34	88	69
4.	असफल रहना			
	(i) प्रमाणक प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में	0	1	0

1	2	3	4	5
	(ii) सरकारी एजेंसी द्वारा अवरोधन पर डिकाय अथवा सूचना को सहायता देने में	0	0	0
5.	संरक्षित कम्प्यूटर प्रणाली तक अप्राधिकृत पहुंच/पहुंच का प्रयास	0	0	0
6.	गलत प्रतिनिधित्व/तथ्यों को छुपा कर लाइसेंस अथवा डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त करना	0	0	0
7.	गलत डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्रकाशित करना	0	0	0
8.	जाली डिजीटल/हस्ताक्षर	0	1	1
9.	विश्वास/गोपनीयता का उल्लंघन	6	5	3
10.	अन्य	0	0	0
	कुल (क)	68	179	142
	ख. आई०पी०सी० के अंतर्गत अपराध			
1.	लोक सेवकों द्वारा/विरुद्ध अपराध	0	0	0
2.	गलत इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य	0	0	0
3.	इलैक्ट्रोनिक साक्ष्य को नष्ट करना	0	0	0
4.	जालसाजी	77	48	160
5.	विश्वास का अपराधिक उल्लंघन/जालसाजी	173	186	90
6.	जालसाजी			
7.	(i) प्रापर्टी/मार्क	12	0	13
	(ii) हस्तक्षेप करना	7	9	0
	(iii) करेंसी/स्टैम्प	10	9	48
	कुल (ख)	279	302	311
	कुल योग (क+ख)	347	481	453

विवरण-III

वर्ष 2004-2006 के दौरान आई०पी०सी० के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004						2005						2006					
		18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	राज्य																		
1.	आंध्र प्रदेश	0	58	43	17	4	122	0	40	36	34	0	110	0	39	88	41	3	171
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	17	26	8	0	51	1	15	14	7	0	37
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4	38	67	18	1	128	2	79	59	16	3	159	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12. कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	91	19	0	152
15. महाराष्ट्र	0	2	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	5	1	0	0	6
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. पंजाब	0	3	5	1	0	9	0	9	37	5	0	51	0	13	16	1	0	30
22. राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	0	7	18	6	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	5	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
कुल (राज्य)	4	113	135	43	5	300	2	146	159	63	3	373	4	112	213	68	3	400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	संघ शासित क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	3	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	11	7	3	0	0	21	0	2	2	0	0	4	0	1	4	2	0	7
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	0	10	6	2	0	29	0	2	2	0	0	4	0	1	8	2	0	11
	कुल (अखिल भारत)	15	123	141	45	5	329	2	148	161	63	3	377	4	113	221	70	3	411

वर्ष 2004-2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004						2005						2006					
		18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	राज्य																		
1.	आंध्र प्रदेश	0	2	1	0	0	3	0	9	6	0	0	15	0	7	2	0	0	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	14	10	0	0	24	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	1	4	0	0	1	6
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5	0	0	1	0	0	1
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	6	10	1	0	17

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13. केरल	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
14. मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	8
15. महाराष्ट्र	0	15	9	1	0	25	0	42	6	2	0	50	1	50	14	1	0	66
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
21. पंजाब	1	0	1	0	0	2	0	1	6	0	0	7	0	12	4	0	0	16
22. राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	16	4	0	1	21	0	0	0	0	0	0
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	0	13	3	0	0	16	0	16	3	2	0	21	0	4	2	1	0	7
25. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	7	2	1	0	10	0	13	10	2	0	25	0	0	0	0	0	0
27. उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
28. पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
कुल (राज्य)	1	37	18	2	0	58	1	122	48	6	1	178	2	104	36	3	1	146

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	संघ शासित																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1	0	0	1	0	2	0	8	4	0	0	12	0	4	3	0	0	7
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	1	0	0	1	0	2	0	9	5	0	0	14	0	5	3	0	0	8
	कुल (अखिल भारत)	2	37	18	3	0	60	1	131	3	6	1	192	2	109	39	3	1	154

वर्ष 2004-2006 के दौरान आई०टी० अधिनियम+आई०पी०सी० धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कुल व्यक्ति

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2004						2005						2006					
		18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल	18 वर्ष से कम	18 से 30 वर्ष के बीच	30 से 45 वर्ष के बीच	45-60 वर्ष के बीच	60 वर्ष से ऊपर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	राज्य																		
1.	आंध्र प्रदेश	0	60	44	17	4	125	0	49	42	34	0	125	0	46	90	41	3	180
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	31	36	8	0	75	1	15	14	7	0	37
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4	38	67	18	1	128	3	81	59	16	3	162	1	4	0	0	1	6
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	6	0	0	3	0	0	3
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	6	10	1	0	17

(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13. केरल	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
14. मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	46	92	19	0	160
15. महाराष्ट्र	0	17	10	1	0	28	0	42	7	2	0	51	1	55	15	1	0	72
16. मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18. मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
21. पंजाब	1	3	6	1	0	11	0	10	43	5	0	58	0	25	20	1	0	46
22. राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	16	4	0	1	21	0	0	0	0	0	0
23. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. तमिलनाडु	0	20	21	6	0	47	0	16	3	2	0	21	0	4	2	1	0	7
25. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. उत्तर प्रदेश	0	12	3	2	0	17	0	13	10	2	0	25	0	0	0	0	0	0
27. उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
28. पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
कुल (राज्य)	5	150	153	45	5	358	3	268	207	69	4	551	6	216	249	71	4	546

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	संघ राजित																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	3	3	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और द्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	12	7	3	1	0	23	0	10	6	0	0	16	0	5	7	2	0	14
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राजित)	12	10	6	3	0	31	0	11	7	0	0	18	0	6	11	2	0	19
	कुल (अखिल भारत)	17	160	159	48	5	389	3	279	214	69	4	569	6	222	260	73	4	565

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति

*62. श्री रामपाल सिंह :
श्री चाडिगा रामकृष्णा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिन राज्यों का कार्य निष्पादन पिछड़ रहा है, उनमें से कुछ राज्य बिहार और मणिपुर हैं जहां क्रमशः भूमि और तकनीकी श्रमिकों की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण स्कूल की अवसंरचना हेतु सिविल कार्यों मे विलम्ब हो रहा है तथा पश्चिम बंगाल और बिहार हैं जहां न्यायाधीन मामलों के कारण अध्यापक भर्ती में विलम्ब हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की निगरानी हेतु एक सशक्त तन्त्र बनाया गया है।

आपदा राहत

*63. श्री हेमलाल मुर्मू :
डा० एम० जगन्नाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य को बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं हेतु प्रदान की गई राहत सामग्री और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक राज्यों ने सरकार द्वारा पहले प्रदान की गई सहायता के अलावा और सहायता राशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई जानमाल की क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थिति के आकलन हेतु कोई समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) से (च) प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत कार्य करने के लिए प्राथमिक रूप से राज्य सरकारें उत्तरदायी होती हैं। भारत सरकार संभारतंत्र एवं वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है।

प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) का सृजन किया गया है जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात से अंशदान किया जाता है। सभी राज्यों की आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) में वर्ष 2007-08 के लिए 4258.85 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है जिसमें 3194.14 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंशदान और 1064.71 करोड़ रुपए का अंशदान राज्यों का है। केन्द्रीय अंशदान की 50% अर्थात् 1597.07 करोड़ रुपए की राशि की पहली किस्त जारी करने के लिए जून, 2007 से देय हो गयी थी और दूसरी किस्त के रूप में शेष 1597.07 करोड़ रुपये की राशि दिसम्बर, 2007 में जारी करने के लिए देय है।

विभिन्न राज्यों को वर्ष 2007-08 के दौरान सी०आर०एफ० के केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 1545.48 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 के लिए सी०आर०एफ० के केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 342.365 करोड़ की राशि बाढ़ की गम्भीरता के मद्देनजर 7 प्रभावित राज्यों के अनुरोध पर अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ की स्थिति में केरल को एन०सी०सी०एफ० से 50.00 करोड़ रुपये की राशि "खाते में" आधार पर भी जारी कइ गई है।

बिहार को दो लाख मीट्रिक टन (एम०टी०) चावल, एक लाख मीट्रिक टन गेहूं और 10,000 किलोलीटर मिट्टी के तेल, पश्चिम बंगाल को 10,333 मी० टन चावल और 600 मी० टन गेहूं तथा असम को 10,000 मी० टन चालव का अतिरिक्त आबंटन उनके अनुरोध पर किया गया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पंजाब से रेल द्वारा चारे के परिवहन की व्यवस्था, राज्य सरकार से कोई कीमत लिए बिना, की गई है।

गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा आने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से

भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रक्रिया के अनुसार संबंधित राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा द्वारा हुई क्षेत्रवार क्षति और अपेक्षित निधियों के विवरण का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। राज्य से यह ज्ञापन प्राप्त होने पर स्थिति का स्थल पर जायजा लेने और राहत कार्यों के लिए निधियों की जरूरत का आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन किया जाता है। इस केन्द्रीय दल की रिपोर्ट का गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर-मंत्रालयी समूह (आई०एम०जी०) द्वारा विचार किया जाता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति, केन्द्रीय दल की रिपोर्ट, उस पर अन्तर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों और सहायता के मानदंडों और मदों के प्रचलन के आधार पर, विचार करती है। और एन०सी०सी०एफ० से सहायता की प्रमात्रा का अनुमोदन करती है।

आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश नामक दस राज्यों ने वर्ष 2007 में भारी वर्षा/बाढ़ आने पर राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए भारी वर्षा एवं बाढ़ के कारण हुई क्षति का विवरण देते हुए अब तक 13 ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों ने क्रमश: तीन और दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। इन सभी 13 ज्ञापनों के संबंध में अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल का गठन किया गया है। इस दल ने 10 ज्ञापनों के संबंध में हालात का स्थल पर ही जाकर जायजा लेने तथा राहत कार्यों के लिए निधियों की जरूरत का आकलन करने के लिए 8 राज्यों का दौरा पहले ही कर लिया है और सिक्किम से संबंधित 01 ज्ञापन की रिपोर्ट को छोड़कर, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। अरुणाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक (तीसरा ज्ञापन) नामक राज्यों के शेष बचे 03 ज्ञापनों के संबंध में, जो अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं, टीमें शीघ्र ही दौरा करेंगी। 7 केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों की जांच कर ली गई है और संबंधित राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक (पहला ज्ञापन), उड़ीसा (पहला ज्ञापन) केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। 4 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक (पहला ज्ञापन), उड़ीसा (पहला ज्ञापन), और केरल से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गई हैं। इन रिपोर्टों पर आई०एम०जी० ने विचार कर लिया है। इनमें से उच्च स्तरीय समिति ने आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक (पहला ज्ञापन) और उड़ीसा (पहला ज्ञापन) राज्यों के बारे में 03 ज्ञापनों पर विचार कर लिया है और निम्नलिखित सहायता मंजूर कर दी है:–

आन्ध्र प्रदेश

(i) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से बाढ़ प्रबंधन के लिए 136.53 करोड़ रुपये, राज्य के सी०आर०एफ० खाते में आसन्न आपदा के लिए उपलब्ध 75% शेष के समायोजन के अध्यधीन।

(ii) वास्तविक आधार पर हवाई बिलों+उड़ान ईंधन का भुगतान।

कर्नाटक (पहला ज्ञापन)

(i) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से बाढ़ प्रबंधन के लिए 117.45 करोड़ रुपये, आसन्न आपदा के लिए राज्य के सी०आर०एफ० खाते में उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन।

(ii) ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के विशेष संघटक से 3.318 करोड़ रुपये।

उड़ीसा (पहला ज्ञापन)

(i) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन०सी०सी०एफ०) से 59.33 करोड़ रुपये, आसन्न आपदा के लिए राज्य के सी०आर०एफ० खाते में उपलब्ध शेष 75% के समायोजन के अध्यधीन।

(ii) हवाई बिलों का वास्तविक आधार पर भुगतान।

(iii) ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० के विशेष संघटक के 0.719 करोड़ रुपये।

केरल के संबंध में अन्तर मंत्रालयी दल की सिफारिश को शीघ्र ही उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों से दूसरे ज्ञापन बाद में प्राप्त हुए और इन केन्द्रीय दलों की रिपोर्टें भी अभी हाल ही में मिली है, जिनकी जांच की जा रही है, इन्हें शीघ्र ही अन्तर-मंत्रालयी दल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से, उनके प्रारम्भिक आकलन के आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2007 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न मात्रा की भारी वर्षा/बाढ़ के कारण विभिन्न सेक्टरों में 3494 मानव गुम हुए, 1.04 लाख जानवरों की अकाल मौत हुई, 72.55 लाख हेक्टेयर फसली क्षेत्र, लगभग 26.60 लाख घरों और अवस्थापना की क्षति हुई।

नवोदय विद्यालय

*64. **श्री रामदास आठवले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश के प्रत्येक जिले विशेषकर महाराष्ट्र में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु किए जा रहे कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : देश के 572 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। इस समय इनमें से 549 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 35 जिलों में से 32 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं और इनमें से 31 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रवेश परीक्षाओं की भाषा

***65. डा० आर० सेनथिल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों की प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में ही ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रवेश हेतु समर्थ बनाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में अन्य भाषाओं को शामिल करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली ग्रेजुएट एप्टीच्यूड टेस्ट एन इंजीनियरी, ज्वॉइट मैनेजमेट टेस्ट और ज्वांइट एडमिशन टेस्ट टू एम०एस०सी० और भारतीय प्रबंध संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में प्रवेश हेतु कामन एडमिशन टेस्ट जैसी प्रवेश परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है, तथापि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में अवर स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा और चिकित्सा/दन्त चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेन्टल प्रवेश परीक्षा जैसी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने संबंधी निर्णय आयोजक संस्थानों/निकायों द्वारा लिया जाना है, जो समय-समय पर प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं और जहां भी अनिवार्य हो आवश्यक कदम उठाते हैं।

सुनामी पुनर्वास कोष का उपयोग

***66. डा० के०एस० मनोज : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा सुनामी पुनर्वास कोष के उपयोग की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रभावित राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) प्रभावित राज्यों के लिए मंजूर की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को भारतीय समुद्र तट में सुनामी आया जिससे तमिलनाडु राज्य, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (ए०एन०आई०) और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों के 1396 गोवों के 26.63 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके कारण आधारभूत सुविधाओं तथा जीवन और आजीविका को अत्यधिक नुकसान हुआ।

तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए "सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" (आर०जी०आर०पी०) नामक 3644.05 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया गया था ताकि अनाथों, 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बालिकाओं, विधवाओं और अशक्त व्यक्तियों तथा मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह भुगतान करने के अतिरिक्त मछली पालन और कृषि क्षेत्रों को तत्काल राहत, अनुक्रिया, पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रदान की जा सके, अस्थाई आश्रय स्थलों (अंतरवर्ती) का निर्माण किया जा सके, आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली की जा सके।

बचाव और राहत का चरण पूरा होने के बाद सुनामी के कारण क्षतिग्रस्त भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे के दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण तथा पंगु हुई आजीविका के पुनरुद्धार पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सरकार ने सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम (टी०आर०पी०) का अनुमोदन किया था जो 9870.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जिसे बाद में संशोधित करके 9822.10 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा जिसे 2005-06 से 2008-09 की चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है, मकानों, सड़कों और पुलों, पत्तनों और जहाज से माल उतारने के मंचों तथा अन्य आधारभूत ढांचों के पुनर्निर्माण और कृषि तथा मछली पालन में आजीविका जैसी पुनर्निर्माण और पुनर्वास योजनायें हैं। दीर्घावधिक पुनर्निर्माण के तत्वों से संबंधित आर०जी०आर०पी० से 1776.62 करोड़ रुपए की राशि टी०आर०पी० में शामिल की गई है।

टी०आर०पी० की प्रगति और निधियों के उपयोग पर नजर रखने के लिए योजना आयोग में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अनुसंधान संस्थानों

के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि वे टी०आर०पी० की निधियों पर नजर रख सकें। टी०आर०पी० की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने के लिए कोर ग्रुप तिमाही बैठकें करता है।

इसके अतिरिक्त टी०आर०पी० के संबंध में मंत्रियों के शक्तिप्राप्त ग्रुप (ई०जी०ओ०एम०) का गठन किया गया है। इस ग्रुप ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन/मानीटरिंग के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तिमाही भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

संशोधित अनुमानों का अनुमोदन करते हुए मंत्रियों के इस ग्रुप ने निर्णय लिया था कि अब अनुमोदित कार्यक्रम में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की दृष्टि से एक वैज्ञानिक ढंग से कार्य पूरे करने चाहिए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए ई०जी०ओ०एम० द्वारा अनुमोदित संशोधित कार्यक्रम से अधिक कोई अतिरिक्त राशि प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सितम्बर, 2007 तक निधियों का राज्य-वार परिव्यय और उपयोग दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सितम्बर, 2007 तक टी०आर०पी० के तहत निधियों का राज्य-वार परिव्यय और उपयोग

(करोड़ रुपए)

राज्य	संशोधित परिव्यय	उपयोग की गई कुल राशि (सितम्बर, 2007 तक)
तमिलनाडु	4165.33	**914.58
केरल	1441.75	67.40
आंध्र प्रदेश	210.16	122.55
पांडिचेरी	663.73	471.22
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2654.69	2504.68
कुल	9135.66 ##	2504.68

(*) आर०जी०आर०पी० के राहत संघटक से व्यय की गई राशि शामिल है।

(**) 10/2007 तक व्यय और आर०जी०आर०पी० से राहत संघटक से व्यय की गई राशि भी शामिल है।

(##) पत्तनों और जहाज से माल उतारने के मंचों के पुनर्निर्माण के लिए नौवहन विभाग और कोर ग्रुप के क्रियाकलापों से संबंधित व्यय के लिए भी गई 686.43 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है। कुल परिव्यय 9135.66 करोड़ रुपए (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए) + 686.43 करोड़ रुपए (नौवहन विभाग और कोर ग्रुप के लिए) = 9822.10 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

उल्फा की गतिविधियां

*67. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 2007 के "दैनिक जागरण" में "आत्मघाती हमलों के लिए उल्फा द्वारा उग्रवादियों को ठेके पर लेना" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उल्फा ने शांति प्रक्रिया से हटने और अपने संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) सरकार को प्रश्नगत समाचार की जानकारी है। समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना-जानकारी से यह पता चलता है कि उल्फा (यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम) के भारत से बाहर स्थित जिहादी आतंकवादी ग्रुपों के साथ संबंध हैं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उल्फा के कई शीर्ष नेता बांग्लादेश में रह रहे हैं।

(ग) उल्फा ने शांति वार्ता को सुकर बनाने के लिए सितम्बर, 2005 में पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पी०सी०जी०) का गठन किया था। इस दिशा में पी०सी०जी० के साथ अक्टूबर, 2005 और जून, 2006 के बीच वार्ताओं के तीन दौर हुए थे। सरकार ने भी मैत्रीभाव के रूप में वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से 13.8.06 से उल्फा के विरुद्ध एकतरफा

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : देश के 572 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं। इस समय इनमें से 549 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र के 35 जिलों में से 32 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं और इनमें से 31 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रवेश परीक्षाओं की भाषा

***65. डा० आर० सेनथिल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों की प्रवेश परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में ही ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को प्रवेश हेतु समर्थ बनाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं में अन्य भाषाओं को शामिल करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली ग्रेजुएट एप्टीच्यूड टेस्ट एन इंजीनियरी, ज्वॉइट मैनेजमेंट टेस्ट और ज्वांइट एडमिशन टेस्ट टू एम०एस०सी० और भारतीय प्रबंध संस्थानों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में प्रवेश हेतु कामन एडमिशन टेस्ट जैसी प्रवेश परीक्षाएं केवल अंग्रेजी में आयोजित की जाती है, तथापि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि में अवर स्नातक पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा और चिकित्सा/दन्त चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेन्टल प्रवेश परीक्षा जैसी प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने संबंधी निर्णय आयोजक संस्थानों/निकायों द्वारा लिया जाना है, जो समय-समय पर प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं और जहां भी अनिवार्य हो आवश्यक कदम उठाते हैं।

सुनामी पुनर्वास कोष का उपयोग

***66. डा० के०एस० मनोज. :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा सुनामी पुनर्वास कोष के उपयोग की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रभावित राज्यों द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) प्रभावित राज्यों के लिए मंजूर की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) दिनांक 26 दिसम्बर, 2004 को भारतीय समुद्र तट में सुनामी आया जिससे तमिलनाडु राज्य, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (ए०एन०आई०) और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों के 1396 गोवों के 26.63 लाख लोग प्रभावित हुए। इसके कारण आधारभूत सुविधाओं तथा जीवन और आजीविका को अत्यधिक नुकसान हुआ।

तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए "सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज" (आर०जी०आर०पी०) नामक 3644.05 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया गया था ताकि अनाथों, 18 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बालिकाओं, विधवाओं और अशक्त व्यक्तियों तथा मृतक व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह भुगतान करने के अतिरिक्त मछली पालन और कृषि क्षेत्रों को तत्काल राहत, अनुक्रिया, पुनरुद्धार के लिए सहायता प्रदान की जा सके, अस्थाई आश्रय स्थलों (अंतरवर्ती) का निर्माण किया जा सके, आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली की जा सके।

बचाव और राहत का चरण पूरा होने के बाद सुनामी के कारण क्षतिग्रस्त भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे के दीर्घावधिक पुनर्वास और पुनर्निर्माण तथा पंगु हुई आजीविका के पुनरुद्धार पर ध्यान केन्द्रित किया गया। सरकार ने सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम (टी०आर०पी०) का अनुमोदन किया था जो 9870.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जिसे बाद में संशोधित करके 9822.10 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा जिसे 2005-06 से 2008-09 की चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है, मकानों, सड़कों और पुलों, पत्तनों और जहाज से माल उतारने के मंचों तथा अन्य आधारभूत ढांचों के पुनर्निर्माण और कृषि तथा मछली पालन में आजीविका जैसी पुनर्निर्माण और पुनर्वास योजनायें हैं। दीर्घावधिक पुनर्निर्माण के तत्वों से संबंधित आर०जी०आर०पी० से 1776.62 करोड़ रुपए की राशि टी०आर०पी० में शामिल की गई है।

टी०आर०पी० की प्रगति और निधियों के उपयोग पर नजर रखने के लिए योजना आयोग में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अनुसंधान संस्थानों

के प्रतिनिधि शामिल हैं ताकि वे टी०आर०पी० की निधियों पर नजर रख सकें। टी०आर०पी० की प्रत्यक्ष और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने के लिए कोर ग्रुप तिमाही बैठकें करता है।

इसके अतिरिक्त टी०आर०पी० के संबंध में मंत्रियों के शक्तिप्राप्त ग्रुप (ई०जी०ओ०एम०) का गठन किया गया है। इस ग्रुप ने निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन/मानीटरिंग के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तिमाही भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

संशोधित अनुमानों का अनुमोदन करते हुए मंत्रियों के इस ग्रुप ने निर्णय लिया था कि अब अनुमोदित कार्यक्रम में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने की दृष्टि से एक वैज्ञानिक ढंग से कार्य पूरे करने चाहिए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए ई०जी०ओ०एम० द्वारा अनुमोदित संशोधित कार्यक्रम से अधिक कोई अतिरिक्त राशि प्रदान किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सितम्बर, 2007 तक निधियों का राज्य-वार परिव्यय और उपयोग दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सितम्बर, 2007 तक टी०आर०पी० के तहत निधियों का राज्य-वार परिव्यय और उपयोग

(करोड़ रुपए)

राज्य	संशोधित परिव्यय	उपयोग की गई कुल राशि (सितम्बर, 2007 तक)
तमिलनाडु	4165.33	**914.58
केरल	1441.75	67.40
आंध्र प्रदेश	210.16	122.55
पांडिचेरी	663.73	471.22
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2654.69	2504.68
कुल	9135.66 ##	2504.68

(*) आर०जी०आर०पी० के राहत संघटक से व्यय की गई राशि शामिल है।

(**) 10/2007 तक व्यय और आर०जी०आर०पी० से राहत संघटक से व्यय की गई राशि भी शामिल है।

(##) पत्तनों और जहाज से माल उतारने के मंचों के पुनर्निर्माण के लिए नौवहन विभाग और कोर ग्रुप के क्रियाकलापों से संबंधित व्यय के लिए भी गई 686.43 करोड़ रुपए की राशि शामिल नहीं है। कुल परिव्यय 9135.66 करोड़ रुपए (राज्यों/संघ शाक्षित क्षेत्रों के लिए) + 686.43 करोड़ रुपए (नौवहन विभाग और कोर ग्रुप के लिए) = 9822.10 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

उल्फा की गतिविधियां

*67. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान :**
योगी आदित्यनाथ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 2007 के "दैनिक जागरण" में "आत्मघाती हमलों के लिए उल्फा द्वारा उग्रवादियों को ठेके पर लेना" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उल्फा ने शांति प्रक्रिया से हटने और अपने संघर्ष को जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) सरकार को प्रश्नगत समाचार की जानकारी है। समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना-जानकारी से यह पता चलता है कि उल्फा (यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम) के भारत से बाहर स्थित जिहादी आतंकवादी ग्रुपों के साथ संबंध हैं। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उल्फा के कई शीर्ष नेता बांग्लादेश में रह रहे हैं।

(ग) उल्फा ने शांति वार्ता को सुकर बनाने के लिए सितम्बर, 2005 में पीपुल्स कंसलटेटिव ग्रुप (पी०सी०जी०) का गठन किया था। इस दिशा में पी०सी०जी० के साथ अक्टूबर, 2005 और जून, 2006 के बीच वार्ताओं के तीन दौर हुए थे। सरकार ने भी मैत्रीभाव के रूप में वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से 13.8.06 से उल्फा के विरुद्ध एकतरफा

अभियान निलम्बन की घोषणा की थी। तथापि, उल्फा के नेता सीधी वार्ता के लिए आगे नहीं आए और इस आशय की रिपोर्टें मिली हैं कि वे वार्ताओं के लिए पूर्व-शर्तें रखते हुए पुनर्गठित और सुदृढ़ होने की कोशिश कर रहे हैं और हथियार और विस्फोटक पदार्थ एकत्र करने, जबरन धन ऐंठने आदि में संलिप्त हैं। इसलिए उल्फा के विरुद्ध फिर अभियान पुन: बहाल किया गया है।

(घ) सरकार, वार्ता जारी रखने के लिए तैयार है बशर्ते उल्फा के नेता हिंसा त्याग दें और बिना पूर्व-शर्तों के वार्ताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से आगे आएं और इसकी सूचना पी०सी०जी० को दे दी गई है। तथापि, उल्फा और राज्य के कुछ अन्य ग्रुपों द्वारा की जा रही लगातार बुद्धिहीन हिंसा, हत्या, धन ऐंठने आदि की घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार, केन्द्रीय सुरक्षा बलों/एजेंसियों और सेना के साथ निकट सहयोग करके उल्फा सहित विभिन्न उग्रवादी और आतंकवादी ग्रुपों के विरुद्ध योजनाबद्ध और गहन उग्रवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर और केन्द्र सरकार द्वारा इससे संबंधित स्थिति की निकट से और लगातार समीक्षा की जा रही है और निगरानी रखी जा रही है।

रुग्ण उद्योग

*68. **श्री काशीराम राणा :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के निजी और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों में व्याप्त औद्योगिक रुग्णता की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस औद्योगिक रुग्णता के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार और औद्योगिक रुग्णता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुन: निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों के रिकार्ड का रख रखाव करता है जो स्वयं को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस०आई०सी०ए०) के प्रावधानों के तहत बी०आई०एफ०आर० के साथ पंजीकृत करते हैं। बी०आई०एफ०आर० से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बोर्ड के पास 697 मामले पंजीकृत किये गये थे। इसके अतिरिक्त बी०आई०एफ०आर० के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कंपनियां सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रबंधकीय समस्याओं, उत्पादन तथा तकनीकी समस्याओं, विपणन समस्याओं, वित्तीय समस्याओं, पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा आवधिक ऋण की मंजूरी तथा संवितरण में विलंब तथा उच्च ब्याज दरों को बोर्ड के साथ पंजीकरण के समय औद्योगिक रुग्णता/बन्द होने के लिए कारणों के रूप में मानता है।

उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने तथा तेजी लाने के लिए नीतिगत व्यवस्था प्रदान करने के अलावा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) की स्थापना करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को वित्तीय सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी करना; रुग्ण इकाइयों का स्वस्थ इकाइयों के साथ समामेलन करना शामिल है। बी०आई०एफ०आर० के पास पंजीकृत इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए जहां कहीं संभव होता है, पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी का पुन:निर्माण, प्रवर्त्तकों द्वारा नयी निधियों को लगाना, सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा सरकार द्वारा बकाया देनदारी का पुन: निर्धारण करके छूट तथा रियायतों को प्रदान करना तथा प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित है।

बी०आई०एफ०आर० से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान बोर्ड के पास पंजीकृत मामलों की संख्या क्रमश: 399,180 तथा 118 है। इसी अवधि के दौरान 129 मामलों की पुनरूज्जीवन हेतु सिफारिश की गई थी। पुनरूज्जीवन के लिए अनुशंसित मामलों की राज्यवार सूची विवरण-I में दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 228 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनरूज्जीवित किया गया। पुनरूज्जीवित की गई औद्योगिक इकाइयों की राज्यवार सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2006 तक के दौरान बी०आई०एफ०आर० द्वारा अनुशंसित मामलों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एककों की संख्या		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	1	3

1	2	3	4	5
2.	दिल्ली	6	1	5
3.	गुजरात	3	6	3
4.	हरियाणा	—	1	—
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1
6.	जम्मू-कश्मीर	—	1	—
7.	झारखंड	2	—	—
8.	कर्नाटक	—	5	5
9.	केरल	1	4	—
10.	मध्य प्रदेश	—	2	5
11.	महाराष्ट्र	13	3	9
12.	उड़ीसा	—	1	—
13.	पंजाब	2	1	2
14.	राजस्थान	—	3	2
15.	तमिलनाडु	1	7	5
16.	उत्तर प्रदेश	5	6	2
17.	पश्चिम बंगाल	3	2	5
	योग	38	44	47

विवरण-II

दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2006 तक के दौरान बी०आई०एफ०आर० द्वारा पुनरूज्जीवित मामलों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	एककों की संख्या		
		2004	2005	2006
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	6	11
2.	असम	—	—	1
3.	छत्तीसगढ़	1	1	—
4.	दिल्ली	—	6	10
5.	गोआ	1	—	2
6.	गुजरात	3	6	11
7.	हरियाणा	3	1	3
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2
9.	झारखण्ड	—	—	1
10.	कर्नाटक	2	5	9
11.	केरल	1	3	3
12.	मध्य प्रदेश	1	2	—
13.	महाराष्ट्र	5	21	22
14.	उड़ीसा	—	1	2
15.	पांडिचेरी	1	1	—
16.	पंजाब	1	4	7
17.	राजस्थान	2	4	3
18.	तमिलनाडु	2	6	19
19.	उत्तरांचल	1	—	3
20.	उत्तर प्रदेश	—	5	4
21.	पश्चिम बंगाल	2	4	10
	योग	29	76	123

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

***69. श्री किसनभाई वी० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय कलाओं, संस्कृति, परम्परा और वन आधारित आर्थिक क्रिया-कलापों, इत्यादि में अध्ययन और

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केवल जनजातियों के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से जनजातियों संबंधी अनुसंधान और उच्च शिक्षा सुविधाओं की प्राप्ति किस प्रकार किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। देश में जनजातीय व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुसाध्य बनाने तथा उनका संवर्धन करने के लिए शिक्षण एवम् संबद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सरकार का प्रस्ताव है। उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना तथा समावेशन तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2007 पहले ही 23.8.2007 को राज्य सभा में लाया जा चुका है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुख्यत: भारत के जनजातीय व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराना होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, रीति-रिवाज़, औषधीय तंत्र, प्राणी-समूह में विशेष अध्ययन सहित वन आधारित आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल है तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रौद्योगिकियों के संवर्धन में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देना भी शामिल है। यह विधेयक विश्वविद्यालय को अपनी अनुसंधान वरीयताओं और शैक्षणिक लक्ष्यों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करता है।

[हिन्दी]

सीमा पर बाड़ लगाना

*70. **श्री सुभाष महरिया :***
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा के उस कुल क्षेत्र का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां बाड़ लगाने का कार्य किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या अनुरक्षण के अभाव में सीमा पर लगाई गई बाड़ क्षतिग्रस्त हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीमाओं पर बाड़ के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सीमा-पार से होने वाली गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) क्षतिग्रस्त बाड़ की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) भारत-पाक सीमा पर 2007.63 कि०मी० और भारत-बांग्लादेश सीमा पर 3406.87 कि०मी० बाड़ लगाने का निर्णय लिया गया है। भारत-पाक और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाने के लिए मंजूर की गई राज्य-वार लम्बाई नीचे दी गई है:—

भारत पाक सीमा (आई०पी०बी०)

राज्य	लम्बाई (किलोमीटर में)
जम्मू और कश्मीर	180.00
पंजाब	461.00
राजस्थान	1056.63
गुजरात	310.00
कुल	2007.63

भारत-बांग्लादेश सीमा (आई०बी०बी०)

राज्य	लम्बाई (किलोमीटर में)
पश्चिम बंगाल	1528.00
असम	223.81
मेघालय	399.06
त्रिपुरा	736+120*
मिजोरम	400.00
कुल	3406.87

*शुरू में सरकार ने 3286.87 कि०मी० की मंजूरी दी थी। बाद में त्रिपुरा में अतिरिक्त 120 कि०मी० की मंजूरी दी गई है।

(ख) और (ग) मुख्यत: मौसम की प्रतिकूल स्थितियों, पानी जमा होने, बाढ़ आने, जंग लगने, भू-क्षरण होने और जमीन खिसकने आदि के कारण बाड़ को कुछ नुकसान हुआ था।

(घ) और (ङ) इस आशय की कोई रिपोर्टें नहीं मिली हैं कि बाड़ को नुकसान होने के कारण सीमा-पार की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। यद्यपि प्रभावित क्षेत्र, सीमा पार की अवैध गतिविधियों के लिए सुभेद्य हो गए थे। सरकार ने बाड़ के रख रखाव और उनकी मरम्मत के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं। यद्यपि सीमा सुरक्षा बल द्वारा छोटा-मोटा दैनिक मरम्मत का काम किया जा रहा है, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़ी मरम्मतें की जाती हैं। सरकार ने संशोधित डिजाइन के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ शुरू में निर्मित 854 कि०मी० की बाड़ को बदलने और उसका उन्नयन करने का भी निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

कयर उद्योग को प्रोत्साहन

*71. **श्री के०एस० राव** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 'कयर बोर्ड' को कितना घाटा हुआ है;

(ख) कयर उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन और विपणन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पूरे देश के घरेलू खरीदारों तथा अन्य देशों में कयर उत्पादों के विपणन में निजी सार्वजनिक भागीदारी को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को अपनाने, कयर उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु बुनकरों को राजसहायता देने तथा अधिक गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन हेतु अनुसंधान और विकास संस्थानों की स्थापना करने और समग्र उत्पाद का विविधिकरण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) कयर बोर्ड पूर्ण रूप से व्यावसायिक संस्था नहीं है। कयर उद्योग के विकास के लिए आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार संवर्धन, कुशलता विकास तथा आधार संरचना उन्नयन आदि कयर बोर्ड के लक्ष्य हैं। बोर्ड का 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विगत् तीन वर्षों के दौरान बोर्ड से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:–

(लाख रुपये में)

वर्ष	ओपनिंग बेलैन्स	प्राप्तियां	भुगतान	क्लोजिंग बेलैन्स
2004-05	115.31	2142.05	2245.15	12.21
2005-06	12.21	4123.01	4078.39	56.83
2006-07*	56.83	3481.95	3102.09	436.69

*अनन्तिम

(ख) कयर और कयर उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादन को सुधारने के लिए, बोर्ड निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है:–

(I) बोर्ड के अधीन कार्यरत केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलावुर, एल्लेपी और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर उत्पादन और प्रसंस्करण की पद्धतियों में सुधार के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं। ये संस्थान नए कयर आधारित उत्पादों के विकास और कयर के उपयोगों के विविधीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

(II) बोर्ड के अधीन राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र कलावुर, एल्लेपी वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन और विनिर्माण की तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है तथा उद्योग की श्रमशक्ति संबंधी आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

(III) कयर का उत्पादन सुधारने के लिए, बोर्ड नई इकाईयों की स्थापना और वर्तमान इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(IV) कयर बोर्ड कयर सहकारिता सोसाइटियों, स्वैच्छिक संगठनों आदि की सहायता से कयर उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण कयर उत्पादन केन्द्रों पर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

(V) बोर्ड द्वारा देश और विदेशों में कॅयर और कयर उत्पादों के उपयोग को लोकप्रिय बनाने हेतु जो कदम उठाए गए हैं, उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:–

I. देश और विदेश में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रचार;

II. देश के विभिन्न नगरों में महत्वपूर्ण स्थलों पर कयर उत्पादों की विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग और बैनर लगाना;

III. कयर बोर्ड तथा उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा देश और विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, सेमिनारों और सम्मेलनों, आदि में भाग लेना;

IV. खुदरा शो-रूम और विक्रय डिपो और मोबाइल विक्रय एकक खोलना;

V. प्रदर्शन और विक्रय आदि के लिए पेट्रोल पम्पों के साथ 'टाई-अप' करना।

(ग) बोर्ड निजी-सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से प्रयोगात्मक आधार पर प्राधिकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों को खोलने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने कयर उत्पादों के लिए कमीशन आधार पर निजी प्रसार 'एजेंटों' को भी काम पर लगाया है। कोच्चि के चयनित पेट्रोल पंपों पर कयर उत्पादों के विक्रय के लिए हाल ही में भारतीय तेल निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

कयर बोर्ड ने 120 से ज्यादा रबडयुक्त कयर उद्योग इकाईयों का संवर्धन किया है, जिनका सालाना कारोबार 800 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 'स्फूर्ति' कार्यक्रम के अंतर्गत 26 कयर क्लस्टरों की पहचान उनके समुचित विकास के लिए की गई है। इससे कयर के अतिलघु, घरेलू एवं सूक्ष्म उद्योगों को गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं तकनीकी सहायता क्षेत्र में मदद मिलेगी।

बोर्ड बाह्य बाजार के विकास के उद्देश्य से 'बाह्य बाजार विकास स्कीम' के तहत सहायता उपलब्ध करा रहा है। इस स्कीम के तहत विक्रय संवर्धन दौरा, विदेशों में मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा मुद्रित सामग्रियों के माध्यम से प्रसार के लिए सहायताएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) और (ङ) बोर्ड द्वारा वर्तमान इकाईयों के आधुनिकीकरण और उत्पादक आधार संरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। नए इकाईयों के गठन के लिए, बोर्ड मशीनरी की लागत का 25% उपलब्ध कराता है जोकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। आधुनिकीकरण के लिए, मौजूदा उच्चतम सीमा 50,000 रुपए है। इस योजना के अंतर्गत शेष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 क्रमशः 48, 74 और 61 इकाईयों के लिए सहायता प्रदान की गई।

उक्त वर्तमान स्कीम के अतिरिक्त, 11वीं योजना अवधि के दौरान कयर उद्योग के आधुनिकीकरण, पुनरुज्जीवन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक नई योजना आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पुराने करघों को बदलने के लिए पहले चरण में लगभग 19000 बुनकरों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है जिससे कि मूल्य वर्धित उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। कयर बोर्ड के अंतर्गत दो अनुसंधान और विकास संस्थान नामतः केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, कलावुर, एल्लेपी और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा विवरण में दिया गया है। सरकार कयर बोर्ड के माध्यम से इन उपलब्धियों को लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रयास कर रही है।

विवरण

कयर बोर्ड की प्रमुख अनुसंधान और विकास उपलब्धियां

1. कयर 'फाइबर' का निस्काशन और प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण।
2. भूरे फाइबर क्षेत्र के लिए मोटरयुक्त रट का विकास।
3. नारियल हस्क की शीघ्र रेटिंग के लिए 'कायरिट' (जीवाणु मिश्रण) का विकास।
4. यांत्रिक रूप से निष्कर्षित 'अनरेटिट' हरे हस्क फाइबर के गुणवत्ता सुधार के लिए कायरिट के प्रयोग की पद्धति का विकास।
5. एक शून्य प्रदूषण प्रक्रिया का विकास किया गया जिसके द्वारा जल 'इमल्सन' में वनस्पति तेल, 'यूरिया' के साथ, कयर रेशा में प्रयुक्त किया जाता है जिससे बेहतर बुनाई में सहायता मिलती है और अधिक उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया से कयर रेशा को 'लगून' व झीलों में भिगोने की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है जिससे वातावरण में प्रदूषण फैलने से रोका जा सकता है।
6. ''अनुग्रह'' नामक धात्विक करघा विकसित किया गया जिससे महिला कर्मियों को कयर मैटों की बुनाई में सहूलियत व दैनिक आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है।
7. सभी प्रकार के मैट, मैटिंग्स और दरियों के बुनाई के लिए ''अनुपम'' करघे का विकास। यह करघा न्यूमैटिक रूप से शक्ति पैदा करने पर आधारित है जो कि महिला श्रमिकों के लिए उपर्युक्त है।
8. कयर नॉन वूवेन फेल्ट, 'कयरपिथ' और 'कम्पोस्टेड कयरपिथ' के प्रयोग से एक सिले-सिलाए लाउन ''कोकोलाउन'' का विकास।

[हिन्दी]

नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम

***72. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री बापू हरी चौरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों के मद्देनजर विपणन, वित्त तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी०पी०ओ०) से संबंधित नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी निर्णय शैक्षिक संख्या/विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा उनके उपयुक्त शैक्षिक निकाय की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

भारतीय प्रबंध संस्थान और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित अधिकांश प्रबंध संस्थाएं प्रबंध में दो वर्षीय पूर्ण कालिक पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम संचालित करती है, जिसकी पाठ्यचर्या में मार्केटिंग एवं वित्त मुख्य भाग है। भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ और भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर भी मार्केटिंग एवं वित्त में अल्प-कालीन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौरा अपने दीर्घकालीन कार्यक्रम के भाग के रूप में "मैनेजिंग आउटसोर्सिंग एण्ड ऑफसोर्सिंग" शीर्षक के नाम से एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है।

[अनुवाद]

कुटीर उद्योगों हेतु पैकेज

*73. **श्री मदन लाल शर्मा** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कोई कार्य-योजना अथवा पैकेज की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में इस उद्देश्य हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में कुटीर उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 1995 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) कार्यान्वित करती आ रही है। इस कार्यक्रम के अधीन उद्यमी 25 लाख रुपए की अधिकतम लागत वाली परियोजनाओं के लिए के०वी०आई०सी० से मार्जिन मनी की सहायता और किसी सरकारी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करते हुए ग्राम/कुटीर उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त ग्राम/कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के०वी०आई०सी० के माध्यम से निम्नलिखित सहायता प्रदान करती है:

(i) उत्पाद विकास, डिजाइन मध्यस्थता और पैकेजिंग (प्रोदीप) स्कीम के अंतर्गत डिजाइन, गुणवत्ता और उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग के लिए वैयक्तिक उद्यमियों/संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ii) ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर०आई०एस०सी०) स्कीम के अंतर्गत बैकवर्ड फारवर्ड लिंकेजेज तथा कच्ची सामग्री सहायता, कौशल, उन्नयन, गुणवत्ता नियंत्रण, जांच सुविधाएं, विपणन संवर्धन, ग्रामीण उद्योग क्लस्टरों को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन एवं उत्पाद विकास जैसे आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और अन्य पात्र संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(iii) राष्ट्रीय आंचलिक, राज्य और जिला स्तर पर प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए पंजीकृत खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (के०वी०आई०बी०) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, चमड़ा, कुम्हारी, और अन्य कुटीर उद्योगों सहित खादी, ग्रामोद्योग और कयर जैसे पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु इन उद्योगों को और अधिक उत्पादक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने हेतु "पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम" (स्फूर्ति) नामक स्कीम आरंभ की गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार खादी और ग्रामोद्योग (कुटीर उद्योगों सहित) के संवर्धन हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों को सीधे तौर पर कोई भी निधि जारी नहीं करती है। यह निधि के०वी०आई०सी० को दी जाती है जो अपने राज्य/संघ शासित प्रदेशों में स्थित कार्यालयों को उनके आवश्यकता के अनुसार जारी करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए के०वी०आई०सी० द्वारा आवंटित निधियों का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2006-07 में कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के दौरान कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योग के विकास के लिए के०वी०आई०सी० द्वारा आवंटित निधि का राज्य/संघ-शासित-वार विवरण

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	0.00	2.95	1.38
2.	दिल्ली	1051.10	307.58	263.73
3.	हरियाणा	2192.81	1348.76	1579.61
4.	हिमाचल प्रदेश	697.68	833.23	1146.76
5.	जम्मू-कश्मीर	712.96	786.43	933.59
6.	पंजाब	2178.85	1868.63	1743.19
7.	राजस्थान	2794.05	3364.09	3415.15
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	104.09	149.78	100.25
9.	बिहार	584.70	733.84	835.01
10.	झारखंड	182.79	778.86	882.10
11.	उड़ीसा	1156.83	975.20	1054.86
12.	पश्चिम बंगाल	2606.58	2395.38	2473.26
13.	अरुणाचल प्रदेश	91.12	182.00	166.20
14.	असम	1364.83	2948.35	2250.77
15.	मणिपुर	177.55	286.93	239.20
16.	मेघालय	299.60	420.86	370.02
17.	मिजोरम	454.66	1142.46	1164.66
18.	नागालैंड	223.71	248.75	221.90
19.	त्रिपुरा	192.38	164.44	151.84
20.	सिक्किम	337.61	305.03	272.32
21.	आन्ध्र प्रदेश	3019.60	4174.51	3951.20
22.	कर्नाटक	1800.69	2402.23	2508.95
23.	केरल	1424.13	1735.84	1743.36
24.	तमिलनाडु	1507.99	1604.00	1822.99
25.	पोडिचेरी	12.28	5.61	54.67
26.	लक्ष्यद्वीप	0.00	0.00	8.66
27.	गोवा	279.93	179.70	369.37
28.	गुजरात	767.31	1111.88	896.20
29.	महाराष्ट्र	2452.80	2516.11	2235.26
30.	छत्तीसगढ़	1165.16	1179.46	1169.19
31.	मध्य प्रदेश	1710.57	1517.46	1336.49
32.	उत्तरांचल	695.12	675.21	738.42
33.	उत्तर प्रदेश	4494.43	4941.94	4484.12
34.	विभागीय	3957.68	5057.23	5764.25
	योग	40691.59	46344.83	46348.93

विवरण-II

वर्ष 2006-07 में कुटीर उद्योगों सहित ग्रामोद्योग की राज्य-वार स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उत्पादन (लाख रु०)	बिक्री (लाख रु०)	रोजगार (लाख व्यक्ति)	उपार्जन (लाख रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	1757.42	2966.49	0.15	1178.05

1	2	3	4	5	6
2.	दिल्ली	5588.29	5946.26	0.27	2740.49
3.	हरियाणा	48023.45	61760.24	2.07	26240.89
4.	हिमाचल प्रदेश	35648.79	43816.15	1.55	16288.34
5.	जम्मू-कश्मीर	30131.99	37104.28	1.65	18094.25
6.	पंजाब	58854.81	63204.11	2.45	25005.23
7.	राजस्थान	123005.95	157534.11	6.42	75500.21
8.	अंडमान एवं निकोबार	1676.10	2321.29	0.20	1024.70
9.	बिहार	26243.42	32043.12	1.96	9863.85
10.	झारखंड	6607.97	9171.82	0.32	4625.63
11.	उड़ीसा	28218.43	32300.52	2.58	14235.11
12.	पश्चिम बंगाल	58551.80	76636.51	5.75	28683.06
13.	अरुणाचल प्रदेश	1918.45	2900.29	0.07	1261.53
14.	असम	29838.13	46913.27	2.36	20255.40
15.	मणिपुर	7273.69	7495.21	0.65	3325.35
16.	मेघालय	6419.31	8997.72	0.35	4179.66
17.	मिजोरम	14179.79	20216.68	0.64	8225.24
18.	नागालैंड	7672.83	10002.76	0.43	5800.81
19.	सिक्किम	2330.58	4810.35	0.19	1491.75
20.	त्रिपुरा	5461.55	6766.64	0.45	3727.17
21.	आन्ध्र प्रदेश	92568.42	109815.80	5.92	47319.39
22.	कर्नाटक	104353.79	121738.85	3.33	39603.96
23.	केरल	66927.29	73756.94	3.51	31831.76
24.	लक्ष्यद्वीप	155.13	169.58	0.01	126.72
25.	पोडिचेरी	789.16	1630.22	0.08	242.28
26.	तमिलनाडु	91367.21	115309.82	12.81	52596.54

1	2	3	4	5	6
27.	दादरा एवं नगर हवेली	92.26	87.61	0.01	40.28
29.	गोवा	3850.12	6111.99	0.16	2348.90
30.	गुजरात	56566.12	80201.08	1.24	14470.50
31.	महाराष्ट्र	155974.72	178597.44	6.45	53003.86
32.	छत्तीसगढ़	25837.69	33421.27	0.80	14170.33
33.	मध्यम प्रदेश	73968.41	100766.50	3.04	31936.28
34.	उत्तराखंड	15258.89	16465.45	0.58	9000.35
35.	उत्तर प्रदेश	166607.51	218940.32	11.63	79966.69
	महायोग	1353719.47	1689920.69	80.08	648404.56

आई०आई०टी० खोला जाना

*74. **श्री एन०एन० कृष्णदास :**
श्री रनेन बर्मन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के कतिपय भागों में और आई०आई०टी० खोलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सहित किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में नई आई०आई०टी० खोलने के लिए कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे अनुरोधों पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) माननीय प्रधानमंत्री ने 60 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित अपने भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार को केरल सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से उनके राज्यों में नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रो० सी०एन०आर० राव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिश पर सरकार, 11 थीं योजना के दौरान 3 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पूर्व में बिहार में, पश्चिम में राजस्थान में तथा दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक में एक संस्थान खोलने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। शेष संस्थानों के स्थान पर निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

निःशक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा

*75. **श्री मोहन जेना :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में निःशल्क बाल्कों के लिए समेकित शिक्षा (आई०ई०डी०सी०) के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अब तक उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित बालकों की संख्या कितनी है;

(घ) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता नहीं दी गयी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु शीघ्र केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ग) नि:शक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम मुख्यत: मांग आधारित है। इससे सम्बन्धित अनुदान जारी करना प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों पर निर्भर होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त की गई भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी गई है:–

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 अभी तक
भौतिक उपलब्धि				
शामिल किए गए बालक	210399	211522	283608	प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
वित्तीय उपलब्धि				
जारी किया गया अनुदान (रुपये करोड़ में)	36.57	41.48	51.29	33.05

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा सहित प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों को नि:शक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा स्कीम के तहत सीधे जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, को वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई थी। व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई थी।

(ङ) वित्त वर्ष शुरू होते ही राज्य सरकारों से निर्धारित समय-सीमा पर पूर्ण और विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित राज्यों को समय-समय पर स्मरण-पत्र भी भेजे जाते हैं।

विवरण

नि:शक्त बालकों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत 2004-07 तक की अवधि के दौरान गैर सरकारी संगठनों को सीधे जारी की गई वित्तीय सहायता (रुपये लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.33	39.02	90.44	13.39
2.	असम	39.13	39.61	14.04	8.15
3.	बिहार	2.22	0.92		
4.	छत्तीसगढ़	19.81	7.45	15.62	
5.	*गुजरात				
6.	हरियाणा	81.75	34.93	39.64	
7.	*कर्नाटक				
8.	केरल	11.95	3.83	2.67	
9.	मध्य प्रदेश	31.74	21.78	4.82	3.69
10.	महाराष्ट्र	61.73	14.56	38.07	14.89
11.	मणिपुर	14.35	8.61		
12.	नागालैण्ड	18.54			
13.	उड़ीसा	215.2	79.99	156.03	64.94
14.	राजस्थान	1.21	1.00		
15.	तमिलनाडु	320.42	149.87	129.58	
16.	उत्तर प्रदेश	50.38	50.2	17.73	
17.	पश्चिम बंगाल	4.29			
18.	दिल्ली	99.55	40.74	74.78	12.41
19.	पांडिचेरी	11.72	4.94	4.42	
	कुल	1107.04	497.52	553.60	117.47

*राज्य सरकारों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान।

महानगरों में अपराध दर

*76. श्री एम० अप्पादुरई :
प्रो० महादेवराव शिवनकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा राजधानी में दर्ज अपराध दर अन्य महानगरों की तुलना में सर्वाधिक पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य प्रमुख महानगरों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य महानगरों की तुलना में राजधानी में सर्वाधिक अपराध दर होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राजधानी में अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) वर्ष 2006 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) द्वारा संकलित अनंतिम आंकड़ों के अनुसार चार महानगरों में आई०पी०सी० मामलों, विशेष और स्थानीय मामलों तथा अपराध के कुल मामलों की दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र० सं०	महानगर का नाम	आई०पी०सी० मामलों की दर	विशेष और स्थानीय कानूनी मामलों की दर	कुल मामलों की दर
1	2	3	4	5
1.	चेन्नई	251.6	913.6	1165.3
2.	दिल्ली	414.4	218.9	633.3
3.	कोलकाता	71.0	6.8	77.8
4.	मुम्बई	189.8	30.0	219.8

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, नियमित आधार पर स्थिति पर निगरानी रखी जाती है और विश्लेषण किया जाता है।

(ङ) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(1) अपराध और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान का नियमित विश्लेषण करना;

(2) बीट और डिविजन गस्त के साथ-साथ मोटर-साइकिल की गस्त तेज करना;

(3) उस क्षेत्र में संलिप्त पूर्व-इतिहास वाले सक्रिय और खतरनाक अपराधियों पर निगरानी रखना;

(4) अपराधियों के क्रियाकलापों से संबंधित प्राप्त सूचना का सत्यापन करना;

(5) अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पूरी दिल्ली में पिकेटों की तैनाती करना;

(6) कारों, स्कूटरों, मोटर साइकिलों और अन्य वाहनों की नियमित जांच करना;

(7) जिन पुलिस स्टेशनों में अपराध दर अधिक है उनमें अतिरिक्त मानवशक्ति और अतिरिक्त मोटर साइकिलों की गस्तों की तैनाती करना;

(8) अंधेरी रातों के दौरान विशेष गस्त लगाना;

(9) नौकरों और किरायेदारों का नियमित सत्यापन करना;

(10) अतिथि गृहों, होटलों, विश्राम गृहों आदि की नियमित आधार पर जांच करना;

(11) बड़े अपराधियों पर उचित ढंग से निगरानी रखने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी पहचान करने हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन को निदेश देना;

(12) लोगों का सहयोग प्राप्त करने और अपराध का पता लगाने तथा उसके निवारण हेतु उनको शामिल करने के लिए सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा देना;

(13) जेलों से रिहा किए गए अपराधियों के बारे में जानकारी रखना;

(14) वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक कक्ष स्थापित करना;

(15) वरिष्ठ नागरिकों से सहायता की गुहार सुनने के लिए विशेष हेल्प लाइन स्थापित करना;

(16) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजदीकी निगरानी रखना;

(17) मुख्य महिला कालेजों में गस्त लगाने वाले पी०सी०आर० वाहनों में महिला पुलिस कांस्टेबलों की तैनाती करना;

(18) मुख्य महिला कालेजों में "सुरक्षा समीक्षा समितियां" गठित करना;

(19) महिला उत्पीड़न और छेड़-छाड़ रोकने के लिए शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सादे-कपड़ों में पुलिस कार्मिकों की तैनाती करना;

(20) महिला हेल्प लाइनें स्थापित करना;

(21) महिलाओं से तात्कालिक और गंभीर स्वरूप की गुहार/आपात कॉलों को सुनने के लिए चौबीसों घंटे "महिला मोबाइल टीम" का गठन करना;

(22) महिलाओं की दैनिक जीवन की समस्या और महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में भी बल को सुग्राही बनाना "सुरक्षा समीक्षा समितियां"

(23) महिलाओं के प्रति अपराध कक्ष को सुदृढ़ बनाना; और

(24) रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर स्थापित करना।

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों द्वारा धनादोहन

*77. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री मो० ताहिर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और नवम्बर, 2007 तक मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से उग्रवादी समूह पैसे की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनियों ने पूर्वोत्तर में अपनी इकाई स्थापित करने से पहले केन्द्र सरकार से कोई सुरक्षा संबंधी वादे की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी संगठनों/ग्रुपों के बारे में इस आशय की रिपोर्टें हैं कि वे विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, पदाधिकारियों, राजनीतिज्ञों आदि से जबरन धन वसूली करने में संलिप्त हैं। जब कभी ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित विशिष्ट मामलों की सूचना दी जाती है तो मामले दर्ज किए जाते हैं और यथा आवश्यक अन्य प्रतिकारी उपाय और कार्रवाई की जाती है।

(ग) पूर्वोत्तर में अपनी कंपनियां खोलने से पहले संघ सरकार को उनसे इस आशय का कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिए जाने की मांग की हो।

(घ) क्षेत्र में सक्रिय ग्रुपों और दिग्भ्रमित तत्वों, जो हिंसा और जबरन धन आदि एंठने में संलिप्त रहे हैं, के क्रियाकलापों को रोकने तथा शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संघ सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं केन्द्र सरकार, उग्रवाद विरोधी तेज अभियान चलाने और खतरे के आकलनों पर आधारित संवेदनशील प्रतिष्ठानों और परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करने; सूचना का आदान-प्रदान करने; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने; सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सुरक्षा उपकरणों के विभिन्न पहलुओं और उग्रवाद-विरोधी अभियानों के अन्य पहलुओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता करने; रिजर्व बटालियनों आदि के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने जैसे अनेक उपायों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार, निरंतर आधार पर स्थिति की आवधिक समीक्षा करने और यथाआवश्यक अन्य कदम उठाने की दृष्टि से क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ निकट और लगातार समन्वय बनाए हुए है।

[हिन्दी]

खनिजों का निर्यात

*78. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषत: छत्तीसगढ़ से निर्यात हेतु केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा खरीदे गए खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए इन खनिजों की राज्यवार मात्रा कितनी है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ सहित राज्यों की निर्यात क्षमता का कोई आकलन किया गया है तथा उस क्षमता का दोहन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अक्तूबर, 2007 तक) के दौरान एम०एम०टी०सी० लि० द्वारा छत्तीसगढ़ सहित भिन्न-भिन्न राज्यों से निर्यातों हेतु खरीदे गए खनिजों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा: लाख टन)

खनिज/राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम) (अप्रैल-अक्टूबर, 07)
लौह अयस्क				
छत्तीसगढ़	47.61	47.11	26.56	15.93
कर्नाटक/गोवा	59.18	45.77	46.13	27.41
उड़ीसा/झारखंड	12.42	7.92	8.74	3.91
कुल	119.21	100.80	81.43	47.25
मैंगनीज अयस्क				
कर्नाटक	1.47	1.13	1.06	0.52
आंध्र प्रदेश	0.97	0.44	0.34	0.55
झारखंड	0.61	0.18	0.30	0.10
उड़ीसा	0.28	0.60	–	–
कुल	3.33	2.35	1.70	1.17
क्रोम अयस्क				
उड़ीसा	4.40	4.60	3.95	1.55
कुल	4.40	4.60	3.95	1.55

एस०टी०सी० लि०, एस०टी०सी०एल० लि० और पी०ई०सी० लि० द्वारा खरीदे गए लौह अयस्क का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा: लाख टन)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम) अप्रैल-अक्तूबर, 07)
एस०टी०सी०	उपलब्ध नहीं	3.98	2.17	1.97
एस०टी०सी०एल०	0.08	0.35	5.57	2.27
पी०ई०सी०	8.89	6.57	3.21	0.68

*स्रोत: एस०टी०सी०, एस०टी०सी०एल०, और पी०ई०सी० के लिए खरीद का स्रोत झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक हैं।

(ग) और (घ) किसी राज्य की निर्यात क्षमता का परिकलन करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक कारकों के आधार पर खनिजों का देश के विभिन्न भागों में प्रयोग किया जाता है। जहां तक मैंगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क का संबंध है, उन खनिजों की घरेलू मांग के मद्देनजर उनके निर्यात पर पहले से ही मात्रात्मक प्रतिबंध लागू हैं। जहां तक लौह अयस्क का संबंध है, सरकार 64% तक लौह तत्व वाले लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति सरणीकरण के बिना प्रदान करती है। यद्यपि 64% से अधिक के लौह तत्व वाले लौह अयस्क का निर्यात एम०एम०टी०सी० लि० के जरिए सरणीकृत किया जाता है, तथापि सरकार 64% से अधिक के लौह तत्व वाले लौह अयस्क फाईन्स के निर्यात की अनुमति निजी खान मालिकों/पट्टाधारकों द्वारा लाइसेंस पर प्रदान करती है। तथापि, राष्ट्रीय खनिज नीति संबंधी उच्चस्तरीय समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्यातों पर किसी मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन इस स्थिति की 10 वर्ष बाद समीक्षा की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक दवाओं का पेटेंट

*79. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का हिस्सा रहे आयुर्वेदिक दवाओं के तैयार संपाकों का पेटेंट प्राप्त करने हेतु विदेशी कंपनियों से बड़ी संख्या में निवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन आयुर्वेदिक/यूनानी दवाओं का ब्यौरा क्या है जिनके पेटेंट अन्य देशों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) क्या इस कारण भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ) भारतीय पेटेंट कार्यालय को भारतीय व विदेशी आविष्कारकों एवं कंपनियों से उनके आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें संभावित आयुर्वेदिक दवाओं सहित सभी प्रौद्योगिकों क्षेत्रों में पेटेंट मांगे गए हैं, जो कि पेटेंट कार्यालय की वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर प्राकशित किए गए हैं।

विभिन्न देशों द्वारा अपने प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत अपने-अपने संबंधित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों एवं कंपनियों को ऐसे उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट प्रदान किए जाते हैं, जो नवीनता, आविष्कार के चरण और औद्योगिक अनुप्रयोग के मानदंडों को पूरा करते हों और ये केवल एक भौगोलिक सीमा में ही प्रभावी होते हैं; अर्थात् ये केवल उसी देश में प्रभावी होते हैं जहां वे प्रदान किए जाते हैं। दूसरे देश में प्रदाव किए जाने वाले पेटेंटों का भारत के आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर प्रभाव नहीं पड़ता और ये भारत में लागू नहीं होते।

पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट होने से बचाने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 में प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 3(पी) के अनुसार, कोई भी आविष्कार जो वास्तव में पारंपरिक ज्ञान हो या पारंपरिक तौर पर ज्ञात घटक या घटकों के ज्ञात गणों का संयोजन अथवा नकल हों, पेटेंटनीय नहीं होगा। उक्त अधिनियम की धारा 25 और 64 में पेटेंट का विरोध करने एवं उसे रद्द करने के एक आधार के रूप में, उपलब्ध स्थानीय ज्ञान के द्वारा जिसमें मौखिक ज्ञान भी शामिल है, आविष्कार की प्रत्याशा भी शामिल है।

सरकार ने एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टी०के०डी०एल०) आंकड़ा आधार (डाटा बेस) को तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है, जिसमें ऐसे आविष्कारों को पेटेंट होने से रोकने के लिए, जो मात्र पारंपरिक ज्ञान हैं, को पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी में है तथा इसमें आयुर्वेद व यूनानी सहित पारंपरिक दवाओं का कूटबद्ध ज्ञान भी शामिल होगा।

क्लस्टर्स की स्थापना

*80. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ठंड़ीसा राज्य सरकार सहित विभिन्न राज्यों से अपने राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्लस्टर्स की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा उनमें से अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(घ) ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इन लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) गत दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एम०एस०ई०-सी०डी०पी०) व पारम्परिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत ठंड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित क्लस्टरों के विकास के लिए 268 व 202 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए गठित स्टीयरिंग समितियों द्वारा 263 व 122 क्लस्टरों में विकास करने के लिए स्वीकृति दी गई है। कोई भी स्वीकृति योग्य प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(घ) इन दोनों योजनाओं में प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु निर्धारित मानदंड इन योजनाओं के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित हैं जो संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

एम०एस०ई०-सी०डी०पी० के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से क्लस्टर विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार सूची

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्ताव	
		एम०एस०ई० सी०डी०पी०	स्फूर्ति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	20

1	2	3	4
2.	असम	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	1
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	1
5.	बिहार	3	3
6.	छत्तीसगढ़	2	5
7.	चंडीगढ़	—	—
8.	दमन व दीव	—	—
9.	दिल्ली	3	1
10.	दादरा व नागर हवेली	—	—
11.	गोवा	2	2
12.	गुजरात	4	6
13.	हरियाणा	1	5
14.	हिमाचल प्रदेश	1	2
15.	जम्मू-कश्मीर	—	5
16.	झारखंड	2	3
17.	कर्नाटक	8	13
18.	केरल	36	12
19.	लक्षद्वीप	—	1
20.	मध्य प्रदेश	3	6
21.	महाराष्ट्र	7	7
22.	मेघालय	1	1
23.	मिजोरम	—	1
24.	मणिपुर	2	4
25.	नागालैंड	1	1
26.	उड़ीसा	18	11
27.	पंजाब	6	6
28.	पांडिचेरी	—	2
29.	राजस्थान	13	11
30.	सिक्किम	—	1
31.	तमिलनाडु	21	29
32.	त्रिपुरा	2	2
33.	उत्तर प्रदेश	84	23
34.	उत्तरांचल	—	3
35.	पश्चिम बंगाल	29	8
	कुल	268	202

विवरण-II

लघु उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय

एन०ओ०टी०एम०/यू०एन०डी०/2005
निर्माण भवन
नई दिल्ली - 110011
दिनांक 14 मार्च 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस०आई०सी०डी०पी०) के दिशा-निर्देश

प्रस्तावना

1. लघु उद्योग (एस०एस०आई०) मंत्रालय, भारत सरकार ने लघु उद्यमों (लघु उद्योगों और लघु उद्योग-सेवा और व्यवसाय उद्यमों सहित) और उनके संगठनों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और साथ ही उनके क्षमता निर्माण के लिए एक मुख्य रणनीति के रूप में क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया है। अन्य बीजों के अलावा, यह दृष्टिकोण प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों के परिनिरोजन के संबंध में महत्वपूर्ण इकोनॉमीज ऑफ स्केल और मध्यम से दीर्घ अवधि में अधिक टिकाऊ परिणामों में भी मदद देता है।

2. लघु उद्यम क्लस्टरों की बड़ी संख्या और अलग-अलग अवस्थितियों तथा देश भर में इन क्लस्अर आधारित उद्यमों की सहयोगी स्व-सहायता क्षमताओं के विविधतापूर्ण दरजे को देखते हुए, इस कार्यक्रम की सफलता न केवल क्लस्टर आधारित उद्यमों के प्रयासों बल्कि राज्य सरकारों और लघु उद्यमों के संवर्धन में संलग्न अन्य संस्थानों की सक्रिया भागीदारी पर भी निर्भर करती है। इसलिए, निम्नलिखित दिशा-निर्देश लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस०आई०सी०डी०पी०) के तहत क्लस्टर विकास पहलों के कार्यान्वयन के लिए लघु उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सहयोग के लिए प्रस्ताव बनाने में सभी स्टेकहोल्डरों की सहायता के लिए विद्यमान दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए जाते हैं।

कार्यान्वयक अभिकरण

3.1 प्रस्तावित क्लस्टर विकास पहल के आवेदक के रूप में औपचारिक या दूसरी प्रकार से अपने सदस्यों में सकारात्मक सहयोग के पूर्व अनुभव के प्रमाण के साथ एक स्पष्ट वैधानिक संस्थान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करता है। अत: एस०आई०सी०डी०पी० के तहत सहायता की मांग करने वाले क्लस्टर विकास के सभी प्रस्तावों को स्पेशल पर्पज वेइकल्स (एस०पी०वी०) से आना चाहिए, जिसमें किसी भी वैधानिक रूप जैसे सहकारी संस्था, पंजीकृत संस्था, ट्रस्ट, कंपनी, आदि में संगठित वास्तविक/संभावित क्लस्टर लाभार्थी/उद्यम शामिल हों।

3.2.1. तथापि, देश में लघु (और अति लघु या सूक्ष्म) उद्यमों के बीच ऐसे सहयोगी पहलों के विकास की असमान स्थिति को देखते हुए, एक प्रमुख सरकारी संस्थान के लिए क्लस्टर लाभार्थियों के परामर्श से क्लस्टर विकास की संकल्पना, डिजाइन, तकनीकी मानदंडों के निर्धारण, परियोजना की तैयार और दस्तावेजीकरण, आदि के आरंभिक चरणों में क्लस्टर विकास के प्रस्ताव का मुख्य प्रस्तावक होना स्वीकार्य होगा। तथापि, सरकारी सहयोग के लिए प्रस्ताव को जमा करते समय इस अनिवार्य आवश्यकता की समाप्ति की समय-सीमा के स्पष्ट संकेत के साथ यथाशीघ्र एस०पी०वी० को गठित करना आवश्यक होगा।

3.2.2. संक्षेप में, इस प्रकार क्लस्टर लाभार्थियों के एस०पी०वी० के अतिरिक्त, निम्नलिखित श्रेणियों के संस्थान/अभिकरण लघु उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सहयोग के साथ एस०आई०सी०डी०पी० के अंतर्गत क्लस्टर विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव करने और कार्यान्वित करने के लिए पत्र होंगे:

- लघु उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के क्षेत्र संगठन/कार्यालय और स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र संस्थान/उद्यम।
- राज्य सरकार और उनके स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
- लघु उद्योग क्षेत्र सहित लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास में लगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।
- किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर लागू विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान/अभिकरण।

क्लस्टर(ों) का चयन

4. अत्यंत सावधानी से क्लस्टरों की विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन और अनुप्रयोग सही प्रकार के क्लस्टर के चयन के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। क्लस्टरों के प्रकार तथा क्लस्टर विकास पहलों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर कुछ हद तक निर्भर करते हुए मानदण्ड अलग-अलग हो सकते हैं। तथापि व्यापक रूप से निम्नोक्त उदाहरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- इकाइयों की संख्या, रोजगार, उत्पादन निर्यात, आदि के संबंध में क्लस्टर(ों) की महत्ता।
- प्रौद्योगिकी, उत्पाद गुणवत्ता, सामान्य सुविधाओं, कौशल उन्नयन, कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन समर्थन, आदि में नाजुक अंतरालों की विद्यमानता।
- क्लस्टर की व्यवहार्यता।
- क्लस्टर के विकास में वित्तीय विकास तथा लघु उद्योग के संवर्धन में संलग्न स्थानीय उद्योग संघ एवं/अथवा अन्य संस्थानों द्वारा दर्शाई गई रूचि/सक्रियता।
- सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि लिंग असमानताएं, गरीबी की स्थितियां, रोजगार सृजन की आवश्यकता, प्रदूषण परिदृश्य, आदि।

5. संबंधित मंत्रालय की सहमति से भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र के तहत आने वाले उत्पादों का विनिर्माण करने वाली लघु उद्योग इकाइयों के क्लस्टरों पर भी विचार किया जा सकता है।

6. यदि कार्यान्वयक अभिकरण उस राज्य की सरकार नहीं है, जिसमें वह क्लस्टर स्थित है या उस राज्य सरकार का संगठन नहीं है, अभिकरण को क्लस्टर चुनते समय और उसके विकास के लिए रणनीति और/या कार्ययोजना बनाते समय संबंधित राज्य सरकार से अनिवार्य रूप से परामर्श करने और उसकी राय लेना भी आवश्यक होगा।

क्लस्टर विकास कार्यक्रम में निदर्शी कदम

7. मुख्य कदम हैं:

- क्लस्टर(ों) का चयन
- क्लस्टर विकास कार्यकारी(रियों) का चयन
- भरोसा बनाना
- नैदानिक अध्ययन
- कार्य योजना की तैयारी
- बजट का अनुमोदन और विभिन्न संस्थानों से निधियां जुटाना
- कार्य योजना का कार्यान्वयन
- निगरानी और मूल्यांकन
- दूसरे को सौंपना और निकलना
- स्व प्रबंधन चरण

क्लस्टर विकास कार्यकारी (सी०डी०ई०)

8. क्लस्टर आधारित एस०पी०वी० या कार्यान्वयन अभिकरण (एस०पी०वी० के अलावा) के किसी अधिकारी/कार्यकारी को चुनकर क्लस्टर विकास कार्यकारी (सी०डी०ई०) के रूप में प्रशिक्षित करना होगा। सी०डी०ई० को नैदानिक अध्ययन करना होग, उसके आधार पर कार्य योजना तैयार करनी होगी और क्लस्टर भागीदारों की पूर्ण भागीदारिता के साथ योजना को कार्यान्वित करवाना होगा ताकि परियोजना की समाप्ति के बाद भी दीर्घ अवधि में संवर्धनात्मक और वाणिज्यिक गतिविधियां चलाए रखने की क्लस्टर की इकाइयों की सामूहिक क्षमता का निर्माण किया जा सके।

9. चयनित क्लस्टर के कार्यान्वयक अभिकरण के कार्यालय से दूर होने की स्थिति में सी०डी०ई० को क्लस्टर के अंदर या उसके पास मूलभूत उपकरण और फर्नीचर आदि के साथ किराये पर कार्यालय का स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है। तथापि, कार्यालय भवन के निर्माण, वाहन की खरीद, महंगे फर्नीचर और फर्नीशिंग आदि के लिए निधियां लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा नहीं प्रदान की जाएगी। उपयुक्त स्तर पर कार्यालय व्यय और यात्रा व्यय के प्रावधान पर भी आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है, जो सामान्यत: कुल परियोजना लागत के 10 से 15 प्रतिशत के बीच होता है।

10. क्लस्टर विकास के लिए प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट) में निर्मित लघु उद्योग क्लस्टर विकास हेतु राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एन०आर०सी०), हैदराबाद-500045 और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्लस्टर प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास केन्द्र (आई०सी३०जी०), डाकघर भाट-382428, जिला-गांधीनगर, गुजरात की स्थापना की गई है। ये नैदानिक अध्ययन करवाने और क्लस्टर विकास पहलों को कार्यान्वित करने के माध्यमों और कार्यविधियों पर सी०डी०ई० के प्रशिक्षण के लिए 3 से 4 सप्ताह तक के पाठ्यक्रम संचालित करती हैं। कार्यान्वयक अभिकरण परियोजना प्रस्तावों के लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद सी०डी०ई० का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एन०आर०सी० या आई०सी३०जी० से संपर्क कर सकती हैं।

परियोजना की लागत और भारत सरकार का योगदान

11. परियोजना लागत हर क्लस्टर में भिन्न-भिन्न हो सकती है और परियोजना की अवधि (सामान्यत: 3 वर्ष), प्रस्तावित हस्तक्षेपों की प्रकृति और कार्यक्षेत्र, आदि जैसे मानदंडों पर निर्भर करेगी जैसा कि नैदानिक अध्ययन से उभरा है। तथापि, लघु उद्योग मंत्रालय का योगदान 10 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की उच्चतम सीमा के अधीन कुल परियोजना लागत के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें 10 लाख रुपये 'सॉफ्ट गतिविधियों', अर्थात क्लस्टर में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए होंगे जहां कोई नियत परिसंपत्ति प्राप्त या गठित नहीं की गई।

12. ऐसे सॉफ्ट हस्तक्षेपों के लिए प्रस्तावों के प्रारूप का ब्यौरा इन दिशा-निर्देशों के संलग्नकों के भाग। (अनुबंध I से IV) में दिया गया है।

13.1.क. जब भी आवश्यक हो, क्लस्टर में सामान्य सुविधा केन्द्र (सी०एफ०सी०) की स्थापना के लिए इस कार्यक्रम के तहत सहायता पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में किसी बैंक (यदि बैंक वित्तपोषण इसमें शामिल हो) या किसी स्वायत्त तकनीकी सलाहकार संगठन/प्रतिष्ठित सलाहकार द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ सी०एफ०सी० के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) को जमा करना होगा।

13.1.ख. सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ, प्रस्तावित सी०एफ०सी० को किसी भी वाणिज्यिक परियोजना की तरह वित्तीय और प्रकार्यात्मक रूप से जीवनक्षम होना चाहिए। परिणामस्वरूप, सभी सी०एफ०सी० प्रस्तावों को प्रस्तावित सी०एफ०सी० के लिए मूलभूत सांचों जैसे प्रक्षेपित लाभ और हानि खातों और प्रक्षेपित बैलेंस शीट का प्रयोग करते हुए एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा मांगे जाने वाले मूल्यांकन के वित्तीय मानदंडों, जैसे रिटर्न की आंतरिक दर, ब्रेक-इवन प्वाइंट एनालिसिस, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, सेंसिटिविटी एनालिसिस, आदि का पालन करना चाहिए।

13.1.ग. उपरोक्त अनुच्छेद 13.1.ख के आरंभ में उल्लिखित उद्देश्य के अनुरूप, सी०एफ०सी० परियोजनाओं को वर्गीकृत किया जाएगा और इस प्रकार केंद्र सरकार (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण) सहायता मोटे तौर पर निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी।

(i) विकासात्मक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का समर्थन परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तथा शेष अंशदान संबंधित राज्य सरकार तथा परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना।

(iii) अर्ध विकासात्मक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का समर्थन परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा शेष अंशदान संबंधित राज्य सरकार का परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना।

(iii) अर्ध वाणिज्यिक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का समर्थन परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं तथा शेष अंशदान संबंधित राज्य सरकार तथा परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना।

(iv) तथापि सूक्ष्म एवं/अथवा ग्राम उद्यमों अर्थात जिनमें संयंत्र और मशीनरी में (भूमि और भवन को छोड़कर) निवेश, 25 लाख रु० से अधिक न हो, केन्द्र सरकार की सहायता को उपरोक्त तीन प्रकार के सी०एफ०सी० में परियोजना लागत के क्रमश: 80, 60 तथा 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

उपरोक्त उल्लिखित सभी मामलों में भूमि और भवन संबंधी समस्त लागत एस०पी०वी०/संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

13.2 सी०एफ०सी० की स्थापना और आरंभ के लिए कार्यान्वयक अभिकरण टर्न-की आधार पर जिम्मेदार होंगे। **इस प्रकार स्थापित सी०एफ०सी० को जब और जिस प्रकार आवश्यक हो, परिसंपत्तियों के रिप्लेसमेंट/विस्तार की लागत के साथ उसके सभी वर्तमान खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वर्तमान राजस्व सरप्लस के साथ वाणिज्यिक स्तर पर स्पेशल पर्पज वेईकल (एस०पी०वी०) द्वारा चलाना होगा। लघु उद्योग मंत्रालय किसी सी०एफ०सी० के संचालन से होने वाला कोई वित्तीय उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।**

13.3 इस संबंध में प्रस्तावों के लिए प्रारूप संलग्नकों भाग II (अनुबंध V और VI) में दिया गया है। भाग II में वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है।

14. परियोजना की कुल लागत में लघु उद्योग मंत्रालय का योगदान

अन्य स्टेकहोल्डों और भागीदारों जैसे राज्य सरकारों, उद्योग संघों, क्लस्टर के फर्मों, आदि की उपलब्धता और इच्छा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। वित्तीयन स्तरों के और अधिक विवरण के लिए, इन दिशा-निर्देशों के संलग्नकों के भाग I और II में संदर्भ आमंत्रित किए गए हैं। कार्यान्वयक अभिकरणों (राज्य सरकारों, क्लस्टर लाभार्थियों और/या उनके एन०पी०वी०) से शेष लागत को वित्तपोषित करने के लिए संसाधन जुटाने की अपेक्षा की जाती है, जैसा कि संलग्नकों के भाग I/II में ब्यौरा दिया गया है।

व्यवसाय विकास सेवाएं (बी०डी०सी०) के साथ लिंकेज

15. लघु उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके तथा लघु उद्यम क्लस्टरों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए बी०डी०एस० प्रदाताओं की क्षमताओं का विकास क्लस्टर विकास रणनीति के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। इसलिए, प्रस्तावित क्लस्टर विकास गतिविधियों में लघु उद्यमों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में क्लस्टर इकाइयों और बी०डी०एस० प्रदाताओं के बीच लिंकेजों की स्थापना शामिल होनी चाहिए।

लघु उद्योग मंत्रालय/कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की अन्य योजनाओं और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की योजनाओं के साथ सामंजस्य

16. कार्यान्वयक अभिकरणों को लघु उद्योग/कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों की अन्य योजनाओं के साथ क्लस्टर विकास पहलों के समन्वय के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की ऐसी योजनाओं का भी लाभ उठाया जाएगा।

17. कार्यान्वयक अभिकरण, जहां भी आवश्यक हो, तकनीकी अभिकरणों जैसे लघु उद्योग मंत्रालय के उत्पाद और प्रक्रिया विकास केंद्रों और केंद्रीय टूल रूमों, साथ ही सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद् तथा लघु उद्योगों सहित ग्राहक उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में लगे भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के ऐसे ही अन्य संस्थानों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

प्रारूप और परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन

18.1. लघु उद्योग मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग के लिए इन दिशा-निर्देशों के संलग्नकों के भाग I और II में दिए गए प्रारूपों में प्रस्ताव किया जाना चाहिए। ये प्रारूप, काफी विस्तृत होते हुए भी व्याख्यात्मक हैं कार्यान्वयक अभिकरणों द्वारा क्लस्टर की प्रकृति और प्रस्तावित गतिविधियों के आधार पर विषयवस्तु में आवश्यक जोड़/संशोधन किए जा सकते हैं।

18.2. 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए सचिव, लघु उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता के तहत लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम की स्टीयरिंग समिति तथा 1 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा प्रस्तावों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

निधियों का संवितरण

19.1. निधियों को राज्य सरकार को सूचना के अंतर्गत सीधे एस०पी०वी०/आई०ए० को विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा जारी किया जाएगा। भारत सरकार के अनुदान का संवितरण कार्यक्रम परियोजना के प्रस्ताव में मांगी गई वार्षिक किस्तों के अनुरूप होगा, उक्त कार्यक्रम के लिए स्पष्टीकरण पर स्टीयरिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। हालांकि, सामान्य रूप से, भारत सरकार सहायता की पहली किस्त के जारी होने से पहले एस०पी०वी० द्वारा मुख्य योगदान या लाभार्थी अंश एक पूर्वापेक्षित शर्त होगी। जहां पर बैंक का वित्त शामिल हो, भारत सरकार सहायता के जारी होने से पहले संबंधित बैंक को अनुपातिक निधियों को जारी करने के लिए लिखित वचन देना भी आवश्यक होगा। यह राज्य सरकार के योगदान पर भी, जहां लागू योग्य हो, लागू होगा।

19.2. भारत सरकार का और आगे जारी होने वाला अनुदान विनिर्दिष्ट उपयोगिता प्रमाणपत्र(त्रों) के प्रस्तुतीकरण और बैंक तथा राज्य सरकार के योगदान के जारी होने के प्रमाणन पर आधारित होगा। भारत सरकार की दूसरी और उसके बाद की किस्तों के जारी होने से पहले विकास आयुक्त (लघु उद्योग) काम की प्रगति के भौतिक सत्यापन की मांग कर सकते हैं।

निगरानी और मूल्यांकन

20.1. राज्य सरकारों, उनके स्वायत्त निकायों तथा एस०पी०वी० जिसमें राज्य सरकार एक स्टेकहोल्डर हो, गतिविधियों का संतोषजनक और समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। हर राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों वाली एक परियोजना स्टीयरिंग समिति गठित करनी होगी। राज्य सरकारें विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय को भौतिक और वित्तीय मानदंडों पर प्रगति के संबंध में तिमाही प्रगति (रिपोर्ट और केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजेंगी।

20.2. पूर्व अनुच्छेदों में मौजूद प्रावधानों में क्लस्टर विकास परियोजनाओं के न शामिल होने की स्थिति में, लघु उद्योग मंत्रालय मंत्रालय के स्तर पर या अपने राज्य स्तर के कार्यालयों के द्वारा गठित निगरानी समितियों के माध्यम से सीधे प्रगति की समीक्षा करेगा।

20.3. क्यू०पी०आर० और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रारूप संलग्नकों के भाग I में संलग्न है।

21. दिनांक 07.03.2006 के डायरी सं 5089 के माध्यम से एकीकृत वित्त शाखा की सहमति से जारी किया जाता है।

(संजीव कोशल)
संयुक्त विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

अनुलग्नक - भाग I (पृष्ठ 8-22)
भाग II (पृष्ठ 23-33)

प्रति,

1. मुख्य सचिव (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
2. उद्योग विभागों के प्रभारी राज्य सरकारों के सचिव
3. उद्योग निदेशक (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
4. निदेशक, एस०आई०एस०आई०
5. महाप्रबंधक (सभी टूल रूम)
6. मुख्य निदेशक/निदेशक (वि०आ० (ल०उ०) कार्यालय के तहत सभी स्वायत्त निकाय)
7. मुख्य निदेशक, निसिएट
8. कार्यकारी निदेशक, निसबड
9. आई०एफ० विंग (वित्त I), आई०पी०पी० विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
10. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
11. भारत सरकार के संयुक्त सचिव, डी०आई०पी०पी०, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय
12. एस०आई०सी०डी०पी० की स्टीयरिंग समिति के सभी सदस्य
13. निदेशक ई०डी०आई०आई०
14. अध्यक्ष, कॉयर बोर्ड
15. सी०ई०ओ०, के०वी०आई०सी०

16. अध्यक्ष, एन०एस०आई०सी०

17. सी०एम०डी०, सिडबी

18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय उद्योग संघ

19. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग संघ

20. अध्यक्ष, क्लस्टर स्तर के उद्योग संघ

21. मंत्री का निजी सचिव (लघु उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग)

22. सचिव का प्रधान निजी सचिव (लघु उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग)

23. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के निजी सचिव)

24. अपर विकास विकास

25. संयुक्त विकास आयुक्त

26. औद्योगिक सलाहकार, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय

27. सभी प्रभाग, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय

28. सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग), योजना आयोग

संलग्नक: भाग-I

क्लस्टर विकास परियोजना (सामान्य सुविधा केन्द्र अथवा इसी प्रकार की हार्ड आधारभूत संरचना की स्थापना से अलग) के लिए प्रस्तावों हेतु प्रारूप

1. इण्टरवेंशन के लिए चुने गए प्रस्तावित क्लस्टर का सार विवरण (अनुबंध I पर प्रारूप)

2. किसी अन्य प्रतियोगी क्लस्टर से वरीयता देते हुए उपरोक्त उल्लिखित क्लस्टर(रों) के चयन के लिए प्रयोग किया जाने वाला चयन हेतु मानदण्ड (अनुबंध II पर संभावित दिशानिर्देश)।

3. **प्रस्तावित इण्टरवेंशन के प्राथमिक एवं दूसरे उद्देश्य:** निरन्तर रोजगार सृजन, निर्धनता उन्मूलन, विद्यमान उद्यमों की उत्पादन की तीव्र मूल्य वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, सुधरी हुआ वातावरण अनुपालन, सभी/कुछ प्रकार के पूर्ववर्ती और/अथवा कोई अन्य-विस्तार से विनिर्दिष्ट करें।

4. **समस्या के प्रमुख क्षेत्र और सुझाए गए कार्यनीतिक इण्टरवेंशन:**

(क) उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डालने वाली प्रमुख समस्याएं तथा इण्टरवेंशन के कार्यनीतिक क्षेत्र जैसे कि प्रौद्योगिकीय एवं प्रक्रिया/उत्पाद गुणवत्ता उन्नयन, सुधरा हुआ क्रेडिट प्रवाह तथा अन्य प्रकार के वित्तीय संपर्क, निर्यात सहित सुधरा विपणन, साथ ही संस्थानिक क्षमता निर्माण परन्तु जो नए सक्रिय संघों/नेटवर्क के सृजन तक सीमित न हो, वैयक्तिक क्लस्टर इकाइयों का प्रशिक्षण, बेहतर पर्यावरण अनुपालन, आदि परियोजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान जिससे क्लस्टर को अपने प्राथमिक और दूसरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

5. **वांछित प्रमुख परिणाम:** उपरोक्त वर्णित स्थिति के संबंध में (i) वैयक्तिक फर्मों, (ii) क्लस्टर, (iii) इण्टर-क्लस्टर नेटवर्क और (iv) क्लस्टर विकास पर नीति, के स्तर पर (अनुबंध III पर व्याख्यात्मक आउटपुट)

6. **संस्थानिक सक्षमताएं :** उपरोक्त क्रम संख्या 4 पर वर्णित इण्टरवेंशन के कार्यनीतिक क्षेत्रों में क्या आपके संस्थान ने सक्षमता दर्शायी है? कृपया विगत में डील किए गए किसी अन्य क्लस्टर में प्राप्त किए गए परिणामों की समरी शीट संलग्न करें (अनुबंध III के अनुसार) यदि क्लस्टर में कोई विकास पहल पहले से ही की जा रही है अथवा आरंभ की जानी है, तो आपके संस्थान द्वारा मूल्यवर्धन/कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए संभावना बताएं।

7. **प्रस्तावित क्लस्टर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध संरचना:** परियोजना के दौरान उसके/उसकी सीवी सहित व्यक्ति दिवसों में उसके/उसकी भूमिका और अवधि में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम देते हुए प्रस्तावित परियोजना के लिए संगठनात्मक संरचना बनाना।

8. **प्रस्तावित परियोजना लागत:** 10 प्रतिशत की दर पर उद्योग संघों के न्यूनतम अंशदान सहित वित्तियों के संभावी स्रोतों और परियोजना की अवधि के लिए लागत का वार्षिक अनुमान प्रदान करना। (अनुबंध IV पर प्रारूप)।

9. **अनुवीक्षण** (नियमित) **और मूल्यांकन** (तिमाही, अर्धवार्षिक अथवा वर्ष) **तंत्र:** बाहरी संस्थानों (पूर्ववर्ती को विनिर्दिष्ट किया जाना है तथा साथ ही साथ स्थानीय लाभार्थियों को शामिल करने के लिए उपायों पर बल देते हुए प्रस्तावित तंत्र का स्पष्ट उल्लेख करना।

टिप्पणी: प्रस्तावित तंत्र को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप परियोजना प्रस्ताव की संस्वीकृति पर अलग से प्रदान किया जाएगा।

लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस०आई०सी०डी०पी०) के तहत सॉफ्ट संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट

भाग-क

उत्पाद का नाम और क्लस्टर की अवस्थिति _____ वर्ष _____ में समाप्त होने वाली तिमाही _____ के लिए रिपोर्ट कार्यान्वयन अभिकरण का नाम _____

कार्यान्वयन कार्यकलापों की स्थिति

क्र० सं०	कार्यकलाप/इण्टरवेंशन का क्षेत्र	तिमाही के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यकलाप	तिमाही के दौरान उस तिथि सहित जब वे निष्पादित किए गए वार्षिक कार्यकलाप	प्राप्त किए गए इष्ट (जहां तक संभव हो सके क्वांटिफिएबल परिणाम)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	निदानात्मक अध्ययन				
2.	विपणन विकास				
3.	प्रौद्योगिकी उन्नयन				
4.	कौशल विकास				
5.	क्लस्टर ऐक्टरों का क्षमता निर्माण				
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				

लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस०आई०सी०डी०पी०) के तहत सामान्य सुविधा केन्द्र (सी०एफ०सी०) की स्थापना संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट

भाग-ख

उत्पाद का नाम और क्लस्टर की अवस्थिति _____ वर्ष _____ में समाप्त होने वाली तिमाही _____ के लिए रिपोर्ट कार्यान्वयन अभिकरण का नाम _____

स्थापित किए जा रहे सी०एफ०सी० का प्रकार _____

प्रगति की स्थिति

क्र० सं०	कार्यकलाप	परियोजना प्रस्ताव के अनुसार समाप्ति की संभावित तिथि	समीक्षा के अधीन तिमाही के अंत के लिए नियत लक्ष्य	रिपोर्ट की तिमाही के अंत तक के अनुसार प्रगति	टिप्पणी
1.	2	3	4	5	6
1.	भवन का निर्माण				

1	2	3	4	5	6
2.	मशीनरी का चयन उसका विनिर्दिष्टीकरण और फ्लोटिंग टेंडर				
3.	खरीद आर्डर रखा जाना				
4.	मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति				
5.	मशीनरी की स्थापना				
6.	मशीनरी की कमीशनिंग				

लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर की तिमाही वित्तीय रिपोर्ट-सॉफ्ट संवर्धन विकास क्रियाकलाप तथा सामान्य सुविधाओं केंद्रों (सी०एफ०सी०) की स्थापना

भाग-ग

उत्पाद का नाम एवं क्लस्टर की स्थिति _____ _____ वर्ष में _____ समाप्त तिमाही की रिपोर्ट

कार्यान्वयन अभिकरण का नाम _____

स्थापित किए जा रहे सी०एफ०सी० के प्रकार _____

वित्त उपयोग का ब्यौरा

क्रम सं०	कार्यकलाप का नाम	वित्त वर्ष के दौरान वर्तमान तिथि के अनुसार उपलब्ध निधि			तिमाही के दौरान प्रयुक्त निधि	वर्ष के दौरान तिथि को प्रयुक्त की गयी संचयी निधि
		31 मार्च की स्थिति के अनुसार अर्थशेष	वर्तमान तिथि के अनुसार भारत सरकार की संस्वीकृति	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1.	सॉफ्ट संवर्धनात्मक विकास क्रियाकलाप					
2.	सामान्य सुविधाओं केंद्रों की स्थापना (यदि यह परियोजना का हिस्सा हो)					
	कुल					

नोट: सभी प्रविष्टियां परियोजना के लिए लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी निधियों से ही संबंधित हों(परियोजना में अन्य हिस्सेदारों का योगदान शामिल न किया जाए।)

फार्म

फार्म जी०एफ०आर० 19-ए

देखें, भारत सरकार का निर्णय (1), नियम 150 के नीचे

क्रम सं०	पत्रांक दिनांक	राशि

प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के हाशिये पर दिये गये पत्र सं० के अंतर्गत वर्ष _____ के दौरान संस्वीकृत रु० _____ की अनुदान सहायता में से, _____ और गत वर्ष में व्यय न की गई राशि में से रु० _____ की राशि _____ के प्रयोजनार्थ खर्च की गई तथा वर्ष के दौरान _____ रु० की शेष अनुप्रयुक्त राशि सरकार को सौंप दी गई (पत्रांक _____ दिनांक _____ के अनुसार)/अगले वर्ष _____ के दौरान प्राप्त होनी वाली अनुदान सहायता में समायोजित की जायेगी।

कुल	

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं जिन शर्तों पर मुझे अनुदान सहायता मंजूर हुई थी वे मेरे द्वारा विधिवत पूर्ण की गई है/की जा रही है, और कि मैंने निम्नलिखित निरोधों का निष्पादन यह समझने के लिए किया है कि राशि उसी ध्येय के लिए खर्च की गई है जिस के लिए यह मंजूर की गई थी।

निष्पादित निरोधों के प्रकार/वर्ग

1.

2.

3.

4.

5.

हस्ताक्षर _____

पद _____

दिनांक _____

[जी०आई०एम०एफ०, का०ज्ञा०सं०फ० 14 (1)-ई II (ए)/75 दिनांक 25 अप्रैल 1975]

अनुबंध-I

प्रस्तावित क्लस्टर का संक्षिप्त विवरण

1. **स्थिति** : राज्य/शहर/कस्बा/गांव:

2. **क्लस्टर उत्पाद** : पारम्परिक दस्तकारी या पारम्परिक औद्योगिक या आधुनिक/उच्च तकनीक युक्त उत्पाद:

3. **क्लस्टर की अनुमानित आयु**, और क्या क्लस्टर प्राकृतिक रूप से आरम्भ हुआ या हाल ही में वाह्य नीति के समर्थन से बना है:

4. **क्लस्टर की प्रकृति** : ऊर्ध्वाधर (एक या दो बड़ी फर्मों से संकेंद्रित)/ क्षैतिजीय, जहां अनेक लघु उद्यम मुख्य क्लस्टर फर्म्स/मिश्रित हों:

5. **क्लस्टर की मुख्य समस्याएं** : आपके विचार में:

6. **प्रस्तावित क्लस्टर विकास के लिए मुख्य इंटरवेंशनकार्यनीति** : तकनीक, उत्पाद/विपणन/निर्यात/गुणवत्ता, आदि।

7. **प्रतिस्पर्धा की सीमा** : भारत में किन्हीं बड़े घरेलू फर्मों के साथ या सदृश क्लस्टर्स के साथ या विदेशों में

8. **परियोजना अवधि** :

9. **समग्र परियोजना निधि की आवश्यकता और निधि के संभावित वित्त स्रोत** : संस्थागत समन्वयन और अलग-अलग विकास व्यय:

10. **परियोजना के परिणाम परिलक्षित करने के लिए मुख्य संकेतक** : फर्म के स्तर पर और क्लस्टर के स्तर पर (प्रस्तावित परियोजना पर के लिए)

अनुबंध-II

क्लस्टर चुनाव के लिए वर्तमान सूचना की आवश्यकता

क्र० सं०	पैरामीटर	उत्तर
1	2	3
1.	**क्या क्लस्टर में न्यूनतम क्रीटिकल मास है?**	
	– फर्मों की संख्या, फर्मों की संरचना (बड़े/ मध्यम/लघु/सुक्ष्म चैन्यू चेन में)	
	– सहयोगी फर्मों और सेवा प्रदानकर्त्ताओं की उपस्थिति	
	– क्लस्टर में बड़े समूहों का अनुमानित टर्न ओवर	
	– रोजगार के स्तर (पुरूषों और महिलाओं की संख्या) और सम्भावित आय स्तर	
	– निर्यात के लिए क्लस्टरों का योगदान	
	– अन्य उत्पादों/क्षेत्रों के साथ उत्पाद की लिंकेज के संबंध में उसका महत्व	
	– हाल के समय में वृद्धि की प्रवृत्ति (टर्न ओवर, रोजगार, निवेश, निर्यात, इत्यादि)	
	– मौसमी/मेनस्टे गतिविधियां/निर्भरता के संबंध में क्लस्टर की मुख्य विशेषताएं, यदि कोई हों।	
2.	**क्लस्टर का स्थान और इसकी भौगोलिक रूपरेखा** शहर/गांव के बीच आसपास के शहरों/गांवों के साथ इसका लिंकेल (यदि कार्यकारी अभिकरण के पास विशेष ग्रामीण/शहरी अधिदेश है)-भौगोलिक नक्शा संलग्न करें, यदि उपलब्ध हो।	
3.	**दोहराव की संभावनाएं**	
	– राष्ट्रीय स्तर पर कुल उद्योग का आकार, कुछ नामों सहित समान क्लस्टरों की संख्या	
	– अन्य क्लस्टरों के साथ प्रस्तावित क्लस्टर का संबंध, यदि कोई हो	
4.	**सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियां**	
	– विशेष स्वामित्व/प्रबंधक और कामगारों की संक्षिप्त प्रोफाइल और उनका आर्थिक स्तर	
	– कामगारों/इकाई स्वामियों की औसत वार्षिक आय (पुरूष/महिला)	
	– गतिविधियों में नीरसता यदि कोई हो	
	– क्लस्टर में प्रदूषण से संबंधित मामले	
	– उत्पाद गुणवत्ता से संबंधित आदेशात्मक/विधि मामले, यदि कोई हों	

1	2	3
5.	जीवन क्षमता	
	–	उत्पादन प्रौद्योगिकी/निवेश/वित्तीय आफटेक/ गुणवत्ता के उन्नयन की संभावनाएं?
	–	क्या उत्पाद का वर्तमान राष्ट्रीय/वैश्विक परिस्थितियों में कोई भविष्य है?
	–	क्लस्टर उत्पादों के मुख्य बाजार (भौगोलिक, उपभोक्ता भाग)
	–	मुख्य आशंकाए/चुनौतियां
	–	उत्पाद के जीवन में उत्पाद का स्तर, यदि मालूम हो
	–	वर्तमान में वैश्विक वैल्यू चेन में क्लस्टर उत्पाद कहां फिट होते हैं?
6.	संवर्धन योग्यता	
	–	क्या कुछ फर्मों ने हाल में उत्पाद उन्नयन अथवा विविधिकरण कार्य हाथ में लिया है, नए बाजारों का पता लगाया है, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन, अद्यतन उपकरणों में महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया है, इत्यादि?
	–	क्या नई फर्मों के आरंभ होने से वर्तमान फर्मों के बंद होने की दर में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है?
	–	फर्में सामने आने वाले मुख्य मामलों के बारे में कितने संवेदनशील है?
	–	प्राईवेट और पब्लिक सेक्टर में सामूहिक विकास कार्य के लिए स्थानीय संस्थागत क्षमताएं।
7	काम्प्लीमेंटेरिटी	
	–	अन्य विकास कार्य जो पहले ही शुरू हो चुके हैं अथवा निकट भविष्य में शुरू होने वाले हैं
	–	उपरोक्त के अनुसार अन्य विकास कार्य के लिए मूल्यवर्धन हेतु प्रस्तावित परियोजना का स्कोप।

अनुबंध-III

व्याख्यात्मक संभावी आउटपुट

फर्म/उद्यम स्तर

प्रत्यक्ष लाभार्थी फर्मों की संख्या: क्लस्टर में फर्मों में से **(यानि-निम्नोक्त टिप्पणी देखें)** लगभग (यानि 8) फर्मों को परियोजना द्वारा प्रत्येक रूप से लक्ष्य किया जाएगा जिसके निम्नोक्त सूचित सत्यापनों के अनुसार उनकी कार्यशैली में निरन्तर सुधार परिलक्षित होगा।

(क) आउटपुट की संभावी रेंज: सहायता प्राप्त क्लस्टर एक्टर वृद्धि के संबंध में अधिक वृद्धि करे सकेंगे (यदि सामान्य रूप से बढ़ोतरी दिखाई देती है) अथवा अन्य के मुकाबले नकारात्मक रूझान (यदि पूरी तरह से गिरावट हो) को झेल सकेंगे। क्लस्टर की वार्षिक कार्य योजना की रूपरेखा में पहचान किए जाने सत्यापन के लिए संभावी सूचक होंगे बढ़ी हुई कुल बिक्री (यानि कम से कम 30 फर्में), निर्यात (यानि कम से कम 10 फर्में), निवेश (यानि लगभग 30 फर्में), लाभदेयता (कम से कम 40 फर्में), रोजगार सृजन (यानि लगभग 200 व्यक्ति), आई०एस०ओ० एवं अन्य प्रमाणन (यानि लगभग 25), भुगतान योग्य व्यवसाय विकास सेवा का प्रयोग (यानि लगभग 30 फर्में)।

(ख) अप्रत्यक्ष लाभार्थी फर्में: अधिक व्यापक रूप से फार्वर्ड लिंकों तथा स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाकर, सार्वजनिक एवं निजी सहयोग संस्थानों के साथ संपर्क के प्रावधान, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से स्थानीय आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से क्लस्टर फर्मों (यानि 150 फर्मों) के कम से कम आधे को लाभ मिलना चाहिए, यानि 3 से पांच वर्षों में।

क्लस्टर स्तर

1. **संस्थानिक क्षमता निर्माण:** स्थानीय उद्योगों संघों, विश्वविद्यालयों/ तकनीकी संस्थानों, वित्तीय संस्थानों और/अथवा गैर सरकारी संगठनों में से कम से कम (यानि) प्रत्येक से एक, फंड एकत्र सहित क्लस्टर विकास के लिए सहयोगी विकास पहलों का कार्य करेगा। स्थानीय उद्योग संघों और/अथवा गैर सरकारी संगठनों और/अथवा सहकारी समितियों में से कम से कम (यानि) एक का अपना स्वयं का सुदृढ़ विशेषज्ञापूर्ण सचिवालय होगा जिसमें स्थानीय फंडिंग एकत्र करने के लिए प्रदर्शन क्षमता होगी और वह 3 वर्ष तक क्लस्टर कार्यकलापों का कार्यान्वयन करेगा।

2. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी की मात्रा:** सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बीच अधिक प्रक्रियात्मक संवाद जिससे कम से (यानि) 3 लगातार सार्वजनिक-निजी भागीदारी का नवीनीकरण होता रहे।

3. **प्रतिभागिता कार्रवाई योजना:** सहायता किए जाने क्लस्टर में वार्षिक (क्लस्टर) कार्रवाई योजनाएं तैयार की जाएंगी और क्लस्टर स्टेक होल्डरों द्वारा उन्हें वैधानिक किया जाएगा।

4. **कार्यनीतिक रूप से दीर्घावधि पहलें:** परियोजना के अंत तक उपरोक्त स्थानीय संगठनों में से कम से कम (यानि) एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा सार्वजनिक संस्थानों के सहयोग से कार्यनीतिक विकास पहलों (सामानय सुविधा सेवाओं का प्रबंध, स्थानीय सामान्य आधारभूत संरचना की स्थापना, आदि) की शुरूआत करेगा।

5. **प्रभावोत्पादकता एवं धारणीयता के सूचक के रूप में स्थानीय फंडिंग स्टेक:** परियोजना के अंत तक स्थानीय स्टेकहोल्डरों को स्थानीय कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय किए गए वित्तीय संसाधनों का कम से कम (यानि) 40 प्रतिशत अंशदान करना होगा।

नीति/इण्टर क्लस्टर लेवल

क्लस्टर अन्य क्लस्टर के साथ कच्चे माल और मशीनरी की आपूर्ति के लिए संपर्क स्थापित करेंगे।

टिप्पणी: उपरोक्त उल्लिखित संख्या/न्यूनतम सीमा प्राक्कलित हैं और क्लस्टर की अपेक्षाओं के अनुसार इनमें विशेष परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

अनुबंध-IV

परियोजना के लिए प्रस्तावित बजट

1. **अनुमावित व्यय**

(रुपये हजार में)

बजट लाईन	मद	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
1	2	3	4	5
क. विकासात्मक व्यय				
1.	क्लस्टर विकास प्रस्ताव में निहित डायग्नोस्टिक अध्ययन			
2.	अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं, यदि कोई हों (———व्यक्ति-दिवस/सप्ताह/माह/@ रुपये———)			
3.	अन्य क्लस्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/भाषण/अध्ययन दौरों का आयोजन/प्रौद्योगिकी/उपकरण का प्रदर्शन/विशेषज्ञ शुल्क सहित, यात्रा, खानपान और आवास/आवास इत्यादि (———कार्यक्रम @———रुपये)			
4.	संघ/एस०एच०जी०/एन०जी०ओ०/नेटवर्क क्षमता निर्माण (प्रदर्शन दौरे, बैंच मार्किंग, बोशर तैयार करना, वेबसाईट आरंभ करना, आरम्भिक भर्ती लागत, कार्यकारियों का प्रशिक्षण, घटते आधार पर हैंड होल्डिंग समर्थन, इत्यादि संख्या और दर यहां बताएं)			
5.	बाहरी परामर्शदाताओं की सेवाएं, यदि कोई हों (——व्यक्ति-दिवस/@ रुपये)			

1	2	3	4	5
6.	विदेशी मेलों में भागीदारी (प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त क्लस्टरो में उद्यमियों के लिए ---- संख्या और दर यहां बताएं)			
7.	विविध विकास लागत, (अनुवाद, प्रकाशन, एकमुश्त, वर्षवार)			
8.	तकनीकी उपकरण (मशीनरी के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए औजार के संबंध में-एकमुश्त, वर्षवार)			
	कुल जोड़ क			
	ख. कार्यान्वयन अभिकरणों का समन्वयन व्यय			
9.	इन हाऊस संस्थागत स्टाफ: क्लस्टर विकास कार्यकारी(———महीने)/तकनीकी सलाहकार (———महीने)/ सहयोगी स्टाफ (———महीने), प्रत्येक @ ——— रुपये)			
10.	इन हाऊस स्टाफ का क्लस्टर में स्थानीय यात्रा (——— दिन/@———रुपये)			
11.	दूरसंचार (एकमुश्त, वर्षवार)			
12.	स्थानीय खरीद (कम्प्यूटर, टेलिफोन, फैक्स-एकमुश्त वर्षवार)			
13.	क्लस्टर में स्थान किराए पर देना (एकमुश्त, वर्षवार)			
14.	विविध/संस्थागत, ऊपरी लागत (एकमुश्त, वर्षवार)			
	कुल जोड़ ख			
	वर्ष वार कुल (क+ख)			

2. वित्त के प्रस्तावित साधन

(रुपये हजार में)

बजट लाईन	मद	लघु उद्योग मंत्रालय/विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय	राज्य सरकार और/अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोगी संस्थान	क्लस्टर स्टेक होल्डर (एस०पी०वी०) और अन्य प्राइवेट पार्टनर
1	2	3	4	5
क.	**विकासात्मक व्यय**			
1.	क्लस्टर विकास प्रस्ताव में निहित डायग्नोस्टिक अध्ययन			

1	2	3	4	5
2.	अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं, यदि कोई हों (———व्यक्ति-दिवस/सप्ताह/माह/@ रुपये -- --)			
3.	अन्य क्लस्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/भाषण/अध्ययन दौरों का आयोजन/प्रौद्योगिकी/उपकरण का प्रदर्शन/विशेषज्ञ शुल्क सहित, यात्रा, खानपान और आवास/आवास इत्यादि (———कार्यक्रम @ ——रुपये)			
4.	संघ/एस०एच०जी०/एन०जी०ओ०/नेटवर्क क्षमता निर्माण (प्रदर्शन दौरे, बैंच मार्किंग, बोशर तैयार करना, वेबसाईट आरंभ करना, आरम्भिक भर्ती लागत, कार्यकारियों का प्रशिक्षण, घटते आधार पर हैंड होल्डिंग समर्थन, इत्यादि संख्या और दर यहां बताएं)			
5.	बाहरी परामर्शदाताओं की सेवाएं, यदि कोई हों (———व्यक्ति-दिवस/@ रुपये- - ---)			
6.	विदेशी मेलों में भागीदारी (प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त क्लस्टरों में उद्यमियों के लिए ——— संख्या और दर यहां बताएं)			
7.	विविध विकास लागत, (अनुवाद, प्रकाशन, एकमुश्त, वर्षवार)			
8.	तकनीकी उपकरण (मशीनरी के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए औजार के संबंध में-एकमुश्त, वर्षवार)			
	कुल जोड़ क			
ख.	**कार्यान्वयन अभिकरणों का समन्वयन व्यय**			
9.	इन हाऊस संस्थागत स्टाफ: क्लस्टर विकास कार्यकारी(———महीने)/तकनीकी सलाहकार (———महीने)/ सहयोगी स्टाफ (———महीने), प्रत्येक @ ——— रुपये)			
10.	इन हाऊस स्टाफ का क्लस्टर में स्थानीय यात्रा (——— दिन/@——— रुपये)			
11.	दूरसंचार (एकमुश्त, वर्षवार)			
12.	स्थानीय खरीद (कम्प्यूटर, टैलिफोन, फैक्स-एकमुश्त वर्षवार)			
13.	क्लस्टर में स्थान किराए पर देना (एकमुश्त, वर्षवार)			
14.	विविध/संस्थागत, ऊपरी लागत (एकमुश्त, वर्षवार)			
	कुल जोड़ ख			
	वर्ष वार कुल (क+ख)			

संलग्नक: भाग-II

सी०आई०सी०डी०पी० के तहत क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी०एफ०सी०) की फंडिंग हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तावों का प्रारूप

1. मूल सिद्धांत

प्रस्तावित सामान्य सुविधा केन्द्र (सी०एफ०सी०) को अनिवार्यत: क्लस्टर की व्यापक, स्पष्ट उल्लिखित दीर्घावधि दृष्टि जिसके लिए उसकी स्थापना प्रस्तावित की गई है, के उपयुक्त होना चाहिए। अकेले सी०एफ०सी० प्रस्ताव जो क्लस्टर/नेटवर्क के विकास के लिए बोर्ड के साथ बगैर पर्याप्त तालमेल, सामान्य दृष्टि तथा कार्यनीतिक कार्रवाई योजना का सुनिश्चिय करके किया जाता है वह सामान्य सुविधा केन्द्र की प्रभावोत्पादकता में कमी की ओर ले जाएगा। अत: इसकी प्रभावोत्पादकता की स्थिति क्लस्टर की आर्थिक मूल्य श्रृंखला जिसे प्रस्तावित सी०एफ०सी० द्वारा पूरा किया जाना है, के संदर्भ में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

2. सुविधाओं की दोहरेपन से बचना

क्लस्टर में समान प्रकार की सेवा के दोहराव से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सी०एफ०सी०ज में प्रस्तावित सुविधाएं क्लस्टर के भावी क्लाइंटो के लिए क्लस्टर में मौजूद न हो। अत: विद्यमान सुविधाओं का सार तथा क्लस्टर सदस्यों द्वारा उनके प्रयोग की सीमाएं प्रदान की जानी भी आवश्यक है।

3. सी०एफ०सी० की व्यापक श्रेणियां

3.1 विभिन्न प्रकार के सी०एफ०सी० के लिए विभिन्न प्रकार का जनसमर्थन अपेक्षित होता है। सी०एफ०सी० को उनके **सार्वजनिक सामान अथवा निजी सामान** होते हुए उनकी **मुख्य विशेषताओं** पर निर्भर करते हुए निम्नोक्त **तीन व्यापक वर्गों** में विभक्त किया जा सकता है:

(i) **विकासात्मक (डीवी)** : सी०एफ०सी० जो एडवांस्ड प्रौद्योगिकी को अपनाकर, अनुसंधान एवं विकास कार्य करके, प्रशिक्षण के नए रूपों की व्यवस्था कर, सामान्य परीक्षण/विशेषीकृत सुविधा, आदि का प्रचार एवं संवर्धन करते हैं वे वह हैं जिसके लिए अधिकतम वित्तीय जोखिमों और/अथवा लाभ प्राप्त करने में लगने वाले लंबे समय के कारण निजी क्षेत्र स्वयं निवेश करने में कम रूचि दर्शाते हैं। इस प्रकार के सी०एफ०सी० बगैर लंबे समय के जनसमर्थन के लक्ष्य क्लस्टर सदस्यों के लिए वाणिज्यिक जीवनक्षमता नहीं दर्शाते हैं (सी०एफ०सी०) के प्रचालन के 3 वर्षों के बाद भी)।

(ii) **अर्ध विकासात्मक (क्यूडी)** : सामान्य सुविधाएं जो आवश्यक रूप से लघु से मध्यम अवधि तक (3 वर्ष से कम) में वाणिज्यिक जीवनक्षमता नहीं दर्शाते हैं और जिनका वैयक्तिक फर्मों को लाभ वितरण स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है जैसे कि सामान्य एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो डी०वी० और सी०एल० प्रकारों के बीच आता है।

(iii) **वाणिज्यिक (सी०एल०)**: सामान्य सुविधाएं जो सी०एफ०सी० जो प्रचालन के साथ ही दो वर्षों के भीतर लक्ष्य क्लस्टर (निजी क्षेत्र) उद्यमों के लिए स्पष्ट वाणिज्यिक लाभ दर्शाने लगती हैं जैसे कि सामान्य उत्पादन केन्द्र, सामान्य विपणन सुविधा, सामान्य कच्चा माल डिपो जो नया कच्चा माल प्राप्त करते हैं और/अथवा सामान्य तैयार उत्पाद की बिक्री करते हैं, इस श्रेणी में आते हैं।

सी०एफ०सी० के व्याख्यात्मक प्रकार

3.2 प्रत्येक तीन श्रेणियों में सी०एफ०सी० के कुछ व्याख्यात्मक प्रकार निम्नोक्त हैं। **सी०एफ०सी० द्वारा वैयक्तिक प्रतिभागी क्लाइंट इकाई को प्रदान की जाने वाली लाभ की मात्रा सामान्य रूप से प्रस्तावित सी०एफ०सी० की "सार्वजनिक सामग्री" तत्व को तय करने में एक महत्वपूर्ण निश्चयकारी कारक होगा और इसलिए उसके द्वारा सरकार के वित्तीय समर्थन की मात्रा तय की जाएगी।** हालांकि परियोजना प्राधिकारियों द्वारा यह पहचान की जानी जरूरी है कि विशिष्ट परिस्थितियों और/अथवा विशिष्ट कारणों में सी०एफ०सी० की ऐसी विशेषताएं हो सकती हैं जो उपरोक्त उल्लिखित एक या दो स्पष्ट प्रकारों का संयोजन हो सकता है। इसलिए वित्तीय मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके निम्नोक्त व्याख्यात्मक (न कि सर्वसमावेशी) श्रेणियों में से सी०एफ०सी० के प्रत्येक घटक को तय करना आवश्यक हो जाता है।

क. **परीक्षण सुविधा** – गुणवत्ता उन्नयन के लिए, क्लस्टर वाइड (डी०वी०)।

ख. **डिजाइन केन्द्र** – नए डिजाइनों जो क्लस्टर में वर्तमान में प्रयोग नहीं किए जाते के लिए और/अथवा विद्यमान डिजाइनों के उन्नयन के लिए (डी०वी०)।

ग. **सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केन्द्र** – उत्पादन लाईन को संतुलित/सही/सुधारने के लिए जो वैयक्तिक इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता (सी०एल०)।

घ. **एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट** – प्रदूषण नियंत्रण के लिए (क्यूडी)।

ङ विपणन प्रदर्शन/बिक्री केन्द्र — क्रेता-विक्रेता सहमिलन, मेलें, नियमित प्रदर्शन आयोजित करने, विपणन के लिए वैकल्पिक निर्गम प्रदान करना (सी०एल०)।

च. सूचना केन्द्र/उप-संविदा केन्द्र — क्लस्टर के भीतर एवं बाहर सुधरा हुआ आपूर्ति-श्रृंखला संपर्क प्रदान करने के लिए।

छ. सामान्य लॉजिस्टिक केन्द्र — लागतों को कम करने, क्रेताओं को सामग्री की जल्द आपूर्ति, ब्रेकेज को कम करने आदि के साधन के रूप में लॉजिस्टिक प्रचालनों की दक्षता में सुधार करने के लिए। यह भौतिक सुविधा भी हो सकती है जैसे कि इन्लैंड कन्टेनर डिपो अथवा इन्फार्मेशन हब (क्यूडी)।

ज. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र — घरेलू अनुसंधान एवं विकास कार्य करने अथवा केवल स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी/प्रसंस्करण तकनीकों को अनुकूल बनाना।

झ. परीक्षण केन्द्र — कार्यकताओं, पर्यवेक्षकों के विभिन्न स्तरों के कौशल एवं ज्ञान अथवा प्रबंध संरचना में भी सुधार करने के लिए (डी०वी०)।

सामान्य कच्चा माल/बिक्री डिपो — कम लॉट की खरीद/बिक्री में शामिल अक्षमताओं जिससे अधिक लागत लगती है तथा वांछित सामग्री विशिष्टताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है, को दूर करने के लिए (सी०एल०)।

4. प्रकारों के संयोजन के रूप में सी०एफ०सी०

विभिन्न क्लाइंट समूहों के लिए एक ही सी०एफ०सी० को विभिन्न रूप से देखा जाना अपेक्षित है। क्लस्टर में इकाइयों के विद्यमान आर्थिक एवं तकनकी स्थिति पर निर्भर करते हुए सरकारी सहायता के रूप में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यवहार संबंधी विभिन्न मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए आर्थिक रूप से उन्नत उद्यमों द्वारा स्वयं के लिए स्थापित सामान्य उत्पादन केन्द्र को वाणिज्यिक प्रस्थापना माना जाएगा जबकि इसी प्रकार के केन्द्र की स्थापना सूक्ष्म उद्यमों द्वारा किए जाने पर उसे विकासात्मक इण्टरवेंशन के रूप में माना जाएगा। दूसरा यह कि चाहे सी०एफ०सी० का क्लाइंट समूह बंद हो (अर्थात जिसमें केवल मुख्य लाभार्थी/संवर्धक शामिल हो जो गैर संवर्धकों द्वारा सी०एफ०सी० के प्रयोग को हतोत्साहित करते हो) अथवा किसी भी क्लस्टर फर्म के प्रयोग के लिए खुला हो बगैर पक्षपात के प्रस्ताव को दिए जाने वाले जन समर्थन की मात्रा निश्चित करने में भी सहायता करेगा।

5. स्पेशल परपज व्हीकल

5.1 अपने संदस्यों के बीच औपचारिक अथवा किसी भी प्रकार के सकारात्मक सहयोग के पूर्वानुभव संबंधी साक्ष्य वाली एक स्पष्ट वैधानिक इकाई प्रस्तावित सी०एफ०सी० के आवेदक के रूप में सुदृढ़ प्रबंध का आश्वासन प्रदान करती है। अतः सी०एफ०सी० हेतु सभी प्रस्ताव आदर्श रूप से स्पेशल परपज व्हीकल (एस०पी०वी०) जिसमें किसी भी विधायी मान्यता प्राप्त रूप में वास्तविक/संभावी क्लस्टर लाभार्थी जैसे कि सहकारी समिति, पंजीकृत समिति, ट्रस्ट, कम्पनी, आदि शामिल हों, से प्राप्त होने चाहिए। निजी क्षेत्र के लाभार्थी जैसे कि क्लस्टर इकाइयां की इस प्रकार की इकाई में एक साथ बहुमत होना चाहिए जिसमें किसी भी एकल इकाई का वित्तीय भाग एस०पी०वी० की इक्विटी पूंजी (अथवा बराबर पूंजी अंशदान) में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। विगत तीन वर्षों में वित्तीय रिकार्ड और विकासात्मक गतिविधियों के स्पष्ट ट्रैक रिकार्ड वाले पंजीकृत औद्योगिक संघ भी सी०एफ०सी० के लिए निधी समर्थन प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।

5.2 इस प्रकार जबकि देश में लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के बीच इस प्रकार की सहयोगी पहलों के विकास की असमान स्थिति पर विचार करते हुए स्पेशल परपज व्हीकल का आरंभ में ही गठन करना आवश्यक है, शीर्ष सरकारी संस्थान के लिए यह स्वीकार्य होगा कि वह सी०एफ०सी० के लिए इसके अवधारणा, डिजाइन, तकनीकी मानदण्डों को निश्चित करने, परियोजना तैयार करने तथा प्रलेखन, आदि के आरंभिक चरणों में क्लस्टर लाभार्थियों के परामर्श सहित प्राइम मूवर (कार्यान्वयन अभिकरण-आई०ए०) बने। तथापि, सी०एफ०सी० को सरकारी सहायता के लिए प्रस्ताव जमा करते समय इसकी अत्यावश्यक अपेक्षाओं की समाप्ति के लिए समयसीमा को स्पष्ट करते हुए यथाशीघ्र एस०पी०वी० का गठन करना आवश्यक होगा।

5.3 एस०पी०वी० के सदस्यों के रूप में न्यूनतम 20 लघु उद्योग (एस०एस०आई०) अथवा लघुतर (अतिलघु/सूक्ष्म) क्लस्टर इकाइयां होनी चाहिए। सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। विशेष मामलों में जहां निवेश, प्रौद्योगिकी अथवा क्लस्टर का छोटा आकार पर विचार इकाइयों की कम संख्या, न्यूनतम 10 लघु उद्योग इकाइयों जैसे उचित कारणों से किया जाता है उन पर कारण बातते हुए एस०पी०वी० के लिए विचार किया जा सकता है। सभी भागीदार लघु उद्यम इकाइयां वित्तीय भाग एवं प्रबंध के संबंध में स्वतंत्र होनी चाहिए।

6. सरकारी वित्तीय सहायता

6.1 सरकारी अनुदान सहायता सहित प्रस्तावित सी०एफ०सी० को किसी भी वाणिज्यिक प्रस्ताव की ही भांति वित्तीय एवं प्रचालनात्मक

रूप से जीवनक्षम होना चाहिए। परिणामस्वरूप प्रस्तावित सी०एफ०सी० के लिए बुनियादी टेम्पलेट जैसे कि प्रक्षेपित लाभ एवं हानि खाता और प्रक्षेपित बैलेंस शीट, आदि का प्रयोग करते हुए सभी सी०एफ०सी० प्रस्तावों को मूल्यांकन संबंधी वित्तीय मानकों का अनुपालन करना चाहिए जैसा कि वाणिज्यिक बैंक करते हैं जैसे कि रिटर्न की आन्तरिक दर, ब्रेक-ईवन प्वाइंट विश्लेषण, ऋण सेवा, कवरेज दर, संवेदनशीलता विश्लेषण आदि। प्रस्तावित सी०एफ०सी० को उस समूह जिसे लाभ प्रदान करना अभिप्रेत है के वैयक्तिक प्रतिनिधि उद्यम के स्तर तक उसके संभावित प्रभाव के संबंध में अपनी आवश्यकताओं के औचित्य को भी सिद्ध करना चाहिए।

6.2 उपरोक्त पैराग्राफ 6.1 की शुरूआत में उल्लिखित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सी०एफ०सी० परियोजनाओं को वर्गीकृत किया गया और इसलिए सरकारी (जीवनक्षम गैप फंडिंग) सहायता निम्नोक्त व्यापक मानकों पर आधारित होगी:

(i) विकासात्मक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का सहयोग परियोजना लागत का 70 प्रतिशत और शेष संबंधित राज्य सरकार और परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना है।

(ii) अर्ध-विकासात्मक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का सहयोग परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और शेष संबंधित राज्य सरकार और परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना है।

(iii) अर्ध-वाणिज्यिक सी०एफ०सी० परियोजनाएं: केन्द्र सरकार का सहयोग परियोजना लागत का 30 प्रतिशत और शेष संबंधित राज्य सरकार और परियोजना लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना है।

(iv) तथापि, सुक्ष्म और/अथवा ग्राम उद्यमों अर्थात ऐसे उद्यम जहां प्रत्येक मामले में संयंत्र और मशीनरी (भूमि और भवन को छोड़कर) में निवेश 25 लाख रु० से अधिक न हो, केन्द्र सरकार की सहायता तीन प्रकार के सी०एफ०सी० में परियोजना लागत के क्रमश: 80, 60, और 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी जाएगी।

उपरोक्त उल्लिखित सभी मामलों में भूमि और भवन की समस्त लागत एस०पी०वी०/संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।

6.3 उपरोक्त उल्लिखित सभी तीन मामलों में क्लस्टर लाभार्थियों का भाग जितना संभव हो उतना अधिक होगा और यह भूमि और भवन की लागत सहित सी०एफ०सी० की कुल लागत के 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार का अंशदान जीवनक्षम गैप फंडिंग के रूप में माना जाएगा। बड़ी मुख्य मैन्यूफैक्चरिंग फर्में (चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में) क्लस्टर लघु उद्योग उत्पादों के अन्य प्रमुख क्रेता, वाणिज्यिक मशीनरी आपूर्तिकर्ता, कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और व्यवसाय विकास सेवा (बी०डी०एस०) प्रदाता लाभार्थी के भाग के 50 प्रतिशत तक अंशदान करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि प्रबंधन लाभार्थी एस०पी०वी० जिसमें क्लस्टर के लघु/सूक्ष्म उद्यम लाभार्थी शामिल हों के साथ स्पष्ट रहता है। एस०पी०वी० किसी भी विघटन, विस्तार, आदि के लिए बैंकों से ऋण भी ले सकता है बशर्ते कि सी०एफ०सी० में सरकारी सहायता से खरीदी गई संयंत्र और मशीनरी को बैंक को गिरवी नहीं रखा जाएगा और उन पर प्रथम अधिकार परियोजना को अनुदान सहायता के रूप में वित्त पोशण प्रदान करने वाली सरकार का होगा।

6.4 सी०एफ०सी० का प्रयोग क्लस्टर में अन्य की ही भांति एस०पी०वी० सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। तथापि इस बात का साक्ष्य दिया जाना चाहिए कि एस०पी०वी० सदस्य इन्सटाल्ड कैपिसिटी का कम से कम 60 प्रतिशत का उपयोग करेंगे।

7. प्रस्तावों को जमा कराना

7.1 सी०एफ०सी० के लिए प्रस्ताव के सकारात्मक परिणाम के सुनिश्चय करने के लिए इन-प्रिंसीपल इन्टरेस्ट और टिप्पणियों सी०एफ०सी० के लिए केन्द्र सरकार की सहायता हेतु विस्तृत प्रस्ताव जमा कराने से पहले संलग्न प्रारूप (अनुबंध V) में एक आरंभिक आवेदन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए। तथापि सी०एफ०सी० से अन्य सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यदि क्लस्टर को पहले से ही सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति में आरंभिक आवेदन जमा कराना आवश्यक नहीं होगा।

7.2 आरंभिक आवेदन के परिणाम के देखते हुए क्लस्टर निदानात्मक अध्ययन द्वारा समर्थित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (अनुबंध VI) और किसी भी वित्तीय मूल्यांकन, जो बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा किया गया हो, की एक प्रति विकास आयुक्त (लघु उद्योग) को भेजी जानी चाहिए। सभी प्रस्ताव स्थानीय लघु उद्योग सेवा संस्थान (एस०आई०एस०आई०) (ग्राम उद्योगों अथवा कॉयर उद्योगों के क्लस्टरों के मामले में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के राज्य निदेशालय अथवा कॉयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, जैसा भी मामला हो) से और राज्य सरकार के संबंधित विभाग (परवर्ती के वित्तीय अंशदान के संबंध में स्पष्ट प्रतिबद्धता सहित) दोनों की सिफारिशों सहित एस०पी०वी० (अथवा शीर्ष सरकारी संस्थान/कार्यान्वयन अभिकरण (आई०ए०) अनुच्छेद 5.2 द्वारा) द्वारा अग्रेषित किए जाने आवश्यक है।

8. प्रस्ताव का मूल्यांकन एवं अनुमोदन

8.1 प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए संचालन समिति के दो स्तर होंगे। पहली की अध्यक्षता विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा की जाएगी जो 1 करोड़ रु० से कम के वित्तीय परिव्यय सहित सी०एफ०सी० के लिए वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन करेंगे। 1 करोड़ रु० तथा अधिक के वित्तीय परिव्यय वाले सभी प्रस्तावों के लिए सचिव, लघु उद्योग द्वारा संचालन समिति की अध्यक्षता की जाएगी। तथापि, 5 करोड़ रु० तथा इसके ज्यादा के लाभ वाली परियोजनाओं को अनुमोदन हेतु संचालन समिति के समक्ष रखने से पूर्व वित्तीय सलाहकार के परामर्श से विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा फाईल पर जांच की जाएगी।

8.2 प्रत्येक समिति के उपयुक्त स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों जिसमें लघु उद्योग मंत्रालय का वित्त मंत्रालय (एकीकृत वित्त स्कंध) एवं योजना आयोग शामिल हैं (केवल इन्हीं तक सीमित नहीं), से लिए गए प्रतिनिधि होंगे और समिति अपनी बैठकों में संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करेगी।

8.3 समितियां जब आवश्यक हो तब, तीन महीनों में एक बार मिला करेगी।

8.4 समिति द्वारा औपचारिक विचारविमर्श से पूर्व प्रस्तावों के आरंभिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में समितियां क्लस्टर विकास के सामान्य क्षेत्र तथा साथ ही साथ क्लस्टर से संगति रखने वाले तकनीकी क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों की सहायता ले सकती हैं। इस प्रकार की आरंभिक जांच से पता चलने वाले सुझावों को संबंधित राज्य सरकार तथा साथ ही साथ एस०पी०वी०/कार्यान्वयन अभिकरण को लिखित में प्रेषित कर देगी।

अनुबंध-V

क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए आरंभिक आवेदन

1. क्लस्टर का विवरण-क्लस्टर का नाम, इसका भौगोलिक विस्तार, इकाई/फर्मों की संख्या, सूक्ष्म/अतिलघु इकाइयों का अनुपात, विनिर्मित उत्पाद(तें) का(के), नाम, गत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान क्लस्टर की वार्षिक कुलबिक्री, क्लस्टर उत्पाद(तें) के प्रमुख बाजार, वार्षिक निर्यात, यदि कोई हों।

2.1 क्या विगत में क्लस्टर का कोई निदानात्मक अध्ययन किया गया है? यदि हां, तो अध्ययन के सुझावों का विस्तृत विवरण (रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न की जाए):

2.2 क्या निदानात्मक अध्ययन में सी०एफ०सी० की स्थापना की सिफारिश की गई है? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण;

3. प्रस्तावित सी०एफ०सी० का संक्षिप्त विवरण (उद्देश्य एवं प्रस्तावित सुविधाओं का नाम एवं व्यापक विवरण):

4. प्रस्तावित सी०एफ०सी० का वित्तीय सार:

(लाख रु०)

क्र० सं०	सी०एफ०सी० के तत्व	अपेक्षित निवेश	लाभार्थी/ एस०पी०वी० अंशदान	बैंक, आदि से ऋण (बैंक का नाम दिया जाना है)	भारत सरकार से संभावित अनुदान सहायता	राज्य सरकार से संभावित अनुदान सहायता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भूमि और भवन					
	(क) वर्ष 1					
	(ख) वर्ष 2					
	(ग) वर्ष 3					
	(घ) वर्ष 4					
2.	संयंत्र और मशीनरी					
	(क) वर्ष 1					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(ख) वर्ष 2

(ग) वर्ष 3

(घ) कुल

3. वर्ष 1 के लिए कार्यशील पूंजी

4. वर्ष 1 के लिए पूर्व प्रचालन व्यय

5. जीवनक्षमता से पूर्व प्रक्षेपित हानियां

6. कुल

5. सी०एफ०सी० की वित्तीय जीवनक्षमता के व्यापक मानदंड और इसके जीवनक्षम बनने का संभावित वर्ष।

(लाख रु०)

कार्यकारी व्यय''		राजस्व''	
1.	वेतन	1.	राजस्व स्ट्रीम 1 (विनिर्दिष्ट करें)
2.	उपभोज्य	2.	राजस्व स्ट्रीम 2 (विनिर्दिष्ट करें)
3.	विघटन	3.	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	4.	
5.	कुल	5.	कुल

''टिप्पणी: कृपया जीवनक्षमता प्राप्ति तक वर्ष-वार प्रक्षेपण प्रस्तुत करें।

6. क्लस्टर/मदस्य फर्मों (कितनी फर्में?) को संभावित लाभ।

7. क्या क्लस्टर में कोई समान प्रकार की सुविधा मौजूद है? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण प्रदान करें तथा प्रस्तावित सी०एफ०सी की आवश्यकता का औचित्य बताएं।

8. क्लस्टर की वृद्धि के सामान्य दीर्घावधि दृष्टि के लिए सी०एफ०सी० किस प्रकार उपयुक्त है?

9. क्या सी०एफ०सी० के लिए कोई एस०पी०वी० पहले से ही गठित किया गया है/गठित किया जाएगा? यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है तो संभावित तिथि बताएं।

10. कार्य की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए किस प्रकार का अनुवीक्षण तंत्र होगा?

अनुबंध-VI

सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए विस्तृत प्रस्ताव संबंधी प्रारूप

1. प्रस्तावित सी०एफ०सी० के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला मूल विवरण निम्नोक्त होगा:

(i) क्लस्टर का नाम और अवस्थित।

(ii) कार्यकलापों एवं उत्पादों की प्रकृति, इकाइयों संख्या एवं आकार (स्थापित क्षमताओं के संबंध में भी), और इकाइयों की संख्या।

(iii) निवेश का पैमाना (कुल अचल एवं महत्वपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों के संबंध में भी)।

(iv) विगत पांच वर्षों में निर्यात आउटपुट सहित निष्पादन के मूल्य संबंधी सूचना (विभिन्न उद्यम खंड-वार)।

(v) प्रक्षेपित उन्नत अर्थव्यवस्था एवं वृद्धि संभावना, प्रस्तावित इण्टरवेंशन के पश्चात क्लस्टर का संभावित कार्यनिष्पादन (घरेलू एवं विदेशी बाजारों के लिए अनुमापी एवं न्यूनतम वित्तीय-निर्यात/घरेलू स्केल और प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार, आदि के संबंध में)

(vi) निदानात्मक अध्ययन/तुलनात्मक एडवांटेज बेंचमार्क सर्वेक्षण (मुख्य निष्कर्ष), पहचाने गए संकटपूर्ण अंतरालों की प्रकृति संबंधी सूचना (जैसे कि कमजोर भंडारण सुविधा, कमजोर परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं-मद-वार लागत अनुमान)।

(vii) गैप यदि कोई है, की व्याख्या और उसे अन्य मंत्रालयों की योजनाओं (उदाहरणार्थ) टी०यू०एफ०एस० के तहत

प्रौद्योगिकी उन्नयन, एफ०पी०आई० मंत्रालय की योजनाएं) से सहायता के माध्यम से भरा जाना।

(viii) कार्यान्वयन समय, एस०पी०वी० की संरचना जैसे कि समावेशन के प्रमाणपत्र, संघ के अनुच्छेदों, स्टेकहोल्डरों से समझौते के पत्र की एक प्रति।

(ix) परिसंपत्तियों की धारणीयता के लिए राजस्व सृजन तंत्र (सेवा/प्रयोक्ता प्रभार को लेवी किया जाना, किसी भी अन्य को विनिर्दिष्ट किया जाना)

(x) परियोजना कार्यान्वयन समय तथा समाप्ति अवधि।

(xi) लाभार्थी इकाइयों की वर्ष-वार संख्या के संबंध में अनुवीक्षणीय लक्ष्य, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, घरेलू बिक्री, निर्यात, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)।

(xii) एस०पी०वी० की धारणीयता और परियोजना की मुख्य विशेषताएं-परियोजना की कुल लागत, क्लस्टर उद्यमों/ स्टेकहोल्डरों से अंशदान, वैयक्तिक उद्यमों द्वारा औसत अंशदान, सी०आई०सी०डी०पी० के तहत अनुदान सहायता, सावधि ऋण, इस संदर्भ में ऋण-इक्विटी का अनुपात, पुनर्भुगतान समय तथा अनुमानित ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डी०एस०सी० आर०) (जहां ऋण वित्त प्राप्त किया जाता है), वार्षिक अनुमानित आय, व्यय, प्रचालनों के संभावित/ इष्टतम स्तरों पर सकल एवं कुल लाभ, ब्रेक ईवन (बी०ई०)/रिटर्न गणना की आन्तरिक दर (आई०आर० आर०), पैबैक अवधि, आदि।

(xiii) बैंक से संस्वीकृति का सैद्धांतिक पत्र (ऋण वित्त, जहां लागू हो, प्रस्तुत करना अपेक्षित है)।

(xiv) एस०पी०वी० सदस्यों द्वारा अवलोकन की गई सहकारी पहलों के पिछले ट्रैक रिकार्ड समर्थन प्रलेखनों के साथ उल्लिखित किए जाने की आवश्यकता है।

(xv) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के संबंध में सी०एफ०सी० का बेंचमार्किंग प्रभाव (प्रस्ताव का एक खंड निर्यातों/वैश्विक प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से व्यापारयोग्य के संबंध में (जैसे कि कोई भी उत्पाद जो पारंपरिक रूप से निर्यात अथवा आयात किया जाता है) की तुलना में लाभार्थी उद्यमों पर परियोजना के प्रभाव को दर्शाने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए।

(xvi) सी०एफ०सी० का उपयोग एस०पी०वी० सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि क्लस्टर में अन्य करते हैं। तथापि स्थापित क्षमता के कम से कम 60 प्रतिशत का उपयोग करने की एस०पी०वी० सदस्यों की योग्यता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

2. संक्षिप्त विशेषताओं तथा वित्तीय स्थिरता को निम्नोक्त प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

क्र० सं०	परियोजना के तत्व	कुल लागत	उद्योग स्टेकहोल्डरों (एस०पी०वी० सदस्यों) द्वारा अंशदान	एस०आई० सी०डी०पी० के तहत अनुदान सहायता	बैंक ऋण के लिए सावधि ऋण/ऋण इक्विटी अनुपात एवं पुनर्भुगतान समय	प्रचालन के इष्टतम स्तर पर वार्षिक संभावित आय/व्यय कुल लाभ	स्थापित क्षमता का उपयोग एवं बी०ई०	आई०आई० आर० एवं पैबैक अवधि	रोजगार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	भूमि और भवन								
2.	मशीनरी और उपस्कर								
3.	कार्यशील पूंजी (विवरण)								
4.	पूर्व प्रचालन लागतें (विवरण)								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	परियोजना की जीवन-क्षमता प्राप्त करने से पूर्व प्रक्षेपित हानियां, यदि कोई हों								
6.	कुल								

3. नियोजित एवं विचारणीय वित्तीय मूल्यांकन साधन निम्नवत रूप से होंगे:

(i) **नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आर०ओ०सी०ई०):** अपनी पूरी परियोजना जवीन के तहत परियोजना द्वारा सृजित कुल रिटर्न को औसत वार्षिक रिटर्न निकालने के लिए औसत किया जाएगा। निवेश का साधारण स्वीकार्य नियम यह है कि रिटर्न (अनुदान सहायता सहयोग के लाभ को समाविष्ट करते हुए) पर्याप्त रूप से नियोजित पूंजी से अधिक होगा। 25 प्रतिशत से अधिक रिटर्न वांछित है।

(ii) **डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो (डी०एस०सी०आर०):** सूत्र है [सकल लाभ+ब्याज (सावधि ऋण पर) + विघटन]/ब्याज (सावधि ऋण पर) + मूल ऋण। पुनर्भुगतान अवधि के दौरान संचयी डी०एस०सी०आर० का 3:1 स्वीकार्य नियम होगा।

(iii) **ब्रेक-ईवन (बी०ई०) इवेलिसिस:** ब्रेक-ईवन (अर्थात् प्रचालन की नियत लागत/बिक्री (प्रचोक्ता प्रभार)-प्रचालन की वेरियेबल लागत) स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

(iv) **संवेदनशीलता विश्लेषण:** संवेदनशीलता विश्लेषण प्रचोक्त प्रभारों में 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट अथवा क्षमता उपयोगीकरण में 10 से 20 प्रतिशत की गिरावट की स्थिति में किया जाएगा।

(v) **नेट प्रेजेंट वैल्यू:** परियोजना की नेट प्रेजेंट वैल्यू का सकारात्मक होना तथा रिटर्न की आंतरिक दर (आई०आई०आर०) 10 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। एन०पी०वी० के अनुमान के लिए अपनाए जानी वाली छूट की दर 10 प्रतिशत होगी। परियोजना का जीवन अधिकतम 10 वर्षों तक के लिए माना जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विचार की जाने वाली परियोजना के जीवन को तकनीकी विशेषज्ञ/संस्थान की सिफारिशों द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक होगा।

विवरण-III

क्रमांक बी-20014/8/2004-के०वी०आई०

भारत सरकार

कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 3 अक्टूबर, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषय: परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना।

भारत वर्ष में परंपरागत उद्योग पुरातन काल से अनवरत चले आ रहे हैं। परंपरागत उद्योगों के पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में न केवल उत्पादन तथा निर्यात क्षेत्र में असीम क्षमता है अपितु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादनशील, प्रतिस्पर्द्धी बनाने और उनको अविरल विकास की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रु० की राशि आवंटित करके परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की स्थापना करने की घोषणा की। इस घोषणा के मद्देनजर "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना (स्फूर्ति)" के शीर्षक से केन्द्रीय क्षेत्र योजना का खाका तैयार कर, 97.25 करोड़ रु० की कुल लागत राशि सहित अनुमोदन ले लिया है। योजना का कार्यान्वयन कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, इसकी संस्थाओं एवं संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों, उनके संबद्ध संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि के सहयोग से किया जाएगा। "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु कोष की योजना (स्फूर्ति)" के प्रचालन दिशानिर्देशों का विवरण निम्नानुसार है:-

2. परंपरागत उद्योग तथा परंपरागत उद्योग क्लस्टरों की परिभाषा:-

(1) मुख्य रूप से परंपरागत उद्योग का अर्थ है:- "एक ऐसी गतिविधि जिसमें स्थानीय तौर पर उपलब्ध कच्चे माल, कौशल तथा देशी तकनीक का प्रयोग कर विपणन योग्य उत्पादों का उत्पादन किया जाता है।"

(2) परंपरागत उद्योग समूह:— योजना के संदर्भ में, इसका आशय है कि राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में/दो या दो से अधिक राजस्व उपमंडलों में स्थित कारीगरों/लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा देने वाले आदि का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण।

3. योजना के लक्ष्य है:— योजना के लक्ष्य है:—

(1) वर्ष 2005-06 से आरम्भ कर 5 वर्ष की अवधि में देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उद्योगों के समूह का विकास।

(2) परंपरागत उद्योगों को, अधिक विपणनशाली, उत्पादक, ग्रामीण उद्यमियों और परंपरागत उद्योग कारीगरों को लाभप्रद तथा प्रोत्साहनवर्द्धक रोजगार के अवसर प्रदान करके, अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाना।

(3) उद्योग क्लस्टरों की स्थानीय शासकीय प्रणाली को स्थानीय हितधारियों की सक्रिय भागीदारी से मजबू करना ताकी वे स्वयं विकास हेतु पहल करने योग्य हो सके।

(4) नवीन तथा परंपरागत कौशल, उनत प्रोद्योगिकियों, उनत प्रक्रियाओं, विपणन आसूचना तथा सार्वजनिक और निजी भागीदारी के नए मानक तैयार करना ताकि समूह आधारित परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए ऐसे मानकों को धीरे-धीरे से परिवर्तित किया जा सके।

4. लक्ष्य क्षेत्र तथा संभावित लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) परंपरागत उद्योगों में लगे तथा खादी, कॉयर एवं ग्रामोद्योग (चमडा और कुम्हारी सहित) के चयनित क्लस्टरों में कार्य कर रहे कारीगर, कामगार, मशीन निर्माता, कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले, उद्यमी, संस्थागत और निजी व्यापार विकास सेवा उपलब्ध कराने वाले।

(ii) कारीगर गिल्ड, सहकारी समितियां, कंसोर्टियम, उद्यमी नेटवर्क, स्वसहायता समूह (एस०एच०जी०), उद्यमी संघ इत्यादि।

(iii) परंपरागत उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से लगे कार्यान्वयी अभिकरण, सरकारी संस्थानों/संगठनों तथा नीति निर्माताओं के क्षेत्रीय कार्यकर्ता।

5. क्लस्टर के चयन हेतु मानदण्ड:— क्लस्टरों का चयन राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में (दो या दो से अधिक राजस्व उप मंडलों अथवा समीपवर्ती जिलों में स्थित कारीगरों/लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा प्रदान करने वाले आदि का चयन उनके भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण के आधार पर होगा। क्लस्टर, चमड़ा तथा कुम्हारी सहित खादी, कॉयर तथा ग्रामोद्योग से संबद्ध होंगे। स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टरों का चयन करते समय उत्पादन में वृद्धि हेतु क्षमता तथा रोजगार सृजन के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा। क्लस्टरों का चयन करते समय देश में क्लस्टरों के भौगोलिक वितरण सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्लस्टरों की कुल संख्या के कम से कम 10% भाग को भी ध्यान में रखना होगा।

6. मध्यस्थता/सहायता उपाय:— इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

1. खादी क्षेत्र में चरखा और लूम को बदलना।

2. सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना।

3. विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए नई डिजाइन, नए उत्पादों का विकास, नई/सुधरी पैकेजिंग इत्यादि।

4. विपणन संवर्धन गतिविधियां

5. अन्य क्लस्टरों तथा संस्थाओं में प्रदर्शन अभिमुख दौरे, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, क्लस्टर स्तरीय नेटवर्क की स्थापना हेतु समर्थन (उद्योग संघ) तथा अन्य आवश्यकता आधारित समर्थन जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियां।

6. निदान अध्ययन के भाग स्वरूप क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक समझी जाने वाली तथा क्लस्टर हेतु वार्षिक योजना कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा पहचानी गई अन्य गतिविधियां।

7. योजना संचालन समिति (एस०एस०सी०) (स्कीम स्टीरिंग कमेटी):— कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय योजना की सम्पूर्ण नीति, समन्वय तथा प्रबंधकीय समर्थन उपलब्ध कराने हेतु समन्वय मंत्रालय होगा। अनुलग्नक-I में दिए विवरणानुसार सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि ग्रा० मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक योजना संचालन समिति का गठन किया जाएगा। एस०एस०सी० कार्य की आवश्यकतानुसार उद्योग संघों, अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं तथा अन्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ संगठनों के प्रतिनिधियों के सदस्यों/विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित कर सकती है। एस०एस०सी० योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्यों को प्रभावित किए बगैर गति-विधियों तथा निधियों का अन्तक्षेत्रीय समायोजन कर सकती है।

8. नोडल एजेंसियां (अभिकरण):— योजना हेतु निम्नलिखित अभिकरणों को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है:—

1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग

2. कॉयर बोर्ड

प्रत्येक नोडल एजेंसी पारदर्शी मानदंडों के आधार पर कार्यान्वयी एजेंसियों (आई०ए०) की पहचान करेगी। नोडल एजेंसी द्वारा सुझाई गई एजेंसियों का एस०एस०सी० द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। नोडल एजेंसी, एस०एस०सी० के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत पहचान की गई एजेंसियों को दी जाने वाली राशि को संरक्षित करने तथा वितरण हेतु जिम्मेदार होगी।

9. तकनीकी एजेंसियाँ (अभिकरण):— ये क्लस्टर विकास प्रक्रिया में विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रस्तरीय संस्थाएं होगी जो नोडल एजेंसियों तथा पहचानी गई एजेंसियों को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराएगी। तकनीकी एजेंसियों की जिम्मेदारियों में नोडल एजेंसियों को समूहों की पहचान में सहायता प्रदान करना, समूह विकास एजेंटों तथा आई०ए० और अन्य अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, समूह कार्ययोजना की वैधता, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन आदि कार्य शामिल है।

10. कार्यान्वयी अभिकरण (आई०ए०):— कार्यान्वयी अभिकरण समूह विकास हेतु उपयुक्त अनुभव वाली केन्द्र और राज्य सरकारों की गैर सरकारी संस्थाएं होगी। सामान्यत: एक कार्यान्वयी अभिकरण को केवल एक समूह दिया जाएगा (जब तक की यह अभिकरण राज्य भर में कार्यरत न हो)। आई०ए० का चयन नोडल एजेंसी द्वारा क्षेत्रीय प्रसिद्धी तथा बुनियादी स्तर पर कार्य अनुभव एवं पारदर्शी मानदण्डों के आधार पर होगा जिसका अनुमोदन एस०एस०सी० द्वारा किया जाएगा जो कि अंत में चयन कर पुनरीक्षण भी करेगी।

खादी क्षेत्र में, 'ए' श्रेणी की एक या अधिक संस्थाएं जिनमें की 500 कत्तीन और बुनकर है, का प्रत्येक खादी समूह हेतु चयन किया जाएगा। देश भर में इन संस्थाओं का उचित भौगोलिक वितरण भी होगा।

ग्रामोद्योग एवं कयर उद्योग क्षेत्र के लिए कार्यान्वयी अभिकरण का चयन ऐसे गैर सरकारी संगठनों में से किया जाएगा जिन्हें उक्त क्षेत्र के निम्नतम स्तर के कार्यों विशेषकर ग्रामीण औद्योगिकीकरणका अनुभव हो।

11. क्लस्टर विकास एजेंट (सी०डी०ए०):— प्रत्येक कार्यान्वयी अभिकरण प्रत्येक क्लस्टर हेतु अनन्य रूप से एक सी०डी०ए० की पहचान कर नियुक्ति करेगा जोकि क्लस्टर में पूर्णकालिक रूप से अवस्थित होगा और सौंपे गए क्लस्टर में योजना के कार्यान्वयन का कार्य करेगा। सी०डी०ए० को तकनीकी एजेंसी के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा समूह विकास प्रक्रिया हेतु आयोजित किए जाने वाले निर्धारित प्रशिक्षण ग्रहण करेगा। सी०डी०ए० की जिम्मेदारियों में नैदानिक अध्ययन का संचालन, समूह की वार्षिक कार्ययोजना की तैयारी और कार्यान्वयन, संस्थाओं के साथ सम्पर्क बढ़ाना, स्थानीय शासकीय तंत्र का निर्माण आदि कार्य शामिल होंगे।

12. क्लस्टर विकास समन्वयन समूह:— प्रत्येक क्लस्टर में सी०डी०ए० की गतिविधियों को समर्थन देने और क्लस्टर विकास प्रक्रिया में क्लस्टर स्तरीय हित धारकों को शामिल करने के उद्देश्य से एक क्लस्टर विकास समन्वयन समूह बनाया जाएगा। लक्षित परंपरागत उद्योग उपक्रमों, सेवा समर्थन संस्थाओं, बैंकों, राज्य सरकार के अभिकरणों तथा अन्य प्रतिनिधि सी०डी०सी०जी० के सदस्य होंगे।

13. वित्तीय सहायता:— योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का प्रारूप निम्नानुसार होगा:—

क्र० सं०	अंग	निधि का प्रारूप
1	2	3
I	खादी क्षेत्र	
1.	खादी कत्तीनों और बुनकरों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु चरखों और लूम को बदलना।	(क) अनुदान — 75%
	(औसत लागत — 50 लाख रु०/प्रति समूह)	(ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25%
2.	सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु	(क) अनुदान — 75%
	(i) बुनाई हेतु रेडीमेड ताने की आपूर्ति के लिए रेडीमेड ताने की इकाइयाँ।	(ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25%
	(ii) पश्च लूम सुविधाएं अर्थात् रंगाई और छपाई।	
	(iii) मिश्रित रेडीमेड वस्त्र निर्माण इकाइयाँ स्थापित करना ताकि रेशों में रेडीमेड खादी उत्पाद तैयार हो सके।	

1	2	3
	(iv) गुणवत्ता मानक लागू करने हेतु उत्पाद परीक्षण	
	(v) सेवा और रखरखाव इत्यादि।	
	(औसत लागत – 15 लाख रु० प्रति सी०एफ०सी०)	
3.	उत्पाद विकास और डिजाइन मध्यस्थता हेतु	(क) अनुदान – 75%
	(i) साज-सज्जा हेतु रेशा डिजाइनिंग	(ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25%
	(ii) उच्च फैशन वस्त्रों हेतु नए डिजाइन	
	(iii) रेशा विकास, सिल्क उत्पादों में कढ़ाई और	
	(iv) प्राकृतिक रंगों का प्रयोग आदि	
	(औसत लागत – 4 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	
II	ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योग	
1.	विशेषत: प्रसंस्करण खाद्य समग्री में गुणवत्ता मानक लागू करने तथा सेवा, मरम्मत और अन्य सामान्य आधारभूत ढांचा के लिए परीक्षण यंत्र/प्रयोगशाला जैसे ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्माण और प्रक्रिया के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र	(क) अनुदान – 75% (ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25%
	(औसत लागत – 30 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	
2.	उत्पाद विकास और अभिकल्प मध्यस्थता अर्थात्	(क) अनुदान – 75%
	(i) नए उत्पादों का विकास विशेषत: हैंड बैग, जूते आदि जैसी सामग्री	(ख) लाभार्थी योगदान (संस्थाएं) 25%
	(ii) कुम्हारी सामग्री हेतु नए डिजाइन और	
	(iii) पैकेजिंग हेतु सुधरे हुए/नए डिजाइन, विशेषत: आयुर्वेदिक एवं कास्मेटिक, कनफैक्शनरी सामग्री हेतु	
	(औसत लागत – 4 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	
3.	विपणन प्रोन्नति सहायता निम्नलिखित सामग्रियों हेतु	अनुदान 100%
	(i) घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागदारी और आयोजन	
	(ii) क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी	
	(iii) विपणन केन्द्रों का नवीकरण और उन्नयन तथा	
	(iv) बिक्री केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण, बार कोडिंग आदि	
	(औसत लागत – 15 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	
4.	क्षमता निर्माण उपाय – निम्नलिखित गतिविधियों हेतु	अनुदान 100%
	(i) स्व-सहायता कार्यों, नए उत्पादों, प्रौद्योगिकियों आदि को समझने के लिए अन्य क्लस्टरों तथा संस्थाओं (खाद्य) का अभिमुखीकरण।	

1	2	3
	(ii) क्लस्टरों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण (वैश्विक व्यापार मुद्दों, कौशल विकास, स्व-सहायता, सुधार तथा अन्य आवश्यकता आधारित मुद्दों से संबंधित)	
	(iii) मूलभूत कार्यालय संरचना (पुस्तकों सहित) के रूप में क्लस्टर स्तरीय नेटवर्क की स्थापना हेतु समर्थन और	
	(iv) नैदानिक अध्ययन से उत्पन्न होने वाली अन्य आवश्यकता आधारित समर्थन (औसत लागत – 15 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	
5.	कार्यान्वयी एजेंसियों की लागत (आई०ए०) (औसत लागत – 10 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100%
6.	क्लस्टर विकास एजेंट की लागत (औसत लागत – 9 लाख रु० प्रति क्लस्टर)	अनुदान 100%
7.	तकनीकी एजेंसियों की लागत (टी०ए०) (एक मुश्त 4 करोड़ रु०)	अनुदान 100%
8.	सर्वेक्षण एवं अध्ययन (एक मुश्त 1.5 करोड़ रु०)	अनुदान 100%

उपरोक्त दर्शाई गई लागत सांकेतिक है। गतिविधियों/तदनुरूप निधियों का अन्तर क्षेत्रीय समायोजन एस०एस०सी० द्वारा योजना के मूलभूत उद्देश्यों और संकेन्द्रण एवं मंजूरी हेतु प्रस्तावित सम्पूर्ण लागतों को प्रभावित किए बगैर किया जाएगा।

14. क्लस्टर विकास प्रस्ताव तैयार करना:– एन०ए० से प्राप्त हुए क्लस्टर विकास प्रस्तावों पर एस०एस०सी० द्वारा विचार किया जाएगा। एस०एस०सी० यह देखने का प्रयास भी करेगी कि चयनित क्लस्टर ठीक प्रकार से देश भर में फैले हो तथा जिनमें से कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो। एस०एस०सी० क्लस्टरों के चयन उनके आकार और भौगोलिक फैलाव में आवश्यक समायोजन/बदलाव कर सकेगी। परंपरागत उद्योगों के चयनित खण्डों में वैयक्तिक क्लस्टरों के विकास हेतु आवश्यक प्रति गतिविधि/हस्तक्षेप के उपाय हेतु वित्तीय सहायता की वास्तविक राशि, निदान अध्ययन और वार्षिक कार्ययोजनाओं के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर आधारित होगी जिसको एस०एस०सी० द्वारा एन०ए०, टी०ए० और आई०ए० की मदद से तय किया जाएगा।

15. वर्तमान योजनाओं के साथ संयोजन:– जैसा कि स्फूर्ति का क्लस्टर विकास हेतु उपयुक्त दृष्टिकोण है। अत: संबद्ध नोडल/कार्यान्वयी एजेंसियों को यह देखने हेतु प्रोत्साहित करना होगा कि इस प्रकार के प्रयास स्फूर्ति के साथ जारी रहे। पूरक तथा सहयोग हेतु यह देखना होगा कि जहां तक सम्भव हो स्फूर्ति के अन्तर्गत क्लस्टरों में शामिल इकाइयों को ग्रारोसूका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला कॉयर योजना का लाभ मिले बशर्ते कि वे उन कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों का संतोषजनक ढंग से पालन करे। इससे वर्तमान में जारी कार्यक्रमों का अभिमुखीकरण और अधिकतम लाभ सुनिश्चित होंगे।

पूर्व में प्रतिबद्ध कार्यक्रमों के अलावा ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्फूर्ति में मिला दिया जाएगा। इसके बाद स्फूर्ति के अंतर्गत चयनित क्लस्टरों में खाग्राआ अपने प्रोडिप और आर०आई०सी०एस० (रिस्क) कार्यक्रम का प्रचालन नहीं कर सकेगा।

16. कार्यान्वयी प्रक्रिया:– एस०एस०सी० क्लस्टर विकास गतिविधियों में संलग्न कार्यान्वयी और नोडल एजेंसियों को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराने हेतु क्लस्टर विकास प्रक्रिया में महारत हासिल की हुई तकनीकी एजेंसियों की पहचान करेगी। डी०ए० की मदद से नोडल एजेंसी क्लस्टरों की एवं प्रत्येक क्लस्टर हेतु एक कार्यान्वयी एजेंसी की पहचान करेगी। प्रत्येक आई०ए० क्लस्टर विकास एजेंट की पहचान कर उसकी नियुक्ति करेगी (प्रत्येक क्लस्टर हेतु विशेषतया) जो कि पूर्णकालिक रूप से क्लस्टर में अवस्थित होगा और नामोद्दिष्ट क्लस्टर में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार होगा। क्लस्टर विकास एजेंट क्लस्टरों में नैदानिक अध्ययन कर वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे जोकि वैधता के पश्चात क्लस्टर के विकास का आधार बनेगी।

17. कोष प्रदान करना:– विशिष्ट क्लस्टर के अनुसार कोष प्रदान किया जाएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने और वास्तविक भौतिक

प्राप्ति के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नोडल एजेंसियों को कोष प्रदान किया जाएगा। एन०ए० नोडल एजेंसी द्वारा क्लस्टर विकास हेतु कोष को एक अलग लेखे में रखा जाएगा जिसकी लेखापरीक्षा की जाएगी।

18. परियोजना मॉनीटरिंग और मूल्यांकन:— समय-समय पर सही उपायों हेतु समवर्ती और कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन किया जाएगा। इस बात पर भी बल दिया गया है कि स्फूर्ति के अंतर्गत भी कुछ क्लस्टरों का मूल्यांकन अध्ययन किया जाए ताकि योजना के कार्यान्वयन में हुई कमियों और त्रुटियों का पता लगाया जा सके।

19. इसको वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (योजना वित्त-II, प्रभाग) यू०ओ० नोट सं० 19(4)/पी०एफ०-II/04 दिनांक 8.9.2005 तथा एकीकृत वित्त विंग, औद्योगिक नीति और सवंर्धन विभाग के डायरी, क्र० 2010/वित्त-I/05 दिनांक 3.10.2005 के तहत दी गई उनकी सहमति से जारी किया गया।

हस्ताक्षर,
(आशुतोष मिश्रा)
निदेशक
दूर-011-23062745
फैक्स-011-23062886

मुख्य सचिव (सभी राज्य/के०शा०प्र०)

प्रतिलिपि,

1. सभी राज्य/के०शा०प्र० के प्रिंसिपल सचिव/सचिव, उद्योग विभाग (लघु उद्योग)
2. सलाहकार (वी०एस०ई०), योजना आयोग
3. संयुक्त सचिव (पी०एफ०-II), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
4. महालेखाकार (सभी राज्य/के०शा०प्र०)
5. अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय
6. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी और ग्रमोद्योग आयोग, मुंबई
8. सचिव, कॉयर बोर्ड, कोच्चि, केरल
9. आन्तरिक विभागों मे संप्रेषण हेतु (मानक सूची)

अनुलग्नक-I

योजना विषय निर्वाचन समिति का गठन

सचिव, एस०एस०आई० और ए०आर०आई० मंत्रालय	अध्यक्ष
अपर सचिव और विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग मंत्रालय	सदस्य
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (ए०एस० और एफ०ए०), एस०एस०आई० एवं ए०आर०आई० मंत्रालय (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
सलाहकार (वी०एस०ई०), योजना आयोग (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
मुख्य सलाहकार (पी०ए०एम०डी०), सलाहकार (वी०एस०ई०), योजना आयोग (अथवा एक प्रतिनिधि)	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खाग्राआ	सदस्य
अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग प्रोन्नति संघ	सदस्य
सचिव, कॉयर बोर्ड	सदस्य
अध्यक्षीय प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
प्रतिनिधि, भारतीय बैंक संघ	सदस्य
अध्यक्षीय प्रतिनिधि, नाबार्ड	सदस्य
क्लस्टर विशेषज्ञ, ए०आर०आई० मंत्रालय द्वारा नामित	सदस्य
संयुक्त सचिव, ए०आर०आई०, मंत्रालय	संयोजक सदस्य

[हिन्दी]

कृषि तथा ग्रामीण उद्योग में रोजगार

407. श्री एम० अंजन कुमार यादव : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोगों को कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों में रोजगार प्राप्त हुआ है; और

(ख) विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के संवर्धन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार द्वारा दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) तथा राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी०एम० आर०वाई०) के माध्यम से संवर्धित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में जिन व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है उनकी अनुमानित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमश: विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) क्रेडिट, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास,

आदि संबंधी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को सहयोग एवं समर्थन भी करती है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में आंध्र प्रदेश सहित देशभर में निम्नोक्त योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

(i) खादी एवं ग्रामोद्योगों के तहत उत्पादों के विविधीकरण एवं विकास के उद्देश्य तथा के०वी०आई० उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार के लिए भी उत्पाद विकास, डिजाइन इण्टरवेंशन तथा पैकेजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) योजना आरंभ की गई है।

(ii) खादी, ग्रामोद्योगों तथा कॅयर क्षेत्रों में पहचाने गए 122 क्लस्टरों में पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए अक्तूबर, 2005 में पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ की गई है।

(iii) के०वी०आई०सी० के ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र ऐसे उद्योगों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी०एफ०सी०) की स्थापना में सहायता करते हैं।

(iv) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) बैंकों को समपार्श्विकता प्रतिभूति प्रदान करने में ग्रामीण उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए लघु उद्योगों हेतु क्रेडिटड गारंटी फंड ट्रस्ट (सी०जी०टी०एस०आई०) के तहत कवरेज को विस्तारित किया जाता है।

(vi) के०वी०आई०सी० द्वारा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसियेशन (ए०डब्ल्यू०डब्ल्यू०ए०), नेहरू युवक केन्द्र संगठन (एन०वाई०के०एस०), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आदि के साथ कनवर्जेंस स्थापित किए जाते हैं।

(vii) पी०एम०आर०वाई० के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार पात्रता हेतु पारिवारिक आय सीमा, परियोजना लागत की उच्चतम सीमा, सब्सिडी की तदनुरूप उच्चतम सीमा, चयन के पूर्व और पश्चात लाभार्थियों के प्रशिक्षण संबंधी राज्यों को सहायता की दरों, आदि के संबंध में पी०एम०आर०वाई० के डिजाइन मानदंडों में सुधार किया गया है जो 2007-08 से लागू होगा, जिससे आंध्रप्रदेश सहित देश भर में पी०एम०आर०वाई० की प्रगति में सुधार होने की आशा है।

विवरण-I

1 अप्रैल, 1995 को आर०ई०जी०पी० के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक इसके तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित सृजित रोजगार अवसर (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3
1.	चंडीगढ़	1381
2.	दिल्ली	5060
3.	हरियाणा	193911
4.	हिमाचल प्रदेश	86634
5.	जम्मू-कश्मीर	101120
6.	पंजाब	199911
7.	राजस्थान	417260
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7536
9.	बिहार	39543
10.	झारखण्ड	32611
11.	उड़ीसा	71780
12.	पश्चिम बंगाल	250165
13.	अरूणाचल प्रदेश	10299
14.	असम	136894
15.	मणिपुर	18052
16.	मेघालय	32942
17.	मिजोरम	53410
18.	नागालैंड	102621
19.	त्रिपुरा	26634

1	2	3
20.	सिक्किम	9470
21.	आंध्र प्रदेश	394621
22.	कर्नाटक	245579
23.	केरल	211664
24.	लक्षद्वीप	465
25.	पांडिचेरी	13162
26.	तमिलनाडु	131710
27.	गोवा	24374
28.	गुजरात	48115
29.	महाराष्ट्र	269147
30.	छत्तीसगढ़	85403
31.	मध्य प्रदेश	255888
32.	उत्तराखंड	61684
33.	उत्तर प्रदेश	429316
	कुल	3968362

विवरण-II

2 अक्तूबर, 1993 को पी०एम०आर०वाई० के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक इसके तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित सृजित रोजगार अवसर (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3
1.	हरियाणा	136829
2.	हिमाचल प्रदेश	48192
3.	जम्मू-कश्मीर	19854
4.	पंजाब	160071
5.	राजस्थान	215664
6.	चंडीगढ़	2102
7.	दिल्ली	17270
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2166
9.	बिहार	206666
10.	झारखण्ड	41319
11.	उड़ीसा	146978
12.	पश्चिम बंगाल	80958
13.	अरूणाचल प्रदेश	6294
14.	असम	117362
15.	मणिपुर	12966
16.	मेघालय	7755
17.	मिजोरम	4901
18.	नागालैंड	7748
19.	त्रिपुरा	21141
20.	सिक्किम	1106
21.	आंध्र प्रदेश	349317
22.	कर्नाटक	268883
23.	केरल	270635
24.	लक्षद्वीप	368
25.	पांडिचेरी	5850
26.	तमिलनाडु	271893
27.	गोवा	4557

1	2	3
28.	दादर और नगर हवेली	929
29.	गुजरात	152630
30.	महाराष्ट्र	486935
31.	दमन और द्वीव	291
32.	छत्तीसगढ़	30320
33.	मध्य प्रदेश	404265
34.	उत्तराखंड	53366
35.	उत्तर प्रदेश	695837
36.	अन्य	8973
	कुल	4262391

[अनुवाद]

उच्चतर शिक्षा के लिए 'डिजिटाइजेशन' सामग्री

408. श्री सुव्रत बोस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन सामग्री को 'डिजिटाइज' करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के वित्तीय परिणाम क्या होंगे;

(ग) 'डिजिटाइजेशन' के लिए प्रासंगिक सामग्री के चयन हेतु नोडल एजेंसियां कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या इस योजना में पत्रिकाएं भी शामिल होंगी क्योंकि इसमें सावर्ती व्यय शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) उच्चतर शिक्षा संबंधी अध्ययन सामग्री का डिजलीकरण पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं में किया जाता है, तथा इस उद्देश्य हेतु कोई एक नोडल एजेंसी अथवा कोई समेकित स्कीम नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र, अहमदाबाद के साथ शोध प्रबंधों तथा शोध-निबन्धों के डिजटलीकरण और प्रस्तुतीकरण का एक प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी, मेडइंड (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा एक पहल) जैसे कई प्रकाशक, सोसाईटियां तथा अकादमियां हैं जिन्होंने जर्नलों को डिजटलीकृत किया है तथा इनको इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया है।

उम्र कैद की सजा प्राप्त व्यक्तियों की रिहाई

409. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष की सजा पूरी कर लेने पर उम्र कैद की सजा प्राप्त व्यक्तियों को रिहा करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की जेलों में पड़े उम्र कैद की सजा प्राप्त व्यक्तियों को रिहा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में 'कारागार' राज्य का विषय है। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433क कैदियों को 14 वर्ष की सजा भोगने के पश्चात् उन्हें रिहा करना अनुमत करती है।

(ग) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक माडल प्रिजन मेनुअल परिचालित किया है जिसमें यह विनिर्दिष्ट है कि उपयुक्त मामलों में कैदियों को रिहा किए जाने की संस्तुति किए जाने के लिए 'सेंटेंस रिव्यू बोर्ड' गठित किए जाएं। कैदियों की श्रेणीवार सूची में आजीवन कारावास के दोषियों की रिहाई को भी शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु सहायता में वृद्धि

410. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री जी०एम० सिद्दीश्वर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को प्रदान की जाने वाली ऐसी सहायता कब तक दी जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 1013.83 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। राज्य सरकारों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राशियां, पहले से जारी की गई राशि के संबंध में राज्यों द्वारा अनुमोदित कार्रवाई योजना और राशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। पृथक वर्ष 2007-08 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों और दिल्ली पुलिस के लिए 176.08 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कृषि उत्पादों का आयात

411. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों का आयात बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के आयात में कमी लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

मूल्य करोड़ रुपए में

2004-05	2005-06	2006-07
27612.71	20879.87	28062.94

तथापि राज्य-वार आंकड़े तैयार नहीं किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) किसी भी वस्तु का आयात घरेलू मांग – आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर होता है। तथापि सरकार ने संवदेनशील मदों के आयात की निगरानी करने के लिए एक समुचित तंत्र स्थापित किया है और उसका प्रयास यह रहता है कि विभिन्न डब्ल्यू०टी०ओ० सुसंगत उपायों का सहारा लेकर घरेलू उत्पादकों के हित की रक्षा की जाए, जिनमें कुछेक विशिष्ट परिस्थितियों में वचनबद्ध टैरिफों के भीतर लागू टैरिफों का सुनिर्धारण, पाटनरोधी तथा रक्षोपाय कार्रवाई करना तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लागू करना शामिल है।

[अनुवाद]

उत्तरपूर्व क्षेत्र में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन

412. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर पूर्व क्षेत्र के दुर्गम तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर नए कार्यक्रमों के प्रसारण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप किन-किन क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन कार्यक्रमों को आरम्भ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी निवासियों की कार्यक्रम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करने की स्कीम है। सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी दूरदर्शन केन्द्रों अर्थात् अगरतला, एजवाल, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, शिलांग, सिलचर, तुरा और पी०पी०सी०, गुवाहाटी को नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए चुना गया है। भावी निर्माताओं के लिए दिशा-निर्देश पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। इन कमीशंड कार्यक्रमों के लिए निर्माताओं का पैनल बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आकाशवाणी केन्द्रों को क्षेत्र विशेष की अनुभूत जरूरतों के आधार पर उनके अपने केन्द्रों में घरेलू कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2003 में सॉफ्टवेयर योजनागत स्कीम के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष पैकेज के अंतर्गत आकाशवाणी ने रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए कमीशंड श्रेणी के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। तथापि, वर्ष 2003 के पश्चात् इस श्रेणी के अंतर्गत कोई नए प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए हैं। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशवाणी स्टेशनों के लिए पूर्वोत्तर विशेष पैकेज

के अंतर्गत भी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आकाशवाणी केन्द्रों के नाम

अरूणाचल प्रदेश:

1. ईटानगर
2. पासीघाट
3. जिरो
4. त्वांग
5. तेजू

असम:

6. डिब्रूगढ़
7. दीफू
8. गुवाहाटी
9. हाफलांग
10. जोरहाट
11. कोकराझार
12. नावगंगा
13. सिलचर
14. तेजपुर

मणिपुर:

15. इम्फाल
16. चूड़ाचांदपुर

मेघालय:

17. जोवाई
18. शिलांग
19. नेस शिलांग
20. आर०एस०टी०आई० (टी) शिलांग
21. तुरा
22. विलियमनगर

मिजोरम:

23. एजवाल
24. लुंगलेई
25. साइहा

नागालैंड:

26. कोहिमा
27. मोकोकचुंग
28. मोन
29. त्वेनसंग

त्रिपुरा:

30. अगरतला
31. बेलोनिया
32. कैलाशहर

सिक्किम:

33. गंगटोक

मसालों का निर्यात

413. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने विभिन्न मसालों के निर्यात की संभावना पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो वस्तुवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में मसाला बोर्ड द्वारा इसके निर्यात के लिए किए जा रहे संवर्धनात्मक गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मसालों बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निर्यात आदेश प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस प्रकार के किसी मसाले का उत्पादन कर्नाटक में होता है; और

(छ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है तथा इनका कितना उत्पादन होता है तथा इसके निर्यात की क्या संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। मसाला बोर्ड ने चुनिन्दा मसालों के निर्यातों की संभावना के बारे में बाजार अध्ययन किए हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(i) ब्राण्डेड मसालों हेतु यू०एस०ए० में बाजार अध्ययन: बोर्ड ने यू०एस०ए० के खुदरा बाजारों में भारतीय मसालों के ब्राण्डेड रूप में विपणन पर अध्ययन करने के लिए मैसर्स एक्सेंशर इण्डिया प्रा०लि० को अनुबंधित किया था। उन्होंने मसाला व्यापार में अग्रणी कम्पनियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर विभिन्न बाजार प्रखण्ड अभिज्ञात किए हैं जो अमेरिका के मसाला बाजार में मौजूद हैं। भारतीय मसालों को ब्राण्ड के रूप में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बोर्ड ने "फ्लेवरिट" ब्राण्ड मसालों का पंजीकरण कराकर इन्हें कैलिफोर्निया यू०एस० में उतारा है।

(ii) खाड़ी देशों में बाजार अध्ययन – मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अरब जनसंख्या तथा मध्यपूर्व बाजारों में भारतीयों को लक्ष्य बनाते हुए जी०सी०सी० देशों में भारतीय इलायची पर एक बाजार अध्ययन किया था। उन्होंने पैकेजिंग, लेबलिंग, खाद्य सुरक्षा संबंधी जरूरतों तथा अन्य कानूनी प्रावधानों, जिनका अनुपालन संबंधित देश में किया जाता है, को अभिज्ञात किया है।

(ग) मसाला बोर्ड, मसालों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता है, जैसे:–

– हाई टेक प्रसंस्करण अपनाना

– प्रसंस्करण इकाइयों में प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया उन्नयन

– गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं/प्रक्रियाओं का उन्नयन/की स्थापना

– पैकेजिंग विकास तथा बार कोडिंग

– विदेशों में व्यावसायिक नमूनों का प्रेषण

– व्यापार संवर्धन दौरे

– विवरण पत्रों का प्रकाशन

– अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/बैठकों/संगोष्ठियों में भागीदारी

(घ) और (ङ) बोर्ड की भूमिका सुविधा प्रदाता की होने के कारण यह किसी व्यापारिक/निर्यात कार्यकलाप में सीधे भाग नहीं लेता। वित्तीय वर्ष 2007-08 के पूर्वार्द्ध में भारत से मसालों का निर्यात जिसका मूल्य 2100.34 करोड़ रुपए था, 219640 टन के स्तर पर पहुंच गया, जबकि वर्ष 2006-07 की इसी अवधि में निर्यात निष्पादन 180500 टन रहा, जिसका मूल्य 1627.52 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान उपलब्धि मात्रा के रूप में 22% तथा मूल्य के रूप में 29% अधिक थी।

(च) और (छ) कर्नाटक में उत्पादित प्रमुख मसाले इलायची (छोटी), काली मिर्च, मिर्च, अदरक, हल्दी, लहसुन, वैनीला, धनिया, इमली आदि हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कर्नाटक में उत्पादित मसालों की कुल मात्रा 636859 टन है। मिर्च, हल्दी, वैनीला, इमली, काली मिर्च तथा इलायची में निर्यात की संभावना है।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सेमेस्टर प्रणाली

414. **श्री एल० राजगोपाल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 11वीं तथा 12वीं कक्षा में सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्चतर शिक्षा में जा रहे बच्चों का प्रतिशत वर्तमान दर से कम से कम 50% बढ़े, ग्यारहवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा में सरकार का विचार देश में मौजूदा वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई व्यापक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं;

(च) यदि हां, तो क्या विभिन्न तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी०ई०टी०) के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली लाई जाएगी;

(छ) यदि हां, तो क्या राज्यों से कई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) कुछ विश्वविद्यालयों ने तो पहले से ही सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली शुरू कर दी है। उच्चतर शिक्षा में शैक्षिक सुधारों के एक भाग के रूप में 10-11 अक्तूबर, 2007 को आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन में वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया गया था। उक्त सम्मेलन में यह राय बनी थी कि शैक्षिक सुधारों को इनके औचित्य के विषय में सावधानीपूर्ण अध्ययन के पश्चात और चयनात्मक ढंग से लागू किया जाए।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठते।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

415. श्रीमती जयाबेन बी० ठक्कर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार को माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 4.67 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक बकाया राशि जारी कर दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) शिक्षकों के वेतन के भुगतान के संवितरण हेतु राज्य के 41.02 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले गुजरात सरकार को 15.02.2002 को 23.70 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। इस स्कीम के तहत जारी किए गए अधिक अनुदानों के संबंध में लंबित लेखा परीक्षा पैरा पर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की वजह से गुजरात सरकार को और अनुदान प्रदान नहीं किए जा सके।

[हिन्दी]

शैक्षणिक संस्थानों में निजी भागीदारी

416. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आई०आई०टीज तथा आई०आई०एम्स जैसे संस्थानों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आतंकवादियों का आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास

417. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वित्तपोषित आतंकवादियों का 'आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास' योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उक्त योजना के अंतर्गत आत्मसमर्पण किए गए आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी० राधिका सेल्वी) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर (जे० एंड के०) राज्य सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को जे० एंड के० में उग्रवादियों की आत्मसमर्पण और पुनर्वास की एक योजना तैयार की थी जिसे जून, 1997 में और फिर 31.1.2004 को संशोधित किया गया था। संशोधित नीति के अनुसार अभ्यर्पितों को अभ्यर्पण के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए 2,000/- रुपए प्रतिमाह की वृत्तिका दी जाती है और अभ्यर्पितों के नाम पर बैंक में सावधि जमा रसीद के रूप में 1.50 लाख रुपए की तत्काल मंजूरी दी जाती है। यह राशि अच्छे व्यवहार के अध्यधीन तीन वर्ष के अवधि पूरी होने के बाद निकाली जा सकती है। अभ्यर्पित हथियारों के लिए निर्धारित दरों के अनुसार प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इसके

अतिरिक्त, जो व्यक्ति स्व-रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें ऐसा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों के लिए अभ्यर्पण और पुनर्वास योजना तैयार की है जो उन उग्रवादियों पर लागू होती है जिन्होंने 1.4.1998 के बाद समर्पण किया है/करते हैं। यह योजना जे० एंड के० अभ्यर्पण योजना के आधार पर 1.4.2005 को संशोधित की गई है।

जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अभ्यर्पितों के पुनर्वास का व्यय, पहले राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और बाद में सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस०आर०ई०) की प्रतिपूर्ति की योजना के तहत केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में उसका दावा किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान अभ्यर्पित उग्रवादियों और केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	जम्मू और कश्मीर		पूर्वोत्तर राज्य	
	अभ्यर्पित उग्रवादियों की संख्या	प्रतिपूर्ति की गई राशि	अभ्यर्पित उग्रवादियों की संख्या	प्रतिपूर्ति की गई राशि
2005	64	0.21 करोड़ रुपए	555	3.85 करोड़ रुपए
2006	190	2.29 करोड़ रुपए	1430	6.54 करोड़ रुपए
2007 (31.10.2007 तक)	98	0.30 करोड़ रुपए	379	4.31 करोड़ रुपए

नक्सल प्रभावित कुछ राज्यों की नक्सलियों के लिए राज्य विशिष्ट अभ्यर्पण और पुनर्वास नीतियां हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। भारत सरकार की सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस०आर०ई०) की नीति के तहत 20,000 रुपए प्रति अभ्यर्पित तक, जो इस बात पर निर्भर करता है कि नक्सलियों ने हथियारों के साथ या बिना हथियारों के अभ्यर्पण किया है, के अभ्यर्पण संबंधी नीति के व्यय की प्रतिपूर्ति नक्सल प्रभावित राज्यों द्वारा की जाती है। किसी राज्य-विशिष्ट अभ्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत अभ्यर्पित नक्सलियों और पुनर्वास पर किए गए व्यय का ब्यौरा संबंधित राज्य सरकार द्वारा रखा जाता है।

[अनुवाद]

आपदा राहत कोष के अंतर्गत व्यय हेतु मापदंडों की पुनरीक्षा

418. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2005 में आपदा राहत कोष के अंतर्गत व्यय हेतु मापदंडों की पुनरीक्षा का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से विशेषज्ञ समूह के प्रतिवेदन के आधार पर संशोधन करने का अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक राज्य सरकार को इस संबंध में मंजूरी नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने 2005 में केन्द्र सरकार से आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन०सी०सी०एफ०) के अंतर्गत व्यय के मानदंडों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर मानदंडों में संशोधन किए जाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया था। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर सी०आर०एफ०/एन०सी०सी०एफ० से सहायता की मदों और मानदंडों में संशोधन किया है। संशोधित मदों और मानदंडों को 27 जून, 2007 को कर्नाटक सहित सभी राज्यों को भेजा गया था। संशोधित मदें और मानदंड: www.ndmindia.nic.in वैब साइट पर भी उपलब्ध हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् नवयुग स्कूलों का निर्माण

419. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् नवयुग स्कूलों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवयुग स्कूलों के चल रहे निर्माण कार्य लक्षित तिथि पर पूरे नहीं किए जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शैक्षिक उद्देश्य हेतु नए नवयुग स्कूलों का निर्माण कब तक किया जायेगा तथा इन्हें कब तक खोला जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) जी, हां। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने सूचित किया है कि दिल्ली इम्पीरियल जोन (डी०आई०जेड०) एरिया गोल मार्केट, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में एक नवयुग स्कूल के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए परिषद ने 6.47 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक प्राक्कलन का अनुमोदन किया था। इस विद्यालय का निर्माण 3.05 एकड़ भूखंड पर किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

1.	कक्षा कक्ष	:	36
2.	प्रशासनिक ब्लाक	:	एक
3.	ऐम्फिथिअटर	:	एक-200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता युक्त
4.	पुस्तकालय और कैंटीन	:	एक-एक
5.	विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला	:	चार
6.	ऐक्टिविटि कक्ष	:	चार
7.	क्रीडास्थल/सभागार	:	उपलब्ध

(ग) से (ङ) नवयुग स्कूल का चल रहा निर्माण कार्य निम्नलिखित कारणों से निर्धारित तारीख तक पूरा नहीं हो पाया:-

i. स्थल खाली कराने के लिए डाक-तार कर्मचारियों के मौजूदा क्वार्टरों को खाली कराना एवं गिराना पड़ा।

ii भवन के संरेखन में आने वाले पेड़ों को अन्तरित एवं प्रतिरोपित कराना पड़ा।

iii लगभग सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में फैली भारी मात्रा में चट्टानों की खुदाई करनी पड़ी।

iv कुछ मदों के विनिर्देशन में परिवर्तन के निर्णय के अनुसरण में दो प्रयोगशालाओं अर्थात् जीव विज्ञान प्रयोगशाला और रसायन प्रयोगशाला को भूतल पर अन्तरित किया गया।

तथापि, अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शैक्षिक क्रिया-कलाप तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। भवन के कुछ भाग तथा क्रीडाक्षेत्र को अंतिम रूप दिए जाने का कार्य चल रहा है। शेष भाग शिक्षा विभाग को संभवत: शीघ्र ही सौंप दिया जाएगा।

कर्नाटक में दूरदर्शन तथा एफ०एम० स्टूडियो

420. श्री वी० करुणाकर रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सहित देश में राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने दूरदर्शन/आकाशवाणी स्टूडियो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए दूरदर्शन स्टूडियो, आकाशवाणी तथा एफ०एम० स्टेशन स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तथा राज्य वार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नए दूरदर्शन स्टूडियो, आकाशवाणी केन्द्र और एफ०एम० स्टेशन स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन स्टूडियो केंद्र और आकाशवाणी केंद्रों की सूची

क्र० सं०	राज्य	दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की संख्या	आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3	12

1	2	3	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	5
3.	असम	4	10
4.	बिहार	2	6
5.	छत्तीसगढ़	2	6
6.	गोवा	1	1
7.	गुजरात	2	8
8.	हरियाणा	1	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1	6
10.	जम्मू-कश्मीर	4	15
11.	झारखंड	2	5
12.	कर्नाटक	2	14
13.	केरल	3	8
14.	मध्य प्रदेश	3	16
15.	महाराष्ट्र	3	20
16.	मणिपुर	1	1
17.	मेघालय	2	5
18.	मिजोरम	1	3
19.	नागालैंड	1	4
20.	उड़ीसा	3	12
21.	पंजाब	2	3
22.	राजस्थान	1	17
23.	सिक्किम	1	1
24.	तमिलनाडु	3	11
25.	त्रिपुरा	1	3
26.	उत्तर प्रदेश	7	14
27.	उत्तराखंड	1	6
28.	पश्चिम बंगाल	3	7
	संघ राज्य क्षेत्र		
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1
30.	चंडीगढ़	1	1
31.	दिल्ली	2	1
32.	दमन और दीव	—	1
33.	दादर और नागर हवेली	—	—
34.	लक्षद्वीप	—	1
35.	पांडिचेरी	1	2

पाकिस्तान के साथ व्यापार

421. श्री नवीन जिन्दल :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के साथ व्यापार में की गई पहल में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापार हेतु वस्तुओं की किसी सूची का आदान-प्रदान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या नियंत्रण रेखा के पार व्यापार हेतु वार्ता शुरू करने की किसी तिथि को अंतिम रूप दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) मई 2006 में नई दिल्ली में नियंत्रण रेखा के पार व्यापार हेतु आयोजित भारत-पाकिस्तान तकनीकी स्तर की वार्ता के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने निम्नलिखित पहलें की हैं।

(i) नियंत्रण रेखा के पार व्यापार की जाने वाली मदों की सूची का आदान-प्रदान किया गया;

(ii) शुरूआत में, नियंत्रण रेखा के पार व्यापार किए जाने हेतु भारत ने 14 मदों की सूची प्रस्तुत की जबकि पाकिस्तान की सूची में 15 मदें शामिल थीं।

(iii) भारत ने यह निर्णय लिया है कि यदि नियंत्रण रेखा के पार व्यापार किए जाने हेतु मदों की प्रस्तावित सूची साफ्टा के तहत भारत की संवेदनशील सूची के अंतर्गत आती है तो उसे नियंत्रण रेखा के पार व्यापार हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

(iv) पाकिस्तान ने अब 15 मदों की अपनी सूची में संशोधन किया है जिसमें एक मद जोड़ी गई है तथा 4 मदें हटाई गयी हैं।

(v) नियंत्रण रेखा के पार व्यापार के बारे में निर्णय लेने हेतु दोनों पक्ष शीघ्र ही तकनीकी स्तर पर होने वाली अगली भारत-पाकिस्तान वार्ता के दौरान बैठक करेंगे।

विकास केन्द्र

422. **डा० धीरेंद्र अग्रवाल** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विकास केंद्रों का झारखण्ड सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन केन्द्रों की उपलब्धियों का झारखंड सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अपनी सभी केन्द्रीय अवसंरचना योजनाओं की सुपुर्दगी प्रणाली को त्वरित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के तहत, पूरे देश में 71 विकास केन्द्र मंजूर किए गए थे। सभी 71 विकास केन्द्रों के स्थल-वार, राज्य-वार ब्यौरों का विवरण, जिनमें झारखंड भी शामिल है और साथ ही उनके द्वारा अधिग्रहीत भूमि प्लाट/विकसित शेडों आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। प्रगति न होन के कारण हजारीबाग स्थित विकास केन्द्र को 'सफल नहीं, के रूप में वर्गीकृत किया गया है; अत: इस विकास केन्द्र को छोड़ देने का फैसला किया गया है।

योजना आयोग द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने योजना आयोग के परामर्श से विकास केन्द्र योजना को बंद कर देने का फैसला किया है क्योंकि यह बड़ी सीमा तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने मे विफल रही है। 'सफल नहीं' पाए गए विकास केन्द्रों को (जिनकी संख्या 15 है) छोड़ दिया गया है और इन केन्द्रों को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाएगी। लेकिन, ऐसे विकास केन्द्र (जिनकी संख्या 42 है) जिन्हें आंशिक तौर पर, औसतन या अत्यधिक सफल पाया गया है तथा पूर्वोत्तर के राज्यों और विशेष श्रेणी राज्यों, नामत: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित विकास केन्द्रों (जिनकी संख्या 14 है) को 31 मार्च, 2009 तक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित राज्य सरकारों से इन विकास केन्द्रों को मार्च, 2009 तक चालू करने को कहा गया है। सरकार द्वारा बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए समस्त योजनाओं की निरंतर मानीटरिंग की जाती है, जिनमें केन्द्रीय अवसंरचनात्मक सुविधा योजनाएं भी शामिल हैं।

विवरण

क्र० छवण	राज्य, विकास केन्द्र/ जिले का नाम	अधिग्रहित भूमि	विकसित किये किये गये प्लॉट/शेड	आवंटित प्लॉट/शेड	स्थापित इकाइयों की संख्या	एकक द्वारा निवेश की गई पूंजी (लाख रुपयें में)	सृजित किये गये रोजगार
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1.	हिन्दूपुर (अनन्तपुर)	712.52 एकड़	248/12	168/10	47	1570.08	938

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	जेडचरेला (मेहबूबनगर)	308.46 एकड़	—	—	—	—	—
3.	बोबिली (विजयनगरम)	1239.33 एकड़	388/0	43/0	3	38.20	22
4.	अंगोले (प्रकासम)	1330.00 एकड़	615/0	326/0	55	4850.00	825
	अरुणाचल प्रदेश						
5.	निकलांग नगोरलंग (पूर्वी सियांग)	582.15 बीघा	—	—	—	—	—
	असम						
6.	मटिया (गोलपाड़ा)	1672 बीघा	—	—	—	—	—
7.	चारिद्वार (सोनितपुर)	1500 बीघा	—	—	—	—	—
8.	छयागांव-पटगांव (कामरूप)	400 बीघा	33/0	21/0	—	—	—
	बिहार						
9.	बेगुसराय (बेगुसराय)	392.141 एकड़	—	—	—	—	—
10.	भागलपुर (भागलपुर)	424.25 एकड़	—	—	—	—	—
11.	छपरा (छपरा)	—	—	—	—	—	—
12.	दरभंगा (दरभंगा)	—	—	—	—	—	—
13.	मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर)	—	—	—	—	—	—
	छत्तीसगढ़						
14.	बोराई (दुर्ग)	436.84 हेक्टेयर	192.43 हेक्टेयर/35	125.83 हेक्टेयर 32 हेक्टेयर	46	17247.00	1660
15.	सिलतारा (रायपुर)	1290.825 हेक्टेयर	872.81 हेक्टेयर/10	786.41 हेक्टेयर/9	53	71759.00	2883
	गोवा						
16.	इलेक्ट्रानिक सिटी (वर्ना प्लेटयू)	3351309 वर्ग०मी०	671/0	534/0	86	31931.22	8293
	गुजरात						
17.	गांधीधाम (कच्छ)	131 हेक्टयर	234/0	234/0-	6	15000.00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	पालनपुर (बनासकांठा)	75 हेक्टेयर	136/0	–	–	–	–
19.	वागरा (भरूच)	300 हेक्टेयर	353/0	–	–	–	–
	हरियाणा						
20.	वावल (रेवाड़ी)	1225 एकड़	585/0	516/0	64	1500.00	7000
21.	साह (अम्बाला)	337 एकड़	582/0	203/0	31	0.00	100
	हिमाचल प्रदेश						
22.	कांगड़ा (कांगड़ा)	223-44-21 हेक्टेयर	382/30	193/29	64	2017.62	622
	जम्मू-कश्मीर						
23.	लस्सीपोरा (पुलवामा)	5233 कनाल	200/0	26/0	5	1592.17	–
24.	साम्बा (जम्मू)	3017 कनाल	185/32	185/32	42	76903.21	1557
	झारखण्ड						
25.	हजारीबाग (हजारीबाग)	525.34 एकड़	–	–	–	–	–
	कर्नाटक						
26.	धारवाड़ (धारवाड़)	2205 एकड़	2205 एकड़/0	2205 एकड़	225	30693.97	6075
27.	रायचूर (रायचूर)	1999.17 एकड़	430 एकड़/0	226.87 एकड़/0	17	65362.07	1983
28.	हसन (हसन)	1825 एकड़	1825 एकड़/0	324.20 एकड़/0	133	8598.04	1920
	केरल						
29.	कन्नूर कोजिकोड़ (कन्नूर कोजिकोड़)	572 एकड	7 प्लाट/ 100 एकड़	7/30 एकड़	5	1933.00	345
30.	अलपुज्झा – मालापुरम (अलपुज्झा मालापुरम)	536.798 एकड़	110/0	10/0	4	5076.00	300
	मध्य प्रदेश						
31.	चैनपुरा (गुना)	334.581 हेक्टेयर	334.581 एकड़ विकसित	153.727 हेक्टेयर/0		1057.00	1265

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	घिरोंगी (झिन्झ्)	716 हेक्टेयर	441.032 हेक्टेयर/0	143.987 हेक्टेयर/0	42	121778.25	7296
33.	खेड़ा (धार)	182.20 हेक्टेयर	21/0	21/0	5	85328.00	1438
34.	सतलापुर (रायसेन)	321.188 हेक्टेयर	103/0	12/0	—	15000.00	—
	महाराष्ट्र						
35.	अकोला (अकोला)	625.05 हेक्टेयर	519/0	508/0	81	9277.00	783
36.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)	723.49 हेक्टेयर	102/0	49/0	2	1357.00	38
37.	धूले (धूले)	707 हेक्टेयर	60/0	3/0	—	—	—
38.	नानदेड़ (नानदेड़)	645.81 हेक्टेयर	236/0	54/0	1	486.02	52
39.	रत्नागिरि (रत्नागिरि)	—	—	—	—	—	—
	मणिपुर						
40.	लामलेई-नाफेट (इम्फाल)	—	—	—	—	—	—
	मेघालय						
41.	मेंदीपथर (ईस्ट गारो हिल्स)	36 हेक्टेयर	—	—	—	—	—
	मिजोरम						
42.	लोंगमाल (एजल)	311 एकड़	50/0	—	—	—	—
	नागालैण्ड						
43.	गणेशनगर (कोहिमा)	1000 एकड़	170 एकड़/ 23	9 शेड	1	200.00	—
	उड़ीसा						
44.	छतरपुर (गंजम)	—	—	—	—	—	—
45.	कलिंगनगर — डुबुरी (कटक)	1500.00 एकड़	250 एकड़	250 एकड़	3	24500.00	1048
46.	झारसुगुड़ा (झारसुगुड़ा)	367.23 एकड़	3/0	3/0	3	10162.00	926
47.	केसिंगा (कालाहांडी)	803.53 एकड़	19/0	19/-	8	17000.00	377
	पांडिचेरी						
48.	पोलागाम — करायकल (करायकल)	595.41 एकड़	74/0	15/0	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	पंजाब						
49.	भटिण्डा (भटिन्डा)	389.79 एकड़	401/26	183/0	–	–	–
50.	पाठनकोट (गुरदासपुर)	409.86 एकड़	432/5	196/0	–	–	–
	राजस्थान						
51.	आबू रोड़ (सिरोही)	914.00 एकड़	297/0	53/0	27	1000.00	300
52.	भीलवाड़ा (भीलवाडा)	2035 एकड़	197/0	1970-	50	3430.00	850
53.	खाड़ा (बीकानेर)	834.91 एकड़	938/0	884/0	96	1048.00	870
54.	धौलपुर (धौलपुर)	605 एकड़	668/0	570/0	72	1645.00	282
55.	झालावाड़ (झालावाड)	549.89 एकड़	306/0	255/0	119	1043.00	543
	सिक्किम						
56.	सालधारी-सामलिक मार्चक	25 एकड़	–	–	–	–	–
	तमिलनाडु						
57.	इरोड़ (चेरिवार)	2470.19 एकड़	1300 एकड़	667.82 एकड़	55	103850.00	6400
58.	ओरागादम (कांचिपुरम)	1507.34 एकड़	4/0	4/0	–	–	–
59.	तिरूनेलवेली गंगे कोनडान (तिरूनेलवेली-कट्टाबोम्मन)	2014.360 एकड़	6/0	6/0	6	806.00	237
	त्रिपुरा						
60.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा-पश्चिमी)	242 एकड़	132.72/12	22/5	9	4315.34	418
	उत्तरांचल						
61.	सिगड्डी (पौडी गढ़वाल)	5 एकड़	125/0	54/0	–	–	–
	उत्तर प्रदेश						
62.	बिजौली (झांसी)	385.04 एकड़	442/0	482/0	8	3480.00	100
63.	जमौर (शाहजहांपुर)	302 एकड़	3410	72/0	7	5200.00	635
64.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)	419.34 एकड़	158/1	43/0	2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	डिबियापुर (औरेया)	331.58	–	–	–	–	–
66.	जैनपुर (कानपुर देहात)	331.07 एकड़	1809/0	1700/0	–	1305.00	–
67.	सथारिया (जौनपुर)	508.45 एकड़	465/0	337/0	86	3954.50	1402
68.	शहज़नवा (गोरखपुर)	525.27 एकड़	1298/30	999/25	89	5065.55	1941
	पश्चिम बंगाल						
69.	बोलपुर (बीरभूम)	191 एकड़	भूमि विकास का प्रमुख भाग	–	–	–	–
70.	जलपाई गुडी (जलपाईगुडी)	105 एकड़	98/0	–	–	–	–
71.	मालदा (मालदा)	253 एकड़	146 एकड़	146 एकड़/0	20	5877.21	520

[हिन्दी]

एफ०एम० रेडियो स्टेशन

423. श्री संतोष गंगवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी एफ०एम० रेडियो के लाइसेंस धारकों द्वारा उनके लिए जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक प्रसारणकर्त्तावार तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार एफ०एम० रेडियो लाइसेंस नीति में परिवर्तन करके उन्हें समाचार प्रसारण की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार एफ०एम० रेडियो पर प्रसारण की निपरानी हेतु किसी अभिकरण की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) दिनांक 6.10.2006 को प्रसार भारती से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें इस मंत्रालय को सूचित किया गया था कि कतिपय निजी एफ०एम० चैनल समाचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। तत्पश्चात्, इस मामले की जांच कराई गई और दो चैनलों नामत: मैसर्स इंटरटेंमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड (रेडियो मिर्ची) और मैसर्स रेडियो मिड-डे (वेस्ट) इंडिया लिमिटेड (रेडियो वन) जिनके संबंध में इस मंत्रालय को विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई थीं, के कार्यक्रमों की सी०डी० रिकार्डिंग के सत्यापन के पश्चात यह पाया गया कि उपर्युक्त दोनों चैनल समाचार एवं समसामयिक विषयक कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रसारण कर रहे हैं। दोनों कंपनियों को चेतावनी दे गई है और उन्हें समाचार एवं समसामयिक विषयक कार्यक्रमों का प्रसारण न करने की सलाह दी गई है। सभी निजी एफ०एम० प्रसारकों को सलाह देते हुए दिनांक 31.8.2007 को एक प्रेस नोट भी जारी किया गया जिसमें उन्हें समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रसारण पर प्रतिबंध संबंधी विशिष्ट खंड की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कोई भी ऐसे कार्यकलाप करने से रोका गया जिनमें एफ०एम० लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन हो रहा हो। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान इस संबंध में कोई अन्य विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) एफ०एम० रेडियो नीति में परिवर्तन करके समाचारों के प्रसारण की अनुमति देने के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) और (छ) इस समय, इस मंत्रालय के एक स्वायत्तशासी निगम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड, बेसिल को एफ०एम० रेडियो पर प्रसारण की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसारण विधेयक, 2007 के मसौदे पर इस समय स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जा रहा है जिसमें अन्य के साथ-साथ भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना करने का प्रस्ताव है जोकि रेडियो प्रसारण सेवाओं को भी विनियमित करेगा।

[अनुवाद]

प्रमुख खनिजों का निर्यात

424. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विद्यमान मांग और आपूर्ति की स्थिति के मद्देनजर प्रमुख खनिजों के निर्यात को विनियमित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख खनिजों का कितना निर्यात किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस्पात, विद्युत, सीमेंट इत्यादि जैसे रक्षित उद्योगों की घरेलू खपत की मांग के मद्देनजर प्रमुख खनिजों के निर्यात को सीमित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) सरकार लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क जैसे प्रमुख खनिजों के निर्यात को विनियमित करती है।

(ख) सरकार इन खनिजों के निर्यात को मात्रात्मक एवं गुणवत्तात्मक प्रतिबंध लगाकर विनियमित करती है। लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क के निर्यात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(मात्रा मिलियन टन)

वस्तु	2004-05	2005-06 (अनंतिम)	2006-07 (अनंतिम)
लौह अयस्क	78.14	89.27	93.79
मैंगनीज अयस्क	0.33	0.23	0.17
क्रोम अयस्क	0.44	0.46	0.39

स्रोत: एम०एम०टी०सी० लिमिटेड

(ग) और (घ) इन खनिजों का निर्यात घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद किया जाता है। इन खनिजों हेतु निर्यात नीति की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है।

विषय के रूप में देशभक्ति और मानव मूल्य

425. **श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशभक्ति की घटती भावना के मद्देनजर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में देशभक्ति तथा मानव मूल्यों को विषय के रूप में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में देशभक्ति तथा मानव मूल्यों को एक अलग विषय के रूप में शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में सभी विषयों में देशभक्ति तथा मानव मूल्यों से संबंधित घटकों को समेकित रूप से शामिल किया गया है न कि एक अलग विषय के रूप में।

कलाकृतियों का निर्यात

426. **श्री रेवती रमन सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका जैसे अन्य देशों में भारतीय कलाकृतियों के प्रति अप्रवासी भारतीयों में अचानक रूचि बढ़ी है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कलाकृतियों के निर्यात का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) भारतीय कलाकृतियों ने विदेशी क्रेताओं को हमेशा आकर्षित किया है। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान यू०एस०ए० को इन मदों का निर्यात क्रमशः 758.75 करोड़ रुपए तथा 549.60 करोड़ रुपए मूल्य का हुआ है।

(ख) 2006-07 के दौरान कलाकृतियों, संग्रहीत दुर्लभ वस्तुओं तथा पुरा-वस्तुओं का निर्यात 1951.71 करोड़ रुपए का रहा है।

व्यावसायिक शिक्षण संस्थान

427. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी संस्थानों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निष्पक्ष दाखिले तथा अध्ययन पर व्यय के संदर्भ में निजी प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण हेतु विनियामक प्राधिकरण का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्रमश: 5192 और 2028 व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। सरकारी सहायता प्राप्त और निजी संस्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) दाखिले और शुल्क से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ क्षेत्र	डिग्री*		डिप्लोमा	
		सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या	निजी संस्थाओं की संख्या	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या	निजी संस्थाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय	मध्य प्रदेश	36	280	59	39
	छत्तीसगढ़	13	31	16	10
	गुजरात	36	153	42	49
पूर्व	मिजोरम	1	0	4	0
	सिक्किम	0	3	3	1
	उड़ीसा	23	121	21	38
	पश्चिम बंगाल	41	86	54	17
	त्रिपुरा	6	0	4	0
	मेघालय	0	2	3	0
	अरूणाचल प्रदेश	1	0	3	1
	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	3	0
	असम	13	4	15	0

1	2	3	4	5	6
	मणिपुर	2	0	4	0
	नागालैण्ड	2	1	4	0
	झारखण्ड	11	12	15	8
उत्तर	बिहार	18	14	14	8
	उत्तर प्रदेश	64	436	96	17
	उत्तरांचल	18	45	42	9
उत्तर-पश्चिम	चंडीगढ़	9	0	3	1
	हरियाणा	20	130	26	52
	जम्मू-कश्मीर	13	6	8	7
	नई दिल्ली	19	58	12	8
	पंजाब	23	134	22	68
	राजस्थान	20	166	28	40
	हिमाचल प्रदेश	6	15	7	4
दक्षिण	आन्ध्र प्रदेश	53	1021	91	83
	पाण्डिचेरी	6	10	7	0
	तमिलनाडु	46	669	62	239
दक्षिण-पश्चिमी	कर्नाटक	41	381	70	108
	केरल	61	133	55	4
पश्चिम	महाराष्ट्र	147	522	91	319
	गोवा	6	4	10	2
	दमन और द्वीव	0	0	0	2
	कुल	755	4437	894	1134

*इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, एच०एम०सी०टी०, वस्तुकला में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री स्तर की संस्थाएं तथा प्रबंध और कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिग्री की संस्थाएं शामिल है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना

428. श्री मिलिन्द देवरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (ई०डी०सी०आई०एल०) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में अमरीकी विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे०एन०यू०) की तर्ज पर अगले पांच वर्षों में बनने वाले 16 प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का पक्ष लिया है;

(ख) यदि हां, तो उच्च शिक्षा में इस पुर्नगठन की क्या आवश्यकता है और इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी;

(ग) क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली अमरीकी शिक्षा प्रणाली से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) देश में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक 16 राज्यों में, जहां कोई भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में एजुकेशनल कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड ने एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक मॉडल परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इसमें एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक विस्तृत कार्यढांचा और विकास योजना की व्यवस्था की जिन्हें सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं और शैक्षिक लक्ष्य के आधार पर आवश्यक संशोधन करके सभी नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया जा सकता हैं। यह परियोजना रिपोर्ट किसी भी विदेशी संस्था की नकल करने का प्रचार नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा विस्तृत रूप से ब्रिटिश तरह की संस्थाओं के आधार पर विकसित की गई है।

सड़क दुर्घटनाओं पर उच्च स्तरीय बैठक

429. श्री रघुनाथ झा :
डा० सत्यव्रत मिश्रा :
श्री जे०एम० आरून रशीद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लू लाइन बसों और अन्य वाहनों द्वारा लगातार की जा रही सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में ब्लू लाइन बसें बाईं तरफ से ओवरटेक करती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या बाईं तरफ से ओवरटेक करना मोटर वाहन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी ब्लू लाइन बसों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है;

(च) क्या सरकार का अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों पर कड़ा जुर्माना किया जा सके और उन्हें सजा दी जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) से (छ) आम तौर पर सड़क दुर्घटनाओं में और विशेष रूप से ब्ल्यू लाइन बसों द्वारा की गई दुर्घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर बैठकें की गई हैं। दिल्ली पुलिस को अनुदेश किया गया है कि वह सड़कों पर सख्ती से अनुशासन लागू करे। गलत ढंग से आगे निकलने, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए वर्ष 2005, 2006 और 2007 (31.10.2007 तक) के दौरान जिन ब्ल्यू लाइन बसों पर मुकदमा चलाया गया उनके आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	अभियोजनों की संख्या
2005	5264
2006	4302
2007 (31.10.2007 तक)	2412

जहां तक ब्ल्यू लाइन बसों का बाईं तरफ से आगे निकलने का संबंध है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सी०डब्ल्यू०पी० सं० 13029/85-एम०सी० मेहता बनाम यू०ओ०आई० और अन्यों में दिनांक 20.11.1997 के अपने निदेश में आदेश दिया था कि "हमारी राय में अधिनियम की योजना, वाहन का इस्तेमाल आवश्यक रूप से इस ढंग से करने के लिए बाध्य करती है जिससे जनता की सुरक्षा को

कोई खतरा न हो। अत: उल्लिखित प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिवहन वाहनों को चार पहिए वाले अन्य मोटर चालित वाहनों से आगे निकलने की अनुमति न दी जाए।" उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर दिल्ली की ब्ल्यू लाइन बसों सहित परिवहन वाहनों को चार पहिए वाले अन्य मोटर चालित वाहनों से आगे निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

छात्र संघों का चुनाव

430. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के छात्र संघों के चुनाव के लिए लिंग्दोह समिति की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालय ने इन सिफारिशों को लागू करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है और क्या माननीय न्यायालय ने विश्वविद्यालयों के नाम जानने की भी इच्छा व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू सत्र के दौरान विश्वविद्यालय में चुनाव हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (च) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने 2004 की एस०एल०पी० (सी) सं० 24295 और 24296-24299 में दिनांक 22.9.2006 के अपने आदेश में भारत से सभी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में लिंग्दोह समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने का निदेश दिया है। इसने "संरचनाबद्ध चुनाव मॉडल" में परिवर्तन के लिए कार्यान्वयन के शुरूआत की तिथि से पांच वर्षों का समय निर्धारित किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को इस मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया है। उच्च शैक्षिक संस्थाओं में चुनाव कराने से संबंधित कोई आंकड़े केन्द्र से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की छात्रवृत्ति

431. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति देने की कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) वित्त मंत्री ने दिनांक 28.02.2007 को अपने बजट भाषण में कक्षा-IX से XII में अध्यन करने वाले विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय-साधन-व-योग्यता आधारित छात्रवृत्ति स्कीम की घोषणा की है जिसमें प्रतिवर्ष एक लाख विद्यार्थियों के लिए प्रति छात्र प्रतिवर्ष 6000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

सुनामी राहत कोष

432. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन, कृषि और मत्स्य पालन जो अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह के लोगों की आय के मुख्य स्रोत हैं, पर सुनामी के प्रभाव का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विकासात्मक कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का है ताकि उक्त द्वीप समूहों के निवासियों की आय में वृद्धि की जा सके; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि की आवश्यकता है और कितनी राशि आवंटित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां।

(ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों में हुई क्षति का ब्योरा नीचे दिया गया है:

पर्यटन

कुछ पर्यटक आवास, होटल, वाहन और नावें क्षतिग्रस्त हुई और क्षति का आकलन 36.23 लाख रुपए किया गया था।

मीन उद्योग

मछली पकड़ने की 1703 नावें आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त/नष्ट हुई। तीन यंत्रीकृत नावें क्षतिग्रस्त हुई। 894 फिशिंग गियर नष्ट हो गए। 448 मछली पालकों के मछली पालन तालाबों से मछली की क्षति हुई। 117 मछली विक्रेताओं के मछली संबंधी उपकरण नष्ट हुए। मीन उद्योग संबंधी परियोजनाओं और तीन क्रेब/लॉबस्टर फैटनिंग यूनिटें क्षतिग्रस्त हुई।

कृषि

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कृषि के अंतर्गत आने वाली 50,000 हेक्टेयर भूमि में से 8069 हेक्टेयर भूमि का आकलन सुनामी द्वारा की गई क्षति के लिए किया गया है जिसमें से, धान पैदा करने वाली 2178 हैक्टैयर भूमि है और पौधरोपण फसलों की 5891 है, भूमि है। क्षतिग्रस्त हुई भूमि में से 4200 हेक्टे० भूमि स्थायी रूप से जलमग्न हो गई। सुनामी के कारण लगभग 6324 कृषक प्रभावित हुए।

(ग) जी, हां।

(घ) इस प्रयोजन के लिए 432.15 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन

433. **श्री नरहरि महतो :**
श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :
श्री अजीत जोगी :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रतिशत छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अधिकतम छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कुल कितने नए विश्वविद्यालय खोले गए और उन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का वर्ष 2007-08 के दौरान देश, विशेषकर पश्चिम बंगाल में कोई नया विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस समय उच्चतर शिक्षा में प्रासंगिक आयु समूह में सकल नामांकन अनुपात लगभग 10% है। अधिकाधिक विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों की स्थापना, मौजूदा संस्थानों का विस्तार करके छात्रों के दाखिले में वृद्धि और उच्चतर शिक्षा संबंधी मुक्त एवं पारंपरिक पद्धति के सम्मिश्रण जैसे उपायों के जरिए उच्चतर शिक्षा की सुलभता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है:—

क्र० सं०	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	असम	—	—	1
2.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	2
3.	बिहार	1	—	1
4.	छत्तीसगढ़	—	3	—
5.	गुजरात	2	1	4
6.	हरियाणा	—	—	1
7.	जम्मू और कश्मीर	2	—	1
8.	कर्नाटक	1	1	—
9.	महाराष्ट्र	1	—	—
10.	मेघालय	—	—	1
11.	नागालैण्ड	—	—	1

1	2	3	4	5
12.	उड़ीसा	—	—	1
13.	पंजाब	—	—	3
14.	राजस्थान	—	—	1
15.	सिक्किम	—	—	1
16.	तमिलनाडु	1	—	3
17.	त्रिपुरा	—	—	1
18.	उत्तर प्रदेश	4	—	1
19.	उत्तराखण्ड	1	1	3
20.	पश्चिम बंगाल	3	—	—
	कुल	16	6	26

राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना पर केन्द्र सरकार किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं करती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत इस अवधि के दौरान उन राज्यों में जहां एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय मौजूद नहीं है, 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 14 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इनका ब्यौरा अभी तय किया जाना है।

[हिन्दी]

निजी पट्टाधारकों द्वारा लौह-अयस्क का निर्यात

434. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी पट्टाधारकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले लौह-अयस्क का निर्यात किया जा रहा है और एक टन लौह अयस्क निकालने में 250/- से 300/- रुपये की लागत आती है जबकि इसे 3000/- रुपये प्रति टन की दर से निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक देश में कितनी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन किया गया और उसकी कितनी मात्रा में खपत की गई;

(घ) क्या लौह-अयस्क का आयात भी किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा 31 मार्च, 2007 तक निजी कंपनियों/व्यक्तियों को कितनी लौह-अयस्क खान आवंटित की गई और इन निजी खान धारकों द्वारा 1 अप्रैल, 2003 से 31 जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान कितनी मात्रा में लौह-अयस्क का निर्यात किया गया; और

(छ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बरामी रेड्डी) : (क) और (ख) लौह अयस्क का निर्यात वाणिज्य विभाग द्वारा घोषित निर्यात-आयात नीति द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 में लौह अयस्क के उत्पादन की खान पर औसत लागत, परिवहन लागतों तथा उत्पादित अयस्क पर लगाये गये दूसरे करों के अलावा, 524 रु० थी। वाणिज्य विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लौह अयस्क का बिक्री मूल्य लगभग 3000 रु० प्रति टन है।

(ग) 2004-05 से 2006-07 तक देश में लौह अयस्क का कुल उत्पादन और खपत नीचे दी गई है:—

(मिलियन टन में)

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
उत्पादन	145.94	165.23	180.61 (अनंतिम)
खपत	57.84	63.43 (अनंतिम)	72.00 (अनुमानित)

(घ) और (ङ) देश में वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान लौह अयस्क के आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(टन)

वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
आयात	485000	611000	484000

(च) और (छ) लौह अयस्क के लिए खनिज रियायत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा संसूचित किए गए पूर्व अनुमोदन

का ब्यौरा खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://mines.nic.in) पर उपलब्ध हैं। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निर्यात के लिए निजी खान मालिकों द्वारा 1.4.2003 से 31.1.2007 तक किए गए लौह अयस्क के राज्य-वार पारेषण नीचे दिए गए हैं:–

(टन में)

राज्य	निर्यात (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	9407554
छत्तीसगढ़	4213
गोवा	85451088
झारखण्ड	1361460
कर्नाटक	46270341
महाराष्ट्र	1221704
उड़ीसा	31490519
कुल	175026879

नक्सली गतिविधियां

435. श्री पंकज चौधरी :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री ब्रजेश पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह माह के दौरान देश में विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो नक्सली हमलों के कारण हुई जान और माल की हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में नक्सली गतिविधियां बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) खुफिया प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा मानवीय तरीके से नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) वर्ष 2007 में 31.10.2007 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 2006 की इसी अवधि में 1285 घटनाओं और 610 हताहतों की तुलना में कुल 1285 घटनाएं और 571 हताहत हुए।

वर्ष 2007 में 31.10.2007 तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 2006 की इसी अवधि में इन राज्यों में 1035 घटनाओं और 507 हताहतों की तुलना में 983 घटनाएं और 467 हताहत हुए।

सम्पत्ति को हुई हानि के संबंध में नक्सलवादी कुछ विशेष प्रकार के सरकारी भवनों और सड़क तथा रेल परिवहन से संबंधित आधारभूत ढांचे और कुछ मामलों में विद्युत ट्रांसमिशन सुविधाओं को लक्ष्य बनाते रहे हैं।

राज्य सरकारें नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है जिसमें केन्द्र सरकार विभिन्न उपायों के जरिए उनके प्रयासों और संसाधनों में मदद करती है, जिसमें शामिल हैं; राज्य पुलिस बलों की सहायता के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के जरिए राज्य पुलिस और आसूचना एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण करना, सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की क्षतिपूर्ति करना, राज्य पुलिस बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, विकासात्मक कार्यों में अंतर-राज्य समन्वय और सहयोग लाना।

[अनुवाद]

टी०वी० सिगनल चोरी पर वैश्विक समझौता

436. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टी०वी० सिगनल चोरी के बारे में किसी वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पायरेसी और प्रचालकों द्वारा आय अर्जन की न्यून घोषणा करने के कारण मनोरंजन चैनलों द्वारा सृजित राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इसके बाद ऐसी सिगनल चोरी को किस सीमा तक रोके जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) कानून के अनुसार सिगनलों की चोरी को रोकने के लिए पीड़ित प्रसारक द्वारा कार्रवाई शुरू की जानी है।

एन०यू०ई०पी०ए० द्वारा सर्वेक्षण

437. श्री एम०पी० वीरेन्द्र कुमार :
श्री ए० साई प्रताप :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 32,000 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है जैसा कि नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एन०यू०ई०पी०ए०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों तथा अध्यापकों की संख्या का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो एन०यू०ई०पी०ए० द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय देश के सभी जिलों से जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली के जरिए प्रारंभिक स्कूल सांख्यिकी का संग्रह वार्षिक रूप से करता है।

प्रारंभिक शिक्षा स्तर के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 2005-06 के जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के आधार पर लगभग 32,000 स्कूलों को बिना नामांकन का दर्शाया गया, क्योंकि मुख्य रूप से सूचीबद्ध निजी स्कूलों में से कई ने नामांकन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं और कुछ स्कूलों का नाम सूची में दो बार आ गया है। राज्यों को इन आंकड़ों की अभिपुष्टि करने की सलाह दी गई है।

जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों से पता चला है कि पेयजल, शौचालय आदि जैसी स्कूली सुविधाओं में पिछले वर्षों में सुधार हुआ है। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि छात्र-शिक्षक अनुपात, नामांकन, उत्तीर्ण होने के दर तथा लैंगिक समानता सूचकांक में भी सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

नई केबल दरें

438. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष गंगवार :
श्री एल० राजगोपाल :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केबल ऑपरेटरों द्वारा उपभोक्ताओं से ली जा रही अत्यधिक कीमत और प्रसारण की घटिया गुणवत्ता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने विभिन्न श्रेणियों के शहरों के लिए नई केबल दरें निर्धारित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई केबल दरें कब तक लागू किए जाने की संभावना है और 'सब्सक्राइबरों' के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या ट्राई ने गैर-कैस क्षेत्रों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) गैर-कैस क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किए गए बाज़ार के सर्वेक्षण के अनुसार औसत मासिक केबल प्रभार 149/-रुपये से 322/- रुपये तक है।

(ग) से (ङ) केबल टी०वी० उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ट्राई ने दिनांक 04.10.2007 को प्रशुल्क संशोधन आदेश जारी किया है जिसमें देश के विभिन्न भागों में सशुल्क चैनलों की संख्या के आधार पर केबल प्रभार की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। गैर-कैस क्षेत्रों के लिए प्रशुल्क आदेश दिनांक 01.12.2007 से लागू होगा। प्रभारों की उच्चतम सीमा दर्शाने वाला एक सारिणीबद्ध ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई के कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए ट्राई द्वारा एक प्रशुल्क आदेश दिनांक 31.08.2006 को पहले ही जारी कर दिया गया है। इस प्रशुल्क आदेश में हर माह प्रति सशुल्क चैनल 5/-रुपये की उच्चतम सीमा और कम से कम 30 फ्री-टु-एयर चैनलों के लिए हर माह 77/-रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है।

(च) से (ज) ट्राई दे दिनांक 01.05.2007 के अपने पत्र सं० 19-3/2007-बी० एंड सी०एस० के तहत यह सिफारिश की है कि दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता के तीन महानगरों के गैर-कैस क्षेत्रों में कैस का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। इससे उपभोक्ता अपनी पंसद के उन सशुल्क चैनलों को चुन सकेंगे जिन्हें वे देखना चाहते हैं और इस प्रकार अपने मासिक केबल प्रभारों पर नियंत्रण कर सकेंगे।

विवरण

गैर-कैस क्षेत्रों में उपभोक्ता द्वारा केबल आपरेटर या बहु-प्रणाली संचालक को देय प्रभारों की उच्चतम सीमा

क्र० सं०	केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए प्रसारित या पुन: प्रसारित किए जाने वाले सशुल्क चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों की संख्या		उपभोक्ता द्वारा कालम (2) में उल्लिखित सशुल्क चैनलों और फ्री-टु-एयर चैनलों हेतु पहले टेलीविजन कनेक्शन के लिए प्रति माह देय प्रभार की अधिकतम राशि		
1	2		3		
	सशुल्क चैनल 2(क)	फ्री-टु-एयर चैनल 2 (ख)	ए-1 और ए श्रेणी के शहर 3 (क)	बी-1 और बी-2 श्रेणी के शहर 3 (ख)	अन्य क्षेत्र 3 (ग)
1.	कोई सशुल्क चैनल नहीं	न्यूनतम 30 फ्री-टु-एयर चैनल	अधिकतम 77/- रुपये	अधिकतम 77/- रुपये	अधिकतम 77/- रुपये
2.	20 सशुल्क चैनलों तक	-तथैव-	अधिकतम 160/- -रुपये	अधिकतम 140/- रुपये	अधिकतम 130/- रुपये
3.	20 से 30 सशुल्क चैनलों के बीच	-तथैव-	अधिकतम 200/- रुपये	अधिकतम 170/- रुपये	अधिकतम 160/- रुपये
4.	30 से 45 सशुल्क चैनलों के बीच	-तथैव-	अधिकतम 235/- रुपये	अधिकतम 200/- रुपये	अधिकतम 185/- रुपये
5.	45 सशुल्क चैनलों से अधिक	-तथैव-	अधिकतम 260/- रुपये	अधिकतम 220/- रुपये	अधिकतम 200/- रुपये

नोट 1. उपभोक्ता द्वारा उसी प्रांगण में दूसरे और इसके बाद के टेलीविजन कनेक्शन के लिए देय प्रभारों की अधिकतम राशि उपभोक्ता और केबल आपरेटर या बहु प्रणाली संचालक, जैसा भी मामला हो, के बीच परस्पर सहमति के अनुसार होगी।

नोट 2. सभी केबल टेलीविजन नेटवर्कों के लिए न्यूनतम तीस फ्री-टु-एयर चैनलों का प्रसारण या पुन: प्रसारण करना अनिवार्य होगा।

नोट 3. यदि किसी विशेष मामले में महीने के कुछ दिनों के लिए सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं तो कॉलम 3(क), 3(ख) और 3(ग) में इंगित उच्चतम सीमा का निर्धारण यथानुपात आधार पर उस माह की अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई सेवा की अवधि हेतु किया जाएगा।

नोट 4. कॉलम 3(क) और 3(ख) के अंतर्गत उल्लिखित शहरों का वर्गीकरण, वही वर्गीकरण होगा जैसा कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा दिनांक 18.11.2004 को जारी का०ज्ञा०सं० 2(21)/ई-II (ख)/2004 के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मकान किराये भत्ते की हकदारी का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में यथोल्लिखित है अथवा यह वर्गीकरण मकान किराया भत्ते की हकदारी हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे किसी अन्य वर्गीकरण के अनुसार होगा।

[अनुवाद]

द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना

439. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :
श्री संतोष गंगवार :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न संगठनों और राज्य सरकारों से द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बारे में कोई अनुरोध/सिफारिश/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनैतिक दलों की बैठक बुलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव झेडल्या गावित) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ बनाना

440. श्री उदय सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पुलिस और अर्ध सैनिक बलों को सुदृढ़ बनाने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने का है ताकि आतंकवाद जैसे आधुनिक अपराधों से निपटा जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या बलों को एक नई तरह का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए आधुनिक हथियार दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें धन की कमी के कारण पुलिस बलों की संख्या को बढ़ाने और उन्हें सुदृढ़ करने के काम में पिछड़ रही है;

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश में पुलिस बलों को उन्नत बनाने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (च) पुलिस बलों और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ बनाने और उनकी संख्या में वृद्धि करने की प्रक्रिया, पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों के अनुरूप निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वर्ष 2001 से केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की 244 बटालियनों की मंजूरी दी गई है। आंतरिक सुरक्षा की जरूरतों में और अधिक आत्मनिर्भर होने के लिए राज्यों को 75 आई०आर० बटालियनें भी मंजूर की गई हैं। इसी प्रकार की आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

उग्रवाद का मुकाबला करने, बमों को निष्क्रिय करने, साइबर अपराध आदि का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट सूचना शामिल करने के लिए पुलिस प्रशिक्षण के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का उन्नयन किया गया है। हथियार, परिचालनात्मक जरूरतों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

'पुलिस', राज्य का विषय होते हुए भी केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस स्टेशन आदि स्तर पर हथियार, सुरक्षा और निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली, कंप्यूटरीकरण, परिवहन, आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता की जा रही है।

[हिन्दी]

शिक्षा उपकर

441. श्री गणेश सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में कितना शिक्षा उपकर एकत्र किया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले राज्यों को विशेष सहायता दिए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्र की गई राशि में से मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षित बच्चों को किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राजस्व विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिक्षा उपकर की निम्नलिखित राशि एकत्र की गयी है:–

वर्ष	राशि
2004-05	4159.39 करोड़
2005-06	7117.07 करोड़
2006-07	9037.23 करोड़*
2007-08 अप्रैल-सितम्बर	2384.48 करोड़*

*अनंतिम आंकड़े

(ख) से (घ) प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा की गयी शिक्षा उपकर की प्राप्तियों का उपयोग केवल सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के लिए किया जाता है। सकल बजटीय सहायता के जरिए प्रदान की गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग कर लिए जाने के पश्चात् ही प्रारम्भिक शिक्षा कोष से सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना पर व्यय किया जाता है। शिक्षा उपकर के माध्यम से एकत्रित राशि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अलग से कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजनाबद्ध पद्धति और सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजटीय आबंटन के अनुसार जारी की जाती है।

(ङ) से (छ) केन्द्र सरकार सभी बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, अभिगम्य और वहनीय बनाने हेतु वचनबद्ध है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक मुख्य पहल की जा रही है। 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' नामक एक योजना शीघ्र ही शुरू किए जाने का प्रस्ताव है जिसका मुख्य उद्देश्य होगा 2015 तक सर्वसुलभ पहुंच और 2020 तक सर्वसुलभ अवरोधन प्रदान करना।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन योजना में संकट

442. श्री अधीर चौधरी :
श्री जी०एम० सिद्देश्वर :
श्री हंसराज गं० अहीर :
श्री निखिल कुमार :
श्री एम० राजा मोहन रेड्डी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना भीषण संकट का सामना कर रही है जैसा कि दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को कुछ राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) जी, नहीं। मध्याह्न भोजन योजना के लिए गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ानें संबंधी कोई सूचना खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। मौजूदा मानदंडों एवं शर्तों के अनुसार खाद्यान्नों की लागत की प्रतिपूर्ति बी०पी०एल० दरों पर की जाती है।

(घ) और (ङ) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें सरकार की जानकारी में आई हैं। की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। सरकार के ध्यान में जब भी कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समुचित जांच करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु तंत्र स्थापि करने तथा भोजन की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति के मुद्दों पर पूरा ध्यान देने और संसाधनों का दुरूपयोग रोकने की लगातार सलाह दी जाती है तथा प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों

से यह भी कहा गया है। कि छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने का पर्यवेक्षण करने के लिए वे अभिभावकों, समुदाय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करें।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनियमितताओं की प्रकृति	की गई कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	वर्ष 2005 में पश्चिमी गोदावरी जिले में मध्याह्न भोजन (चावल) का दुरूपयोग	राज्य सरकार द्वारा मुख्याध्यापक के विरूद्ध, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
2.	बिहार	(I) वर्ष 2005 में पटना जिले में खाद्यान्नों की कालाबाजारी।	राज्य सरकार द्वारा इस मामले में जांच आरंभ कर दी गई है।
		(II) वर्ष 2005 में पश्चिमी चंपारण जिले में अध्यापक के घर में खाद्यान्नों का स्टाक पाया गया।	
3.	उड़ीसा	वर्ष 2005 में जगतसिंहपुर जिले में एक अध्यापक मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत चावल को बेचते हुए पकड़ा गया था।	राज्य सरकार द्वारा अध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है।
4.	पंजाब	वर्ष 2005 में राजकीय प्राथमिक स्कूल, भारगो नगर (जी), जालंधर से पांच बोरी गेहूं चोरी होने की सूचना दी गई थी।	एक पुलिस केस दर्ज किया गया है। इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
5.	राजस्थान	वर्ष 2005 में खाद्यान्नों को बाजार में बेचने एवं निधियों के संबंध में गांव बंद, जिला बाइमेर के श्री हनुमान राम और अन्य से शिकायत प्राप्त हुई थी।	राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप निराधार पाए गए।
6.	उत्तर प्रदेश	(I) निरपुड़ा गांव, ब्लॉक बिनौली, तहसील बरोट, जिला बागपत (उत्तर प्रदेश) में ग्राम प्रधान और अध्यापकों द्वारा खाद्यान्नों और भोजन पकाने की लागत की निधियों का दुरूपयोग करने के संबंध में फरवरी, 2006 में श्री कृष्णपाल राणा और अन्य से शिकायत प्राप्त हुई थी।	(I) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए।
		(II) बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) से तीन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उठाये गए मध्याह्न भोजन योजना हेतु नियत आठ चावल से भरे ट्रकों को वर्ष 2005 में समयपुर बादली में दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था।	(II) संबद्ध गैर-सरकारी संगठनों के अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं। दोषियों के विरूद्ध प्रथम सचूना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलंदशहर को निलंबित कर दिया गया है। गैर सरकारी संगठनों की निधियों की विशेष लेखा परीक्षा कराने हेतु आदेश जारी किए गए हैं और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी खाद्यान्नों के अंतर-जिला हस्तांरण पर रोक लगा दी गई है।

1	2	3	4
		(III) फरवरी 2006 में मुरादाबाद/अमरोहा के जिला बेसिक शिक्षा अधिकार के विरूद्ध दुराचार के आरोप के संबंध में श्री विजय राज सैनी, सचिव, युवा कांग्रेस (आई), मुरादाबाद से शिकायत प्राप्त हुई थी।	(III) राज्य सरकार से सूचना दी है कि प्रारंभिक जांच के पश्चात् आरोप सही नहीं पाए गए। राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली पुलिस ने गैर-सरकारी संगठनों/संभारकों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से उठाए गए चावल ले जाते हुए दो ट्रक जब्त किए गए, जिन्हें खुले बाजार में बेचने के लिए नरेला ले जाया जा रहा था।	पुलिस स्टेशन, नरेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 168/07 दर्ज की गई थी। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक विभागीय जांच करवाई है। चूककर्ता सेवा प्रदाताओं, अर्थात् जनसेवक एसोशिएट्स, बाल भोज और शेड इंडिया सोसायटी को काली सूची में दर्ज किया है।

अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में कमी

443. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान आधार सिमटने के कारण विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से इस कार्यबल की सिफारिशें कार्यान्वित कर रहा है। संसाधनों का पर्याप्त आवंटन विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसधान को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा जो कि 11वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी इकाई योजना का दुरूपयोग

444. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना हेतु स्वीकृति देना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त इकाइयों की धोखाधड़ी पूर्ण गतिविधियों को रोकने में असमर्थ रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी फर्मों को दिए गए दंडों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं के दुरूपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई०ओ०यू०) द्वारा किसी भी प्रकार का दुरूपयोग किए जाने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क अधिनियमों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है और ई०ओ०यू० का दर्जा भी स्थगित/रद्द किया जा सकता है। किसी नई इकाई के अनुमोदन से पहले इकाई अनुमोदन समिति (यू०ए०सी०) द्वारा सभी विकास आयुक्तों से रिपोर्ट मंगवाई जाती है और जहां भी ऐसे दुरूपयोग का पता चलता है, उक्त व्यक्ति देश में कहीं भी नए ई०ओ०यू० का अनुमोदन प्राप्त नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

नई विज्ञापन नीति

445. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक नई विज्ञापन नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीति के संबंध में पणधारियों और कुछ दूसरे लोगों से सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2 अक्तूबर, 2007 से एक नई डी०ए०वी०पी० विज्ञापन नीति प्रस्तुत की है और इसकी एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। उक्त नीति को डी०ए०वी०पी० की वेबसाइट www.davp.nic.in पर भी डाल दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने नई डी०ए०वी०पी० विज्ञापन नीति पर स्टेकहोल्डर आदि से 31 अक्तूबर, 2007 तक सुझाव मांगे थे। विभिन्न क्षेत्रों से अभी भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। स्वीकार्य पाए गए सुझावों को एक संशोधन के माध्यम से नीति में शामिल कर लिया जाएगा जोकि एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) नई डी०ए०वी०पी० विज्ञापन नीति 2 अक्तूबर, 2007 से लागू हो गयी थी।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई विज्ञापन नीति
(1 अक्तूबर, 2007 से लागू)

अनुच्छेद-1.

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों के विज्ञापनों के लिए प्रमुख विज्ञापन एजेंसी है। विज्ञापन देने में सरकार का मूल उद्देश्य समाचारपत्रों और समसामयिक विषयों, विज्ञापन, कला, साहित्य, खेलकूद, फिल्मों और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं के जरिये विज्ञापन की अभिप्रेत विषय सामग्री अथवा संदेश का यथासंभव व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। पत्र-पत्रिकाओं का विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उस समाचारपत्र या पत्रिका की राजनीतिक संबद्धता अथवा संपादकीय नीतियों को नहीं देखता। फिर भी, निदेशालय उन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने से बचेगा, जो सांप्रदायिक भावनायें भड़काते हैं या भड़काने का प्रयास करते हैं, हिंसा के लिए उकसाते हैं, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कमजोर करते हैं या समाज द्वारा स्वीकृत नैतिकता और आचरण के मानदंडों को आघात पहुंचाते हैं।

पूर्व के सभी आदेशों को निष्प्रभाव करते हुए, सरकार ने एतद्द्वारा 2 अक्तूबर, 2007 से नई विज्ञापन नीति निर्धारित की है।

नोट : हाउस जर्नल, स्मारिकाओं एवं वार्षिक पत्रिकाओं को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद-2.

सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना नहीं है। निदेशालय पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी करने के लिए उनकी सूची बनाता है जिसमें स्वीकृत पत्र-पत्रिकाओं को पैनलबद्ध किया जाता है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैनल में रखेगा जिनकी भारत सरकार के विज्ञापनों, को जारी करने के लिए आवश्यकता होगी। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को पैनल में शामिल किया जाये जो देश के विभिन्न भागों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा पढ़े जाते हों।

अनुच्छेद-3.

केंद्र सरकार के सभी विज्ञापनों को डी०ए०वी०पी० के माध्यम से भेजा जाएगा। मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत सभी सम्बद्ध कार्यालय, स्वायत्त संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी विदृप्रनि के माध्यम से ही अपने विज्ञापन भेजेंगे। तथापि, वे विदृप्रनि दरों पर सूचीबद्ध समाचारपत्रों को ही सीधे तौर पर निविदा सूचनाएं भेज सकते हैं। सा०क्षे०उप०, स्वायत्त निकाएं एवं भारत सरकार की समितियां सूचीबद्ध समाचारपत्रों को विदृप्रनि दरों पर सीधे ही सभी विज्ञापन भेज सकते हैं बशर्ते कि सभी वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों को अधोलिखित विधि में जारी किया हो:—

(रुपए में)

लघु	न्यूनतम 15%
मध्यम	न्यूनतम 35%
बड़े	न्यूनतम 50%
अंग्रेजी भाषा	(अनुमानत:) 30%
हिन्दी भाषा	(अनुमानत:) 35%
क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाएं*	(अनुमानत:) 35%

*जैसा कि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाएं।

अनुच्छेद-4.

सभी मंत्रालय/विभाग स्वायत्तशासी निकाएं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों को नए वित्तीय वर्ष के प्रथम, माह के भीरत विगत वर्ष में वास्तविक व्यय के 80% तक प्राधिकार पत्र (एल०ओ०ए०) जारी करना होगा तथा वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी मे पूव सभी शेषों का पूर्ण भुगतान करना होगा।

पैनल सलाहकार समिति

अनुच्छेद-5.

सरकारी विज्ञापन छापने के लिए पैनलबद्ध करने हेतु पत्र-पत्रिकाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए एक पैनल सलाहकार समिति है। महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा इसमें पत्र सूचना कार्यालय (पी०आई०बी०) के अपर महानिदेशालय (मीडिया एवं संचार)/उप-महानिदेशक (सूचना एवं संचार), प्रेस पंजीयक/उप प्रेस पंजीयक तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में प्रिंट मीडिया का कार्य देख रहे निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव शामिल हैं। इस समिति में बड़े, मझोले तथा छोटे समाचारपत्रों के संगठन का एक एक प्रतिनिधि भी होगा। पत्र-पत्रिकाओं को पैनलबद्ध करने के बारे में विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक द्वारा स्वीकृत पैनल सलाहकार समिति की सिफारिशें आमतौर पर अंतिम होती है।

अनुच्छेद-6.

सरकार के व्यापक सामाजिक उद्देश्यों और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की विविध श्रेणियों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पैनल सलाहकार समिति निम्न श्रेणियों की पत्र/पत्रिकाओं को प्राथमिकता के आधार पर पैनल में शामिल करने का ध्यान रखती है:—

(क) छोटे और मझोले समाचारपत्र/पत्रिकायें

(ख) विभिन्न भाषाओं के समाचारपत्र जैसा कि — बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत सन्थाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाएं।

(ग) पिछड़े सुदूरवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाएं।

अनुच्छेद-7.

समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है:

(1) छोटे समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,000 हो;

(2) मझौले समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 25,001 से लेकर 75,000 हों; और

(3) बड़े समाचारपत्र जिनकी दैनिक प्रसार संख्या 75,000 से अधिक हो।

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड

अनुच्छेद-8.

पहली बार पैनल में शामिल होने वाले सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को अधोलिखित का अनुपालन करना होगा:

1. उनका प्रकाशन कम से कम 36 माह के बिना रुके और नियमित रूप से हो रहा हो।

(क) क्षेत्रीय भाषाओं जैसेकि बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, सन्थाली, सिन्धी, उर्दू एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं के समाचारपत्रों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए या जम्मू एवं कश्मीर, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा उत्तर-पूर्व राज्यों में प्रकाशित समाचारपत्रों को छ: माह के नियमित एवं अबाधित प्रकाशन के पश्चात् सूचीबद्धता हेतु विचार किया जा सकता है। सभी

क्षेत्रीय एवं अन्य भाषाई लघु एवं मध्यम समाचारपत्रों के मामले, में अर्हता अवधि 18 माह की रहेगी।

(ख) एक लाख एवं अधिक की प्रसार-संख्या वाले व्यापक परिचालित समाचारपत्रों की पाठक कार्यक्षमता का लाभ उठाने के लिए ऐसे समाचारपत्रों को प्रकाशन की एक वर्ष की अवधि के बाद सूचीबद्धता के लिए पात्र बनाया जायेगा। ऐसे समाचारपत्रों के प्रसार संख्या संबंधी दावे को तभी स्वीकार किया जायेगा जब वे आर०एन०आई० या ए०बी०सी० द्वारा प्रमाणित होंगें।

2. उन्हें प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

3. विगत छः वर्षों में डी०ए०वी०पी० ने उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया हो और न ही उनकी तरफ डी०ए०वी०पी० की कोई लेनदारी बकाया हो।

4. अयोग्यता की अवधि छः साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. उन्हें आवेदन के साथ भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा अस्थापित घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।

6. आवेदक को भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रकाशन के नाम जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।

7. पैनलबद्ध होने के लिए वांछित विवरण जैसे समाचारपत्र का आकार, भाषा, आवधिकता, प्रिंट एरिया तथा प्रिंटिंग प्रेस आदि का ब्यौरा भी किया जाना चाहिए।

8. इसके अतिरिक्त, इसकी पुष्टि की जानी चाहिए कि समाचारपत्र उचित मानदंडों के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है। उचित मानदंडों के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ये भी शामिल हैं:

(क) मुद्रित सामग्री तथा फोटोग्राफ सुपाठ्य, स्वच्छ व स्पष्ट हो तथा धब्बे, दोहरी छपाई और काट-छांट से रहित होनी चाहिए।

(ख) इनमें अन्य अंकों से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(ग) इनमें अन्य पत्र-पत्रिकाओं से समाचार सामग्री अथवा लेखों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(घ) इसके मुख्यपृष्ठ पर समाचारपत्र का शीर्षक (मास्टहैड) और प्रकाशन का स्थान, तिथि तथा दिन मुद्रित होना चाहिए; इसमें भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय की पंजीकरण संख्या, खण्ड एवं अंक संख्या, पृष्ठों की संख्या तथा समाचापत्र/पत्रिका का मूल्य भी मुद्रित, होना चाहिए।

(ङ) समाचारपत्र में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इंप्रिंट लाईन मुद्रित होनी चाहिए।

(च) अन्दर के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या, पृष्ठ का शीर्षक तथा प्रकाशन की तिथि मुद्रित होनी चाहिए। अनेक संस्करणों वाले समाचारपत्रों के लिए प्रकाशन का स्थान भी अन्दर के पृष्ठों में उल्लिखित होना चाहिए।

(छ) सभी प्रकाशनों में सम्पादकीय मुद्रित होना चाहिए।

नोट : पैनल में शामिल होने/दर नवीकरण के लिए आवेदन देने से पहले प्रकाशक को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नीति में दी गई सभी शर्तों को उनका प्रकाशन पूरा करता है। आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूरा होना चाहिए तथा उसके साथ संबंधित दस्तावेज भी होने चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन एक वर्ष में दो बार ही किया जा सकता है – पहली बार फरवरी के अंत में तथा दूसरी बार अगस्त के अंत में। फरवरी अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर उसी वर्ष के माह में विचार किया जायेगा तथा उनका अनुबंध उसी वर्ष की 1 जुलाई से शुरू होगा तथा अगस्त अंत से पूर्व किए गए आवेदनों पर नवंबर में विचार किया जाएगा एवं उनका अनुबंध अगले वर्ष की 1 जनवरी से शुरू होगा। पैनल में शामिल होने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुच्छेद-9.

उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के बावजूद विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के महानिदेशक को पैनल सलाहकार समिति के अध्यक्ष के नाते यह विवेकाधिकार होगा कि वह पैनल सलाहकार समिति के अनुमोदन पर किसी समाचारपत्र को छः महीने के लिए या पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक तक अस्थायी रूप से पैनल में शामिल कर

सकते हैं, बशर्ते कि उक्त समाचारपत्र ने पैनल में शामिल होने संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हों या फिर उसे सरकारी विज्ञापन छापने के लिए उपयुक्त पाया गया हो। अस्थायी रूप से पैनल में शामिल किए जाने के सभी मामले पैनल सलाहकार समिति की अगली बैठक में समिति के समक्ष रखे जाएंगे।

अनुच्छेद-10.
रेट कांट्रैक्ट

सभी सूचीबद्ध समाचारपत्रों को कहा जायेगा कि वे दरों के बारे में अनुबंध के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ रेट कांट्रैक्ट (दर अनुबंध) करें जो तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। हालांकि चार्टर्ड एकाउंटेंट/आर०एन०आई०/ए०बी०सी० के प्रमाणपत्रों के आधार पर, जो भी लागू हो, दर अनुबंध की वैध अवधि के दौरान, दर अनुबंध की अवधि से एक वर्ष पूरा होने के बाद वितरण में परिवर्तन केवल एक बार स्वीकार किया जा सकता है, जिसके लिए आर०एन०आई० को गत वर्ष की वार्षिक विवरणी जमा करने का प्रमाण विधिवत् रूप से संलग्न होना चाहिए। हालांकि ए०बी०सी०/आर०एन०आई० से वितरण में कमी संबंधी सूचना के मामले में महानिदेशक, वि०द्०प्र०नि० का निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1:— दर अनुबंध के नवीकरण के आवेदन पत्र वि०द्०प्र०नि० की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टिप्पणी 2:— सभी सूचीबद्ध प्रकाशन, आर०एन०आई० को जमा की गई गत वर्ष की वार्षिक विवरणी की प्रति आर०एन०आई० के प्राप्ति प्रमाण के साथ, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक जमा करा दें ऐसा न करने पर महानिदेशक, वि०द्०प्र०नि० द्वारा समाचार पत्र को पैनल से हटा दिया जाएगा।

अनुच्छेद-11.
नियमितता

नियमित प्रकाशन के लिए आवेदक ने पिछले 12 महीनों के दौरान हर महीने कम से कम 25 दिन समाचारपत्र अवश्य प्रकाशित किया हो। इसी तरह साप्ताहिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक; पाक्षिक पत्रिकाओं ने 23 अंक एवं मासिक पत्रिकाओं ने बीते वर्ष में 11 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा।

अनुच्छेद-12.

जिन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं की स्थापित प्रसार संख्या प्रति प्रकाशन दिवस 75,000 से अधिक प्रतियां हो और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने भी इसे प्रमाणित किया हो, उसी शीर्ष के साथ गत गत चार महीनों में नियमित प्रकाशन के बाद वे एक नई जगह से अपना ताजा संस्करण पैनल में शामिल करवा करते हैं किन्तु ऐसे मामलों में ताजा संस्करण को पैनल में सबसे कम प्रसार संख्या वाले स्लैब में ही रखा जाएगा।

छोटे तथा मझोले समाचारपत्रों (दैनिक) के मामले में, विज्ञापन नीति की अन्य शर्तों के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित वितरण के अनुसार 4 महीने के नियमित प्रकाशन के बाद इनके नवीन संस्करणों को भी पैनल में शामिल किया जा सकता है।

अनुच्छेद-13.

किसी समाचारपत्र/पत्रिका को पैनल में शामिल करने पर तभी विचार किया जाएगा जब उसकी कम से कम 2000 प्रतियों की बिक्री हुई हो। हालांकि, बोडो, डोगरी, गढ़वाली, कश्मीरी, खासी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मिजो, नेपाली, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू तथा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित जनजातीय भाषाओं में देशभर में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/पत्रिकाएं तथा पिछड़े, सीमावर्ती, पर्वतीय क्षेत्रों या दूरस्थ क्षेत्रों या जनजातीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र/ पत्रिकाएं या जो जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकाशित होते हों उन्हें प्रति प्रकाशन दिवस के लिए न्यूनतम 500 प्रतियों का ही पेड वितरण प्रमाणित करना होगा।

अनुच्छेद-14.

एक समाचारपत्र/पत्रिका में न्यूनतम प्रिंट एरिया इस प्रकार होना चाहिए:

अवधि	से न्यूनतम प्रिंट एरिया
दैनिक	1520 स्टे०कॉ०सें०मी०/7600 वर्ग सें०मी०
साप्ताहिक/पाक्षिक	700 स्टे०कॉ०सें०मी०/3500 वर्ग सें०मी०
मासिक	960 स्टे०कॉ०सें०मी०/4800 वर्ग सें०मी०

हालांकि, खंड 13 में उल्लिखित श्रेणी में आने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के मामले में पैनल सलाहकार समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की जा सकती है।

अनुच्छेद-15.

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पैनल में शामिल करने के लिए पहले दी गई मंजूरी तब तक वैध रहेगी जब तक उसकी अवधि पूरी नहीं हो जाती।

अनुच्छेद-16.

आवेदन करने वाली पत्र-पत्रिकाओं को प्रसार संख्या के बारे में ए०बी०सी०, लागत लेखाकार/सांविधिक/लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित आंकड़े नीचे दिये गये मानदंड के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे:–

25000 प्रतियों तक – निर्धारित प्रपत्र में लागत लेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए०बी०सी० का प्रमाणपत्र।

25001-75000 तक

कम्पनियां: निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए०बी०सी० का प्रमाणपत्र।

व्यक्ति: निर्धारित प्रपत्र में सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र/ए०बी०सी० का प्रमाणपत्र।

75000 से अधिक – ए०बी०सी०/आर०एन०आई० का प्रमाणपत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय पिछले एक वर्ष के लिए आर०एन०आई०/ए०बी०सी०/सांविधिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र में प्रमाणित औसत प्रसार संख्या को मानेगा।

नोट 1: जो प्रतियां समाचारपत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अंकित मूल्य पर 40% से अधिक कमीशन पर बेची गई हैं उन्हें वि०दृ०प्र०नि० की दर की गणना करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

नोट 2: आर०एन०आई० वितरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 4 वर्ष की अवधि तक वैध होगा।

नोट 3: 25,000 तक के वितरण वाले प्रकाशन को आर०एन०आई०/ए०बी०सी० प्रमाणपत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद-17.

महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को अपने प्रतिनिधियों अथवा आर०एन०आई० के माध्यम से प्रसारसंख्या के आंकड़ों की जांच करने का अधिकार होगा। तथापि, उन पत्र-पत्रिकाओं की कोई जांच नहीं होगी जिनकी प्रसार संख्या 25,000 तक है।

अनुच्छेद-18.

निलंबन और वसूलियां: महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय किसी समाचारपत्र को तत्काल प्रभाव से सूची से निलंबित कर सकते हैं जिसके बारे में:

(क) यह पाया गया कि उसने जानबूझकर प्रसार संख्या अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में झूठी सूचना दी है; अथवा

(ख) यह पाया गया कि उसने प्रकाशन स्थगित कर दिया है, उसकी अवधि या शीर्षक बदल दिया है या उसका प्रकाशन अनियमित हो गया है या उसने किसी पूर्व सूचना के बिना अपना परिसर/प्रैस बदल दिया है; अथवा

(ग) यह पाया गया कि वह आर०एन०आई० को अपना वार्षिक विवरण अथवा निर्धारित एजेंसियों से प्राप्त होने वाला वार्षिक प्रसार संख्या प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा; अथवा

(घ) भारतीय प्रेस परिषद द्वारा यह पाया गया कि वह अनैतिक या राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न है; तथापि वि०दृ०प्र०नि० इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए मामले को मंत्रालय को भेजेगा।

(ङ) इस तरह की गतिविधियों के लिए उसे किसी न्यायालय ने दंडित किया है।

(च) यदि कोई समाचार पत्र भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों की ओर से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों को लेने और प्रकाशित करने से दो बार से अधिक बार मना करता है।

बशर्ते कि, महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय उपरोक्त (क), (ख) (ग) और (घ) से संबंधित मामलों में उस समाचार पत्र को पर्याप्त अवसर दिए बिना निलंबन के कोई आदेश जारी न करें।

इस प्रकार के मामलों में समाचार-पत्र को 12 महीने की अवधि तक निलंबित रखा जाएगा। उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के मामले में डी०ए०वी०पी० प्रकाशक से, उसे पहले किये जा चुके भुगतान की वसूली करेगा। प्रकाशक को डी०ए०वी०पी० से वसूली के लिए मांग पत्र जारी होने की तारीख के 60 दिन के भीतर यह राशि जमा करनी होगी अन्यथा समाचार-पत्र को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल प्रभाव से पैनल से हटा दिया जाएगा और बकाया राशि डी०ए०वी०पी० के पास लंबित पड़े बिलों/भुगतानों, 'यदि कोई है तो', से वसूली की जाएगी। जब तक यह वसूली नहीं हो जाती तब तक कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

विज्ञापन दर

अनुच्छेद-19.

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों के लिए

भुगतान हेतु दर ढांचा, दर ढांचा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसी समाचारपत्र की प्रमाणित प्रसार संख्या के आधार पर दरें निर्धारित की जाएंगी। पैनल में शामिल सभी समाचारपत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें तथा अन्य शर्तें मानते हुए निदेशालय के साथ रेट कांट्रेक्ट करेंगा और इन समाचारपत्रों को निदेशालय जब भी विज्ञापन जारी करेगा, वह उनका प्रकाशन सुनिश्चित करेगा।

बिलों का भुगतान और समायोजन

अनुच्छेद-20

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्राप्तकर्ता के नाम से विज्ञापन बिलों की राशि का भुगतान करेगा। यह भुगतान उसी पते पर भेजा जायेगा जो समाचारपत्र ने रेट कांट्रेक्ट नवीकरण फार्म में या पैनल में शामिल करने के नये आवेदन में दिया है। पैनल में शामिल होने के वर्ष के दौरान प्राप्तकर्ता के नाम या पते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह औचित्यपूर्ण न हो और ऐसा करना अपरिहार्य न हो या बाध्यकर न हो गया हो।

अनुच्छेद-21

प्रत्येक समाचारपत्र को अखबार की एक प्रति जिसमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन छपा हो अपने विज्ञापनदाता को रिलीज आर्डर में दिये गये पते पर भेजना आवश्यक है। ऐसा न करने पर विज्ञापन के लिए भुगतान करने पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डी०ए०वी०पी० पैनल में शामिल किसी प्रकाशन की नमूना प्रतियों की निर्धारित अवधि हेतु नियमित आपूर्ति की मांग कर सकता है। यदि समाचार पत्र निर्धारित तारीख तक विज्ञापन प्रकाशित करने में सक्षम न हो तो उसे 48 घंटे के भीतर डी०ए०वी०पी० को इसकी सूचना देनी होगी।

अनुच्छेद-22

प्रत्येक समाचार-पत्र को सभी तरह से पूर्ण और संबंधित दस्तावेजों सहित अपना विज्ञापन-बिल, विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर ही प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय हर संभव प्रयास करेगा कि बिल प्राप्त होने के 60 दिनों के अंदर ही भुगतान कर दें।

अनुच्छेद-23.

कोई भी समाचार-पत्र संबंधित रिलीज आर्डर मिले बिना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी वेबसाइट www.davp.nic.in की मार्फत इलेक्ट्रानिक रिलीज आर्डर जारी करता है। कोई भी समाचार-पत्र अपने नाम से जारी वैध रिलीज आर्डर के बिना विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं करेगा। समाचार पत्रों डुप्लीकेट रिलीज आर्डर जारी करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशायल गुण-दोष के आधार पर और प्रत्येक मामले में अलग-अलग रूप से विचार करेगा।

अनुच्छेद-24.

समाचारपत्र को रिलीज आर्डर में वि०दृ०प्र०नि० के विज्ञापनों के प्रकाशन की दर्शाई गई तिथि का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि विज्ञापन का प्रकाशन रिलीज आर्डर में दर्शाई गई तिथि के अलावा किसी अन्य तिथि को, किया जाता है तो ऐसे मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

विज्ञापनों को जारी करना

अनुच्छेद-25.

जैसे ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से विज्ञापन जारी करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, डी०ए०वी०पी० ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के उद्देश्यों, विषयवस्तु, विज्ञापन के लक्षित वर्ग तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्राहक मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एक उपयुक्त मीडिया सूची तैयार करेगा।

अनुच्छेद-26.

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ऐसे आवधिक प्रकाशनों को अधिक विज्ञापन, विशेषतौर से सामाजिक संदेश वाले ऐसे विज्ञापन जारी करने का प्रयास करेगा जिनके प्रकाशन की कोई निश्चित तिथि नहीं होती है। इस आशय के भी प्रयास किए जाएंगे कि पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा अन्य सुदूर क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखने वाले समाचारपत्रों को अधिक विज्ञापन जारी किए जाएं। सजावटी विज्ञापन जारी करते समय विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सुनिश्चित करेगा कि प्रसार संख्या, भाषा, कवरेज एरिया की दृष्टि से विभिन्न श्रेणी के अखबारों में एक संतुलन बना रहे। इस प्रयोजन के लिए रुपए के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार होगा:

श्रेणी	सीमा (रुपए में)
छोटे	(न्यूनतम) 15%
मझोले	(न्यूनतम) 35%
बड़े	(अधिकतम) 50%
अंग्रेजी	(लगभग) 30%
हिंदी	(लगभग) 35%
अन्य भाषाएं	(लगभग) 35%

उपर्युक्त मानदंड निर्देशात्मक हैं और मंत्रालयों/विभागों की समग्र मीडिया नीति में इनका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए ताकि अनुकूलतम राशि में अधिकतम कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, कुछ विशेष मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग इन मानदंडों से बचना चाहता है, उसे आदेश प्रस्तुत करते समय पूर्ण तथा विस्तृत औचित्य देना चाहिए।

डी०ए०वी०पी० ऐसे सभी मामलों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में लाएगा।

अनुच्छेद-27.

जिन मामलों में महानिदेशक, वि०द्द०प्र०नि० अंतिम रूप से प्राधिकृत अधिकारी हैं उनमें समीक्षा का अधिकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय को होगा।

अनुबंध

डी०ए०वी०पी० में सूचीबद्ध होने के लिए जरूरी कागज़ात

1. आर०एन०आई० पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या।
2. प्रसार संख्या का प्रमाण (चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र/लागत लेखाकार प्रमाणपत्र/सांविधिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन प्रमाणपत्र, जो भी लागू हो)।
3. आर०एन०आई० को प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न की प्रति।
4. दैनिक अखबार को अपने प्रकाशन के पहले माह के अंकों को 9 वें और 17 वें माह के अंकों के साथ प्रस्तुत करना होगा और साप्ताहिक व पाक्षिक समाचारपत्रों के पिछले 6 माह के अंक प्रस्तुत करने होंगे तथा मासिकों को 12 माह के नवीनतम प्रकाशनों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगे।

   नोट : जिन मामलों में न्यूनतम मानदण्ड 6 माह है उनमें दैनिकों को 3 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां और सभी पत्रिकाओं को 6 माह की नवीनतम नमूना प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

5. रेट कार्ड को तीन प्रतियां।
6. स्थाई लेखा संख्या (आयकर विभाग द्वारा जारी) की फोटो प्रति।

स्टिंग आपरेशनों पर नियंत्रण

446. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड :
डा० राजेश मिश्रा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जे० एम० आरून रशीद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार निजी टी०वी० चैनलों द्वारा किए जाने वाले स्टिंग आपरेशनों को विनियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गुजरात दंगों को दिखाने वाले कुछ न्यूज चैनलों को अवरूद्ध करने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जैसा कि 1 नवम्बर, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) टी०वी० चैनलों की स्वायत्तता को बरकरार रखने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का विचार है; और

(च) निजी टी०वी० चैनलों द्वारा किए जाने वाले स्टिंग आपरेशनों को रोकने/विनियमित करने तथा उच्च न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित प्रसारण विधेयक के विधान पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न स्टेकहोल्डर एवं राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करके प्रस्तावित प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। विधेयक में, अन्य के साथ-साथ, विषय-वस्तु संबंधी मुद्दों के बारे में कार्रवाई करने के लिए भारतीय प्रसारण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। तथापि, यह विशेष रूप से स्टिंग ऑपरेशनों पर केन्द्रित नहीं है। विधेयक का मौजूदा मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) टी०वी० चैनल स्वायत्तशासी हैं और उनकी स्वायत्तता पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा समय-समय पर जारी किसी अन्य विनियमों का पालन करना होता है।

(च) जैसाकि उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित।

[हिन्दी]

स्वापक अपराध (नारकोटिक क्राइम)

447. श्री श्रीचन्द कृपलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वापक अपराध ब्यूरो द्वारा राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या राजस्थान में कोटा और चितोड़गढ़ अफीम के अग्रणी उत्पादक हैं और ये जिले नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के केन्द्र बन गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार स्वापक ब्यूरो को जोधपुर से कोटा या चितोड़गढ़ स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से जुड़े अपराध को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार पंजीकृत कुल मामलों की संख्या संलग्न विवरण-I में है।

(ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान उन तीन राज्यों में से एक राज्य है जहां केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के पयर्वेक्षण में वेध अफीम उगाई जाती है। कुछ ऐसे इनपुट हैं जिनसे यह सुझाव मिलता है कि राजस्थान में कोटा और चितोड़गढ़ दो ऐसी जगहें हैं जहां अफीम का अवैध व्यापार होता है।

(ग) से (ङ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त राज्य पुलिस, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी०बी०एन०), राजस्व आसूचना निदेशालय, (डी०आर०आई०), सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद, राज्य उत्पाद आदि ऐसी विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियां हैं जिन्हें स्वापक ड्रग्स और मन:प्रभावी पदार्थ (एन०डी०पी०एस०) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत इसके प्रावधानों का प्रवर्तन करने का अधिकार प्राप्त हैं और इनमें से अधिकांश एजेंसियों का कार्यालय कोटा और चितौड़गढ़ में है। एन०सी०बी० यूनिट की जोधपुर में अवस्थित ड्रग्स के सीमापार से होने वाले अवैध व्यापार को नियंत्रण करने में सहायक होगी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की जोधपुर यूनिट को कोटा या चितौड़गढ़ में अन्तरित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) ड्रग्स से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण-II में दिया गए हैं।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005	2006	2007 (अक्तूबर तक) (अनन्तिम)
चंडीगढ़	3	2	1
दिल्ली	24	69	29
गुजरात	2	5	1
हिमाचल प्रदेश	1	0	0
जम्मू-कश्मीर	1	0	2
केरल	1	0	0
महाराष्ट्र	19	22	19
मणिपुर	6	6	3
पंजाब	7	7	8
राजस्थान	0	10	2
तमिलनाडु	25	21	15
उत्तर प्रदेश	5	14	6
पश्चिम बंगाल	11	19	12

विवरण-II

i. आयात एवं निर्यात स्थलों, भूसीमाओं, हवाई अड्डों, विदेशी डाकघरों में प्रवर्तन एवं कड़ी निगरानी।

ii. ज्ञात ड्रग्स मार्गों के पास तीव्र निवारणात्मक एवं निषेधात्मक प्रयास।

iii. निषेध में अधिक समबद्धता के लिए विभिन्न ड्रग विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय।

iv. प्रचालनात्मक आसचूना संग्रहण, विश्लेषण एवं संवितरण में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लायजन को सुदृढ़ करना।

v. अग्रगामी रसायन की आवाजाही पर प्रशासनिक नियंत्रण में सूचना के आदान प्रदान तथा जांच सहयोग।

vi. अपराधियों का एक इलेक्ट्रानिक डाटाबेस बनाना।

vii. मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने में विधि प्रवर्तन अधिकारियों को अपनी दक्षता का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

viii. स्वापक ड्रगों की जब्ती कराने वाली सूचना देने वालों एवं अधिकारियों को मौद्रिक इनाम की योजना कार्यान्वित करना।

ix. अपनी स्वापक यूनिटों को सुदृढ़ करने के लिए पात्र राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दिल्ली पुलिस पर सी०बी०आई० के छापे

448. **श्री जीवाभाई ए० पटेल :**
श्री वी०के० दुग्गर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सी०बी०आई० द्वारा दिल्ली पुलिस के कैडरवार कुल कितने अधिकारियों पर छापे मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कैडरवार कुल कितने पुलिस अधिकारियों के पास अवैध सम्पत्ति पायी गयी;

(ग) कैडरवार ऐसे कितने पुलिस अधिकारी अभी भी सेवारत हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम

449. **श्री मोहन रावले :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) का दक्षिण दिल्ली, दक्षिण मुम्बई और दक्षिण कोलकाता से शेष शहरों में विस्तार के लाभों से संतुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों से इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट देने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत के शेष भागों में इसका विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के शेष भागों में 'कैस' को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) को अनिवार्य विनियामक ढांचे के अंतर्गत इन तीन महानगरों के कुछ भागों में पहले ही सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। राज्य सरकारों से लोगों की प्रत्यक्ष राय प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता संतुष्टि और अन्य मुद्दों के बारे में त्वरित बाजार सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया गया है जिससे राज्यों और केंद्र को भावी कार्रवाई योजना के संबंध में सलाह देने तथा कैस का और अधिक विस्तार करने से पूर्व सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, को समावेशित करने में मदद मिलेगी।

(ङ) और (च) केन्द्र राज्य सरकार के स्वतंत्र निष्कर्षों के आधार पर कैस को लागू करने के संबंध में निर्णय लेने को वरीयता देती है कि क्या वे कैस को इसी रूप में विस्तारित करना चाहते हैं या वे इसमें कोई आशोधन चाहते हैं।

[हिन्दी]

गवाहों को सुरक्षा

450. **श्री तुकाराम गणपतराव रंगे पाटील :**
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवाहों को प्राय: परेशान किया जाता है तथा उन पर अपना साक्ष्य बदलने के लिए दबाव डाला जाता है। अथवा साक्ष्य देने से उन्हें रोका जाता है;

(ख) यदि हां, तो गवाहों को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इस संबंध में विद्यमान प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रावधानों के अंतर्गत कितने लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि गवाहों पर दलील बदलने के लिए प्रभाव डाला जाता है।

(ख) विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में गवाह संरक्षण कार्यक्रम विषय पर प्रकाश डाला है। चूंकि दण्ड न्याय प्रणाली संविधान की समवर्ती सूची में है इसलिए विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई विचार बनाने पर पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उसकी जांच करनी होती है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 194, 195 और 195 क में झूठा साक्ष्य देने अथवा गढ़ने और किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकाने का प्रावधान है।

(घ) न्यायालय द्वारा प्रतिकूल घोषित गवाहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है इसलिए गृह मंत्रालय में कोई केन्द्रीयकृत डाटा नहीं रखा जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक

451. **श्री हंसराज गं० अहीर :**
श्री ब्रजेश पाठक :
श्री एल० राजगोपाल :
श्री मो० ताहिर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार को किसानों के हित में इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) और अन्य कल्याणकारी स्कीमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चावल की अधिकतम खरीद करने के प्रयोजनार्थ सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इस वस्तु के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के विरूद्ध विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सरकार ने गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है बशर्ते उसकी न्यूनतम निर्यात कीमत 425 अमरीकी डॉलर प्रति टन से अधिक हो।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालय

452. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में विशेष आर्थिक जोन (सेज) के माध्यम से संचालन की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मीडिया आयोग

453. **श्री एम० राजा मोहन रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने केन्द्र सरकार से सम्पूर्ण मीडिया के कार्यकरण को विनियमित करने हेतु एक संयुक्त व स्वतंत्र मीडिया आयोग स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) उक्त आयोग का कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने अपने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि मीडिया विषय विनियमन और इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया को प्रेस परिषद के अधिकार क्षेत्र में लेकर इसकी स्वतंत्रता परिरक्षण के लिए एक ही प्राधिकरण की स्थापना की जाए तथा इसका नया नाम मीडिया मॉनीटरिंग कमीशन ऑफ इंडिया रखा जाए।

(ग) उक्त अनुरोध की जांच की गई लेकिन प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

इग्नू द्वारा शिक्षा

454. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना का उद्देश्य क्या है;

(ख) इग्नू में वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र से कितने विद्यार्थी हैं;

(ग) इग्नू द्वारा सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा मुहैया कराने हेतु अब तक किन तकनीकों का प्रयोग किया गया है;

(घ) क्या इग्नू अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल नहीं हो पाया है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू करके इसका प्रोन्नयन करने और इन प्रणालियों में मानकों के समन्वयन एवं निर्धारण करने के लिए की गई थी जिसका उद्देश्य देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग को उच्चतर शिक्षा का अवसर प्रदान करना और समुदाय के शैक्षिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

(ख) इस समय इग्नू में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 16 लाख है जिनमें पर्वतीय, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें से लगभग 4.61 लाख विद्यार्थियों को इस वर्ष जनवरी तथा जुलाई के चक्र में दाखिला दिया गया है।

(ग) यह विश्वविद्यालय दूरदराज के इलाकों में शिक्षा प्रदान करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों, शंकाएं दूर करने हेतु अध्ययन केन्द्र प्रक्रिया विधि, स्वाध्याय सामग्रियों, श्रव्य-दृश्य सहायकों, टैलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ज्ञान-दर्शन शैक्षिक टी०वी० चैनल, ज्ञानवाणी रेडियो प्रसारण और इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग आदि का प्रयोग करता है।

(घ) और (ङ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों को धनराशि का आवंटन

455. श्री निखिल कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०) से अनुदान पाने के लिए अर्ह नहीं हैं और यहां तक कि वे न्यूनतम शिक्षण मानदण्डों को भी पूरा करने में विफल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाविद्यालयों को धनराशि मुहैया कराने संबंधी मानदण्डों का उचित पालन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) देश में 20, 676 कालेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अंतर्गत

वित्तीय सहायता के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनमें से 5661 कालेजों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (बी) के अंतर्गत सूची में शामिल किया गया है। 31.3.07 की स्थिति अनुसार धारा 12 बी के अंतर्गत शामिल कालेजों की संख्या (राज्यवार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। केवल वही कालेज जो विश्वविद्यालय से स्थायी रूप से सम्बद्ध हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 बी के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं जबकि अधिकतर कालेजों, जिन्हें विश्वविद्यालयों से सम्बद्धन प्राप्त नहीं है, वे उसमें शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं।

विवरण

31.3.07 की स्थिति अनुसार (राज्यवार) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के अंतर्गत शामिल कालेजों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	धारा 12 (बी) के अंतर्गत कालेजों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	405
2.	अरूणाचल प्रदेश	06
3.	असम	184
4.	बिहार	295
5.	छत्तीसगढ़	140
6.	गोवा	22
7.	गुजरात	350
8.	हरियाणा	145
9.	हिमाचल प्रदेश	48
10.	जम्मू-कश्मीर	42
11.	झारखण्ड	83
12.	कर्नाटक	497
13.	केरल	213
14.	मध्य प्रदेश	380
15.	महाराष्ट्र	757
16.	मणिपुर	46
17.	मेघालय	24
18.	मिजोरम	14
19.	नागालैण्ड	10
20.	उड़ीसा	288
21.	पंजाब	210
22.	राजस्थान	207
23.	सिक्किम	03
24.	तमिलनाडु	281
25.	त्रिपुरा	16
26.	उत्तर प्रदेश	473
27.	उत्तरांचल	40
28.	पश्चिम बंगाल	374
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	02
30.	चंडीगढ़	18
31.	दादर व नगर हवेली	—
32.	दमन द्वीव	01
33.	दिल्ली	76
34.	लक्षद्वीप	—
35.	पांडिचेरी	11
	कुल	5661

सर्व शिक्षा अभियान हेतु विदेशी ऋण

456. श्री हितेन बर्मन :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) के अंतर्गत देश में शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु विश्व बैंक/यूनेस्को सहित ब्रिटेन और अन्य देश वित्तीय सहायता मुहैया कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त विदेशी सहायता का देशवार/संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त धनराशि को वास्तविक रूप से इन कार्यक्रमों पर खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समीक्षा कब की गयी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) यूनाइटिड किंगडम (यू०के०) {अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डी०एफ०आई०डी०)}, विश्व बैंक (डब्ल्यू०बी०) और यूरोपीय कमीशन (ई०सी०) 2003-04 से 2006 तक सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करते रहे हैं। वर्तमान में विश्व बैंक राजस्थान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का निधीयन कर रहा है और यू०के० का डी०एफ०आई०डी० उड़ीसा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का निधीयन कर रहा है। इन एजेंसियों से निधीयन प्रतिपूर्ति के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है।

पिछले तीन वर्षों में इन एजेंसियों से भारत सरकार द्वारा ली गई प्रतिपूर्ति निम्नानुसार है:—

सर्व शिक्षा अभियान	निधीयन एजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी राशि (रु० करोड़ में)		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
निधियन एजेंसी			
यू०के० (डी०एफ०आई०डी०)	425.94	504.12	434.80
विश्व बैंक	621.71	1133.71	477.76
यूरोपीय कमीशन	—	704.15	179.35
डी०पी०ई०पी०			
विश्व बैंक	431.09	400.05	65.72
यू०के० (डी०एफ०आई०डी०)	197.90	148.57	51.41

विदेशी निधीयन एजेंसियां भारतीय विशेषज्ञों के साथ छमाही संयुक्त समीक्षा मिशन के माध्यम से इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए पिछला संयुक्त समीक्षा मिशन जुलाई, 2007 में और डी०पी०ई०पी० के लिए पिछला संयुक्त समीक्षा मिशन सितम्बर, 2007 में आयोजित किया गया था। दोनों कार्यक्रमों के लिए पिछले संयुक्त समीक्षा मिशन के कार्यक्रमों को सही दिशा में पाया है।

[हिन्दी]

खनन उद्योग में बेरोजगारी

457. श्री गिरिधारी यादव :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खान उद्योग के बंद होने से बिहार, झारखंड तथा दूसरे राज्यों में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग-वार, राज्य-वार तथा संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार खानों के बंद होने के कारण कामगारों की छंटनी के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	खनन कंपनी का नाम	बंद होने का वर्ष	राज्य	छंटनी किए गए कामगारों की संख्या	छंटनी किए गए कामगारों की स्थिति
1.	भारत गोल्ड माइंस लि०	2001	कर्नाटक	2585	सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) के लाभ दिए गए।
2.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं०लि०	2005	कर्नाटक	700	कर्मचारियों को अन्य खानों में नियोजित किया गया।
3.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	2003	झारखंड	उपलब्ध नहीं	अन्य खानों में कर्मचारी पुनर्नियोजित किए गए।
4.	मै० पाइराइट फास्फेट एण्ड कैमिकल लि०	2003	बिहार	500	सेवा समाप्ति (टर्मिनेशन) के लाभ दिए गए।

(ग) और (घ) वर्ष 1993 में, राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा के साथ खनन क्षेत्र को उदार बनाया गया और खनन प्रचालन मोटे तौर से आर्थिक व्यवहार्यता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता और जारी अदालती आदेशों, यदि कोई हों, पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

458. श्री पी०सी० थामस : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में मुक्त व्यापार में भारतीय सी-फूड को सम्मिलित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संबंध में आयातों के बढ़ जाने से भारत के मत्स्य और सी-फूड उद्योग के बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस तरह के घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। भारत-यूरोपीय (ई०यू०) व्यापक आधारित व्यापार एवं निवेश करार हेतु वार्ताएं दिनांक 28.06.2007 को ब्रुसेल्स में शुरू हुई थीं।

(ख) से (ङ) वार्ताओं के वर्तमान चरण में टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले उत्पादों की किसी सूची का आदान-प्रदान नहीं किया गया है। हमारी चिंताओं को निर्धारित करने के लिए पणधारकों के साथ परामर्श करना शुरू कर दिया गया है ताकि वार्ताओं में आवश्यक रक्षोपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्ष्य

459. श्री महावीर भगोरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कब तक शिक्षा प्रदान की जानी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार शिक्षित किए गए बच्चों की राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षक-छात्र अनुपात, विद्यालय भवनों तथा कक्षाओं के निर्माण, पेयजल तथा शौचालय सुविधाओं एवं शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा कितनी उपलब्धियां हासिल की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र को कितना आबंटन किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को वर्ष 2010 तक देश में जन-जन तक पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

(ख) से (घ) वर्ष 2004-05 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों

में नामांकित बच्चों तथा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान देश में प्रारंभिक स्तर पर नामांकित बच्चों तथा 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 तथा 2007-08 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रारंभिक स्तर पर नामांकित बच्चे	जारी की गई केन्द्रीय निधियां (रुपए लाख में)			
		2004-05*	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (12.11.07 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	11335441	28000	37999	46245.56	18100.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	244343	3009	4442.51	714374	2845.10
3.	असम	4900420	20654	13850	51464.72	2838.90
4.	बिहार	12251108	31970.56	32399.56	107744.39	81200.96
5.	छत्तीसगढ़	4615496	20786.76	30184.39	50182.2	26462.58
6.	गोवा	180274	0	728.12	724.12	421.54
7.	गुजरात	9026557	14072	15084.84	14806.97	12422.16
8.	हरियाणा	3258753	12881.55	10196.55	25647.12	11150.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1089609	6144	7614.66	6250.75	3715.00
10.	जम्मू-कश्मीर	1426376	7747.18	18530.65	22083.37	3000.00
11.	झारखंड	4371243	16568.5	28568.5	51515	38309.99
12.	कर्नाटक	8830209	26280.7	28303.78	54206.98	22161.34
13.	केरल	4171452	8939	5939	6382	5137.60
14.	मध्य प्रदेश	14178041	44608.919	77173.12	110879.68	31688.87
15.	महाराष्ट्र	17574035	35489.79	50235.31	52158.56	16832.18

1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	486197	1225	3208.44	9.24	0.00
17.	मेघालय	604795	2930.81	1921	4294	2359.63
18.	मिजोरम	175219	3300.24	2559.15	3441.69	1210.00
19.	नागालैंड	309866	2088.49	2323.01	2315.2	885.00
20.	उड़ीसा	7059501	21807.27	32792.5	44010.95	27457.43
21.	पंजाब	2943502	3040	14683.89	12879.92	3500.00
22.	राजस्थान	12486603	23549.397	60313.43	75809.82	50633.00
23.	सिक्किम	114832	1000.25	1062.5	402.14	99.72
24.	तमिलनाडु	10101274	26517	35329.53	37329.65	22808.15
25.	त्रिपुरा	648799	4703.96	7070.19	5330.01	1188.63
26.	उत्तर प्रदेश	31677660	87761	182799	206654	85885.00
27.	उत्तराखण्ड	1743757	9144.705	10004	16934	4943.69
28.	पश्चिम बंगाल	13503378	46024.36	34199.79	61736.8	44162.24
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63703	272.58	163	419.62	50.00
30.	चंडीगढ़	100624	447.95	350	300	634.95
31.	दादर और नगर हवेली	45481	111.91	0	100	25.00
32.	दमन और दीव	24481	0	111.91		
33.	दिल्ली	2283206	0	1100	4230.24	1499.98
34.	लक्षद्वीप	11163	12.03	0	87.47	
35.	पांडिचेरी	171095	225.53	529.4		286.68
	कुल	182008493*	511314.441	751770.73	1083719.91	523915.32

*स्रोत: चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2004-05

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य का नाम	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लक्ष्य				30.9.07 तक पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में स्कूल भवनों की उपलब्धता (जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा प्रगति पर है)	अतिरिक्त शिक्षण कक्षों के निर्माण कार्य का लक्ष्य				30.9.07 तक पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों की उपलब्धता (जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा प्रगति पर है)	** शिष्य शिक्षक अनुपात
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1800	3406	2548	173	8265	2788	4002	14316	7679	22602	24
2.	अरूणाचल प्रदेश	140	0	509	15	545	8	0	697	0	1154	23
3.	असम	6928	0	204	0	0	42	0	30000	0	20983	25
4.	बिहार	641	541	15000	10094	3990	7605	3773	61000	61000	130369	65
5.	छत्तीसगढ़	1291	3269	7205	2591	6	2120	2063	1727	4245	6603	28
6.	गोवा	0	0	0	0	5	0	41	95	91	41	25
7.	गुजरात	720	16	100	0	0	4944	2184	7145	1999	12224	35
8.	हरियाणा	322	411	527	308	1218	2120	1965	4757	1219	10651	33
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	890	1859	1340	1275	1421	5847	20
10.	जम्मू-कश्मीर	480	742	2236	2287	6154	734	60	3336	0	4841	18
11.	झारखंड	0	1797	5949	8431	22219	9303	5135	11415	0	23045	48
12.	कर्नाटक	352	616	743	655	2677	3885	7636	13625	4743	30000	30
13.	केरल	112	44	156	2	0	1505	1523	1389	448	4948	29
14.	मध्य प्रदेश	5873	5524	10301	4730	37999	3374	13373	15134	9700	34412	36

पेयजल के लक्ष्य				30.9.07 तक पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में पेयजल की उपलब्धता (जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रगति पर है)	प्रसाधन कक्षों के लिए लक्ष्य				30.9.07 तक पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में प्रसाधन कक्षों की उपलब्धता (जिनका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रगति पर है)	वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण के लक्ष्य (20 दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण)				वर्ष 2006-07 में वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण की उपलब्धियां
2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2953	1796	0	760	4307	128	777	0	2478	4386	104356	108950	266085	282632	242137
311	0	0	0	2220	261	0	0	0	526	7735	9271	9666	0	7264
0	0	788	0	786	1485	0	967	0	2611	105287	153278	156133	170755	158735
5060	2351	78	0	12823	7883	7246	94	0	30356	100974	130305	152302	191658	60956
1738	490	0	2831	2288	3101	425	0	0	5905	102065	63566	81805	105274	81805
0	166	129	0	215	0	239	216	68	343	0	7177	5501	6786	4958
5374	890	184	187	4471	5733	1252	3	152	4104	130642	173871	174504	178208	173512
987	1946	0	0	3805	990	2354	0	2754	6686	67897	67402	71179	68044	71000
430	627	0	0	2635	1036	1224	0	500	5081	898160	48252	46726	46796	38468
415	0	0	0	262	418	0	0	0	262	50189	42052	52832	54941	52942
2673	1400	0	0	5864	3844	1400	0	0	7457	46691	56054	54981	122338	40779
5497	1702	0	0	12080	5973	1702	0	0	14100	193634	206472	215790	201795	215790
579	4209	0	1551	5861	916	6804	0	1574	9524	112562	129491	129359	131018	129359
0	0	1477	10301	16242	0	0	8753	10301	20706	97480	299194	304760	276671	268337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
15.	महाराष्ट्र	2865	4900	395	3278	685	3174	5871	14410	3007	34549	29
16.	मणिपुर	170	287	283	0	41	110	182	366	497	371	20
17.	मेघालय	0	0	500	337	1560	0	0	1000	0	18	17
18.	मिजोरम	297	0	424	0	109	101	0	47	0	240	17
19.	नागालैंड	0	44	61	0	0	248	201	1556	0	2194	22
20.	उड़ीसा	1929	1245	3868	1989	9174	3036	1172	6480	12618	10747	35
21.	पंजाब	97	0	88	9	1005	1603	2905	4562	1421	11292	33
22.	राजस्थान	3004	2359	817	0	11180	2395	4743	29039	15405	45384	33
23.	सिक्किम	5	4	2	0	87	124	0	130	0	204	15
24.	तमिलनाडु	1031	592	672	1094	4424	3984	4983	12464	0	21922	29
25.	त्रिपुरा	289	252	488	0	1282	325	225	301	0	1251	23
26.	उत्तर प्रदेश	7678	6804	6970	6323	20715	18552	65636	82117	31535	172706	57
27.	उत्तराखंड	370	630	926	554	1426	327	557	1641	762	3736	26
28.	पश्चिम बंगाल	120	215	288	0	0	10992	12088	38500	33222	65841	54
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	2	2	0	4	20	34	50	0	54	16
30.	चंडीगढ़	10	12	0	0	6	20	60	0	0	14	24
31.	दादर और नगर हवेली	0	0	86	6	57	0	0	13	58	243	41
32.	दमन और दीव	12	0	0	0	0	0	9	2	0	11	34
33.	दिल्ली	0	0	2	4	0	0	553	350	160	903	35
34.	लक्षद्वीप	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16
35.	पांडिचेरी	15	13	0	10	0	91	72	0	0	0	24
	कुल	36551	33725	61355	42870	135723	85441	142386	358939	191230	679400	36

**इस मद पर कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

स्रोत-जिला शिक्षा सूचना प्रणाली आंकड़े वर्ष 2005-06

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6483	7	1636	554	7294	5276	0	0	906	7977	406730	430348	426924	403284	233000
697	165	0	0	820	866	270	0	0	1293	2817	6810	3550	5000	2435
1100	0	0	0	5634	0	0	0	0	1650	16171	2530	16784	7495	8993
315	0	351	0	846	486	0	322	0	871	505	8989	10079	10287	10079
455	724	0	0	1959	643	1131	0	0	3006	10215	11333	12073	9031	9510
1417	2011	0	0	6616	1552	2540	0	0	7910	4329	105802	122185	127303	108985
4375	0	0	0	19887	4375	0	0	0	14125	80710	99539	77776	75424	53564
2845	7370	0	2312	15751	5718	8428	2005	0	20078	107856	110159	173265	200475	173039
74	38	3860	0	369	111	75	0	0	634	4162	2511	2241	1000	608
1675	3058	0	0	7766	1758	5279	0	0	12343	184494	217526	210624	221604	210624
191	628	0	0	1507	224	500	0	0	1319	8426	29887	20547	0	20547
0	7409	0	0	7776	0	19511	0	19511	4024	401296	286595	300433	304697	300433
895	2726	0	634	5267	819	1783	0	2127	4548	56183	43376	42605	40658	41042
3223	2990	0	0	10189	3223	2196	0	6508	12695	109976	148158	206360	234430	179600
14	25	0	0	11	13	28	0	0	22	3083	2914	3095	3485	450
0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2158	1400	1100	945	1203
0	0	0	16	75	0	0	0	69	75	627	627	983	1161	983
0	36	0	0	41	0	47	0	0	52	455	0	415	426	415
0	68	0	0	136	0	0	610	0	0	42868	44215	47792	50543	47792
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	419	419	620	54
31	55	0	0	469	31	55	0	58	439	5116	4812	4742	4775	2997
49807	42887	8503	19146	166272	56869	65266	12970	47006	205108	3466268	3053285	3405615	3539559	2952395

[अनुवाद]

खादी का उत्पादन

460. श्री विजय कृष्ण : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खादी वस्त्रों के उत्पादन एवं बिक्री में निरंतर कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग में कुल कितने बुनकर कार्य कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनकी संख्या में कितनी कमी आई;

(घ) खादी वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा इसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इसके लिए किन मुख्य कारणों की पहचान की गई है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की जा रही है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। पिछले पांच वर्षों (2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07) में खादी का उत्पादन और बिक्री में वृद्धि निम्नलिखित है:

वर्ष	उत्पादन मूल्य (करोड़ रु० में)	बिक्री मूल्य (करोड़ रु० में)
2002-03	443.07	577.63
2003-04	453.50	587.04
2004-05	461.54	617.84
2005-06	468.30	628.69
2006-07	491.52	663.19

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) खादी क्षेत्र में बुनकरों की संख्या में कोई कमी नहीं आई और 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान खादी क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)
2004-05	9.87
2005-06	6.90
2006-07	7.01

(घ) से (च) खादी कपड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार और के०वी०आई०सी० द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) के०वी०आई०सी० ने टेक्सटाइल कमिटी एक्ट, 1963 के तहत वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय टेक्स्टाइल कमिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत कमिटी ने खादी कपड़े की गुणवत्ता जांचने के लिए अपने प्रयोगशाला के आधारभूत ढांचे को उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है। प्रतिष्ठित अनुसंधान व विकास (आर० एंड डी०) संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित किए गए ताकि वे के०वी०आई० इकाइयों को अपने आर० एंड डी० प्रयासों के परिणाम प्रदान कर सकें।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), दिल्ली की मदद से खादी के परीक्षण गुणवत्ता मानदंडों के तकनीकी मैनुअल, विनिर्देशों और मानकों को तैयार कर लिया गया है और एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। तकनीकी मैनुअल खादी के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, स्लिवर, यार्न, फेब्रिक, आदि के नमूनों की जांच के दौरान अपनाई जाने वाली क्रियाविधि को विनिर्दिष्ट करता है, जिससे खादी उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद है।

(iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), दिल्ली के तकनीकी सहयोग से, के०वी०आई०सी० ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता और दर्शनीयता सुधारने के लिए खादी क्षेत्र में विशेष फिनिशिंग तकनीक आरंभ की है और प्रायोगिक आधार पर क्षेत्रीय श्री खादी आश्रम, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) में एक संसाधन सुविधा स्थापित की गई है।

(iv) खादी संस्थानों को गुणवत्ता स्लिवर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में के०वी०आई०सी० द्वारा 6 स्लिवर प्लांटों की स्थापना।

(v) सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी०एफ०सी०) की स्थापना के लिए के०वी०आई०सी० द्वारा ग्रामीण उद्योग सेवा केंद्रों (आर०आई०एस०सी०) की स्थापना।

(vi) खादी उत्पादों के सुधरे डिजाइनों और पैकेजिंग के लिए उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(vii) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई०एस०ई०सी०) योजना के तहत खादी व ग्रामोद्योग आयोग (के०वी० आई०सी०)/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों में पंजीकृत संस्थानों की आकलित आवश्यकता के अनुसार बैंकों द्वारा 4 प्रतिशत प्रति वर्ष के रियायती ब्याज दर पर ऋण।

(viii) 2005-06 से शुरू होकर लगभग पांच वर्षों तक देश भर में 34 खादी क्लस्टर विकसित करने के लिए परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति) आरंभ करना।

सरकारी विद्यालयों में सुविधाएं

461. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विद्यालयों में विशेषकर महिला शिक्षकों तथा छात्राओं के लिए पेयजल सुविधाओं, शौचालयों की स्थिति शोचनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट मंगाई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) विद्यालयों मे महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर शौचालय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र को किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) शिक्षा समवर्ती विषय होने के कारण, स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्कूलों अर्थात केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों का प्रश्न है, सुरक्षित पेय जल और बालिकाओं और महिला शिक्षकों के लिए अलग से शौचालयों हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्रारंभिक स्तर पर लागू किया जा रहा है, के अन्तर्गत राज्यों को सिविल कार्यों, जिनमें कि पेयजल और शौचालय सुविधाएं शामिल हैं, के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं। स्कूलों को शामिल करने के लिए पेयजल मिशन और पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का भी सम्मिलन कर दिया गया है। दिल्ली में सरकारी और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में स्वच्छ शौचालय सुविधाओं की कमी से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उन्हें स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए कहा है।

जनजातीय छात्रों के साथ भेदभाव

462. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में जनजातीय छात्रों के साथ भेदभाव किया जा रहा है जिससे उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार की जानकारी में आए मामलों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) शिक्षा समवर्ती विषय होने के कारण, स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के संबंध में सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 में सभी स्कूलों को शामिल किए जाने की नीति के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया है। ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्याओं'' पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस ग्रुप ने विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक ढांचा और अन्य सुविधाओं, अर्हता प्राप्त शिक्षकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षण-अध्ययन समाग्री के संदर्भ में उचित प्रावधान करने की आवश्यकता को दोहराया है।

इंजीनियरिंग कालेजों का खोला जाना

463. श्री पी०सी० गद्दीगठडर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान कितने नए इंजीनियरिंग कालेजों को कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन कालेजों के पास राष्ट्रीय मानदण्डों की उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कालेजों को चलाने के लिए यथेष्ट आधारभूत ढांचा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ग) अखिल तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 231 नए इंजीनियरी कालेजों को वर्ष 2007-2008 के दौरान अनुमोदन दे दिया गया है। नए इंजीनियरी कालेजों, जिन्हें वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदन दिया गया है, के नामों से संबंधित ब्यौरा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, की वेबसाइट (www.aicte.ernet.in) में उपलब्ध है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन संस्थाओं को अनुमोदन दे दिया है जो अपरूवल प्रोसेस हैंडबुक में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अद्यतन बनाया गया

464. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए०ए०एस०यू० तथा असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय बैठक में संकल्पित राष्ट्रीय नागरिक पंजिका को अद्यतन बनाए जाने का कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके निष्पादन को किस प्रकार त्वरित किए जाने का सरकार का प्रस्ताव है तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसके निष्पादन में मुख्य बाधाएं क्या हैं तथा कठिनाईयों पर किस प्रकार काबू पाने का सरकार का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) असम सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एन०आर०सी०), 1951 को अद्यतन बनाने का प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है। 1971 तक उपलब्ध मतदाता सूचियों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया और 1971 तक उपलब्ध मतदाता सूचियों की यथा-उपलब्ध द्वारा प्रविष्टि तथा एन०आर०सी०, को भी पूरा किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को रूपात्यकताएं बनाने की सलाह दी गई है।

सार्क देशों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

465. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सार्क देशों के गृह मंत्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : (क) और (ख) सार्क इंटीरियर/गृह मंत्रियों की दूसरी बैठक नई दिल्ली में 25 अक्टूबर, 2007 को आयोजित की गई थी। इस बैठक से पूर्व 24 अक्टूबर, 2007 को सार्क इंटीरियर/गृह सचिवों की द्वितीय बैठक तथा 23 अक्टूबर, 2007 को पुलिस मामलों में सहयोग पर छठा सम्मेलन आयोजित किया गया था। इन बैठकों/सम्मेलनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकवाद, मादक पदार्थों का अवैध व्यापार तथा मानवों के अवैध व्यापार द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की गई। आतंवाद, संगठित अपराध, धन प्रतिशोधन तथा अन्य गंभीर प्रकृति के अपराधों का सामना करने और क्षमता निर्माण, आसूचना भागीदारी आदि के जरिए सहयोग

सम्वर्धन के लिए संस्थागत् तंत्र को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया।

पुरूलिया में हथियार गिराए जाने का मामला

466. श्री वसुदेव आचार्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुरूलिया में हथियार गिराए जाने के मामले की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सी०बी०आई० द्वारा हाल में जारी किए गए लुक-आउट नोटिस के बाद की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी हां। जांच-पड़ताल से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि छद्म रूप से हथियार प्राप्त करने और आनंद मार्ग के कुछ अनुयायिओं के इस्तेमाल के लिए उन्हें जहाज से गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश के परिणामस्वरूप पुरुलिया में हथियार गिराये गए थे।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में संलिप्त 14 अभियुक्तों के विरुद्ध चौकसी नोटिस जारी किए हैं। 14 व्यक्तियों में से 13 व्यक्ति अभी भी फरार हैं। किम पी डैवी उर्फ नील्स होल्क नेल्सन उर्फ नील्स क्रिस्वियन नेल्सन नामक एक अभियुक्त का पता फरवरी, 2002 में डेनमार्क में लगाया गया था और संगत दस्तावेजों के साथ 18.10.2002 को डेनमार्क को औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया था।

ग्रेनेड तथा आई०ई०डी० विस्फोटकों के लिए सुरक्षोपाय

467. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेनेड तथा आई०ई०डी० विस्फोटों से सुरक्षोपायों के बारे में लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के उग्रवाद एवं नक्सल प्रभावित राज्यों में किए गए/प्रस्तावित प्रयासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेरह विद्रोही संगठनों के एक समह युनाइटेड जिहाद काउन्सिल ने जम्मू एवं कश्मीर में बारूदी सुरंगों का उपयोग नहीं करने की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ अवांछित और/अथवा संदिग्ध पदार्थों और व्यक्तियों तथा सामग्री के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए आम जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी है, सभी थाना प्रभारियों का आतंकवाद विरोधी उपायों पर करने और न करने योग्य सामग्री तैयार करनी और सामान्य जनता के बीच वितरित करनी चाहिए।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कश्मीर में परिचालित यूनाईटेड जेहाद काउन्सिल के पास/पाक अधिकृत कश्मीर आधिरित चैयरमैन सैय्यद सलाहुद्दीन ने 5.11.2007 को 'कश्मीर वाच' पर विचार दिए साक्षात्कार में कार्मिक विरोधी बारूदी सुरंग के इस्तेमाल पर पावंदी लगाने संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है।

औद्योगिक निवेश

468. डा० वल्लभभाई कथीरिया :
श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितना औद्योगिक निवेश किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसमुक्त क्षेत्र में दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या तथा लाइसेंस योग्य क्षेत्र में जारी किए गए आशय-पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, जिसमें राज्य वार प्रस्तावित निवेश दिखाये गए हैं, में दिया गया हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

प्रस्तावित निवेश करोड़ रुपये

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार निवेश

क्र० सं०	राज्यों का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	31	0	31
2.	आन्ध प्रदेश	16596	19001	48660	84257
3.	अरूणाचल प्रदेश	51	41	111	203
4.	असम	430	809	2044	3283
5.	बिहार	314	3913	4850	9077
6.	चंडीगढ़	1	0	234	235
7.	छत्तीसगढ़	47602	39914	118737	206253
8.	दादरा एवं नगर हवेली	834	2374	2794	6002
9.	दमन एवं दीव	418	780	1559	2757
10.	दिल्ली	20	20	218	258
11.	गोवा	171	296	316	783
12.	गुजरात	29695	82901	72283	184879
13.	हरियाणा	2737	5578	16095	24410
14.	हिमाचल प्रदेश	3384	1774	1906	7064
15.	जम्मू-कश्मीर	2719	2058	2306	7083
16.	झारखण्ड	10539	54089	35257	99885
17.	कर्नाटक	10969	15353	72250	98572
18.	केरल	294	610	1211	2115
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	8538	18782	12537	39857
21.	महाराष्ट्र	13256	24694	62191	100141

1	2	3	4	5	6
22.	मणिपुर	0	7	10	17
23.	मेघालय	215	634	1280	2129
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैंड	2	0	0	2
26.	उड़ीसा	45565	38255	96869	180689
27.	पाण्डिचेरी	263	411	753	1427
28.	पंजाब	4190	7127	10128	21445
29.	राजस्थान	2162	5077	10040	17279
30.	सिक्किम	243	548	882	1673
31.	तमिलनाडु	54481	11841	20377	86699
32.	त्रिपुरा	251	0	0	251
33.	उत्तर प्रदेश	21633	31710	33745	87088
34.	उत्तरांचल	2441	5706	14887	23034
35.	पश्चिम बंगाल	14078	12047	51836	77961
36.	एक से ज्यादा राज्य में स्थापना स्थल	2	0	0	2
	योग	294094	386381	696366	1376841

नोट: प्रस्तावित निवेश जारी किए गए आशय पत्रों (एल०ओ०आई०)/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों तथा दायर किए गए औद्योगिकी उद्यमी ज्ञापनों के संदर्भ में हैं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रवार (राज्य सम्मिलित) एफ०डी०आई० इक्विटी अन्तर्वाह के लिए वित्तीय वर्षवार विवरण पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	आर०बी०आई० का क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य सम्मिलित	2004-2005	2005-2006	2006-2007	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	747.85	1,056.78	2,695.60	4,500.23

1	2	3	4	5	6	7
2.	गुवाहाटी	असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	13.39	0	0	13.39
3.	पटना	बिहार, झारखंड	0	0	0.6	0.60
4.	अहमदाबाद	गुजरात	610.53	666.36	1,682.81	2,959.70
5.	बंगलौर	कर्नाटक	1,131.34	1,818.05	3,209.81	6,159.20
6.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	33.77	57.9	60.72	152.39
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छतीसगढ़	69.25	42.55	131.56	243.36
8.	मुम्बई	महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव	3,183.13	4,290.17	16,194.62	23,667.92
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0	315.88	49.38	365.26
10.	जयपुर	राजस्थान	4.58	3.32	231.43	239.33
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	358.47	1,190.10	5,891.93	7,440.50
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.03	0	57.7	57.73
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	467.37	407.82	263.26	1,138.45
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	13.49	378.16	98.62	490.27
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाग	3,717.53	4,564.93	11,079.10	19,361.56
16.	पणजी	गोवा	100.66	33.73	345.47	479.86
17.	राज्य जो दर्शाये नहीं गये*	क्षेत्र दर्शाये नहीं गये	4,201.34	9,758.63	14,397.61	28,357.58
	कुल योग		14,652.73	24,584.37	56,390.22	95,627.32
18.	अंतर्वाह का अग्रिम*		2,485.15	0	0	2,485.15
19.	स्टॉक स्वेपड*		0	28.37	14,239.86	14,268.23

1	2	3	4	5	6	7
20	एन०आर०आई० आर०बी०आई० योजनाएं*		0	0	0	0.00
	कुल योग *(करोड़ रुपये में)		17,137.88	24,612.74	70,630.08	112,380.70
	कुल योग (बिलियन अमेरिकी डालर में)		US$ 3.8	US$ 5.5	US$ 15.7	US$ 25.0

नोट : (i) केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामल है।

(ii) क्षेत्रवार एफ०डी०आई० अन्तर्वाह, आर०बी०आई०, मुंबई द्वारा प्रस्तुत आर०बी०आई० के क्षेत्रवार अंतर्वाह के अनुसार वर्गीकृत हैं।

(iii) 'भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई द्वारा इन मार्गों में क्षेत्रवार नहीं दर्शाया गया है।

(iv) रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रवार अन्तर्वाह उपलब्ध नहीं कराया है।

[हिन्दी]

फर्जी मुठभेड़

469. **श्री अजीत जोगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश में राज्य-वार पुलिस कार्मिक द्वारा फर्जी मुठभेड़ों के कुल कितने मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुरूप।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लोक सेवकों से कृत्यों में पारदर्शिता लाने और दायित्व निर्धारित करने के लिए पुलिस मुठभेड़ में हुई मौतों के सभी मामलों में मानक प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यों को परामर्शी पत्र भेजता रहता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए मामलों आरोप-पत्रित पुलिस कार्मिकों और फर्जी मुठभेड़ों के लिए दोषी पुलिस कार्मिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004			2005			2006		
		सी०आर०	सी०एस०	सी०वी०	सी०आर०	सी०एस०	सी०वी०	सी०आर०	सी०एस०	सी०वी०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमालच प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	संघ शासित प्रदेश									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	01	07	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र का)	0	0	0	0	0	0	01	07	0
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	0	0	0	0	0	0	01	07	0

सी०आर० – पंजीकृत मामलें

सी०एस० – आरोप पत्रित पुलिस कार्मिकों की संख्या

सी०वी० – दोष सिद्ध पुलिस कार्मिकों की संख्या

[अनुवाद]

आपदा अनुक्रिया बल को सुदृढ़ किया जाना

470. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को किन्हीं राष्ट्रीय आपदाओं आदि के दौरान कार्य करने के लिए उपर्युक्त रूप से प्रशिक्षित तथा सुसज्जित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल में और बटालियन शामिल कर इसे सुदृढ़ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां। प्रशिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एन०डी०आर०एफ०) के कार्मिकों को प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट केन्द्रों में प्रदान किया जाता है। ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावी रूप से अनुक्रिया कर सकें। सरकार ने एन०डी०आर०एफ० के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रापण किए जाने का अनुमोदन कर दिया है। इनमें से कुछ उपकरणों का प्रापण कर लिया गया है और अन्य उपकरण प्रापण के विभिन्न चरणों में है।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रतीक संबंधी विवाद

471. श्री राकेश सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक से 'सत्यमेव जयते' हटाए जाने से संबंधित मामले का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के नोटिस में यह आया है कि कुछ सरकारी एजेंसियां अपनी कार्यलयी लेखन सामग्री, दस्तावेजों, मोहर आदि पर भारत के राज्य प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते समय अक्सर 'सत्यमेव जयते' के आर्दश वाक्य को हटा देते हैं जोकि राज्य प्रतीक का भाग हैं और केवल शेर के चिन्ह को ही प्रदर्शित करते हैं

(ग) इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को स्थिति स्पष्ट करते हुए जारी की है कि लेखन सामग्री, मोहरों, दस्तावेजों आदि पर राज्य प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत सभी सरकारी एजेंसियां उक्त सामग्री पर राज्य प्रतीक चिन्ह में शेर के प्रतीक चिन्ह के नीचे देव नागरी लिपि में आदश्र वाक्य 'सत्यमेव जयते' प्रदर्शित करेंगी। उनसे यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है कि राज्य प्रतीक चिन्ह से आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' को हटाया न जाए।

[अनुवाद]

सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार

472. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार आरम्भ करने तथा नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द पुरस्कार पहले से ही मौजूद है। इस संबंध में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। राष्ट्रीय साम्प्रदायिकता सौहार्द पुरस्कार गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के आधीन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन अर्थात राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान (एन०एफ० सी०एच०) द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पुरस्कार साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

हथियारों के लाइसेंस

473. **श्री रशीद मसूद :**
श्री अशोक अर्गल :
श्री भानु प्रताप सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बोर-आर्म्ड लाइसेंसों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली में जारी किए गए आर्म्ड लाइसेंसों की वैधता पूरे देश में विस्तारित किये जाने के लिए कोई नीति अपनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे आर्म्ड लाइसेंसों की संख्या कितनी है जिनके लिए संसद सदस्यों ने इनकी वैधता पूरे देश में विस्तारित करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजे हैं;

(ङ) ऐसे पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या ऐसे लाइसेंसों की वैधता सम्पूर्ण भारत में विस्तारित किए जाने में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० रधिका सेल्वी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.10.2007 तक दिल्ली में जारी किए गए बोर आर्म्ड लाइसेंस की संख्या 33068 है।

(ख) और (ग) 1995 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार गैर निषिद्ध बारे आर्म्ड लाइसेंसों की क्षेत्र वैधता में विस्तार किए जाने के अनुरोधों पर विचार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की सिफारिशों के आधार पर जिला/राज्य और अन्य स्थानीय तत्वों से प्राप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर की जाती है। निषिद्ध बोर आर्म्ड लाइसेंसों के संबंध में अखिल भारतीय क्षेत्र वैधता में विस्तार किए जाने के अनुरोध पर विचार गृह मंत्रालय द्वारा मेरिट के आधार पर राज्य सरकारों

और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ परामर्श करके किया जाता है।

(घ) और (ङ) संसद सदस्यों के ऐसे पत्रों पर विचार विधिवत रूप से किया जाता है और क्षेत्र वैधता का विस्तार किए जाने के अनुरोध की जांच प्रत्येक मामले में मेरिट के आधार पर की जाती है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कुटीर उद्योग

474. **श्री एम० अंजन कुमार यादव** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुटीर उद्योग के विकास के संबंध में आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष कुटीर उद्योग के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सरकार कुटीर उद्योग सहित ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा विकास के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के माध्यम से ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत, उद्यमी अधिकतम 25 लाख रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए के०वी०आई० से मार्जिन मनी सहायता प्राप्त करके और किन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों, चुनिन्दा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों, आदि से ऋण प्राप्त करके ग्राम/कुटीर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम/कुटीर उद्योगों के संवर्धन के लिए सरकार उत्पाद विकास, डिजाइन इंटरवेंशन और पैकेजिंग (पी०आर०ओ०डी०आई०पी०) योजना के तहत डिजाइनों में सुधार, उत्पादों की गुणवत्ता व बेहतर पैकेजिंग के लिए सहायता, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय स्तरों की प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु इकाइयों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर०आई०एस०सी०) संबंधी व्यवस्था करती है। परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) नामक एक नई योजना भी शुरू की गई है जिसमें समान सुविधा केन्द्रों की स्थापना, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नवीन उत्पादों के विकास, संशोधित पैकेजिंग, नये डिजाइन, बाज़ार संवर्धन, आदि के लिए सहायता की परिकल्पना की गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामोद्योगों (कुटीर उद्योग सहित) के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य को के०वी०आई०सी० द्वारा जारी की गई कुल राशि इस प्रकार है–

(रुपये लाख में)

वर्ष	जारी की गई निधि
2004-05	3019.60
2005-06	4174.51
2006-07	3951.20

[अनुवाद]

पुष्प निर्यात

475. **श्री मणी कुमार सुब्बा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उगाए जाने वाले एन्थुरिम डैंडरोथियम ऑर्किड तथा गुलाब जैसे पुष्पों को विदेशों में विशेषकर जापान में उभरता हुआ बाजार प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कुल कितनी मात्रा में पुष्पों का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(घ) इन पुष्पों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर से एन्थूरियम्स की 13 खेपें मध्य-पूर्व को और 5 खेपें यूनाइटेट किंगडम को निर्यात की गई हैं। जापान को गुलाबों के नमूने भेजे गए हैं।

(ग) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान निर्यातित पुष्पों की मात्रा एवं अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मात्रा मी० टन में, मूल्य लाख रुपए में)

	2005-06		2006-07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताजे टहनी युक्त पुष्प	5176.36	7413.07	11903.93	34214.41
सूखे पुष्प	27418.49	19365.22	28343.34	22413.47
कुल	32594.85	26778.29	40247.27	56627.88

स्रोत: एपीडा

(घ) पुष्पों के निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में मुम्बई, दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई तथा तिरूवनंतपूरम स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के लिए केन्द्रों बंगलौर, मुम्बई, नोएडा (उ०प्र०) तथा कोलकाता में थोक बाजार-सह-पुष्प नीलामी केन्द्रों, असालसमेर, नीदरलैंड में बाजार सुविधा केन्द्र तथा छह कृषि निर्यात जोनों की स्थापना शामिल है। पुष्पोत्पादों सहित कृषि उत्पादों के निर्यातों के संवर्धन के लिए बाजार विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास तथा परिवहन सहायता हेतु एपीडा की स्कीमों के तहत एपीडा के पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

व्यापार मेला

476. श्री जी०एम० सिद्देश्वर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्नाटक सहित देश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार किन-किन शहरों में प्रदर्शनियों या व्यापार मेलों का आयोजन किया गया;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा छोटे शहरों की बजाय केवल बड़े शहरों में ही प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों का आयोजन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्नाटक सहित देश में प्रदर्शनियों के आयोजन से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कुल कारोबार में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वृद्धि हुई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कर्नाटक सहित देश के उन शहरों जहां खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) द्वारा प्रदर्शनियां अथवा व्यापार मेले आयोजित किए गए का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) के०वी०आई०सी० द्वारा बड़े और छोटे दोनों कस्बों में प्रदशनियां आयोजित की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान उन स्थानों को जहां के०वी०आई०सी० द्वारा इस प्रकार की प्रदर्शनियां आयोजित की गई, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

(ग) कर्नाटक सहित देशभर में के०वी०आई०सी० द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों से के०वी०आई० उत्पादों की सम्पूर्ण बिक्री में सहायता मिली है। 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कर्नाटक सहित के०वी०आई० उत्पादों की कुल बिक्री का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान उन शहरों का ब्योरा जिनमें के०वी०आई०सी० द्वारा प्रदर्शनियां एवं व्यापार मेले आयोजित किए गए

I. राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
राजस्थान	जयपुर	जयपुर	
कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर	बंगलौर
उत्तर प्रदेश	लखनऊ, गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर

1	2	3	4
II. क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियां			
दिल्ली			
हरियाणा			
पंजाब	चंडीगढ़	चंडीगढ़	
राजस्थान		जोधपुर	
बिहार		मुजफ्फरपुर	
असम	गोहाटी	गोहाटी	
केरल	कोचि		
तमिलनाडु		चैन्नई	
महाराष्ट्र		पुणे	
मध्य प्रदेश	इंदौर		
उत्तरांचल		देहरादून	
III. राज्य स्तर की प्रदर्शनियां			
दिल्ली	रोहिणी	पटेल नगर	किंग्जवे कैंप
हरियाणा	हिसार, फरीदाबाद	हिसार	फरीदाबाद
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू		
पंजाब			चंडीगढ़
राजस्थान	उदयपुर		
बिहार	पटना		
झारखंड	रांची		
उड़ीसा	पुरी		
पश्चिम बंगाल	कोलकाता		
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर		
असम			गोहाअी, सिल्चर, तेजपुर
मणिपुर			इम्फाल
मेघालय			डी०वी०आर०टी०

1	2	3	4
मिजोरम			आईजवल
नागालैंड			दीमापुर
त्रिपुरा	अगरतला		त्रिपुरा
आन्ध्र प्रदेश	गुन्टूरि, विशाखापटनम	गुन्टूरि, विशाखापटनम	कूरनूल
कर्नाटक	हुबली	बीजापुर, हुबली	
केरल	नेय्यात टिंकारा		त्रिचुर
तमिलनाडु	कोयम्बटूर, चैन्नई, प्लायमकोटई		
गुजरात	जूनागढ़	वड़ौदरा	
महाराष्ट्र	नागपुर	अमरावती	मुम्बई
छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर	
मध्य प्रदेश		ग्वालियर	
उत्तरांचल	नैनीताल		
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, मुरादाबाद, इलाहाबाद, गौरखपुर		मुरादाबाद
IV. जिला स्तर की प्रदर्शनियां			
दिल्ली	जनकबाजार, किंग्जवे कैंप	किंग्जवे कैंप रोहिणी, जनकपुरी, मयूर विहार, कृष्णानगर, लक्ष्मी नगर	रोहिणी, अंसल प्लाजा, नरेला, पीतमपुरा
हरियाणा		गुड़गांव, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, करूक्षेत्र, फतेहाबाद, रोहतक, यमुनानगर, भिवानी	सोनीपत, कर्नाल, गुडगांव
हिमाचल प्रदेश		सोलन, मंडी	
जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	श्रीनगर, जम्मू	जम्मू, उधमपुरा
पंजाब	संगरूर, जालंधर	फगवाडा, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, बरनाला, नवाशहर, होशियारपुर, मोहाली, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर	मोहाली, होशियारपुर, लुधियाणा

1	2	3	4
राजस्थान	चित्तौड़गढ़, कोटा अलवर, हिंडन सिटी, गंगापुर सिटी, जोधपुर	उदयपुर, जयपुर, भिवाडी, प्रतापगढ़, बूंदी, धौलपुर, राजसंद, लालसोट, टोंक, झालावाद, कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, जैसलमेर, झुनझुनु, बीकानेर	उदयपुर, बीकानेर, कंकरौली, कोटा, झालावाद, गंगापुर, सिटी, हिन्डोन, बास्सी, भरतपुर, अलवर, टोंक, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, झुनझुनु
बिहार	मोतिहारी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर, कटिहार	पुर्णिया, छपरा, भागलपुर, समस्तीपुर, गया	मुजफ्फरपुर, पुर्णिया, भागलपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी
झारखंड	देवगढ़	देवगढ़, रांची	देवगढ़ रांची, धनबाद
उड़ीसा	राउरकेला, धेनकनाल, कोरापुत, कटक, भुवनेश्वर	कनिझा, धेनकनाल, पुरी, भुवनेश्वर	कोरापुत, अंगुल, राउरकेला
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग, कूचविहार, बेहरामपुर, पूर्लिया	बर्दवान, बेहरामपुर	बरूईपुर, भोलपुर
सिक्किम		रंगोली, रांगपू	
अरूणाचल प्रदेश	बोमडीला, दीरांग, इटानगर	नहारलागुन, चौंगखाम	
असम	कोकराझार, बारपेटा, शिवसागर, दीगोई, डुबीजन, गणेश उद्यान, रांगिया	सारथेंबेरी, डिब्रुगढ़, ईटाबार, दिशपुर, बारपेटा, नालाबाड़ी, धेमाजी, लक्ष्मीपुर	
मणिपुर	काकचिंग, विष्णुपुर		
मेघालय	नागपोई-रि-भोई, सिलॉग		
मिजोरम	शेरछिप, लांगतलई	आइजवल	
त्रिपुरा	कमलापुर, उदयपुर, बेलोनिया, धामनगर, अमरपुर		
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, तिरूपति, करीमनगर, कृष्णांपुष्करम, निजामाबाद, बासेरा, काकीनाडा	ओनगोल, नैलौर, कुरूल, तिरूपति, करीगनगर, निजामबाद, विजयवाड़ा, विशाखापटनम, राजामुन्दी	कुरनूल, गुन्टूर, निजामाबाद, करीमनगर, विजयवाड़ा, विशाखापटनम
कर्नाटक	मंगलौर, कोप्पल, बंगलौर, बीजापुर, बेलगाम, राम नगर		हुबली, बीजापुर, दावनगिरी
केरल	कोल्लाम, ट्रिकाकारा, एर्णाकुलम, कोजिकोड, कन्नूर, त्रिवेन्द्रम, थोडापूझा, पैयानूर	कोल्लाम, कोजिकोड, कन्नूर, कोटयम, अल्लपैई, मलपुरम, पल्लकड, पैयनूर	त्रिवेन्द्रम, त्रिवेल्ला, मल्लपुरम

1	2	3	4
तमिलनाडु	चेन्नई, त्रिचि, राजापलयम, इरोड, नेवेली, मदुराई, पूडुकोटई	कांचीपुरम, त्रिरूवन्नामलाई, त्रिरूपथुर, वैलौर, नमक्कल, इरोड, वेलनकन्नी, तिरूपुर, कलपक्कम, दिनदीगल, मदुराई, थेनी, पायलमकोटई, टूअीकोरिन, कारइरकुडी	वैलोर, मदुराइर, शविकाशी, पालयमकोटई, कराईकुडी
गोवा		मारगोवा, पनजी	मारगोवा
गुजरात	नवासारी, भरूच, वड़ौदरा, वालसद, वापी, बरदोली	वापी, नवसारी, आनंद, जामनगर, वालसद, सूरत	सूरत, वड़ौदा, पोरबन्दर, भरूच, गांधीधाम, नवसारी, राजकोट, भावनगर, वापी
महाराष्ट्र	पंधारपुर, सांगली, कोल्हापुर, औरंगाबाद, थाने, अमरावती, चन्द्रपुर, भिलाई, कोरवा	औरंगाबाद, नान्डेड, वाशिम, वर्धा, यवतमल, अकोला, भंडारा, चन्द्रपुर	यवतमाल, अमरावती, अकोला, भंडारा
छत्तीसगढ़	जगदलपुर, भिलाई, कोरवा	मझसमुद, बिलासपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर, भिलाई	भिलाई
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर	जबलपुर, रीवा, सतना, इन्दौर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, गुना, रतलाम, छतरपुर	ग्वालियर
उत्तरांचल	हरिद्वार, रूड़की, रानीखेत		हल्द्वानी
उत्तर प्रदेश	रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, एआ, सहारपुर, बिजनोर, गाजियाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, बरेली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया	सुल्तानपुर, रायबरेली, चित्रकूट, शाहजहांपुर, बांदा, पीलीभीत, सहारपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मथुरा, बिजनौर, बरेली, जेपी नगर, ऐटा, गाजियाबाद, मेरठ, बलिया, चन्दौली, जोनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, पदरौना, मऊ, बस्ती, आजमगढ़, महाराजगंज	लखनऊ फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, मऊ, रायबरेली, शाहजहांपुर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर
दादरा और नगर हेवली केन्द्र शासित प्रदेश	सिलवासा		

विवरण-II

वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कर्नाटक सहित के०वी०आई० उत्पादों की कुल बिक्री का राज्यवार मूल्य

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	यू०टी० चण्डीगढ़	2974.88	3005.43	3028.04
2.	दिल्ली	7085.20	7536.68	7647.10
3.	हरियाणा	43369.95	53815.76	65452.80
4.	हिमाचल प्रदेश	31768.72	37665.98	44790.58
5.	जम्मू-कश्मीर	23516.09	28880.26	38002.71
6.	पंजाब	47251.82	52651.63	64381.17
7.	राजस्थान	129164.16	147360.34	161261.20
8.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	743.44	2179.77	2321.29
9.	बिहार	25120.05	28516.40	33287.97
10.	झारखंड	5371.44	7740.38	10059.39
11.	उड़ीसा	20180.96	25668.1	32560.53
12.	पश्चिम बंगाल	49455.07	63360.46	79051.91
13.	अरूणाचल प्रदेश	1142.08	1971.09	2914.34
14.	असम	18245.03	36122.40	47337.39
15.	मणिपुर	6423.09	6715.55	7557.24
16.	मेघालय	5895.10	7428.53	9003.30
17.	मिजोरम	6894.60	13427.83	20220.03
18.	नागालैंड	6931.31	8860.92	10077.24
19.	सिक्किम	4502.63	3467.99	4819.05
20.	त्रिपुरा	1578.68	5450.46	6815.19
21.	आन्ध्र प्रदेश	63178.00	87029.23	110751.53
22.	कर्नाटक	97681.73	109341.01	125335.47
23.	केरल	55242.67	66349.61	77200.29
24.	लक्षद्वीप	64.12	169.58	169.58
25.	पांडिचेरी	1342.10	2454.66	2771.78
26.	तमिलनाडु	104508.05	112108.75	122780.62
27.	दादर एवं नगर हवेली	87.61	87.61	87.61
28.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00
29.	गोवा	4893.32	5573.73	6111.99
30.	गुजरात	72978.83	79305.50	84448.09
31.	महाराष्ट्र	157298.30	167826.08	179881.18
32.	छत्तीसगढ़	18484.00	26165.55	34099.93
33.	मध्य प्रदेश	83985.74	92650.90	102409.96
34.	उत्तराखंड	10408.58	14584.46	18353.28
35.	उत्तर प्रदेश	202752.17	222128.82	241249.75
	कुल जोड़	1310519.52	1527601.45	1756239.53

गुजरात मोटर यान विनियमन विधेयक

***477.* श्रीमती जयाबेन बी० ठक्कर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात मोटर यान (ईंधन का प्रयोग) विनियमन विधेयक को अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विधेयक के कब तक अनुमोदित हो जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य विधायनों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात (i) केन्द्रीय कानूनों के साथ उनकी विसंगति (ii) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से अपसरण और (iii) कानूनी और संविधानिक वैधता। गुजरात मोटर यान (ईंधन का प्रयोग) विनियमन विधेयक, 2005 में नीतिगत मुद्दे विहित हैं जिन्हें हल किया जाना है इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

अध्यापकों के वेतनमानों की समीक्षा

478. श्री एस०के० खारवेनथन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमानों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 सितम्बर, 2007 को विश्वविद्यालयों ,और कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों की समीक्षा करने के लिए एक वेतन समीक्षा समिति गठित की है।

(ख) वेतन समीक्षा समिति का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) समिति को अपने गठन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित है।

विवरण

वेतन समीक्षा समिति का गठन और विचारार्थ विषय

(1) गठन:–

(i)	प्रोफेसर जी०के० चड्ढा, सदस्य, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद्	अध्यक्ष
(ii)	प्रोफेसर अतुल शर्मा (पूर्व कुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय) (पूर्व सलाहकार, वित्त आयोग)	सदस्य
(iii)	प्रोफेसर जी० पदमानाभन, पूर्व निदेशक, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	सदस्य
(iv)	श्री सुदीप बैनर्जी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय	सदस्य
(v)	प्रोफेसर मणि माला दास, प्रिंसिपल, बैथुन कालेज	सदस्य
(vi)	उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के नीचे के स्तर का न हो)	सदस्य
(vii)	सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	सदस्य

(2) विचारार्थ विषय

(क) विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा कार्मिक और विश्वविद्यालयों और कालेजों में अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए अनुमोदित वेतनमानों की संशोधन योजना के तहत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व निर्णय के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और तदन्तर में उस सीमा तक उसका मूल्यांकन करना जिसमें अर्हताओं, सेवा शर्तों और वेतनमानों इत्यादि के संबंध में पूर्व सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है।

(ख) विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों, पुस्तकालयों, शारीरिक शिक्षा कार्मिक और विश्वविद्यालय और कालेज के अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों की वर्तमान संरचना की जांच करना और संरचना में संशोधन न्यूनतम अर्हताओं को ध्यान में रखना, वृत्तिका प्रोन्नयन, अवसरों और उन्हें (अधिवर्षिता लाभ, चिकित्सा आवास सुविधाएं इत्यादि) उपलब्ध कुल लाभ देने के लिए सुझाव देना।

(ग) शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा उन्हें इस व्यवसाय में बनाए रखने तथा विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान को आगे बढ़ावा देने और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से शिक्षण और समतुल्य पदों में उनके वृत्तिका प्रोन्नयन के लिए भी उपायों की सिफारिश करना।

(घ) शैक्षिक कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के लिए वेतन संरचना और/या वृत्तिका प्रोन्नयन अवसरों, पूर्ववर्ती वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों के संशोधन के परिणामी मामलों में असंगति के मामले, यदि कोई हो तो, की जांच करना और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना।

स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

479. **श्री जी० करूणाकरण रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि को कर्नाटक सहित देश में राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को देश में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन नहीं दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्नाटक सहित देश में स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने के लिए राज्य सरकारों से राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आज की तिथि तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए; और

(च) सभी प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम 1980 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु की स्थिति में उनकी पेंशन को उनके आश्रितों (विधवा/विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों, माता और पिता) को आश्रित पारिवारिक पेंशन के रूप में अन्तरित किया जाता है। पात्र आश्रितों को पेंशन अंतरित करने की प्रक्रिया को 01 मई 1992 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत पेंशन वितरण प्राधिकरण (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकारी कोषागार) पात्र आश्रितों तक सम्मान पेंशन को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। ऐसे में देश में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्राप्त कर रही स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं की संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन का भुगतान न करने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। पेंशन वितरण प्राधिकरण को स्वतंत्रता सेननी की मृत्यु की स्थिति में विधवाओं को पेंशन अंतरित करने संबंधी निर्देशों की जानकारी न होने तथा पात्र विधवाओं द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन न करने के कारण भी मुख्यत: ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं। जब कभी भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, संबंधित वितरण प्राधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन अंतरित करने की सलाह दी जाती है तथा संबंधित बैंक/कोषागार के साथ मामले को उठाने के लिए शिकायतकर्ताओं को सूचित किया जाता है।

(घ) से (च) उक्त भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

लिब्राहन आयोग

480. **श्री असादुद्दीन ओवैसी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस आयोग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, लिब्राहन आयोध्या आयोग की रिपोर्ट अंतिम रूप न दिए जाने के कारण प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) अक्टूबर, 2007 तक आयोग पर 729.71 लाख रुपये का खर्च किया गया है।

(घ) रिपोर्ट, आयोग की बढ़ाई गई अवधि के भीतर सरकार को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

481. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र तथा बिहार सहित देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०एल०एम०) के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार 15 से 35 वर्ष के आयु समूह के कितने पुरुषों तथा महिलाओं को शिक्षित किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को वृद्ध लोगों के बीच प्रचारित करने तथा उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 31 मार्च, 2007 को राष्ट्रीय स्तर की तुलना में महाराष्ट्र का साक्षरता स्तर कितना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साक्षरता कार्यक्रम परियोजना आधार पर संस्वीकृत किए जाते हैं और ये कैलेंडर वर्ष के साथ समाप्त नहीं होते। किसी वर्ष विशेष में संस्वीकृत परियोजनाओं के परिणाम उस परियोजना की समाप्ति के बाद और उसके बाह्य मूल्यांकन, जिसमें कुछ वर्ष लग सकते हैं, से ही उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अब तक साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या का महाराष्ट्र और बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अनुमान है कि लाभार्थियों में से लगभग 60% महिलाएं हैं।

(ख) वर्तमान में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में साक्षरता संबंधी आंकड़े भारत के महापंजीयक द्वारा संचालित दशकीय जनगणना कार्य के जरिए संग्रहीत किए जाते हैं। 2001 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.84% जिसकी तुलना में महाराष्ट्र की साक्षरता दर 76.88% है।

विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	191.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.66
3.	असम	29.13
4.	बिहार	111.03
5.	छत्तीसगढ़	27.91
6.	दिल्ली	4.56
7.	गोवा	0.71
8.	गुजरात	61.31
9.	हरियाणा	8.12
10.	हिमाचल प्रदेश	5.60
11.	जम्मू-कश्मीर	2.70
12.	झारखंड	24.90
13.	कर्नाटक	69.29
14.	केरल	16.77
15.	मध्य प्रदेश	96.06
16.	महाराष्ट्र	76.73
17.	मणिपुर	1.93

1	2	3
18.	मेघालय	1.66
19.	मिजोरम	0.76
20.	नागालैंड	0.63
21.	उड़ीसा	46.66
22.	पंजाब	10.18
23.	राजस्थान	87.79
24.	सिक्किम	0.27
25.	तमिलनाडु	82.15
26.	त्रिपुरा	5.69
27.	उत्तराखंड	5.33
28.	उत्तर प्रदेश	158.63
29.	पश्चिम बंगाल	115.03
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
31.	चंडीगढ़	0.42
32.	दादर और नगर हवेली	0.074
33.	दमन और दीव	0.035
34.	लक्षद्वीप	0.01
35.	पांडिचेरी	1.11
	कुल	1246.42

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भुगतान

482. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) द्वारा 31 मार्च, 2007 तक टेलीविजन प्रसारणकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रसारणकर्ताओं को कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2007 तक की स्थिति के अनुसार ग्राहक मंत्रालयों से धनराशि प्राप्त न होने के कारण, विभिन्न टी०वी० चैनलों का लगभग 33.65 करोड़ रुपए बकाया था। ग्राहक मंत्रालयों से अपेक्षित धनराशि के प्राप्त होने पर लंबित बिलों को निपटाया जा रहा है। इस मामले को उपयुक्त स्तर पर पहले ही उठाया गया है और डी०ए०वी०पी० को यथाशीघ्र धनराशि जारी करने के लिए चूककर्ता ग्राहक मंत्रालयों पर दबाव बनाया गया है, ताकि विभिन्न प्रसारकों को बकाया देय राशि का भुगतान किया जा सके।

मुसलमानों का शैक्षणिक स्तर

483. **श्री वाडिगा रामकृष्णा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ में देश में सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजलना, मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम मुसलमानों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में कितने सहायक हो रहे हैं;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में लगभग छह प्रतिशत मुसलमान बच्चे विद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्यारहवीं योजना की समाप्ति से पूर्व इन कार्यक्रमों के अधीन सभी बच्चों को शामिल करने के लिए कोई लक्ष्य/योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम से मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को सुधारने में सहायता मिल रही है और इनमें आंध्र प्रदेश की मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाएं भी शामिल हैं जहां वर्ष 2004-05 के दौरान 94 कस्तूरबा गांधी बालिका

विद्यालय संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें विद्यालय न जाने वाली 169 मुस्लिम बालिकाएं अध्ययन कर रही हैं। वर्ष 2006-07 में 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए संस्वीकृत किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश के कुल 526 मदरसों को सहायता प्रदान की जाती है। इन मदरसों में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन मदरसों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वयंसेवकों और संसाधन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। मदरसों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जाती हैं। इनमें मध्याह्न भोजन भी प्रदान किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार कक्षा-X तक किया गया है। प्रस्तावित लक्ष्य इस प्रकार है:-

वर्ष	संख्या
2007-08	2500
2008-09	3375
2009-2010	4250

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के निर्यात संबंधी नीति

484. श्री सुभाष सुरेशचंद देशमुख :
प्रो० प्रेम कुमार धूमल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों हेतु कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का राज्य-वार तथा उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है तथा इनसे कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में राज्यों का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन संबंधी उपायों के एक भाग के रूप में सरकार के पास कृषि निर्यात जोन (ए०ई०जेड्स) तथा निर्यात अवसरंचना एवं सम्बद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (ए०एस०आई०डी०ई०) जैसी नीतियां व स्कीमें हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ राज्य सरकारों की भागीदारी होती है। ए०ई०जेड्स में किसी कृषि उत्पाद विशेष का कच्चा माल तैयार करने तथा उसकी प्राप्ति, उसके प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर अंततः उसका निर्यात परिकल्पित है। विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए देश में 5 वर्ष की अवधि में 1717.95 करोड़ रुपये के सम्भावित निवेश से और 1182.47 करोड़ रुपये के निर्यात हेतु 20 राज्यों में 60 ए०ई०जेडों की स्थापना की गई है। ए०एस०आई०डी०ई० का उद्देश्य राज्यों को निर्यातों के विकास एवं वृद्धि हेतु समुचित अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता देकर निर्यात प्रयासों में उन्हें शामिल करना है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे ए०एस०आई०डी०ई० स्कीम के अंतर्गत आवंटन की 10% राशि ए०ई०जेडों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक अंतर की पूर्ति संबंधी प्रस्तावों पर व्यय कर सकते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित प्रमुख कृषि उत्पादों एवं उनसे अर्जित राजस्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। सभी वस्तुओं के निर्यात के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-II में दर्शाए गए हैं।

(घ) से (च) ए०एस०आई०डी०ई० स्कीम के राज्य संघटक के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में निर्यातों के संवर्धन संबंधी परियोजना सहित सभी परियोजनाओं को संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस०एल०ई०पी०सी०) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। परियोजना प्रस्तावों एवं ए०ई०जेडों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवविवरण-I

पिछले पांच वर्षों के निर्यात आंकड़े

मात्रा: टन/मूल्य: लाख रुपए

मद	2002-03 (अप्रैल-मार्च)			2003-04 (अप्रैल-मार्च)			2004-05 (अप्रैल-मार्च)			2005-06 (अप्रैल-मार्च)			2006-07 (अप्रैल-मार्च)		
	मात्रा	मूल्य	(मि०अ० ड०)	मात्रा	मूल्य	(मि०अ० ड०)	मात्रा	मूल्य	(मि०अ० ड०)	मात्रा	मूल्य	(मि०अ० ड०)	मात्रा	मूल्य	(मि०अ० ड०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
खाद्यान्न	**8745200**	**768217**	**1585.26**	**8109377**	**695667**	**1513.97**	**7965477**	**902256**	**2008.07**	**5401569**	**723262**	**1626.00**	**5521464**	**766346**	**1740.67**
बासमती चावल**	708793	.205847	424.78	771491	199304	433.74	1162996	282390	628.49	1166569	304310	684.13	1040672	277831	631.06
गैर बासमती चावल	4259077	377277	778.53	2640572	217494	473.33	3615105	394502	878.01	2921605	317817	714.50	3704847	425788	967.13
गेहूं*	3671254	175987	363.16	4093084	239115	520.38	2009347	145982	324.90	746177	55753	125.34	47834	3615	8.21
अन्य अनाज**	106076	9106	18.79	604230	39754	86.52	1178029	79382	176.67	567218	45382	102.03	728111	59112	134.27
दालें	**148084**	**34502**	**71.20**	**153878**	**32860**	**71.51**	**271176**	**60257**	**134.11**	**447441**	**111521**	**250.72**	**247424**	**76405**	**173.55**
मांस, कुक्कुट एवं डेयरी		**173571**	**358.17**		**212955**	**463.45**		**264602**	**588.90**		**385815**	**867.37**		**403773**	**917.12**
मांस एवं मास से बनी वस्तुएं**		137719	284.19		171441	373.10		190527	424.04		275017	618.28		323973	735.87
कुक्कुट उत्पाद**		18207	37.57		25359	55.19		28196	62.75		31337	70.45		30202	58.60
डेयरी उत्पाद**		17645	36.41		16155	35.16		45879	102.11		79461	178.64		49598	112.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
फल एवं सब्जियाँ		**109011**	**224.95**		**173795**	**378.23**		**172525**	**383.97**		**204050**	**458.74**		**289036**	**656.51**
ताजे फल**		44732	92.31		78403	170.63		86226	191.91		112069	251.95		138815	315.30
ताजी सब्जियाँ**		64278	132.64		95392	205.01		86299	192.07		91981	206.79		150221	341.21
प्रसंस्कृत खाद्य		**174093**	**359.25**		**169350**	**368.55**		**163965**	**364.92**		**205392**	**461.75**		**244275**	**554.84**
प्रसंस्कृत फल एवं रस**		57413	118.47		34366	74.79		36916	82.16		59991	134.87		71410	162.20
प्रसंस्कृत सब्जियां*		25673	52.98		29115	63.36		36246	80.67		49448	111.17		62605	142.20
विविध प्रसंस्कृत मदें*		91008	187.80		105869	230.40		90803	202.09		95953	215.72		110260	250.44
गिरी एवं बीज	**351768**	**268212**	**553.47**	**482796**	**299841**	**652.54**	**489678**	**379789**	**845.26**	**543397**	**390524**	**877.96**	**637299**	**429642**	**975.88**
काजू गिरी**	129432	205294	423.64	99676	169982	369.93	118110	247718	551.32	125102	258470	581.08	122835	249091	565.78
मूंगफली**	67890	17830	36.79	176113	54430	118.45	177150	54702	121.75	190062	51369	115.49	251637	80008	181.73
तिल**	118314	37289	76.95	189113	70888	154.27	168280	70895	157.78	199808	74660	167.85	232810	93856	213.18
रामतिल**	36130	7799	16.09	17894	4541	9.88	26138	6474	14.41	28425	6025	13.55	30017	6687	15.19
तम्बाकू	**100472**	**102289**	**211.08**	**120637**	**109647**	**238.82**	**135744**	**125461**	**279.23**	**142702**	**133066**	**299.15**	**157321**	**168202**	**382.05**
तम्बाकू अनिर्मित**	100472	73352	151.37	120637	80141	174.41	135744	94007	209.22	142702	102132	229.61	157321	125226	284.44
तम्बाकू निर्मित**		28937	59.71		29506	64.21		31454	70.00		30934	69.54		42976	97.62
चीनी एवं शीरा	**1870232**	**181454**	**374.44**	**1299216**	**123597**	**268.98**	**118848**	**15505**	**34.51**	**394144**	**59790**	**134.42**	**1957635**	**318473**	**723.37**
चीनी**	1662368	176949	365.14	1200599	121659	264.76	108687	14953	33.28	321204	56910	127.94	1636312	305546	694.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
शीरा**	207864	4505	9.30	98617	1938	4.22	8161	552	1.23	72940	2880	6.47	321323	12927	29.36
मसाले**	277015	165549	341.62	267465	154418	336.06	364530	188318	419.12	400245	211598	475.70	497290	312288	709.33
तेल खाद्य**	1776133	148735	306.92	3249889	334840	728.71	3603382	317760	707.21	5975997	487501	1095.98	6591861	550297	1249.94
ग्वारगम खाद्य**	111938	48664	100.42	120564	50789	110.53	131307	68948	153.45	186733	104923	235.88	189247	112346	255.18
पुष्पोत्पाद*		18077	37.30		25047	54.51		22292	49.61		30145	67.77		38093	86.52
फल एवं सब्जी, बीज**	8916	9796	20.21	5183	5361	11.67	6745	6604	14.70	7522	9296	20.90	9097	11548	26.23
स्पिरिट एवं पेय		11906	24.57		12192	26.53		13931	31.00		25316	56.91		25802	58.61
कुल कृषि उत्पाद	13389756	2214075	4674.00	13809005	2400359	5223.85	13084887	2702213	6014.07	13499750	3082199	6929.25		2564420	5824.79
संबद्ध उत्पाद	1190771	1032403	2179.44	1128189	1060707	2308.39	1201340	1104403	2457.97	1773559	1435939	3228.21	2498487	1914752	4349.14
समुद्री उत्पाद**	627873	692805	1429.64	409494	610563	1328.76	483520	646922	1439.80	554197	703591	1581.78	611406	788984	1792.09
चाय**	182862	165207	340.91	177774	163734	356.33	183403	184030	409.58	162856	173073	389.09	204709	195630	444.35
कॉफी**	184874	99398	205.11	188449	108592	236.33	167548	106908	237.94	177685	158868	357.16	216195	196887	447.21
कैस्टर ऑयल**	177695	60981	125.84	162361	65606	142.78	271689	107798	239.92	254718	93974	211.27	293588	108392	246.20
शैलाक**	5722	8985	18.54	10499	17974	39.12	8545	16487	36.69	9298	15998	35.97	7633	14675	33.33
अपशिष्ट सहित कपास**	11745	5028	10.38	179612	94238	205.09	86635	42258	94.05	614805	290435	652.94	1165056	610184	1385.96
महा योग		3246478	6853.45		3461066	7532.24		3806616	8472.04		4518138	10157.46		4479172	10173.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(कृषि एवं संबद्ध उत्पाद)			अम०डा०= 48.46			अम०डा०= 45.95			अम०डा०= 44.93			अम०डा०= 44.4810			अम०डा०= 44.260
कुल निर्यात		25813727.73	53268.11		29336675	63048.95		37533953	83535.94		45641786	102609.62		57164188	129841.88
कुल निर्यात के % के रूप में कृषि निर्यात		8.58	8.77			8.29		7	7.20		6.75	6.75		4.49	4.49
कुल निर्यात के % के रूप में कुल कृषि समुद्री निर्यात		12.58	12.87		12	11.95		10	10.14		9.90	9.90		7.84	7.84

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2005-06 के दौरान राज्य-वार निर्यात आंकड़े

(मूल्य रु० में)

राज्य कोड	राज्य का नाम	2003.04	2004.05	2005.06
1	2	3	4	5
1	असम	5165906544	7505837374	8246456917
2	मेघालय	2658829114	2272970133	2422374956
3	मिजोरम	118221681	348313754	97649660
6	बिहार	6303938963	4952345898	3632665396
7	झारखंड	10870081908	21795287018	18502756146
9	अरूणाचल प्रदेश	818541620	702790438	283359238
10	पश्चिम बंगाल	137371848392	168753829140	157673872871
14	नागालैंड	52773536	248331491	64227794
15	मणिपुर	24201612	18068726	5489414
16	उड़ीसा	24111624057	81003536215	64391950043
17	सिक्किम	176726880	122265857	101122234
18	त्रिपुरा	174228725	102576476	80377477
19	अंडमान एवं निकोबार	142444905	152501603	92707069
20	उत्तर प्रदेश	112902837465	133636415281	150034354168
21	उत्तरांचल	1425363348	2806909314	3743397766
29	दिल्ली	185529226062	197565134664	232838877228
30	पंजाब	84915274563	91555438043	104380608630
34	हरियाणा	78747927926	112908650569	144624725657
39	चंडीगढ़	2120953002	2019368114	2092259500
44	जम्मू-कश्मीर	1807035172	2550662650	3216621451
46	हिमाचल प्रदेश	5177991278	5407354386	8610944231
50	राजस्थान	64333012717	80020267434	123559688136

1	2	3	4	5
54	गुजरात	319767169431	530444844033	645388852355
60	महाराष्ट्र	897451484508	1204514671187	1415734385735
67	दमन एवं दीव	2545121391	4782998556	6726830336
68	गोवा	28964667075	48145989304	56658276195
69	दादरा एवं नगर हवेली	1331155797	4105969443	5512410612
70	मध्य प्रदेश	61307482193	76311094894	117620073914
71	छत्तीसगढ़	10601758896	14801527901	16300405067
80	आंध्र प्रदेश	117651391919	126908627489	178475201306
84	कर्नाटक	219862981698	322837418195	493091961335
89	लक्षद्वीप	46081331	52898023	10477260
90	तमिलनाडु	319638130640	374725855924	448237700611
96	केरल	56529953500	77403031238	87429925277
99	पांडिचेरी	3726126825	4229801866	6217160458
रिक्त/ अमान्य	अविनिर्दिष्ट	169294987962	47681687808	58078470151
		2933667482636	3753395270439	4564178616594

विवरण-III

परियोजना प्रस्तावों और प्रत्येक परियोजना के परिव्यय के साथ प्रवर्तकों की सूची

क्र० सं०	राज्य एवं उपज	परियोजना का नाम	कार्यकलाप	योग (करोड़ रुपए में)	अनुरोध की गई वित्तीय सहायता (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1.	सिक्किम, पुष्प	मै० सिक्किम हिमालयन आर्किड्स लि० के सिम्बिडियम आर्किडों की चल रही परियोजना	भूमि विकास, फर्टीगेशन और फार्मिंग सिस्टम वाले पाली हाउसेस, शेडिंग, पैकिंग हाल और शीत भण्डारण एवं प्रशीतित वैन	1.22	1.22

1	2	3	4	5	6
2.	सिक्किम, पुष्प	मै० सियाम फ्लोरिटेक के आर्किड सिंबिडियम कटे पुष्पों का उत्पादन	भूमि विकास, हाई-टेक ग्रीन हाउस, प्लास्टिक के बर्तन, शीत भाण्डागार, प्रशीतित ट्रक, विद्युतीकरण, विद्युत बेक-अप, ग्रेडिंग और पैकिंग)	5.43	2.43
3.	सिक्किम, पुष्प	एन्थुरियम कटे पुष्पों के लिए मै० सिक्किम फ्लोरा लि० का पैक	निर्यात गुणवत्ता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवस्थापना का सृजन करना, निर्यात गुणवत्ता वाले कटे पुष्पों का उत्पादन करना, फसल-पश्चात प्रहस्तन अवस्थापना सुविधाओं और एन्थुरियम कटे पुष्पों के परिवहन के लिए परिवहन सुविधाओं का सृजन	3.09	3.09
4.	आंध्र प्रदेश, आम	ठोस अपशिष्ट उपचार	ए०एस०आई०डी०ई० स्कीम के तहत चित्तूर में आम के गूदे और वनस्पतियों के लिए ए०ई०जेड० के अंतर्गत आम के गूदे का प्रसंस्करण करते समय आम की गिरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के लिए ठोस अपशिष्ट उपचार (ई०टी०पी०) हेतु साझी सुविधाएँ	4.50	4.50
5.	आंध्र प्रदेश, आम	ट्रांसफार्मर्स	ए०एस०आई०डी०ई० स्कीम के तहत चित्तूर में आम के गूदे और वनस्पतियों के लिए ए०ई०जेड० के अंतर्गत प्रसंस्करण इकाइयों के समीप अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना करके विद्युत आपूर्ति को स्थाई बनाना	1.95	1.95
6.	आंध्र प्रदेश, आम	इकाइयों को सेवा सुविधाएं	पहुंच सड़क और कंटेनर पार्किंग आदि	8.00	5.00
7.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	बीधानगर (जिला-दार्जिलिंग) में अनन्नास के लिए फसल-पश्चात प्रहस्तन-सह-नीलामी केन्द्र में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सैटों की स्थापना	बीधानगर (जिला-दार्जिलिंग) में अनन्नास के लिए फसल-पश्चात प्रहस्तन-सह-नीलामी केन्द्र में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सीटों की स्थापना	0.30	0.30
8.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	माहिस बथान (जिला-दार्जिलिंग) में सिलिगुड़ी फूड पार्क में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	माहिस बथान (जिला-दार्जिलिंग) में सिलिगुड़ी फूड पार्क में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	0.95	0.95

1	2	3	4	5	6
9.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	बामनघाटा में स्थापित किए जा रहे खाद्य प्रसंस्करण-सह-प्रशिक्षण केन्द्र में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	बामनघाटा में स्थापित किए जा रहे खाद्य प्रसंस्करण-सह-प्रशिक्षण केन्द्र में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	0.09	0.09
10.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	बागडोरा हवाई अड्डा, बागडोगरा में स्थापित किए जा रहे शीघ्र खराब होने वाले कार्गो काम्प्लेक्स में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	बागडोरा हवाई अड्डा, बागडोगरा में स्थापित किए जा रहे शीघ्र खराब होने वाले कार्गो काम्प्लेक्स में ट्रांसफार्मरों और डीजल जनरेटर सेटों की स्थापना	0.07	0.07
11.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	मोहितनगर में खाद्य प्रसंस्करण इकाई में बहि: स्राव उपचार संयंत्र (ई०टी०पी०) की स्थापना	मोहितनगर में खाद्य प्रसंस्करण इकाई में बहि: स्राव उपचार संयंत्र (ई०टी०पी०) की स्थापना	0.25	0.25
12.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	जलपाईगुड़ी में फलों/सब्जियों के लिए बहुउद्देशीय शीत भाण्डागार और कूल पैक हाउस	जलपाईगुड़ी में फलों/सब्जियों के लिए बहुउद्देशीय शीत भाण्डागार और कूल पैक हाउस	8.00	8.00
13.	पश्चिम बंगाल, अनन्नास	इकाइयों के लिए सेवा सुविधाएं	पहुंच सड़क और कंटेनर पार्किंग आदि	8.00	5.00
14.	असम, अदरक	अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना करके विद्युत आपूर्ति को स्थाई बनाना	अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना करके विद्युत आपूर्ति को स्थाई बनाने के लिए प्रस्ताव	3.00	3.00
15.	असम, अदरक	जलपाईगुड़ी में फलों/सब्जियों के लिए बहुउद्देशीय शीत भाण्डागार और कूल पैक हाउस	जलपाईगुड़ी में फलों/सब्जियों के लिए बहुउद्देशीय शीत भाण्डागार और कूल पैक हाउस	8.00	8.00
16.	असम, अदरक	इकाइयों के लिए सेवा सुविधाएं	पहुंच सड़क और कंटेनर पार्किंग आदि	5.00	5.00
			कुल		48.85

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

485. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
श्री ए० साई प्रताप :
प्रो० एम० रामदास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर उच्चस्तरीय समूह की हाल में आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो बैठक के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ङ) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना और सरकार की अन्य संगत योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। शिक्षा का अधिकार के संबंध में मानक विधेयक का प्रारूप, जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए संवैधानिक आदेश प्राप्त करने के लिए व्यापक मानदंडों एवं रूपरेखा का उल्लेख है, तैयार किया गया था और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किया गया था ताकि इस पर उनकी टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यक्त किए गए कड़े विरोधों को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल मसलों की जांच करने और इस मामले पर आगे उचित कार्रवाई कराने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए 06 नवम्बर, 2007 को उच्च स्तरीय दल जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष शामिल हैं, की बैठक आयोजित की गई ताकि सरकार की उस प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके जिससे संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप दिए जाने के संबंध में समुचित कानून बनाना सुसाध्य होगा। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए बजटीय आबंटनों में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी की है।

देशभक्तिपूर्ण फिल्में

486. **श्री रामदास आठवले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के निर्माण में आत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में दूरदर्शन-वार कितनी फिल्मों का निर्माण किया गया तथा कितनी फिल्में प्रसारित की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा हिंसा प्रदर्शित करने वाली एक्शन फिल्मों में कमी लाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) भारत में फिल्म उद्योग मुख्यत: निजी क्षेत्र में है और प्रत्येक वर्ष निर्मित फिल्मों की शैली के संबंध में भारत सरकार द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड "देशभक्तिपूर्ण फिल्मों" की श्रेणी का ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, फिल्म प्रभाग देशभक्ति पर वृत्त चित्रों का निर्माण कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित वृत्त-चित्रों और निर्माणाधीन फिल्मों की सूची संलग्न विवरण-I और II में देखी जा सकती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फिल्म प्रभाग के वृत्त-चित्रों का प्रसारण किया गया था। इन वृत्त-चित्रों की सूची संलग्न विवरण-III में देखी जा सकती है। फिल्म प्रभाग ने अपने थियटरों में देशभक्तिपूर्ण फिल्में भी प्रदर्शित की जैसा कि संलग्न विवरण-IV में इंगित किया गया है। हाल ही में, फिल्म प्रभाग ने अगस्त, 2007 में दिल्ली में स्वतंत्र फिल्मोत्सव का आयोजन किया था और अन्य राज्यों एवं जिला स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाने वाले ऐसे कई समारोह भी आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अक्तूबर 2004 से मई, 2006 के मध्य तक दूरदर्शन ने नेशनल नेटवर्क पर 21 देशभक्तिपूर्ण फिल्मों का प्रसारण किया है।

(घ) से (च) सरकार का सभी श्रेणियों में अच्छी गुणवत्ता की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म समारोह निदेशालय और बाल चित्र समिति, भारत जैसे संगठन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर वित्तीय सहायता, पुरस्कारों और फिल्म समारोहों के जरिए इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, फिल्मों को प्रमाणित करते समय चलचित्र अधिनियम 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

विवरण-I

पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर बनाए गए वृत्तचित्रों की सूची:

क्रम सं०	शीर्षक	निर्माण का वर्ष	फॉरमेट	लम्बाई/अवधि	भाषा	सारांश
1.	डॉ० राम मनोहर लोहिया	2004-05	35 एम०एम०	930 मीटर	अंग्रेजी	डॉ० राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवादियों के आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। वह गांधीजी की अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण विश्वास रखते थे, बुद्धिजीवी एवं प्रबल समर्थक थे। यह फिल्म डॉ० लोहिया के संघर्षमय जीवन को दर्शाती है जो कि "भारत में स्वतंत्रता आंदोलन" का अभिन्न अंग है।
2.	रमा देवी	2004-05	35 एम०एम०	534.78 मीटर	अंग्रेजी	यह फिल्म महान समाजसुधारक रमादेवी की आत्मकथा पर आधारित फिल्म है।
3.	रानी रशोमणि	2005-06	35 एम०एम०	569.36 मीटर	अंग्रेजी	यह फिल्म रानी रशोमणि के जीवन तथा मानवता, सामाजिक सुधारों तथा हिन्दु धर्म के प्रति उनके योगदान पर आधारित है। स्वतंत्रता पूर्ण अंग्रेजों के द्वारा किये जाने वाले दमन की वह विरोधी थी।
4.	डांडी यात्रा	2005.06	35 एम०एम०	472 मीटर	अंग्रेजी	यह फिल्म 75 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप में की गई डांडी यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए गए समारोह पर बनी हुई है। इस अवसर पर अनेक युवकों तथा गांधीवादियों ने गांधी जी के जीवन मूल्यों तथा आज के युग में इसके महत्व पर बल दिया।
5.	गांधीजीज् लेटर टू हिटलर (हिटलर को गांधीजी का पत्र)	2007-08	35 एम०एम०	94 मीटर	हिन्दी	यह फिल्म एक अहिंसा के पुजारी का एक हिंसा में विश्वास रखनेवाले के प्रति प्यार भरा संदेश है।
6.	महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका (महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में)	2007-08	वीडियो	16 मिनट	अंग्रेजी	गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते हुए तथा अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के गौरव के लिए लड़ाई करते हुए 21 वर्ष बिताए। यह फिल्म गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका में रहने तथा सत्याग्रह के साथ उनके प्रथम प्रयोग/अनुभव के संबंध में है।

विवरण-II

स्वतंत्रता सेनानियों पर निर्माणाधीन वृत्तचित्रों की सूची:

क्रम सं०	शीर्षक	फॉरमेट	सारांश
1.	झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई	35 एम०एम०	यह फिल्म रानी लक्ष्मीबाई के जीवन तथा प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम 1857 में उनके योगदान का चित्रण करती है।
2.	मकबूल शेरवानी	35 एम०एम०	यह फिल्म 1947 के महान पुरुष मकबूल शेरवानी के जीवन तथा समय का चित्रण करती है जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के हमलावारों से बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।
3.	ट्रेन थियेटर ऑन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट (स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन पर ट्रेन थियेटर)	35 एम०एम०	यह फिल्म पूर्णतया स्वतन्त्रता संघर्ष आंदोलन तथा स्वतन्त्रता सेनानियों पर आधारित है।
4.	खुदीराम बोस	35 एम०एम०	यह फिल्म खुदीराम बोस के शताब्दी समारोह पर आधारित है।
5.	ट्रायल ऑफ आई०एन०ए० बाय पंडितजी एज़ लॉयर	वीडियो	यह फिल्म पंडितजी के द्वारा वकील की हैसियत से आई०एन०ए० के ट्रायल का प्रदर्शन करती है।
6.	ट्रायल ऑफ महर्षि अरविंद, अफ्रीडम फाईटर टर्न्ड स्पिरीचुअल लीडर	35 एम०एम०	यह फिल्म स्वतंत्रता सेनानी से आध्यात्मिक नेता बने महर्षि अरविंद के ट्रायल का प्रदर्शन करेगी।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दिखाई गई देशभक्ति विषयों पर निर्मित वृत्तचित्रों की सूची

क्रम संख्या	फिल्म का शीर्षक	सारांश	प्रसारण की तिथि
	मुंबई		
1.	लोकमान्य तिलक	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर फिल्म	23.07.2006
2.	इंडिया विन्स फ्रीडम	सत्ता का हस्तांतरण	अगस्त, 2006
	कोलकाता		
1.	नेताजी	नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर बनी फिल्म	21.01.2007 और 23.01.2007
2.	दी फ्लेम बर्न्स ब्राइट	नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर बनी फिल्म	21.01.2007 और 23.01.2007
3.	सुभाष चंद्र बोस	नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर बनी फिल्म	21.01.2007 और 23.01.2007
4.	रवीन्द्रनाथ टैगोर	रवीन्द्रनाथ टैगोर पर बनी फिल्म	3.05.2007

विवरण-IV

फिल्म प्रभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सिनेमाघरों में दिखाई गई देशभक्ति विषयों पर बनी फिल्मों की सूची

क्रम संख्या	फिल्म का शीर्षक	सारांश	प्रसारण की तिथि
1.	नेशन रिमेम्बर्स (भगत सिंह)	यह फिल्म राष्ट्रीय शहीद स्मारक की परिकल्पना तथा नमूने पर आधारित है। यह फिल्म इस स्मारक के नमूने तथा परिकल्पना पर तीन प्रसिद्ध वास्तुविदों श्री रविन्द्र भान, श्री एम०एम० राणा, श्री चरणजीत सिंह तथा तीन प्रसिद्ध इतिहासकारों श्री बिपिन चंद्रा, श्री मन्मथनाथ गुप्त, श्री एस०एस० बल के साथ हुई चर्चा पर आधारित है। यह फिल्म भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन में भगतसिंह तथा उनके साथियों के योगदान की झलक प्रस्तुत करती है।	27.08.2004
2.	दी ग्रेट साल्ट मार्च	यह फिल्म 1930 में महात्मा गांधीजी द्वारा नमक कानून के विरोध में की गई 'डांडी मार्च' को दर्शाती है।	11.03.2005
3.	रमा देवी	यह उड़ीसा की महान समाजसुधारक रमादेवी की आत्मकथा पर आधारित फिल्म है।	8.04.2005
4.	डांडी यात्रा	फिल्म 75 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी द्वारा मूल रूप में की गई डांडी यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाए गए समारोह पर बनी हुई है। इस अवसर पर अनेक युवकों तथा गांधीवादियों ने गांधी जी के जीवन मूल्यों तथा आज के युग में इसके महत्व पर बल दिया।	18.11.2005
5.	रिबेल विद ए कॉज – राम मनोहर लोहिया	डॉ० राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवादियों के आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। वह गांधीजी की अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण विश्वास रखते थे, बुद्धिजीवी एवं प्रबल समर्थक थे। यह फिल्म डॉ० लोहिया के संघर्षमय जीवन को दर्शाती है जो कि "भारत में स्वतन्त्रता आंदोलन" का अभिन्न अंग है।	5.05.2006
6.	1857 – द बिगिनिंग	सन् 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध।	15.06.2007
7.	कॉल फॉर स्वराज एंड स्वदेशी	बंगाल के विभाजन के समय को चिह्नित करती स्वतंत्रता संघर्ष पर बनी फिल्म।	29.06.2007
8.	देन केम गांधी	गांधीजी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन तथा उनका भारतीय राजनीतिक जीवन में प्रवेश।	27.07.2007
9.	इंडिया विन्स फ्रीडम	सत्ता का हस्तांतरण।	10.08.2007
10.	डॉन ऑफ गांधियन एरा	भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर बनी फिल्म।	28.09.2007
11.	गांधीजीज् लेटर टू हिटलर	हिटलर को गांधी जी का पत्र।	5.10.2007

[अनुवाद]

पुलिस अधिनियम की समीक्षा

487. डा० आर० सेनथिल :
श्री हंसराज गं० अहीर :
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान पुलिस अधिनियम, 1863 को प्रस्थापित करने वाले नए पुलिस अधिनियम मसौदा तैयार करने के लिए सरकार द्वारा गठित समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) मसौदा समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या समिति की रिपोर्ट जनता तथा संबंधित समूहों के विचार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय ने सितम्बर, 2005 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

(ख) से (च) समाज के सभी वर्गों से व्यापक भागीदारी और उपयोगी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से समितियां गठित करने और उनसे इस संबंध में सुझाव/सूचना प्राप्त करने के बारे में पूरे देश के अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, गृह मंत्रालय की वेब-साइट पर एक वेब-पृष्ठ भी खोला गया था। समिति को ई-मेल और डाक, दोनों से बड़ी मात्रा में सूचना प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने राज्यों के साथ-साथ केन्द्रीय पुलिस संगठनों के कार्यरत पुलिस अधिकारियों की राय जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया था और यह जानकारी समिति को दे दी थी। समिति ने भी विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों और विशेषज्ञों से सम्पर्क किया। इन सभी सचूनाओं पर समिति ने विधिवत विचार किया। समिति ने 30 अक्टूबर, 2006 को मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य पुलिस बोर्ड का सृजन करने, पुलिस महानिदेशक और अन्य मुख्य अधिकारियों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा, अपराध कर जांच-पड़ताल करने के लिए समर्पित कर्मचारियों की पहचान करने, सेवा आदि की स्थिति में सुधार करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं। चूंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है इसलिए मॉडल अधिनियम को सभी राज्यों के विचारार्थ और उचित कार्रवाई के लिए भेजा गया था। जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का संबंध है, वर्तमान अधिनियमों के स्थान पर नया विधायन अधिनियमित किए जाने पर केन्द्र सरकार विचार कर रही है।

विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशुल्क कमी के संबंध में संशोधित पाठ

488. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रशुल्क कटौती प्रतिबद्धताओं से संबंधित संशोधित पाठ का विरोध प्रबल करने के लिए अन्य विकासशील देशों के साथ हाथ मिलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संबंध में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) द्वारा परिचालित किए गए संशोधित पाठ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उन देशों के नाम क्या है जो अब तक भारत के रूख का समर्थन करने के लिए सहमत हो गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) ने शुल्क में कमी संबंधी वचनबद्धताओं पर कोई संशोधित पाठ प्रकाशित नहीं किया है। तथापि, दिनांक 17 जुलाई, 2007 को कृषि संबंधी समिति-विशेष सत्र (सी०ओ०ए० – एस०एस०) के अध्यक्ष और डब्ल्यू०टी०ओ० में बाजार पहुंच संबंधी वार्ताकारी समूह (एन०जी०एम०ए०) ने क्रमशः कृषि और गैर कृषि बाजार पहुंच (एन०ए०एम०ए०) के संबंध में रूपरेखाओं के प्रारूप को प्रकाशित किया था। कृषि संबंधी रूपरेखाओं के प्रारूप में कृषि संबंधी वार्ताओं के तीन स्तंभों नामतः घरेलू सहायता, बाजार पहुंच और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रस्ताव सन्निहित हैं। एन०ए०एम०ए० संबंधी रूपरेखाओं के प्रारूप में टैरिफ कमियों के लिए फार्मूला, अवचनबद्ध टैरिफ लाइनों पर चिह्नांकन, विकासशील देशों के लिए लोचशीलताएं, क्षेत्रीय पहलें, गैर टैरिफ बाधाएं और न्यून वचनबद्धताओं के साथ विकासशील देशों के लिए व्यवहार, लघु एवं संवेदनशील अर्थव्यवस्थाएं (एस०वी०ईज०), हाल ही में शामिल किए गए सदस्य (आर०ए०एम०) और अल्प

विकसित देशों (एल०डी०सी०) पर प्रस्ताव सन्निहित है। भारत जी-20 और जी-33 एवं नामा-11 में विकासशील देशों के अपने गठबंधी भागीदारों के साथ वार्ताओं का ऐसा परिणाम जो दोहा दौर के अधिदेश के विकासपरक आयाम को समुचित ढंग से प्रतिबिम्बित करता हो, प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रहा है।

[हिन्दी]

शिक्षा पर खर्च

489. **श्री सुभाष महरिया :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री मो० ताहिर :
श्री मोहन रावले :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री देविदास पिंगले :
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :
श्री नरहरि महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में शिक्षा पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है; और

(ख) शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के छह प्रतिशत आवंटन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) वर्तमान वर्ष (2007-08) हेतु शिक्षा पर व्यय और सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में शिक्षा पर खर्च की गई राशि और साथ ही सकल घरेलू उत्पादन में इसकी प्रतिशतता का ब्यौरा इस प्रकार है:–

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद (रु० करोड़ में)	शिक्षा पर व्यय (रु० करोड़ में)	सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा पर व्यय
1	2	3	4
2004-05	2855933	96694.10	3.39%
2005-06*	3250932	116252.47 (सं०अ०)	3.58%
2006-07*	3717465	132749.28 (ब०अ०)	3.57%

संकेताक्षर : सं०अ०–संशोधित अनुमान

ब०अ०–बजट अनुमान

*=इन वर्षों के आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय को चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हुए इसे सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% तक ले जाया जाए जिसमें से कम से कम आधी राशि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रों पर खर्च की जाए। उच्चतर तथा माध्यमिक शिक्षा के वित्तपोषण हेतु वित्त वर्ष 2004-05 से सभी केन्द्रीय करों पर 2% की दर से शिक्षा उपकर और वित्त वर्ष 2007-08 से सभी केन्द्रीय करों पर 1% की दर से अतिरिक्त उपकर लगाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित xi वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी यह कहा गया है कि xi वीं योजना में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हम शिक्षा पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की ओर अग्रसर रहें।

शिक्षा दिवस

490. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाल ही में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया था; और

(ख) उनको दिए गए प्रशस्ति पत्र तथा नकद पुरस्कारों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मौहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) शिक्षक दिवस अर्थात् 5 सितम्बर, 2007 को शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2006" के अंतर्गत 313 शिक्षकों का चयन किया गया था। प्रत्येक पुरस्कार

में एक योग्यता प्रमाणपत्र, 25,000/-रुपये नकद तथा एक चांदी का पदक दिया जाता है। वर्ष 2006 के लिए पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठन-वार संख्या संलग्न विवरण में है।

विवरण

पुरस्कारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संगठनवार वितरण

क्र० सं०	राज्य	पुरस्कारों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	अरूणाचल प्रदेश	2
3.	असम	9
4.	बिहार	12
5.	छत्तीसगढ़	6
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	13
8.	हरियाणा	5
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू-कश्मीर	5
11.	झारखंड	5
12.	कर्नाटक	13
13.	केरल	14
14.	मध्य प्रदेश	13
15.	महाराष्ट्र	29
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	2
19.	नागालैंड	2
20.	उड़ीसा	12
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	14
23.	सिक्किम	2
24.	तमिलनाडु	22
25.	त्रिपुरा	2
26.	उत्तर प्रदेश	29
27.	उत्तरांचल	7
28.	पश्चिम बंगाल	13
	संघशासित प्रदेश	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
30.	चंडीगढ़ प्रशासन	1
31.	दादर और नगर हवेली	2
32.	दिल्ली	3
33.	दमन और दीव	—*
34.	लक्षद्वीप	2
35.	पुडुचेरी	2
	संगठन	
36.	नाभिकीय ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा सोसाइटी	2
37.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०)	15
38.	भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद	1
39.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सी०टी०एस०ए०)	2
40.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के०वि०एस०)	13
41.	नवोदय विद्यालय समिति (एन०वी०एस०)	4
42.	रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल	2
	कुल	313

*कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई

[अनुवाद]

ग्रामीण युवाओं का पलायन

491. श्री मदन लाल शर्मा : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परंपरागत ग्रामीण व्यवसाय धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवा शहरों का रूख कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा परंपरागत ग्रामीण उद्योगों को बहाल करने तथा बेरोजगार युवकों के शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिए संयुक्त रूप से कोई योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) जी, नहीं। ग्रामीण युवा विभिन्न कारणों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कोई विशिष्ट नई योजना तैयार नहीं की जा रही है। तथापि, सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) राज्य सरकारों के प्रयासों के अलावा देश में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन के लिए खादी, लघु उद्योगों तथा कॅयर उद्योगों के अंतर्गत के अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर०ई०जी०पी०) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी०एम०आर०वाई०) का कार्यान्वयन कर रही है। इन दोनों कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्यों में से एक प्रत्येक राज्य के स्थानीय (ग्रामीण एवं शहरी) क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को सुगम बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20,000 तक की जनसंख्या वाले छोटे कस्बों में ग्रामोद्योगों की स्थापना में पात्र आवेदकों की सहायता करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०)/और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के०वी०आई०बी०) के माध्यम से आर०ई०जी०पी० तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से पी०एम०आर०वाई० का कार्यान्वयन किया जाता है। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आर०ई०जी०पी० (अप्रैल 1995 में इसके आरंभ से) तथा पी०एम०आर०वाई० (अक्तूबर, 1993 में इसके आरम्भ से) के तहत सृजित रोजगार अवसरों की राज्य-वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, खादी, ग्रामोद्योगों एवं कॅयर क्षेत्रों में पारंपरिक क्लस्टरों के विकास के लिए अक्तूबर 2005 में "पारंपरिक उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति)" नामक केन्द्र क्षेत्र की एक नई योजना की शुरूआत की गई है। योजना में उत्पादन संबंधी उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यकता आधारित सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सी०एफ०सी०) की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता में सुधार, विपणन में सुधार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, आदि की परिकल्पना की गई है।

विवरण-I

1 अप्रैल, 1995 को आर०ई०जी०पी० के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक इसके तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित सृजित रोजगार अवसर (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3
1.	चंडीगढ़	1381
2.	दिल्ली	5060
3.	हरियाणा	193911
4.	हिमाचल प्रदेश	86634
5.	जम्मू-कश्मीर	101120
6.	पंजाब	199911
7.	राजस्थान	417260
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7536
9.	बिहार	39543
10.	झारखण्ड	32611
11.	उड़ीसा	71780
12.	पश्चिम बंगाल	250165
13.	अरूणाचल प्रदेश	10299
14.	असम	136894
15.	मणिपुर	18052
16.	मेघालय	32942

1	2	3
17.	मिजोरम	53410
18.	नागालैंड	102621
19.	त्रिपुरा	26634
20.	सिक्किम	9470
21.	आंध्र प्रदेश	394621
22.	कर्नाटक	245579
23.	केरल	211664
24.	लक्षद्वीप	465
25.	पांडिचेरी	13162
26.	तमिलनाडु	131710
27.	गोवा	24374
28.	गुजरात	48115
29.	महाराष्ट्र	269147
30.	छत्तीसगढ़	85403
31.	मध्य प्रदेश	255888
32.	उत्तराखंड	61684
33.	उत्तर प्रदेश	429316
	कुल	3968362

विवरण-II

2 अक्तूबर, 1993 को पी०एम०आर०वाई० के आरंभ से 31 मार्च, 2007 तक इसके तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुमानित सृजित रोजगार अवसर (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3
1.	हरियाणा	136829
2.	हिमाचल प्रदेश	48192
3.	जम्मू-कश्मीर	19854
4.	पंजाब	160071
5.	राजस्थान	215664
6.	चंडीगढ़	2102
7.	दिल्ली	17270
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2166
9.	बिहार	206666
10.	झारखण्ड	41319
11.	उड़ीसा	146978
12.	पश्चिम बंगाल	80958
13.	अरूणाचल प्रदेश	6294
14.	असम	117362
15.	मणिपुर	12966
16.	मेघालय	7755
17.	मिजोरम	4901
18.	नागालैंड	7748
19.	त्रिपुरा	21141
20.	सिक्किम	1106
21.	आंध्र प्रदेश	349317
22.	कर्नाटक	268883
23.	केरल	270635
24.	लक्षद्वीप	368
25.	पांडिचेरी	5850
26.	तमिलनाडु	271893

1	2	3
27.	गोवा	4557
28.	दादर और नगर हवेली	929
29.	गुजरात	152630
30.	महाराष्ट्र	486935
31.	दमन और दीव	291
32.	छत्तीसगढ़	30320
33.	मध्य प्रदेश	404265
34.	उत्तराखंड	53366
35.	उत्तर प्रदेश	695837
36.	अन्य (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं)	8973
	कुल	4262391

विदेशी विश्वविद्यालयों का खोला जाना

492. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी विश्वविद्यालय के कुलपति ने देश में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के किसी कुलपति सम्मेलन में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो उसमें चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा उसका क्या परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) इस समय केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रहे विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश तथा कार्यकरण के लिए विनियम निर्धारित किए हैं। देश में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा कार्यकरण के लिए एक विधायी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

साक्षरता कार्यक्रम

493. श्री मोहन जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से देश में चल रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जरूरतमंदों को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए इन योजनाओं का उचित मूल्यांकन/निगरानी की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के समान आवश्यक अवसंरचना तथा श्रमशक्ति उपलब्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विभिन्न राज्य सरकारें तथा स्थानीय स्व-शासन केन्द्र सरकार के प्रयासों की सहायता हेतु धनराशि प्रदान करते हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का शिक्षा गारंटी योजना, सभी के लिए शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा जैसे समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का विलय करने, उन्हें पुनर्गठित करने का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) देश में साक्षरता का प्रसार करने के लिए 'प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास' योजना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में शिक्षुओं को बुनियादी साक्षरता और उत्तर साक्षरता प्रदान करने के लिए 'साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन' तथा नव-साक्षरों एवं समाज के अन्य वर्गों को आजीवन अधिगम सुविधाएं प्रदान करने हेतु 'सतत शिक्षा कार्यक्रम' शामिल हैं जिन्हें अब एक ही योजना में आमेलित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित निगरानी हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-स्तरीय निगरानी तंत्र है। जिला साक्षरता समिति, जो कार्यक्रम की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करती है, ब्लॉक एवं जिला समन्वयकों की सहायता से एक-एक केन्द्र की निगरानी भी करती है। केन्द्रों से सूचना/आंकड़े संकलित करने हेतु एक निगरानी तंत्र बनाया गया है।

प्रौढ़/जन शिक्षा के राज्य निदेशालय राज्य स्तरीय निगरानी प्रशिक्षण हैं। जिलों से प्राप्त सूचना की उनके द्वारा छानबीन और विश्लेषण किया जाता है। राज्य निदेशालयों में मासिक अनुवीक्षण बैठकें होती हैं जिनमें जिला साक्षरता समितियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं जहां कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

प्रौढ़/जन शिक्षा के राज्य निदेशालयों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों की राष्ट्रीय स्तर पर पुन: छानबीन एवं विश्लेषण किया जाता है ताकि कार्यक्रम के गुणावगुणों का पता लगाया जा सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रत्येक वर्ष राज्य शिक्षा सचिवों/प्रौढ़/जन शिक्षा निदेशकों की क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करता है ताकि उनके राज्य में साक्षरता कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जा सके।

संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, सतत शिक्षा कार्यक्रमों का बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से अलग से भी मूल्यांकन किया जाता है। अब तक बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा 424 संपूर्ण साक्षरता अभियान, 175 उत्तर साक्षरता कार्यक्रम जिलों और 31 सतत शिक्षा कार्यक्रम जिलों का मूल्यांकन किया गया है।

(घ) और (ङ) साक्षरता कार्यक्रमों के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता के मानदंड समान है। जिला/ब्लॉक स्तर पर जिला साक्षरता समितियों के तत्वावधान में विभिन्न समितियां गठित की जाती हैं जो कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का अनुवीक्षण करती हैं। बुनियादी साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर चलाए जाते हैं। अध्ययन/अध्यापन सामग्री और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा अनुदेशकों को इन कार्यक्रमों के लिए कोई अन्य अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान नहीं की जाती है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक प्रेरक और एक सहायक प्रेरक की नियुक्ति की जाती है जिन्हें निर्धारित दरों पर मानदेय दिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक सतत शिक्षा केन्द्र को उपकरणों, खेल-कूद की वस्तुओं, पुस्तकों आदि के लिए अनावर्ती अनुदान दिया जाता है।

(च) और (छ) संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधीयन का अंशदान 2:1 के अनुपात में किया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच निधियन के बंटवारे का यह अनुपात क्रमश: 4:1 ह। सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रथम तीन वर्षों के लिए 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है और चौथे तथा पांचवें वर्ष में केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच इस लागत का बराबर बांटा जाता है और उसके बाद राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यक्रम का संपूर्ण दायित्व वहन करें। इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने साक्षरता कार्यक्रमों हेतु राज्य-आधारित कार्यकलापों के लिए निधियां प्रदान की है।

(ज) और (झ) शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा पृथक योजनाएं न होकर सर्व शिक्षा अभियान के ही विशेष घटक हैं।

चीन से वस्तुओं का आयात

494. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री हंसराज गं० अहीर :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान चीन से आयात किए गए खिलौनों तथा इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित मदों का ब्यौरा क्या है तथा इसका मूल्य कितना था;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आयात हेतु लक्षित इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं तथा खिलौनों सहित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन से आयात किए गए खिलौनों से देश में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो चीन से खिलौनों सहित इन खतरनाक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) खिलौनों और इलेक्ट्रॉनिक मदों सहित आयातित मदों के ब्यौरे वाणिज्यिक आसूना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारतीय विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी: खण्ड II (आयात) वार्षिक अंक" में दिए जाते हैं।

खिलौनों को निर्यात एवं आयात मदों का आई०टी०सी० (एच०एस०) वर्गीकरण के अध्याय 95 के तहत वर्गीकृत किया गया है। खिलौनों का आयात मुक्त है। विदेश व्यापार नीति के अनुसार सभी आयात घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों,

घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू होने वाले पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मानदण्डों के अध्यधीन होते हैं।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक परिषद, औद्योगिक विषय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ ने "प्लास्टिक के खिलौनों से थैलेट्स, धातुओं एवं रंजकों के विक्षालन के आकलन" पर एक अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट वर्ष 2002 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की थी। अध्ययन का उद्देश्य बच्चे प्लास्टिक के जिन खिलौनों से खेलते हैं, उनकी किस्मों एवं गुणवत्ता, विभिन्न किस्मों से थैलेट प्लास्टिसाइजर्स, धातुओं एवं रंजकों के विक्षालन का स्तर, प्लास्टिक के खिलौनों से थैलेट्स, धातुओं एवं रंजकों के विक्षालन को प्रभावित करने वाले कारकों तथा प्रश्नावली का प्रयोग करके नैदानिक जांच के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य पर खिलौनों के प्रभाव का सर्वेक्षण करना था।

अध्ययन में यह सुझाव दिया गया था कि प्राकृतिक, गैर-विषाक्त रंगों एवं रंजकों को प्रोत्साहित किया जाए और प्रयोग के दौरान उनके संघटकों के संभावित विक्षालन को कम करने के लिए मानक पद्धतियों का प्रयोग करके खिलौनों का विनिर्माण किया जाए।

खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो ने खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाओं हेतु निम्नलिखित 3 मानक प्रकाशित किए हैं:–

1. आई०एस० 9873 (भाग 1) : 2001/आई०एस०ओ० 8124-1 : 2000 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ : भाग 1 : यांत्रिक एवं भौतिक गुणधर्मों से संबंधित सुरक्षा संबंधी पहलू

2. आई०एस० 9873 (भाग 2) : 1999/आई०एस०ओ० 8124-2 : 1994 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ : भाग 2 : ज्वलनशीलता संबंधी अपेक्षाएँ

3. आई०एस० 9873 (भाग 3) : 1999/आई०एस०ओ० 8124-3 : 1997 खिलौनों के लिए सुरक्षा अपेक्षाएँ : भाग 3 : कुछेक तत्वों का निष्क्रमण: खिलौना सामग्रियों में से एण्टीमनी (एस०वी०), आर्सेनिक (ए०एस०), बरियम (बी०ए०), कैडमियम (सी०डी०), क्रोमियम (सी०आर०), सीसा (पी०बी०), पारा (एच०जी०) तथा सेलेनियम (एस०ई०) के लिए निर्धारित अधिकतम स्वीकार्य तत्व का निष्क्रमण:

ऊपर उल्लिखित बी०आई०एस० मानक न तो घरेलू विनिर्माताओं के लिए और न ही आयात के लिए अनिवार्य हैं। तथापि, देश में खिलौनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अतिलघु, मध्यम एवं लघु उद्यम मंत्रलाय ने मुम्बई तथा नई दिल्ली स्थित जांच केन्द्रों में खिलौनों के मूल्यांकन हेतु जांच सुविधाओं की स्थापना की है।

संघीय अपराध

495. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा संघीय अपराधों से निपटने के लिए दूरगामी सुधारों की सिफारिश की है तथा सुझाव दिया है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि केन्द्र सरकार को किसी राज्य में केन्द्रीय बल तैनात करने का अधिकार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितनी सिफारिशों पर विचार किया गया है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "लोग व्यवस्था" शीर्षक से अपने पांचवीं रिपोर्ट में संघीय अपराधों से निपटने और संघ सरकार को अपने बलों को राज्यों में तैनात करने का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून का अधिनियमन करने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:–

संस्तुति पैराग्राफ 8.2.15:

"क. संघ सरकार को लोक व्यवस्था की बड़ी समस्या के मामले में, जिससे किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ठप्प होने की संभावना हो, अपने बलों को तैनात करने तथा इन बलों को निर्देश देने का अधिकार देने के लिए अधिनियमन किया जाना चाहिए। तथापि, यह तैनाती संबंधित राज्य में संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ द्वारा जारी "निदेश" पर कार्य करने से असफल रहने के बाद ही की जाएगी। यह सभी तैनातियां एक अस्थायी अवधि, जो तीन माह से अधिक नहीं होगी, के लिए की जाएगी, जिसे संसद द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् तीन माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सके।

ख. यह कानून लोक प्रशासन की तारतम्यता को सार्थक बनाएगा जो इन हालातों में बलों का पयर्वेक्षण करेगा।''

संस्तुति पैरा 8.3.14:

''क. अन्तर-राज्य अथवा राष्ट्रीय शाखा विन्यास वाले कुछ निश्चित अपराधों की पुनर्जांच किए जाने और उन्हें नये कानून में शामिल किए जाने की जरूरत है। कानून में इन अपराधों की जांच करने और उनका विचारण करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की जानी चाहिए। इस श्रेणी में निम्नलिखित अपराधों को शामिल किया जा सकता है:–

(i) संगठित अपराध

(ii) आतंकवाद

(iii) राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कार्य

(iv) शस्त्रों एवं मानवों का अवैध व्यापार।

(v) राजद्रोह

(vi) अन्तर-राज्य शाखा विन्यास वाले बड़े अपराध।

(vii) बड़ी सार्वजनिक हस्तियों की हत्या (हत्या के प्रयास सहित)

(viii) गंभीर आर्थिक अपराध

(ख) सी०बी०आई० की कार्यप्रणाली को शासित करने के लिए नया कानून बनाया जाना चाहिए। इस कानून में कई श्रेणियों के अपराधों की जांच करने सहित क्षेत्राधिकार का निर्धारण भी होना चाहिए।

(ग) ''शासन में नीति'' पर आयोग की रिपोर्ट में संस्तुत अधिकार प्राप्त समिति सी०बी०आई० द्वारा लिए जाने वाले मामलों का निर्णय करेगी।''

''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचित के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की उपर्युक्त सिफारिश में संविधानिक मुद्दे अन्तर्ग्रस्त होंगे तथा केन्द्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में निहितार्थ होंगे और अत: इनकी गंभीर जांच एवं राज्य सरकारों सहित सभी संबंधितों के साथ व्यापक चर्चा अपेक्षित होगी। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चाय उत्पादकों हेतु आधार मूल्य

496. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में छोटे चाय उत्पादकों के लिए आधार मूल्य की मांग पर विचार करने हेतु एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैनल को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने को कहा गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री चवराम रमेश) : (क) से (ग) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई०सी०डब्ल्यू०ए०आई०) को भारत के विभिन्न चाय उत्पादक क्षेत्रों के लिए हरी चाय की पत्तियों तथा निर्मित चाय की उत्पादन लागत निर्धारित करने हेतु अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है। इंस्टीट्यूट ने आंशिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना

497. श्री बापू हरी चौरे :
श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री संजय धोत्रे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का उच्च प्राथमिक तथा उच्च कक्षाओं तक विस्तार करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना को 1.10.2007 से प्रारंभ में देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में सरकारी (स्थानीय निकायों सहित) और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्रों में उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर तक बढ़ा दिया है। सरकार ने वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम को देश भर के उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर तक बढ़ाने

का भी निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को उच्चतर कक्षाओं तक बढ़ने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

498. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुक्त व्यापार समझौते (एफ०टी०ए०) पर यूरोपीय संघ के साथ वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान भारत तथा यूरोपीय संघ के देशों के बीच व्यापार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूरोपीय संघ के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू हो जाने के पश्चात कितना व्यापार बढ़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। भारत-यूरोपीय संघ (ई०यू०) व्यापक व्यापार और निवेश करार हेतु वार्ताएं 28.06.2007 को ब्रुसेलस में शुरू हुई थीं। वार्ताओं का पहला दौर वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, व्यापार प्रतिकारों, सीमाशुल्क सहयोग और व्यापार सुविधा के क्षेत्रों में करार की व्यापक रूपरेखाओं पर वार्ताएं करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए कार्यढांचे पर विचार-विमर्श करने पर केन्द्रित था। इन प्रारंभिक विचार-विमर्शों के आधार पर दोनों पक्षों ने वार्ताओं के दूसरे दौर, जो 1-5 अक्तूबर, 2007 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, में पाठगत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया था।

(ग) ई०यू० देशों के साथ व्यापार का ब्यौरा:-

(मिलियन अम० डा०)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
2005-06	23,229	25,998	49,227
2006-07	26,863	34,781	61,644

(घ) भारत-ईयू व्यापार में वृद्धि की मात्रा उन उत्पादों का निर्धारण करने वाली वार्ताओं के परिणाम पर निर्भर करेगी जिन्हें टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम और सेवा क्षेत्र में उदारीकरण की सीमा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

केन्द्रीय कारागार हेतु प्रायोगिक परियोजना

499. **श्री अधीर चौधरी** :
श्री निखिल कुमार :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक ऐसी प्रायोगिक परियोजना की संकल्पना की है जिसमें प्रत्येक राज्य के एक केन्द्रीय कारागार से जिला कारागारों तथा उप-कारगारों की वीडियो कान्फ्रेंसिगं के जरिए न्यायालयों से जोड़ा जाएगा, जैसा कि दिनांक 18 सितंबर, 2007 को "द एशियन एज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कितने राज्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(ङ) संपूर्ण योजना पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है;

(च) इस योजना के क्रियान्वयन से जेल प्रशासन में कितना सुधार आने की संभावना हैं; और

(छ) इस योजना को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत "कारागार" राज्य का विषय है। कुछ राज्य सरकारों ने कोर्ट में अभियुक्तों को प्रस्तुत करने के सीमित उद्देश्य से कारागारों और कोर्टों को वीडियो कान्फ्रेंसिग से पहले ही जोड़ दिया गया है। चूंकि राज्य सरकारों ने इससे अत्यधिक फायदें की सूचना दी है, अत: यह मंत्रालय राज्यों की सहायता करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है।

(ख) प्रस्ताव अभी भी प्रारंभिक अवस्था पर है।

(ग) जी हां, श्रीमान। इस मंत्रालय में सभी राज्य सरकारों से इस संबंध में अपने विचार और आवश्यकतायें बताने हेतु अनुरोध किया है।

(घ) कब तक 20 राज्यों में विचार व्यक्त किए हैं।

(ङ) योजना की शुरूआत अभी भी प्रारंभिक अवस्था पर है।

(च) राज्य के अनुभवों ने मानवशक्ति और सुरक्षा के संबंध में फायदों की ओर संकेत किया है।

(छ) इस अवस्था में समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

स्पाइसिज पार्क

500. **श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी :**
श्री एल० राजगोपाल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्पाइसिज पार्क तथा मिर्चों के लिए क्षेत्रीय गुणवत्ता परीक्षण तथा नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने का फैसला किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। गुंटूर में मुख्य रूप से मिर्च और हल्दी के लिए एक मसाला पार्क की स्थापना करने का सिद्धांतत: निर्णय लिया गया है। मसाला बोर्ड ने आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार से इस प्रयोजनार्थ भूमि के आबंटन हेतु अनुरोध किया है। सरकार ने गुंटूर में मसाला बोर्ड के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना को भी अनुमोदित किया है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी दिशानिर्देश

501. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) से संबंधित नीति को अंतिम बार दिनांक 10 फरवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया था। उसके बाद, सरकार ने दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को दूरसंचार सेवा क्षेत्र में एफ०डी०आई० हेतु संशोधित दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे, जिनमें एफ०डी०आई० की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई थी।

(ख) दिनांक 19.4.2007 के प्रेस नोट संख्या 3 (2007 श्रृंखला) में निहित दिशानिर्देशों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
एस०आई०ए० (एफ०सी० प्रभाग)

प्रेस नोट सं० 3 (2007 श्रृंखला)

विषय : दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना-संशोधित दिशा-निर्देश।

सरकार ने दिनांक 3.11.2005 के प्रेस नोट 5 (2005 श्रृंखला) के द्वारा, विशिष्ट शर्तों के अध्ययधीन कुछ विशेष दूरसंचार सेवाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की सीमा के 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का निर्णय अधिसूचित किया था।

2. इस संबंध में नीति की समीक्षा करने के उपरांत, सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०) की सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है;

(क) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ०डी०आई०):

(i) एफ०डी०आई० की अधिकतम सीमा में यह वृद्धि जिन मामलों में लागू होगी, वे हैं– बेसिक सेल्युलर, यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की, वी सैट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज (पी०एम०आर० टी०एस०), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस सर्विसेज (जी०एम०पी०सी०एस०) तथा अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं।

(ii) एफ०डी०आई० की अधिकतम सीमा के प्रयोजनार्थ, लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही विदेशी निवेश गिने जाएंगे। विदेशी निवेश में शामिल होंगे, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ०आई०आई०), अनिवासी भारतीयों

(एन०आर०आई०) द्वारा किया गया निवेश, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफ०सी०सी०बी०), अमेरिकी जमा प्राप्तियां (ए०डी०आर०), वैश्विक जमा प्रप्तियां (जी०डी०आर०) तथा विदेशी कंपनियों द्वारा रखे गए परिवर्तनीय अधिमान शेयर अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ होगा ऐसे कंपनी/ कंपनियों में विदेशी निवेश जिनके पास लाइसेंसधारक कंपनी और उनकी होल्डिंग कंपनी/कंपनियों अथवा कानूनी कंपनियों (जैसे कि म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट) के शेयर आनुपातिक आधार पर हों। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा रखे गए लाइसेंसधारी कंपनी के शेयरों को 'भारतीय' शेयरधारिता माना जाएगा। किसी भी हाल में 'भारतीय' शेयर धारिता 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(iii) 49 प्रतिशत तक एफ०डी०आई० स्वत: मार्ग के तहत ही बनी रहेगी। लाइसेंसधारी कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों में एफ०डी०आई०, जिसमें उनकी होल्डिंग कंपनियां भी शामिल हैं, के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, यदि 74 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा प्रभावित होती हो। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय, एफ०आई०पी०बी० यह ध्यान में रखेगा कि निवेश, पेरशानी पैदा करने वाले देशों/प्रतिकूल कंपनियों से न आ पाए।

(iv) एफ०आई०पी०बी० द्वारा निवेश अनुमोदन में यह शर्त शामिल होगी कि कंपनी लाइसेंस के करार का पालन करेगी।

(v) एफ०डी०आई० भारतीय कानूनों की शर्त के अध्यधीन होगा न कि बाहरी देश/देशों के कानूनों की शर्तों के अध्यधीन।

(ख) सुरक्षा शर्तें:–

(i) तकनीकी नेटवर्क संचालन के मुख्य प्रभारी अधिकारी तथा मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क डायग्राम के ब्यौरे (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) जरूरत के आधार पर केवल दूर संचार उपकरण आपूर्तिकताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंस धारक कंपनी के संबद्ध/मूल को प्रदान किये जा सकेंगें। लाइसेंस प्रदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से अनुमति अपेक्षित होगी। यदि ऐसी सूचना किसी अन्य को प्रदान की जाती है।

(iii) सुरक्षा कारणों से ऐसी कंपनियों का घरेलू यातायात भारत से बाहर किसी अन्य स्थान को नहीं मोडा/रूट किया जायेगा जिन्हें लाइसेंस प्रदाता द्वारा अभिज्ञात/विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(iv) लाइसेंस धारक कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा समय से उपाय करने होंगे कि अभिदाताओं द्वारा नेटवर्क के जरिये पूरी की गई सूचना गोपनीय तथा संरक्षित हो।

(v) लाइसेंस धारक कंपनी में संदेशों के वैध अन्तरोधन पर कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(vi) कंपनी के बोर्ड पर अधिकांश निदेशक भारतीय होंगे।

(vii) चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी०ई०ओ०) तथा/अथवा मुख्य वित्तीय अधिकार (सी०एफ०ओ०) के पद पर यदि विदेशी नागरिक हैं, तो गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सुरक्षा जांच की जानी अपेक्षित होगी। सुरक्षा जांच वार्षिक आधार पर आवधिक रूप से की जानी अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ गलत पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निर्देश लाइसेंसी पर बाध्यकारी होगा।

(viii) कंपनी निम्नलिखित को भारत से बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को हस्तांतरित नहीं करेगी:–

(क) अभिदाता से संबंधित लेखा संबंधी कोई सूचना (अन्तरराष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग के अलावा) (नोट: यह वित्तीय प्रकृति के सांविधिक रूप से अपेक्षित खुलासे को प्रतिबंधित नहीं करता है); तथा

(ख) उपभोक्ता सूचना (रोमिंग के समय भारतीय आपरेटर के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी अभिदाताओं से संबंधित को छोड़कर)

(ix) कंपनी को अपने अभिदाताओं की अनुमार्गणीय पहचान प्रदान करनी चाहिए। फिर भी विदेशी कंपनियों के रोमिंग अभिदाता को सेवा प्रदान करने के मामले में भारतीय कंपनी से रोमिंग समझौते के भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग अभिदाताओं की अनुमार्गणीय पहचान प्राप्त करने का प्रयास करना होगा।

(x) लाइसेंस प्रदाता अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दूर-संचार सेवा प्रदाता को एक दिये गये समय पर किसी अभिदाता के भौगोलिक स्थापना स्थल (बी०टी०एस० स्थापना स्थल) प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

(xi) नेटवर्क तक दूरवर्ती पहुंच (आर०ए०) भारत में अनुमोदित स्थापना स्थल (तें) के जरिये केवल विदेशी अनुमोदन स्थापना स्थल (तें) को उपलब्ध कराई जायेगी। स्थापना स्थल (तें) का अनुमोदन लाइसेंस प्रदाता (टी०ओ०टी०) द्वारा सुरक्षा एजेन्सियों (आई०बी०) के साथ विचार-विमर्श करके दिया जायेगा।

(xii) आपूर्ति कर्ताओं/विनिर्माताओं के किसी आर०ए० और सम्बद्धों को वैध अन्तरावरोधन प्रणाली (एल०आई०एस०), वैध अन्तरावरोधन निगरानी (एल०आई०एम०), यातायात के काल सारांशों और ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/आकड़ों जिन्हें लाइसेंस प्रदाता समय-समय पर अधिसूचित कर सकते हैं तक पहुंच के लिए किसी भी परिस्थिति में समक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए।

(xiii) सारांश की निगरानी के लिए लाइसेंस धारक कंपनी को दूरवर्ती पहुंच की सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

(xiv) उपयुक्त तकनीकी उपकरण भारतीय पक्ष की ओर से निर्दिष्ट सुरक्षा अभिकरण/लाइसेंस प्रदाता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसमें ऑन लाइन निगरानी उद्देश्यों के लिए दूरवर्ती पहुंच सूचना का प्रतिबिम्ब उपलब्ध है।

(xv) भारत में संचालित नेटवर्क से संबंधित दूरवर्ती पहुंच कार्यकलापों की सम्पूर्ण लेखा परीक्षा/अभिलेख छः महीने की अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए और लाइसेंस प्रदाता अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण के अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उपकरणों में केन्द्रीयकृत स्थान से वैध अन्तरावरोधन और निगरानी करने के लिए आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध है।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों के संबंधित संचालनों/रूपरेखाओं के संबंध में सतर्कता तकनीकी निगरानी (वी०टी०एम०) सुरक्षा अभिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षित करना चाहिए।

(xviii) लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंसधारक कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में संचालन से रोकने का अधिकार होगा।

(xix) ध्वनि और आंकड़ों की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से निगरानी केवल केन्द्रीय गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सचिवों द्वारा प्राधिकृत करने पर होगी।

(xx) यातायात निगरानी के लिए लाइसेंस धारक कंपनी अपने नेटवर्क व अन्य सुविधाओं के साथ-साथ लेखा पुस्तकों तक पहुंच उपलब्ध करायेगी।

(xxi) उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें इस प्रेस नोट के तहत आने वाली दूरसंचार सेवाओं का संचालन करने वाली सभी कंपनियों पर लागू होंगी, चाहे एफ०डी०आई० का स्तर कुछ भी हो।

(xxii) अन्य सेवा प्रदाता (ओ०एस०पी०एस०) काल सेंटर, व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बी०पी०इ०ओ०) टैली मार्केटिंग, टैली शिक्षा आदि जैसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और दूरसंचार विभाग में ओ०एस०पी० के रूप में पंजीकृत हैं। ऐसे अन्य सेवा प्रदाता लाइसेंसधारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार अवसरंचना का प्रयोग करते हुए सेवा संचालन करते हैं और अन्य सेवा प्रदाताओं को 100 प्रतिशत एफ०डी० आई० की अनुमति है। क्योंकि सभी लाइसेंसधारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर सुरक्षा शर्तें लागू हैं इसलिए उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें अन्य सेवा प्रदाताओं पर अलग से लागू नहीं की जाएंगी।

3. उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित शर्तें 49 प्रतिशत एफ०डी०आई० की उच्चतम सीमा के साथ दूरसंचार सेवा (ओं) का संचालन करने वाली मौजूदा कंपनियों पर भी लागू होंगी।

4. आद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 2 (2000 श्रृंखला) दिनांक 11.2.2000 में दिये अनुसार 'निवेश कम्पनियों' के लिए एफ०डी०आई० नीति से संबंधित प्रावधान दूरसंचार क्षेत्र पर आगे लागू नहीं होंगे।

5. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट 15 (1998 श्रृंखला) और प्रेस नोट 2 (2000 श्रृंखला) में उपर्युक्त सीमा तक परिवर्तन किया गया है।

6. प्रेस नोट की तिथि से तीन महीने के भीतर मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस प्रदाता के पास उपर्युक्त शर्तों को बिना शर्त अनुपालन करने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी और उसके पश्चात छः महीने के आधार पर जुलाई और जनवरी के प्रथम दिन अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

7. दिनांक 03.11.2005 का प्रेस नोट 5 (2005 श्रृंखला) इस प्रेस नोट द्वारा अधिक्रमित माना जाएगा।

(गोपाल कृष्ण)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फा० सं० 12/2/2006 एफ०सी० दिनांक 19 अप्रैल, 2007

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग

502. श्री संतोष गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं जिसकी वजह से मेधावी छात्र आत्महत्या के लिए विवश हो जाते हैं, को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर इस मंत्रालय ने रैगिंग रोकने के लिए एक समिति गठित की है। 16 मई, 2007 को 2004 के एस०एल०पी० (सी) संख्या 24296-24299 में उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर समिति को सिफारिशों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, विश्व अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद्, तथा उच्चतर शिक्षा वाली अन्य संस्थाओं जैसी विनियामक संस्थाओं का ध्यान इन सिफारिशों की ओर आकर्षित किया है तथा उनसे इन्हें कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है। प्रिंट मीडिया में उपयुक्त विज्ञापनों द्वारा भी इसके कार्यान्वयन में सहयोग मिला है।

आतंकवादियों के वित्तीय स्रोत

503. श्री जीवाभाई ए० पटेल :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आतंकवादियों तथा नक्सलियों के वित्तीय स्रोतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के नाम सार्वजनिक करने का है ताकि भारतीय नागरिक इस संबंध में जागरूक हो सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) लश्करे तोएबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी संगठन आक्रामक आसूचना एजेंसियों, जाली भारतीय मुद्रा के नोटों, दान, संग्रह आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। पूर्वोत्तर के उग्रवादी संगठन और नक्सलवादी जबरन धन वसूली, उपकर लगाकर, संरक्षण राशि आदि के माध्यम से धन जुटाते हैं।

(ग) से (ङ) उक्त गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा की जाती है और उनके द्वारा उचित कानून के अन्तर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे मामलों का ब्यौरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

महिलाओं तथा बच्चों का दुर्व्यापार

504. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं तथा बच्चों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय समेकित योजना तैयार करने के संबंध में विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक महिलाओं तथा बच्चों के दुर्व्यापार के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी घटनाएं सामने आईं; और

(घ) इन महिलाओं तथा बच्चों के पुनर्वास तथा इस अवैध मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग एक साथ मिलकर महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष बल देते हुए मानव

दुर्व्यापार को रोकने एवं उसका प्रतिरोध करने के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार कर रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संग्रहित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004, 2005 और 2006 (अनन्तिम) के दौरान अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत दुर्व्यापार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृह चलाती है जिसमें दुर्व्यापार पीड़ितों को आश्रय, भोजन, वस्त्र, भावनात्मक सहायता, काउन्सेलिंग, पुनर्वास और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। अवैध व्यापार का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायें निम्नलिखित हैं:

(i) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय परामर्शी समिति (सी०ए०सी०) कार्य कर रही है जिसमें राज्यों तथा केन्द्रीय संगठनों एवं और सरकारी संगठनों आदि का प्रतिनिधित्व होता है। सी०ए०सी० की तिमाही बैठकें होती हैं। अवैध व्यापार (निवारण) अधिनियम को दुर्व्यापार करने वालों के खिलाफ अधिक सख्त बनाने के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है।

(ii) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और अन्य संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच मानवों के अवैध व्यापार से संबंधित मामलों का समन्वय करने तथा इस विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को जागरूक बनाने तथा समन्वय बैठकें करने के लिए एक नोडल सैल बनाया है।

(iii) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी०पी०आर० एंड डी०) ने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग करने के लिए "ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैण्डबुक फार इन्वेस्टिगेटर्स" नामक एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया है।

(iv) बी०पी०आर० एंड डी० महिलाओं को सुरक्षा के प्रति पुलिस कार्मिकों को अधिक संवेदी बनाने के लिए अवैध व्यापार रोधी क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करती है।

(v) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए एक पायलट परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 के दौरान अनैतिक व्यापार "पी" अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दर्ज मामले

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004 सी०आर०	2005 सी०आर०	2006 सी०आर०
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	405	681	657
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	28	25	29
4.	बिहार	24	28	13
5.	छत्तीसगढ़	9	6	13
6.	गोवा	28	38	26
7.	गुजरात	33	59	78
8.	हरियाणा	62	85	85
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	0
10.	जम्मू-कश्मीर	11	3	5
11.	झारखण्ड	3	13	11
12.	कर्नाटक	1170	1241	786
13.	केरल	168	225	189
14.	मध्य प्रदेश	23	19	12
15.	महाराष्ट्र	309	222	378
16.	मणिपुर	0	1	0
17.	मेघालय	0	1	1
18.	मिजोरम	5	1	0
19.	नागालैंड	4	4	9
20.	उड़ीसा	22	29	44

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	32	58	67
22.	राजस्थान	79	115	143
23.	सिक्किम	1	0	0
24.	तमिलनाडु	3022	2777	1732
25.	त्रिपुरा	0	0	0
26.	उत्तरांचल	44	31	70
27.	उत्तर प्रदेश	4	2	3
28.	पश्चिम बंगाल	121	74	66
	कुल योग (राज्य)	5611	5742	4417
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	9	9	3
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	1
33.	दिल्ली	123	151	112
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	4	5	8
	कुल योग (संघ शासित प्रदेश)	137	166	124
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	5748	5908	4541

टिप्पणी:– वर्ष 2006 के आंकड़े अनंतिम है।

शिक्षा में असमानता

505. **श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटील :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चों को एकसमान शिक्षा नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार को एकसमान शिक्षा प्रदान करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) सरकार द्वारा शिक्षा में असमानता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी प्रगति की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान में असमानता को कम करने हेतु निम्नलिखित पहलें की गई हैं।

(i) बालिका शिक्षा पर फोकस : शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने तथा महिला-पुरूष अंतर को समाप्त करने हेतु यह बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करता है।

(ii) सुलभता व समानता सुनिश्चित करना : सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों की शिक्षा से जुड़ी चिंता को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है।

(iii) समेकन : सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष जरूरतों वाले प्रत्येक बच्चे को विकलांगता के प्रकार, श्रेणी तथा मात्रा पर ध्यान दिए बिना उचित वातावरण में शिक्षा उपलब्ध हो।

(iv) गुणवत्ता में सुधार करना : गुणवत्ता सुधार सर्व शिक्षा अभियान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। यह शिक्षकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तक नवीकरण, शिक्षक अध्ययन सामग्री वितरण, वार्षिक स्कूल अनुदानों, छात्र मूल्यांकन प्रणाली, कम्प्यूटर सहायता प्राप्त अध्ययन आदि हेतु सहायता उपलब्ध कराता है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत की गई पहलों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में छात्रों को प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत लाया गया है तथा राज्य रिपोर्टों के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 2001-02 में 320 लाख से घटकर वर्ष 2006-07 में 70 लाख हो गई है।

दोहा दौर की वार्ता

506. श्री हंसराज गं० अहीर :
श्री रामचीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहा दौरे की वार्ता के विफल होने के क्या कारण हैं;

(ख) वार्ता को सफल बनाने के लिए अपनाई गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू०टी०ओ०) में व्यापार वार्ताओं का दोहा दौर, जिसकी शुरूआत नवम्बर, 2001 में की गई थी, अभी भी जारी है। डब्ल्यू०टी०ओ० सदस्यों की विशेष रूप से बाजार पहुंच और कृषि में घरेलू सहायता संबंधी मुद्दों पर वैचारिक स्थितियों में अत्यधिक अंतर को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई, 2006 को वार्ताएं स्थगित कर दी गई थीं। वार्ताएं 7 फरवरी, 2007 को पुन: शुरू हुई। 17 जुलाई, 2007 को कृषि संबंधी डब्ल्यू०टी०ओ० समिति-विशेष सत्र और बाजार पहुंच संबंधी वार्ताकारी समूह के अध्यक्षों ने क्रमश: कृषि और गैर कृषि बाजार पहुंच (एन०ए०एम०ए०) के संबंध में रूपरेखाओं का मसौदा प्रकाशित किया। सितम्बर, 2007 से रूपरेखाओं के मसौदा पाठ पर बहुपक्षीय वार्ताएँ आयोजित की जा रही हैं।

(ख) सम्पूर्ण वार्ताओं के दौरान भारत जी-20, जी-33 तथा एन०ए०एम०ए०-11 जैसे विकासशील देशों के समूहों में गठबंधन भागीदारों के साथ एक ऐसा परिणाम हासिल करने के लिए रचनात्मक रूप से कार्य करता रहा है जिसमें दोहा दौर के अधिदेश के विकास संबंधी आयाम को सही ढंग से दर्शाया जाएगा।

(ग) और (घ) विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की जरूरतें और हित दोहा कार्यक्रम के केन्द्र में हैं। वार्ताओं में भारत के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता विकासशील देशों को अपने कम आय वाले एवं साधनहीन कृषकों के हितों की रक्षा एवं उसके संवर्धन में उन्हें समर्थ बनाते हुए विकसित देशों द्वारा कृषि में घरेलू सहायता और टैरिफों में पर्याप्त एवं प्रभावकारी कमी करने की है। विकासशील देशों को उपलब्ध लोचशीलताओं का प्रयोग टैरिफ कमियों या वचनबद्धताओं के प्रभाव से गैर-कृषि में संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

विस्फोटकों की बड़े पैमाने पर चोरी

507. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों की चोरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर विस्फोटकों की चोरी के आलोक में विस्फोटक अधिनियम, 1983 में संशोधन करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय/संयुक्त राष्ट्र संघ के मानदंडों के अनुरूप बनाने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में बड़ी मात्रा में आर०डी०एक्स० को तस्करी द्वारा लाया गया है, जैसाकि हाल ही में उग्रवादियों से पूछताछ के दौरान पता चला है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) विस्फोटकों की चोरी से संबंधित मामलों की जांच संबंधित राज्य पुलिस करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ में, संदिग्ध नक्सलवादियों द्वारा विस्फोटक लूटे जाने के 2 मामले तथा वर्ष 2007 में संदिग्ध नक्सलवादियों द्वारा झारखंड में विस्फोटकों की लूट का एक मामला हुआ है।

(ग) और (घ) विस्फोटक नियम, 1983 के स्थान पर मसौदा विस्फोटक नियम, 2006 प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचित किया गया है। नए नियमों में विस्फोटकों की चोरी करने के लिए विस्फोटकों के निर्माण, परिवहन और प्रयोग को शामिल करने के लिए सख्त मानीटरिंग तंत्र का प्रावधान किया गया है।

(ङ) और (च) जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा देश के कुछ अन्य भागों में आर०डी०एक्स० जब्ती के मामलों की सूचना मिली है। इस

तरह की देशद्रोही गतिविधियों को निष्फल करने के लिए केन्द्र और राज्य को सुरक्षा एवं आसूचना एजेन्सियां सतर्क रहती है।

नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा

508. डा० एम० जगन्नाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में नवोदय विद्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा/सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवोदय विद्यालयों में अवसरंचना सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नवोदय विद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन हेतु राज्य-वार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत और खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) अभी हाल में देश में नवोदय विद्यालय के कार्यकरण में सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि कार्यकरण की समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्कूल भवन, डारमोटिरी, स्टाफ क्वार्टर, डाइनिंग हाल, जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, खेल के मैदान, प्रयोगशाला आदि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं छात्र संख्या तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर चरण बद्ध रूप में प्रदान की जाती है। निधियां राज्य-वार संस्वीकृत नहीं की जाती। पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण देश में नवोदय विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रोन्नयन पर व्यय की गई राशि निम्नलिखित है:–

रुपये करोड़ में

वर्ष	व्यय की गई राशि
2004-05	177.11
2005-06	242.95
2006-07	258.91

[हिन्दी]

लघु उद्योग वस्तुओं को आरक्षित करना

509. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री वी०के० दुग्गर :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अभिकरणों के क्या नाम हैं जिनके द्वारा लघु उद्योग की वस्तुओं को अनारक्षित करने संबंधी प्रभाव का मूल्यांकन किया गया था;

(ख) उक्त मूल्यांकन/अध्ययन किस तिथि को किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने इस मूल्यांकन/अध्ययन की प्रमाणिकता का सत्यापन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (घ) अन्य बातों के अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर अनारक्षण के प्रभाव के मूल्यांकन से संबंधित मुद्दों पर क्रमशः वर्ष 2001 और 2006 में दलाल कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स लि० और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंपररी स्टडीज द्वारा दो अध्ययन करवाए गए। सरकार ने इन अध्ययनों की विश्वसनीयता की पुष्टि की और रिपार्टों को स्वीकार कर लिया। दोनों अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकला कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों (तब लघु उद्योग) द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित उत्पादों के अनारक्षण का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

बिना श्यामपट्ट वाले विद्यालय

510. प्रो० महादेवराव शिवनकर :
प्रो० एम० रामदास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 90,000 विद्यालयों में श्यामपट्ट नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उक्त प्रयोजनार्थ जारी की गई धनराशि के उपयोग हेतु क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवम् प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए प्रकाशित जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 1124033 विद्यालयों में से 89 हजार (7.95 प्रतिशत) विद्यालयों में ब्लैकबोर्ड नहीं थे। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम ब्लैकबोर्डों सहित सभी नए स्कूल भवनों का निर्माण किए जाने प्रावधान करता है और स्कूल की अनिवार्य वस्तुओं को बदलने और उनके रखरखाव हेतु 2000 रु० की दर से स्कूल अनुदान तथा 5000 रु० प्रति स्कूल प्रतिवर्ष की दर से अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्कूलों की कुल संख्या	श्यामपट्ट रहित स्कूलों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	94984	6.80
2.	अरूणाचल प्रदेश	3070	29.93
3.	असम	40215	0.54
4.	बिहार	53778	14.85
5.	छत्तीसगढ़	51347	13.13
6.	गोवा	1345	17.40
7.	गुजरात	37256	7.76
8.	हरियाणा	13559	5.13
9.	हिमाचल प्रदेश	16013	5.64
10.	जम्मू-कश्मीर	19451	11.81
11.	झारखण्ड	36211	25.76
12.	कर्नाटक	54085	11.44
13.	केरल	11381	4.72
14.	मध्य प्रदेश	121335	9.82
15.	महाराष्ट्र	84286	1.39
16.	मणिपुर	3849	6.73
17.	मेघालय	8128	20.24
18.	मिजोरम	2521	6.98
19.	नागालैण्ड	2514	0.00
20.	उड़ीसा	51881	8.41
21.	पंजाब	20298	13.63
22.	राजस्थान	94319	14.02
23.	सिक्किम	1097	36.65
24.	तमिलनाडु	51574	3.22
25.	त्रिपुरा	3548	11.87
26.	उत्तर प्रदेश	161869	2.20
27.	उत्तरांचल	18907	7.45
28.	पश्चिम बंगाल	59223	0.49
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	287	17.42
30.	चंडीगढ़	185	10.27
31.	दादरा और नगर हवेली	228	13.16
32.	दमन और दीव	101	8.91
33.	दिल्ली	4542	10.83
34.	लक्षद्वीप	30	23.33
35.	पांडिचेरी	616	24.19
	भारत	1124033	7.95

स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2005-06 के लिए तैयार जिला शैक्षिक सूचना प्रणाली।

गैर-सरकारी संगठनों के लिए आवंटन

511. श्री सुव्रत बोस :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित देश में चल रही शिक्षा योजनाओं का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता दी गई है और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संगठन को राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी सहायता राशि दी गई;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के मामलों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनके लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान जारी किए जाते हैं। इन स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II, मध्याह्न भोजन स्कीम, जन शिक्षण संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता, +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए भोजन और छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने सम्बन्धी स्कीम, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, सुलभता और समानता, विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, संस्कृत का विकास, क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में (पृष्ठ 307-330) और 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट में (पृष्ठ 260-277, 291-292) दिया गया है। ये वार्षिक रिपोर्टें इस मंत्रालय की वेबसाइट www.education.nic.in. पर भी उपलब्ध है। वर्ष 2006-07 के दौरान जारी की गई निधियों के सम्बन्ध में समेकित सूचना केवल इस वर्ष के अंत तक ही उपलब्ध होगी।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान जिन गैर सरकारी संगठनों के संबंध में निधियों के दुरूपयोग की शिकायत प्राप्त हुई थी उनका उल्लेख नीचे किया गया है। अत: इन गैर सरकारी संगठनों को 2006-07 से अनुदान जारी करना बंद कर दिया गया है।

1. भारतीय भाषा प्रचार समिति, हावड़ा, पश्चिम बंगाल
2. हावड़ा जिला राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, पश्चिम बंगाल
3. राष्ट्र भाषा प्रचार सभा, पश्चिम बंगाल
4. असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जोरहाट, असम

पूर्व वर्षों में निम्नलिखित सहित कुछ गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है:

1. अनुपम, नवादा जिला, बिहार
2. अनुराग सेवा संस्थान, वैशाली, बिहार
3. उत्तरी बिहार विकास परिषद, शिहोर, बिहार
4. सेवाश्रम, बनयाधि, जिला गिरीडीह, झारखंड
5. हैल्प बिहार झारखंड
6. विद्यास्थली, दुमका, झारखंड

(घ) गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। जहां आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जबकि इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों को भविष्य में सरकारी अनुदान के लिए पात्र नहीं माना जाएगा तथापि, सरकार समय-समय पर मौजूदा स्कीमों की समीक्षा भी करती है और इन्हें संशोधित भी करती है ताकि इनमें कोई कमी यदि हो, को दूर किया जा सके।

आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता

512. श्री पी०सी० थामस :
श्री सी०के० चन्द्रप्पन :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसियान देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) किन-किन वस्तुओं के संबंध में समझौते से विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ग) कुछ सदस्य देशों द्वारा सुझाए गए अनुसार कुछ मदों के संबंध में आयात शुल्क त्याग कर मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कोई अध्ययन किया है, जो नकदी फसलों और अन्य कृषि उत्पादों की खेती करने वाले अनेक किसानों को उनके उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से प्रभावित करेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) आसियान तथा भारत के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी०ई०सी०ए०) से संबंधित कार्यढांचा करार पर बाली, इंडोनेशिया में दिनांक 8 अक्तूबर, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समय भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार (एफ०टी०ए०) हेतु वार्ताएं चल रही हैं। वस्तु व्यापार संबंधी करार पर वार्ताएं अंतिम चरण में हैं और केवल कुछेक मुद्दों पर निर्णय लिया जाना शेष है।

(ख) से (ङ) भारत-आसियान एफ०टी०ए० हेतु वार्ताएं चल रही हैं और दोनों पक्ष प्रस्तावित करार के विभिन्न पहलुओं, जिनमें नकारात्मक सूचियां, संवेदनशील सूचियां, अत्यधिक संवेदनशील सूची और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ रियायतों हेतु तौर-तरीके शामिल हैं, पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। भारत की प्रस्तावित नकारात्मक सूची में किसानों के हितों तथा घरेलू उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण हेतु पर्याप्त रक्षोपाय निहित हैं। नकारात्मक सूची में मुख्यत: कृषि उत्पाद, वस्त्र, रसायन एवं पेट्रो रसायन, आटोमोबाइल आदि मदें शामिल हैं। नकारात्मक सूची विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श करके तैयार की गई है।

वार्ताओं के दौरान भारत ने 489 मदों की एक नकारात्मक सूची का प्रस्ताव किया है, जिनमें से 303 मदें कृषि उत्पाद हैं। इसके अलावा अपरिष्कृत पाम ऑयल, परिष्कृत पाम आयल, कॉफी, चाय व काली मिर्च जैसी अत्यधिक संवेदनशील मदों के लिए भारत ने अत्यधिक संवेदनशील सूची के विशेष बॉक्स का प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत केवल सीमित टैरिफ रियायतें ही प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार इन वार्ताओं में कृषि क्षेत्र के हितों का पर्याप्त संरक्षण किया गया है।

[हिन्दी]

गुमशुदा व्यक्ति

513. **श्री महावीर भगोरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जानकारी में आए गुमशुदा महिलाओं, पुरूषों और बच्चों का अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज तक कितने ऐसे व्यक्तियों की खोज निकाला गया है और उनके परिवारों को सौंपा गया है;

(ग) सभी गुमशुदा व्यक्तियों को खोज निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त ब्यौरों को कम्प्यूटरीकृत करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त उल्लिखित डाटा को कब तक कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) वर्ष 2004 से 2006 हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) को यथासूचित लापता महिला, पुरूषों और बच्चों सहित पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ शासित वार ब्योरे, विवरण-I से III में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय है और अत: राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध की रोकथाम के मामले को उच्चतम महत्व प्रदान करती है तथा अत: अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक ऐसे उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को समय-समय पर सलाह जारी करती रहती है। एन०सी०आर०बी० ''तलाश'' नामक कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो के जरिए सूचना एकत्रित करता है जो कि संबंधित राज्यों तक सूचना के समन्वय और प्रसार के प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अर्थात लापता, अपहृत वांछित, भगोड़े, गिरफ्तार, न पहचाने गए व्यक्तियों, न पहचाने गए शवों, पता लगाए गए तथा घोषित अपराधी को जोड़ने के लिए एक समेकित प्रणाली है। लापता व्यक्तियों और पहचाने न गए शवों सहित पुलिस स्टेशन कम्प्यूटरीकरण के सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सी०आई०पी०ए०) नामक राष्ट्र व्यापी परियोजना के अंतर्गत अनुरक्षित और बांटा जाएगा। सभी आयु समूहों के लापता व्यक्तियों का कम्प्यूटरीकृत डाटा बैस एन०सी०आर०बी० की "http//ncrb.nic.in" नामक वैबसाइट पर उपलब्ध है।

विवरण-I

वर्ष 2004 के दौरान गुमशुदा और पता लगाए गए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या संबंधी आंकड़े

क्र० संख्या	राज्य	पुरुष		महिलाएं		बच्चे		कुल	
		गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	39	39	50	50	25	25	114	114
2.	आंध्र प्रदेश	1354	1165	1378	770	1785	1637	4517	3572
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	3	3	4	4
4.	असम	294	52	347	78	672	217	1313	347
5.	बिहार	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
6.	चंडीगढ़	73	55	67	51	114	99	254	205
7.	छत्तीसगढ़	1340	1096	1572	1331	2531	2219	5443	4646
8.	दादर एवं नगर हवेली	12	10	14	12	13	10	39	32
9.	दमन एवं दीव	9	9	12	12	15	15	36	36
10.	दिल्ली	4497	3388	2638	1803	6390	4264	13525	9455
11.	गोवा	321	238	270	224	241	205	832	667
12.	गुजरात	1431	1348	1543	1498	1688	1653	4662	4499
13.	हरियाणा	471	127	174	64	367	211	1012	402
14.	हिमाचल प्रदेश	225	115	236	143	192	106	653	364
15.	जम्मू-कश्मीर	417	266	216	164	397	301	1030	731
16.	झारखंड	157	46	94	28	270	97	521	171
17.	कर्नाटक	2228	1936	2044	1836	3050	2809	7322	6581
18.	केरल	893	720	1018	940	413	376	2324	2036
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	4726	4328	5188	4765	7675	7268	17589	16361
21.	महाराष्ट्र	10403	8222	9604	7314	12515	10254	32522	25790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	मणिपुर	13	10	2	5	4	1	19	16
23.	मेघालय	3	0	2	0	3	0	8	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
27.	पुडुचेरी	23	23	19	19	46	46	88	88
28.	पंजाब	524	168	179	67	258	150	961	385
29.	राजस्थान*								
30.	सिक्किम	13	13	5	4	22	18	40	35
31.	तमिलनाडु	1860	1229	1965	1301	2812	2100	6637	4630
32.	त्रिपुरा	43	43	85	85	120	120	248	248
33.	उत्तर प्रदेश	2583	2214	952	740	3978	3572	7513	6526
34.	उत्तराखंड	434	342	227	175	412	312	1073	829
35.	पश्चिम बंगाल	910	0	1056	0	1623	0	3589	0
	कुल	35297	27203	30957	23479	47634	38088	113888	88770

टिप्पणी: (1) एन०आर०-आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(2) वर्ष से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन राज्य से प्रतीक्षित था।

(3) बच्चों के आंकड़ों में पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हैं (18 वर्ष तक)।

विवरण-II

वर्ष 2005 के दौरान गुमशुदा और पता लगाए गए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या संबंधी आंकड़े

क्र० संख्या	राज्य	पुरुष		महिलाएं		बच्चे		कुल	
		गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	43	43	28	28	9	9	80	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आंध्र प्रदेश	1417	1138	997	879	1780	1663	4194	3680
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	2	2	2	2
4.	असम	286	217	268	229	573	280	1127	726
5.	बिहार	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
6.	चंडीगढ़	104	88	72	58	163	148	339	294
7.	छत्तीसगढ़	1295	1003	1479	1220	2349	2030	5123	4253
8.	दादर एवं नगर हवेली	15	8	10	10	9	9	34	27
9.	दमन एवं दीव	11	11	12	12	15	15	38	38
10.	दिल्ली	4934	3701	3123	2000	6926	4825	14983	10526
11.	गोवा	310	235	263	209	248	216	821	660
12.	गुजरात	1589	1448	1621	1243	1852	1837	5062	4528
13.	हरियाणा	543	159	237	83	461	279	1241	521
14.	हिमाचल प्रदेश	201	121	315	185	209	142	725	448
15.	जम्मू-कश्मीर	457	317	229	160	439	311	1125	788
16.	झारखंड	178	49	108	31	241	100	527	180
17.	कर्नाटक	2410	2018	2183	1945	3355	2989	7948	6952
18.	केरल	974	796	1269	1130	707	642	2950	2568
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	4707	4283	5548	4888	7719	7238	17974	16409
21.	महाराष्ट्र	12103	9326	10863	8832	12828	10706	35794	28864
22.	मणिपुर	6	2	2	1	2	1	10	4
23.	मेघालय	17	0	13	0	25	0	55	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उड़ीसा	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	पुडुचेरी	30	30	21	21	75	75	126	126
28.	पंजाब	710	254	251	104	390	237	1351	595
29.	राजस्थान*								
30.	सिक्किम	21	20	14	13	120	66	155	99
31.	तमिलनाडु	1153	1050	1096	1045	1615	1541	3864	3636
32.	त्रिपुरा	74	74	95	95	155	155	324	324
33.	उत्तर प्रदेश	2852	2298	958	774	3815	3300	7625	6372
34.	उत्तराखंड	436	351	271	207	462	371	1169	929
35.	पश्चिम बंगाल	3052	0	2754	0	5688	0	11494	0
	कुल	39928	29040	34100	25402	52232	39187	126260	93629

टिप्पणी: (1) एन०आर०-आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(2) वर्ष से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन राज्य से प्रतीक्षित था।

(3) बच्चों के आंकड़ों में पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हैं (18 वर्ष तक)।

विवरण-III

वर्ष 2006 के दौरान गुमशुदा और पता लगाए गए पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या संबंधी आंकड़े

क्र० संख्या	राज्य	पुरुष		महिलाएं		बच्चे		कुल	
		गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया	गुमशुदा	पता लगाया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	63	63	32	32	22	22	117	117
2.	आंध्र प्रदेश	1886	1227	1270	1058	2312	1876	5468	4161
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	1	1	2	2	5	5
4.	असम	364	175	434	248	889	311	1687	734
5.	बिहार	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
6.	चंडीगढ़	78	71	96	81	104	95	278	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	छत्तीसगढ़	1522	1134	1736	1457	2613	2165	5871	4756
8.	दादर एवं नगर हवेली	8	7	15	13	17	16	40	36
9.	दमन एवं दीव	11	9	11	9	15	15	37	33
10.	दिल्ली	4791	3795	3385	2236	7025	5780	15201	11811
11.	गोवा	332	245	266	203	225	181	823	629
12.	गुजरात	1707	1514	2020	1897	1996	1904	5723	5315
13.	हरियाणा	663	239	299	148	461	294	1423	681
14.	हिमाचल प्रदेश	221	124	287	155	197	144	705	423
15.	जम्मू-कश्मीर	446	307	250	185	456	321	1152	813
16.	झारखंड	231	49	122	42	328	138	681	229
17.	कर्नाटक	2595	1975	2532	2036	3495	2912	8622	6923
18.	केरल	1046	770	1834	1631	1047	925	3927	3326
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	5077	4549	5627	4921	8079	7416	18783	16886
21.	महाराष्ट्र	12327	9379	11801	9283	13403	10834	37531	29496
22.	मणिपुर	7	1	5	2	7	2	19	5
23.	मेघालय	20	1	6	0	17	1	43	2
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	1	1	0	0	1	1	2	2
26.	उड़ीसा	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०	एन०आर०
27.	पुडुचेरी	23	23	26	26	44	44	93	93
28.	पंजाब	867	269	327	97	404	244	1598	610
29.	राजस्थान*								
30.	सिक्किम	73	46	19	14	193	124	285	184
31	तमिलनाडु	1047	923	919	860	1394	1310	3360	3093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	त्रिपुरा	99	99	126	126	201	201	426	426
33.	उत्तर प्रदेश	2716	2064	1131	857	3974	3401	7821	6322
34.	उत्तराखंड	402	330	319	240	458	368	1179	938
35.	पश्चिम बंगाल	2154	एन०आर०	2354	एन०आर०	3467	एन०आर०	7975	एन०आर०
	कुल	40779	29391	37250	27858	52846	41047	130875	98296

टिप्पणी: (1) एन०आर०-आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

(2) वर्ष से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन राज्य से प्रतीक्षित था।

(3) बच्चों के आंकड़ों में पुरुष एवं महिला दोनों शामिल हैं (18 वर्ष तक)।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी संगठनों के साथ वार्ता

514. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी संगठनों के साथ विभिन्न शांति वार्ताओं के संबंध में क्या प्रगति हुई हैं;

(ख) क्या सरकार और उल्फा दोनों ही बिना शर्त की वार्ता करने के अपने पूर्व रूख से हट गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार युद्धविराम और आपसी वार्ता की प्रक्रिया पुन: शुरू करने की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) इस समय सरकार निम्नलिखित उग्रवादी संगठनों के साथ वार्ता कर रही हैं;

(i) नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (इसाक/मुवाह) [एन०एस०सी०एन० (आई०एम०)] इस संगठन के साथ 1 अगस्त, 1997 से युद्ध विराम है। अब इस युद्ध विराम को, शांति वार्ताओं में प्रगति के अध्यधीन, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है। एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ वार्ताएं की गई हैं परन्तु उनका अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

(ii) असम में यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सालिडैरिटी (यू०पी०डी०एस०), दीमसा हलम दाओगाह (डी०एच० डी०)-इन समूहों के साथ अभियानों को समाप्त करने के करार (एस०ओ०ओ०) पर क्रमश: 01.08.2002 और 01.01.2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। यू०पी०डी०एस० एवं डी०एच०डी० के साथ उनके मांगपत्र पर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई है और उसका अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला हैं।

(iii) असम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०) अभियानों को समाप्त करने के करार पर 01.06.2005 को हस्ताक्षर किए गए थे। एन०डी०एफ०बी० ने अभी अपना मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(iv) मेघालय में अचिक नेशनल वालुण्टीयर काउन्सिल (ए०एन०वी०सी०) अभियानों को समाप्त करने के करार पर जुलाई, 2004 में हस्ताक्षर किए थे। ए०एन०वी०सी० के साथ उनकी मांगों पर त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई हैं तथा अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।

(ख) और (ग) शांति वार्ताओं को सुकर बनाने के लिए उल्फा ने सितंबर, 2005 में पीपुल्स कंसल्टेटिव ग्रुप (पी०सी०जी०) का गठन किया है। अक्टूबर, 2005 और जून, 2006 के बीच वार्ताओं के तीन दौर आयोजित किये गए। सरकार ने शांति वार्ताएं आयोजित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए 13.08.2006 को उल्फा के साथ अभियानों के समाप्त रखने की एक पक्षीय घोषणा की है। तथापि, उल्फा से कोई सीधा जवाब न आने के कारण 21.09.2006 के बाद

विद्रोह विरोधी अभियान पुन: शुरू कर दिए गए और ऐसे इनपुट प्राप्त हुए हैं कि उल्फा काडरों ने पुनर्गठन, नई भर्ती, हथियारों, विस्फोटकों का संग्रहण करना एवं जबरन धन वसूली शुरू कर दी है। उल्फा शांति वार्ताओं के संबंध में स्वीकार न करने योग्य पूर्व शर्तें लगा रहा है।

(घ) और (ङ) सरकार संविधान के ढांचे के अंतर्गत किसी भी समूह के साथ वार्ता करने को तैयार है, बशर्ते कि वे हिंसा छोड़ने को तैयार हों।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर भूमि विवाद

515. श्री जसुभाई धानाबाई बारड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अक्तूबर, 2007 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''असल लूजिंग लैंड टू बांग्लादेश'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुचित योजना की कमी के फलस्वरूप भूमि के एक बड़े क्षेत्र को खोना पड़ा है, चूंकि दोनों देशों का अलग करने वाली जीरो लाइन से निर्धारित 150 मीटर की दूरी की बजाए भारतीय क्षेत्र में काफी भीतर जाकर बाड़ लगाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) से (ग) सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज की दूरी पर बाड़ खड़ी की जाती है। तथापि, स्थलाकृति कारणों से असम के कुछ स्थानों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज की अधिक की दूरी (500 मीटर-1.5 किमी) पर बाड़ खड़ी की गई थी। तथापि बंग्लादेश के पास उर्वर भूमि चले जाने की कोई घटना नहीं हुई है। भू-स्वामी बाड़ से आगे पडने वाली अपनी भूमि में खेती कर रहे हैं। ग्रामीणों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर गेट बनाये गये हैं और इन गेटों को खोलने का समय स्थानीय जनसंख्या के साथ परामर्श करके निर्धारित किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के संतरी द्वारा प्रत्येक गेट की चौकसी की जाती है तथा इसे आपात काल के दौरान किसी भी समय खोला जा सकता है।

जाली मुद्रा

516 श्री किन्जरपु येरनायडु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के विभिन्न भागों में गत छ: महीनों के दौरान प्रत्येक अंकित मूल्यों के जाली मुद्रा के रैकेटों के प्रकाश में आने का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय में ऐसे रैकेटों का पता लगाने का कोई तंत्र मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) देश में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) चालू वर्ष के दौरान (सितम्बर, 2007 तक) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन०सी०आर०बी०) को दी गई सूचना के अनुसार बैंकों द्वारा बरामद और राज्य/संघ शासित क्षेत्र पुलिस द्वारा जब्त की गई जाली मुद्रा का मूल्य-वर्ग-वार और राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरा तथा दर्ज की गई प्राथमिकियों की संख्या वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ''पुलिस और ''लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए राज्य सरकारें, जाली मुद्रा का पता लगाने और उनके कानून प्रर्वतन करने वाली एजेंसियों के तंत्र से अपराधियों पर मुकदमा चलाने सहित अपराध निवारण, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच-पड़ताल करने के लिए मुख्यत: जिम्मेदार हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत हथियार, संचार उपकरण, आवा-जाही, प्रशिक्षण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के संदर्भ में राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त अपराध और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से राज्य कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियों के साथ आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। समय-समय पर राज्य सरकारों से यह भी कहा जाता है समय-समय पर राज्य सरकारों से यह भी कहा जाता है कि वे जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए यथा आवश्यक उपाय करें।

(ङ) जाली मुद्राओं के परिचालन को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) सीमाओं पर गस्त लगाकर (पैदल, नावों और मोबाइल वाहन पर) चौबीसों घंटे निगरानी रखना, नाकाबंदी, करना (सीमा पर घात लगाना) और सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ निगरानी चौकी स्थापित करना।

(ii) अनुषंगी आसूचना एजेंसियों के साथ आसूचना नेटवर्क और समन्वय को उन्नयन करना।

(iii) सीमाओं के साथ-साथ विशेष अभियान चलाना।

(iv) रात्रि में देखने वाले यंत्रों सहित आधुनिक निगरानी उपकरण लगाना।

(v) अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई०बी०) के साथ बाड़ का निर्माण करना।

(vi) बी०ओ०पी० की संख्या बढ़ा करके और आई०बी० पर तैनाती करके।

(vii) सीमा सड़कों का निर्माण करना।

(viii) आई०बी० के नदी तटवर्ती क्षेत्रों में बी०एस०एफ० की जल विंग के पोतों/वाटर क्राफ्टों की तैनाती करके उन पर निगरानी रखी जा रही है।

(ix) सभी राज्यों और विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों को इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे इस बारे में और अधिक चौकस रहें।

(x) भारतीय मुद्रा के जाली नोटों (एफ०आई०सी०एन०) के अपराध की जांच-पड़ताल करने तथा उनसे निपटन के लिए सी०बी०आई० ने नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सी०बी०आई०, आवधिक रूप से मंत्रालयों/विभागों, पुलिस प्राधिकारियों, कानून प्रवर्तन करने वाली तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है। सी०बी०आई०, सूचना एकत्र करने के साथ-साथ एक आई०सी०एन० के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय भी करता है।

वित्त मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा से संबंधित सूचना का प्रसारण करना और सभी बैंकों के प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करना।

(ii) जालीनोट मुद्रण को कठिन बनाने के लिए भारतीय बैंक नोटों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय शामिल करना।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी बैंकों को अनुदेश दिए है कि वे जाली नोटों का पता लगाने के लिए अपनी शाखाओं में अल्ट्रा वायलेट लैंप लगाएं और यदि उनकी शाखाओं में जाली नोटों का पता चलता है तो ऐसे मामलों की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दें। करेंसी चेस्ट वालें बैंकों को भी सलाह दी गई है कि वे समयबद्ध ढंग से सभी चेस्टों में नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाएं।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रति घंटा 50000 से 60000 नोट संसाधित करने की क्षमता वाले अपने विभिन्न कार्यालयों में करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम (सी०वी०पी० एस०) स्थापित किए हैं। इन मशीनों की जाली नोटों का पता लगाने की क्षमता तथा ऊपर दर्शाई क्षमताओं में जारी न करने लायक और जारी करने लायक नोटों को छांटने की भी क्षमता है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे जाली नोटों से संबंधित आर०बी०आई० के अनुदेशों आदि की मानीटरिंग करने, उनका कार्यान्वयन करने के लिए अपने प्रधान कार्यालयों में जाली नोट सतर्कता कक्षों की स्थापना करें।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोटों का पता लगाने में लोगों की सहायता करने हेतु मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में बैंक नोटों की सिक्युरिटी से संबंधित विशेषताओं का व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए जनता में जागरूकरता अभियान शुरू किया है।

(vii) जनता की सुविधा के लिए एक बुकलेट (धन संबंधी मामलों में आपका मार्गदर्शक) प्रकाशित की गई है जिसमें वास्तविक नोटों की विशेषतायें बताई गई है। यह बुकलेट आर०बी०आई० के निर्गम कार्यालयों में जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध होने के साथ-साथ आर०बी०आई० की वेबसाइट www.rbi.org.in पर भी उपलब्ध हैं।

(viii) आर०बी०आई० ने बैंक पदाधिकारिगों, पुलिस पदाधिकारियों, सरकारी विभागों, सीमा सुरक्षा बल और आई०टी०बी०पी० के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि उन्हें भारतीय बैंक नोटों के विभिन्न पहलुओं के बारे में सुग्राही बनाया जा सके। आर०बी०आई० द्वारा भी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विवरण

जाली मुद्रा बरामद और जब्त) का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार और मूल्य वर्ग वार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित	1000		500		100		50	
		आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश (7, 9)	26	1172	150	3577	543	8468	63	1269
2.	अरूणाचल प्रदेश (9)	0	5	0	15	0	5	0	200
3.	असम (9)	37	177	272	2038	324	1981	61	150
4.	बिहार (9)	1	118	359	49	1057	310	37	19
5.	छत्तीसगढ़ (11)	0	2	0	14	0	343	0	3
6.	गोवा	0	11	0	160	0	91	0	7
7.	गुजरात (9)	484	722	3677	3916	6671	4493	1057	547
8.	हरियाणा (9)	0	17	0	1108	0	28	0	12
9.	हिमाचल प्रदेश	0	6	0	7	0	1	0	38
10.	जम्मू-कश्मीर (9)	24	137	114	434	441	928	65	26
11.	झारखंड (2, 10)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक (5, 9)	559	533	3823	3635	3912	5723	185	38
13.	केरल	91	578	569	2150	720	1004	18	63
14.	मध्य प्रदेश (7, 8, 9)	30	0	235	496	1515	2604	146	45
15.	महाराष्ट्र	504	1867	3617	2140	4191	3119	438	367
16.	मणिपुर (8)	0	1	0	30	0	83	0	198
17.	मेघालय (5, 6, 7, 8, 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम (9)	0	785	0	746	0	446	0	86
19.	नागालैंड (9)	0	0	0	138	0	2	0	797

01.01.2007 से 30.9.2007 तक की आवधिक रिपोर्ट

20		10		5		2		1		कुल नोटों की संख्या		कुल मूल्य (रुपए)		प्राधिमिकी
आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
75	2	5	5	0	0	0	0	0	0	862	14493	160000	3870840	118
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	23000	7
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	695	4347	208470	1401610	66
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1456	496	288070	174450	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	43450	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0	100450	4
8	5	10	0	0	0	0	0	0	0	11907	9683	3042710	3156750	181
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1165	0	574400	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	11500	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	1525	128350	448100	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	8	8	1	0	0	0	0	0	0	8514	9938	2871570	2924870	47
0	9	20	34	0	0	0	0	0	0	1418	3838	448600	1757070	34
15	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1949	3145	306680	510650	22
12	8	12	4	0	0	0	0	0	0	8774	7505	2753860	3267450	98
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312	0	34200	4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2063	0	1206900	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937	0	109050	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा (2, 10)	46	0	253	0	678	0	14	0
21.	पंजाब	0	719	0	3578	0	5239	0	169
22.	राजस्थान (8, 9)	259	627	1150	1205	3054	6527	133	454
23.	सिक्किम (5)	0	20	0	30	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	462	16	4286	1122	5234	2063	444	28
25.	त्रिपुरा (9)	0	12	0	397	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश (6, 8, 9)	476	1113	7127	2871	20160	13516	1309	1463
27.	उत्तरांचल (9)	0	24	0	16	0	153	0	31
28.	पश्चिम बंगाल (10)	497	18	2536	622	3062	0	88	37
	कुल	3496	8680	28168	30494	51562	57127	4058	6047
	संघ शासित क्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़ (1)	271	0	2541	9	13638	0	1106	0
31.	दादर और नगर हवेली	0	6	0	0	0	0	0	0
32.	दमण और द्वीव (7, 9)	0	0	0	4	0	32	0	3
33.	दिल्ली (1)	154	39	671	83	1375	618	189	1400
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी	1	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	426	45	3212	96	15013	650	1295	1403
	सकल जोड़	3922	8725	31380	30590	66575	57777	5353	7450

टिप्पणी: राज्यों के साथ ब्रैकेटों में दी गई संख्या का स्पष्टीकरण निम्नवत है:

आर—बैंकों द्वारा बरामद

एस—पुलिस द्वारा जब्त

आंकड़े अनंतिम

1 सितम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (आर)

2 जनवरी, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

3 फरवरी और मार्च 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

4 अप्रैल, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

5 मई, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991	0	241000	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9706	0	3040370	41
3	9	2	5	0	0	0	0	0	0	4601	8827	1146130	1905130	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	35000	2
151	0	7	3	0	0	0	0	0	0	10584	3232	3153690	784730	29
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409	0	210500	6
16	18	17	19	0	0	0	0	0	0	29105	19000	6121440	3973800	134
0	20	0	58	0	70	0	0	0	0	0	372	0	50180	13
1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6188	677	2075660	330850	11
309	80	95	130	0	70	0	0	0	0	87688	102628	22946230	29945300	934
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	17563	9	2960710	4500	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6000	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	5350	5
8	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2402	2140	636660	212300	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1000	0	0
12	0	8	0	0	0	0	0	0	0	19966	2194	3598370	228150	20
321	80	103	130	0	70	0	0	0	0	107654	104822	26544600	30173450	954

6. जून, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
7. जुलाई, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
8 अगस्त, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
9. सितम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
10. फरवरी से सितम्बर, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)
11. अप्रैल से अगस्त, 2007 के लिए आंकड़े प्राप्त नहीं हुए (एस)

डायरेक्ट-टू-होम सेवा

517. श्री विजय कृष्ण :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डायरेक्ट-टू-होम (डी०टी०एच०) सेवा के मायम से प्रसारित किये जा रहे नि:शुल्क और पेड चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार डी०टी०एच० सेवा में और अधिक नि:शुल्क चैनलों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन अधिकतम प्रभारों के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिन्हें एक पेड चैनल पर प्रभारित किया जा सकता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) डी०टी०एच० लिंक से हाल ही में हेडलाइंस टुडे, आज तक और अन्य ऐसे चैनलों को डीलिंक किए जाने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या डी०टी०एच० सेवा प्रदाताओं के लिए कुछ फ्री टु एयर कार्यक्रम प्रसारित करना अनिवार्य है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) अभी तक की स्थिति के अनुसार डी०डी० डायरेक्ट प्लस पर 20 डी०डी० चैनल, 20 आकाशवाणी चैनल और 16 निजी टी०वी० चैनल प्रसारित किए जा रहे हैं। डी०डी० डायरेक्ट प्लस की क्षमता का उन्नयन 50 चैनलों तक कर दिया गया है। इस समय डी०डी० डायरेक्ट प्लस में कोई सशुल्क चैनल नहीं है। निजी डी०टी०एच० सेवा के संबंध में डी०टी०एच० लाइसेंस धारक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि वह अपनी सेवा में कौन से फ्री-टु-एयर या सशुल्क चैनल को शामिल करेगा बशर्ते ऐसे चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की यथोचित अनुमति मिल गई हो।

(घ) और (ङ) डी०डी० डायरेक्ट + में सभी चैनल फ्री-टु-एयर चैनल हैं। प्रसार भारती ने दूरदर्शन के डी०डी० डायरेक्ट + समूह में प्रसारित किए जाने वाले सभी निजी चैनलों द्वारा भुगतान हेतु 25 लाख रु० का प्रसारण शुल्क और अनुप्रयोज्य सेवा कर नियत किया है। जहां तक निजी डी०टी०एच० सेवा का संबंध है, प्रशुल्क संबंधी मुद्दे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं तथा अब तक निजी डी०टी०एच० सेवा पर चैनल के मूल्य निर्धारण के संबंध में ऐसी कोई सीमा नियत नहीं की गई है।

(च) ऐसे सभी चैनलों को डी०डी० डायरेक्ट + समूह से निकाल दिया गया था जो कि अपेक्षित प्रसारण शुल्क का भुगतान करने के इच्छुक नहीं थे।

(छ) और (ज) जहां तक निजी डी०टी०एच० सेवा का संबंध है, डी०टी०एच० लाइसेंस करार के खंड 7.8 के अनुसार डी०टी०एच० लाइसेंसधारक अपनी डी०टी०एच० सेवा में यथा-संशोधित केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, यथा-अधिसूचित क्षेत्रीय टी०वी० चैनलों को छोड़कर, अनिवार्य प्रसारण हेतु अधिसूचित किए गए टी०वी० चैनलों को प्रसारित या शामिल करेगा। मौजूदा अधिसूचना के अनुसार सभी डी०टी०एच० सेवा प्रदाताओं द्वारा डी०डी० 1 (नेशनल चैनल), डी०डी० (समाचार चैनल), लोक सभा टेलीविजन, डी०डी० राज्य सभा, डी०डी० स्पोर्ट्स चैनल, डी०डी० उर्दू चैनल, डी०डी० भारती, ज्ञान दर्शन चैनलों का अनिवार्य रूप से प्रसारण किया जाना होता है।

शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण

518. श्री रेवती रमन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने धर्म के आधार पर शैक्षणिक गतिविधियों में किए गए आरक्षण को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5.07.2006 को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार की अपील को निरस्त करते हुए आदेश दिए हैं जिसके तहत आन्ध्र प्रदेश राज्य के अधीन लोक सेवाओं के पदों

पर नियुक्तियां एवं शैक्षणिक सीटों पर मुस्लिम समुदाय के आरक्षण अधिनियम, 2005 को रद्द कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए कूपन

519. **श्री रशीद मसूद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा संसद सदस्यों को जारी किए जाने वाले कूपनों की संख्या को बढ़ाकर दो से पांच किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अगले वर्ष से पांच कूपन जारी करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्य द्वारा देश में कही भी अपने कोटे का उपयोग करने हेतु एक कानून बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) सी०डब्ल्यू० सं० 4281/98 तथा सी०एम० संख्या 8025/98 में दिनांक 17.11.1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के पात्र छात्रों के लिए स्कीम के अंतर्गत संबंधित लोक सभा संसद सदस्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष में दाखिले के दो मामले संस्तुत कर सकता है। राज्य सभा ससंद सदस्य, जिस राज्य से वह निर्वाचित हुए हैं, वहां स्थित किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में दाखिले की दो सिफारिश कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

520. **श्री एस०के० खारवेनथन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसे संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। यह प्रस्ताव मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता, प्रभावीकरण के उद्देश्य से मदरसों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध करना, गणित और विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों के कारगर अध्ययन के लिए मदरसों के शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षकों और सहायक शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकों के लिए एक मुश्त सहायता के संबंध में मौजूदा मानदण्डों को संशोधित करने के सम्बन्ध में है। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की उप-समिति जिसने विभिन्न राज्यों में मदरसा प्रबंधन और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के साथ विचार-विमर्श किया है, से प्राप्त सुझावों पर आधारित है। प्रस्तावित स्कीम को स्वैच्छिक आधार पर जारी रखा जाएगा।

निजी केबल नेटवर्क कंपनी से आय

521. **श्री जी० करूणाकर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने विभिन्न निजी केबल नेटवर्क कंपनियों से आय अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इन केबल नेटवर्क कंपनियों की कार्यप्रणाली की जांच और निरीक्षण करने हेतु कोई निगरानी एजेंसी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, देश के विभिन्न निजी केबल नेटवर्क संगठनों से प्राप्त कुल राशि के संबंध में अलग से कोई भी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। स्थानीय केबल नेटवर्क आपरेटरों को डाकघर में प्रतिवर्ष 500 रुपये का भुगतान करके पंजीयन/नवीनीकरण कराना होता है। स्थानीय स्व-शासन/राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कर उन पर भी लागू होते हैं।

(ग) से (च) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के परिचालन तथा उससे संबंधित या अनुषंगी मामलों को विनियमित करने संबंधी प्रावधान अंतर्विष्ट हैं। केबल आपरेटरों को अपने परिचालनों में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुसरण करना होता है। अधिनियम में प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिनियम के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

वयस्क शिक्षा

522. **श्री मदन लाल शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में व्यस्क शिक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या विभिन्न साक्षरता योजनाओं की निधि के दुरूपयोग के संबंध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों का राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी राशि का राज्य वार, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) साक्षरता योजनाओं की निधियों के दुरुपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायतों को उनके स्वरूप के आधार पर संबद्ध राज्य सरकारों को भेजा जाता है अथवा विभाग द्वारा अलग से उनकी जांच की जाती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए अनुदानों की आगे निर्मुक्ति को जांच का परिणाम आने तक के लिए रोक दिया जाता है।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	191.44
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.66
3.	असम	29.13
4.	बिहार	111.03
5.	छत्तीसगढ़	27.91
6.	दिल्ली	4.56
7.	गोवा	0.71
8.	गुजरात	61.31
9.	हरियाणा	8.12
10.	हिमाचल प्रदेश	5.60
11.	जम्मू और कश्मीर	2.70
12.	झारखंड	24.90
13.	कर्नाटक	69.29

1	2	3
14.	केरल	16.77
15.	मध्य प्रदेश	96.06
16.	महाराष्ट्र	76.73
17.	मणिपुर	1.93
18.	मेघालय	1.66
19.	मिजोरम	0.76
20.	नागालैंड	0.63
21.	उड़ीसा	46.66
22.	पंजाब	10.18
23.	राजस्थान	87.79
24.	सिक्किम	0.27
25.	तमिलनाडु	82.15
26.	त्रिपुरा	5.69
27.	उत्तराखंड	5.33
28.	उत्तर प्रदेश	158.63
29.	पश्चिम बंगाल	115.03
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.14
31.	चंडीगढ़	0.42
32.	दादर और नगर हवेली	0.074
33.	दमन और दीव	0.035
34.	लक्षद्वीप	0.01
35.	पांडिचेरी	1.11
	कुल	1246.42

विवरण-II

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता अभियान और ऑपरेशन रेस्टोरेशन एवं सतत शिक्षा योजनाओं के तहत जारी अनुदान		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	853.17	2112.96	1892.06
2.	अरूणाचल प्रदेश	123.08	85.20	15.25
3.	असम	76.58	0.00	141.01
4.	बिहार	928.87	757.07	185.17
5.	छत्तीसगढ़	529.28	365.83	668.14
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	561.10	908.25	130.00
8.	हरियाणा	343.73	319.15	50.00
9.	हिमाचल प्रदेश	6.15	37.37	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	104.80	106.89	151.95
11.	झारखंड	121.14	981.84	211.80
12.	कर्नाटक	2572.64	1802.57	1562.67
13.	केरल	579.54	219.77	429.44
14.	मध्य प्रदेश	2862.71	84.92	2575.00
15.	महाराष्ट्र	267.09	2827.10	607.57
16.	मणिपुर	130.03	95.02	48.24
17.	मेघालय	153.30	8.12	109.70
18.	मिजोरम	0.00	0.00	89.10
19.	नागालैंड	140.68	0.00	0.00

1	2	3	4	5
20.	उड़ीसा	146.47	358.61	0.24
21.	पंजाब	16.41	382.59	120.46
22.	राजस्थान	2122.26	727.62	1282.13
23.	सिक्किम	0.00	36.60	12.00
24.	तमिलनाडु	1626.60	965.56	1129.31
25.	त्रिपुरा	306.20	0.00	45.07
26.	उत्तर प्रदेश	1676.93	2184.90	782.00
27.	उत्तराखंड	197.86	757.72	599.19
28.	पश्चिम बंगाल	1564.59	1796.09	1893.57
29.	चंडीगढ़	62.66	0.00	118.80
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
34.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	11.74	17.01	0.00
	कुल	18085.61	17938.76	14849.87

[हिन्दी]

पुलिस आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाया जाना

523. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री किरेन रिजीजू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए आसूचना/अपराध अनुसंधान के अंतर्राज्यीय शीर्ष विभाग के अधिकारियों की कोई बैठक आयोजित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) मंत्रालय ने ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की है। तथापि, केन्द्र और राज्यों में आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है।

(ग) आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में केन्द्र और राज्यों में विविध ऐजेंसियों के बीच अधिकतम आसूचना अर्जन और प्रवाह एवं समन्वय के संबंध में भी संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। राज्यों को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में उनकी विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने की दिशा के तहत ठोस कदम उठाने एवं उनके वार्षिक कुल आबंटन में से इसके लिए 5% तक नियत करने की सलाह दी है।

टैलीविजन ट्रांसमीटर

524. श्री रामदास आठवले :
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :
डा० धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने टी०वी० ट्रांसमीटर/दूरदर्शन केंद्र स्थापित और कार्यरत हैं;

(ख) क्या वित्त की कमी के कारण और तकनीकी स्वीकृति के नहीं मिलने से देश में अनेक परियोजनाएं लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित अलग-अलग राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) 10वीं पंचवर्षीय योजना में वित्त या तकनीकी अनुमोदन के अभाव में कोई परियोजना लंबित नहीं है। जहां तक भावी परियोजनाओं का संबंध है, अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

विवरण

टी०एस०पी० और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यशील टी०वी० ट्रांसमीटर और दूरदर्शन केंद्र (स्टूडियो केंद्र)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टी०एस०पी० जिले		पहाड़ी क्षेत्र		टी०एस०पी० और पहाड़ी क्षेत्रों, दोनों के लिए साझे स्टूडियो केंद्रों की संख्या	टी०एस०पी० और पहाड़ी क्षेत्रों, दोनों के लिए साझे ट्रांसमीटरों की संख्या
		मौजूदा स्टूडियो केन्द्र	मौजूदा ट्रांसमीटर	मौजूदा स्टूडियो केन्द्र	मौजूदा ट्रांसमीटर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		5				
2.	आंध्र प्रदेश	1	31				
3.	अरूणाचल प्रदेश			1	45		
4.	असम	4	23		2		
5.	छत्तीसगढ़	2	28				
6.	दमन और दीव		1				
7.	गोवा			1	2		
8.	गुजरात		32				
9.	हिमाचल प्रदेश		12	1	54		12
10.	जम्मू-कश्मीर			4	125		
11.	झारखंड	2	16				
12.	कर्नाटक		13		34		13
13.	केरल	1	19	3	31	1	19
14.	मध्य प्रदेश		34				
15.	महाराष्ट्र	1	53	1	48	1	21
16.	मणिपुर		6	1	8		6
17.	मेघालय			2	10	-	
18.	मिजोरम			1	8		

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड			1	14		
20.	उड़ीसा	2	62				
21.	राजस्थान		22				
22.	सिक्किम	1	8	1	8	1	8
23.	तमिलनाडु		27	2	29		
24.	त्रिपुरा	1	10	1	10	1	10
25.	उत्तर प्रदेश		1				
26.	उत्तराखंड			1	54		
27.	पश्चिम बंगाल	29		4		4	

[अनुवाद]

श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौता

525. **श्री किसनभाई वी० पटेल :**
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों द्वारा पहचान किए गए सेक्टरों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) भारत द्वारा वर्ष 1998 में श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जो वर्ष 2000 में लागू हो गया है। अब दोनों देश एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सी०ई०पी०ए०) पर बातचीत कर रहे हैं। सी०ई०पी०ए० में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार और निवेश तथा आर्थिक सहयोग शामिल होंगे। सी०ई०पी०ए० के अंतर्गत जिन सेक्टरों/क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा उनसे संबंधित ब्यौरों पर बातचीत चल रही है। सी०ई०पी०ए० वार्ताएं पूरी करने के लिए किसी भी देश द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

तलाक संबंधी मामलों में वृद्धि

526. **श्री सुभाष महरिया :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री देविदास पिंगले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वेब पोर्टलों द्वारा किए गए इस खुलासे की जानकारी है कि देश में तलाक संबंधी मामलों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस चिंताजनक रूझान से समाज की शांति भंग हो रही है और पारंपरिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस रूझान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव झेडल्या गावित) : (क) सरकार निजी वेब पोर्टलों द्वारा जारी सूचना को मंजूर अथवा प्रमाणित नहीं करती।

(ख) तलाक दर/तलाक के ममालों की संख्या के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े और सूचना उपलब्ध न होने के कारण इस संबंध में कोई विशिष्ट टिप्पणी करना सम्भव नहीं है।

(ग) तलाक सबंधी मामलों सहित पारिवारिक विवादों को निपटाने के संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करके, केन्द्र सरकार प्रत्येक जिले में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित कर रही है। केन्द्र सरकार पारिवारिक न्यायालय भवन के निर्माण की लागत का 50% तथा ऐसे पारिवारिक न्यायालय को चलाने की वार्षिक आवर्ती लागत को वहन करती है। अभी तक, विभिन्न राज्यों में 190 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले में पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

बहु-उत्पाद आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र

527. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहु-उत्पाद आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) 19 बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोनों के संबंध में औपचारिक अनुमोदन अब जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 4 महाराष्ट्र में है। अब तक 7 बहुत उत्पाद विशेष आर्थिक जोनों को अधिसूचित किया जा चुका है जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र० सं०	बहु उत्पाद जोन का नाम	अवस्थिति	राज्य	क्षेत्र	अधिसूचना की तारीख
1.	मै० आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लि०	अच्युत पुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	2206.03	12/4/2007
2.	काकीनाडा एस०ई०जेड० प्राइवेट लिमिटेड	रमणक्केपेटा और ए०वी० नगरम ग्राम, पूर्वी गोदावरी जिला काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	1035.67	23/4/2007
3.	दाहेज एस०ई०जेड० लिमिटेड	गुजरात राज्य में तालुक वागरा जिला भरूच में ग्राम दाहेज, अंभेटा, लुवारा, सुवा लाखीगाम और जागेश्वर	गुजरात	1718-93-87	20/12/2006
4.	महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एम०ए०डी०सी०)	मिहान नागपुर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	1511.51	29/5/2007
5.	रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०	जामनगर, गुजरात	गुजरात	1224.1	19/4/2006
6.	मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि० (पूर्ववर्ती जी०ए०पी०एल०)	मुंद्रा, गुजरात	गुजरात	2406-75-92	23/6/2006
7.	सत्यवेदु रिजर्व इन्फ्रासिटी प्राइवेट लि०	सत्यवेदु और वेरदय्या पालेम मंडल, आंध्र प्रदेश में चेनगमवक्कम, अप्पईमाइपालेम, गोल्लावारिपालेम, मल्लावरिपालयम, अरूर, मोपोरापल्ले ग्राम	आंध्र प्रदेश	1022.264	20/9/2007

[अनुवाद]

राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन

528. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन अभी तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों को मानवाधिकार आयोग का गठन करने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संबंधित राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में मानवाधिकार आयोग अभी स्थापित किया जाना शेष है। बिहार राज्य के लिए हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, फिर भी उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना अभी शेष है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने समय-समय पर उन सभी राज्यों को जिन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किए हैं, शीघ्रातिशीघ्र एस०एच०आर०सी० स्थापित करने के लिए निर्देश जारी की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उन सभी राज्यों पर दबाव डाला है जिन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किए हैं।

जिन राज्यों में एस०एच०आर०सी० नहीं है उनके द्वारा दिए गए कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ धन अभाव और मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों का कम होना है जिसके कारण संबंधित राज्यों में पूर्ण एस०एच०आर०सी० स्थापित किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, केन्द्र सरकार उन राज्यों के साथ जिनमें एस०एच०आर०सी० नहीं है। अभी भी मामले को जीवंत बनाए हुए है।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं की दर

529. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाली 15 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए कोई अल्पावधि पाठ्यक्रम योजना प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली बालिकाओं का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन बालिकाओं को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (च) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान बालिकाओं सहित सभी इच्छुक शिक्षार्थियों को मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। यह पूरे देश में फैले प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से लगभग 70 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा भी इस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को करने वाली बालिकाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

भारत में निरक्षरता

530. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निरक्षर लोगों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है और यू०एन०डी०पी० के मानव विकास सूचकांक में इसका 126वां स्थान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान

तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बावजूद निरक्षरता को कम नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो देश में निरक्षरता को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाने के क्या मुख्य कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद निरक्षरों की कुल संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। तथापि, वर्ष 2001 में पहली बार निरक्षरों की कुल संख्या वर्ष 1991 में 328.88 मिलियन से घटकर 304.11 मिलियन रह गई थी और इस प्रकार निरक्षरता भी 1991 में कुल जनसंख्या के 47.8 प्रतिशत से घटकर 2001 में 35.2 प्रतिशत रह गई थी।

मानव विकास रिपोर्ट, 2006 के अनुसार इसमें शामिल किए गए 177 देशों में भारत का स्थान 126 वां है। प्रौढ़ साक्षरता मात्र उन कुछ घटकों में से एक है जिनके आधार पर मानव विकास संसूचक की गणना की जाती है। यह कहना भी सही नहीं होगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसी मुख्य स्कीमों के बावजूद निरक्षरता दर में कमी नहीं आई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि निरक्षर व्यक्तियों की संख्या/प्रतिशतता में कमी मुख्य रूप से प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकलापों से ही की जा सकती है। सर्व शिक्षा अभियान जो वर्ष 2001 में शुरू किया गया था, के तहत पर्याप्त संख्या में बच्चों को नामांकित किया गया है और इससे विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या में भी कमी आई है।

गरीबी, जागरूकता की कमी जैसे अनेक सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण देश में निरक्षरता है।

(ङ) xi वीं योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और ग्रामीण महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कम साक्षरता वाले राज्यों, जन-जातीय क्षेत्रों, अन्य लाभवंचित समूहों तथा किशोर बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सच्चर समिति

531. श्री बापू हरी चौरे :
श्री संजय धोत्रे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सच्चर समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने के लिए निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) शिक्षा के संबंध में न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को पहले से ही लागू किया जा रहा है; और 11वीं योजना हेतु प्रस्तावों को तदनुसार तैयार किया गया है। 11वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत इनमें निहित प्रावधानों से, अन्य बातों के साथ-साथ, मुस्लिम अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा के सभी स्तरों की सुलभता में सुधार होना चाहिए, मदरसों में आधुनिक विषयों की शुरूआत नामक स्कीम सुदृढ़ होनी चाहिए और इन प्रावधानों से उन मुस्लिम बहुत जिलों जहां उच्चतर शिक्षा हेतु सकल नामांकन अनुपात कम है अथवा जहां जनसंख्या की तुलना में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का घनत्व कम है, में कॉलेज स्थापित करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। सर्व शिक्षा अभियान, मदरसों में आधुनिक विषय प्रारंभ करने जैसी स्कीमें पहले से राज्य सरकारों द्वारा समर्थित हैं।

[अनुवाद]

रत्नों और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र

532. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम०एम०टी०सी०) ने कर मुक्त एंक्लेव में निजी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में रत्नों और आभूषणों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस०ई०जेड०) पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त पार्क स्थापित करने के लिए स्थान की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एम०एम०टी०सी० द्वारा रत्नों एवं आभूषणों के विपणन के लिए किस रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भवन रहित विद्यालय

533. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री पुष्प जैन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई विद्यालयों के भवन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है;

(घ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा विद्यालय भवनों का निर्माण करने तथा अध्यापकों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा शुरू की गई सर्व शिक्षा योजना का उचित रूप से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा; और

(च) यदि हां, तो खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) वर्ष 2005-06 के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा एकत्रित तथा विश्लेषित जिला शैक्षिक सूचना पद्धति आंकड़ों के अनुसार सभी वर्गों (प्राइवेट तथा सरकारी) के 46364 स्कूलों के भवन नहीं थे। इनमें से 42815 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और 3549 स्कूल शहरी क्षेत्रों में हैं। 23300 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं था।

(घ) से (च) स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 216239 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल भवन, 822908 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष तथा 11.34 लाख शिक्षक संस्वीकृत किए गए हैं।

कमजोर वर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

534. **श्री वाडिगा रामकृष्णा :** क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश में लाभार्थियों की राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई०डी०पी०) और उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों (ई०एस०डी०पी०) में 22.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर तथा प्रति माह प्रति प्रतिभागी को 500 रु० की छात्रवृत्ति भी देकर देशभर में फैले फील्ड संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। मंत्रालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं से किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पिछले वर्ष इन संस्थानों ने देशभर में 1.07 लाख व्यक्तियों से अधिक को प्रशिक्षित किया है। इस वर्ष लक्ष्य को और ज्यादा बढ़ाकर पांच लाख व्यक्तियों तक कर दिया गया है जिसमें से 22.5 प्रतिशत से अधिक आंध्रप्रदेश सहित सभी राज्यों से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित होंगे। इसके अलावा सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने योग्य बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

535. **श्री जी०एम० सिद्देश्वर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान 'सर्व शिक्षा अभियान' के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण उक्त योजना विफल सिद्ध हो रही है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने धनराशि का उपयोग नहीं किया है;

(घ) क्या इसका कारण इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी हेतु उचित व्यवस्था का अभाव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना की समुचित निगरानी हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधियां और किया गया व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सर्व शिक्षा अभियान की मॉनीटरिंग के लिए एक सशक्त प्रणाली विद्यमान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मासिक और तिमाही प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा बैठकें, वार्षिक प्रारंभिक स्कूल आंकड़े, प्रस्तुत करना, 40 स्वतंत्र मॉनीटरिंग संस्थाओं द्वारा फील्ड मॉनीटरिंग और छमाही स्वतंत्र समीक्षा मिशन शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है और समवर्ती वित्तीय समीक्षाएं भी की जाती है।

विवरण

2005-06 और 2006-07 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय

रु० लाख में

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-2006		2006-2007	
		2005-06 के दौरान रिलीज	व्यय (अव्ययित शेष और राज्य हिस्से सहित)	2006-07 के दौरान रिलीज	व्यय (अव्ययित शेष और राज्य हिस्से सहित)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	37999	55816.48	46245.5	72236.73
2.	अरूणाचल प्रदेश	4442.51	5750.8	8985.74	9978.27
3.	असम	13850	24803.64	51418.35	42389.7
4.	बिहार	32399.56	46675.91	108173.39	155708.97
5.	छत्तीसगढ़	30184.39	42766.88	51182.2	64341.5
6.	गोवा	72812	497.39	724.12	1405.29
7.	गुजरात	15084.84	23983.13	14806.97	28102.88
8.	हरियाणा	10196.55	19858.58	25647.12	30388.7
9.	हिमाचल प्रदेश	7614.66	9929.608	6250.75	10057.88
10.	जम्मू-कश्मीर	18530.65	20830.69	22083.32	31624.72
11.	झारखंड	28568.5	37759.9	52086	64639.24
12.	कर्नाटक	28303.78	40422.99	54206.99	70192.82

1	2	3	4	5	6
13.	केरल	5939	10329.19	4382	10159.2
14.	मध्य प्रदेश	77173.12	104047.48	110879.68	148894.45
15.	महाराष्ट्र	50235.31	60458.5	52158.56	78115.07
16.	मणिपुर	3208.44	2051.96	1181	1799.78
17.	मेघालय	1921	2356.34	4306.47	7181.86
18.	मिजोरम	2559.15	3573.86	3445.42	4760.32
19.	नागालैंड	2323.01	2879.4	2615.2	230.86
20.	उड़ीसा	32792.5	38438.92	44010.95	65778.72
21.	पंजाब	14683.89	21890.86	12879.92	15806.66
22.	राजस्थान	60313.43	75884	75809.83	111679.04
23.	सिक्किम	1062.5	964.64	862.29	863
24.	तमिलनाडु	35329.53	47961.241	36329.65	55760.67
25.	त्रिपुरा	7070.19	8163	5461.29	8705.5
26.	उत्तर प्रदेश	182799	223373.86	206654	265381
27.	उत्तरांचल	10004	14687.32	16934	20527.05
28.	पश्चिम बंगाल	34199.79	48221.52	61736.8	94214.72
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	163	448.59	519.62	586.28
30.	चंडीगढ़	350	125.81	300	708
31.	दादर और नगर हवेली	0	379.22	100	310.75
32.	दमन और दीव	111.91	58	0	26.19
33.	दिल्ली	1100	2557.13	2930.24	4958.2
34.	लक्षद्वीप	0	0.91	87	8.85
35.	पांडिचेरी	529.4	568.79	0	407.82
	कुल	752722.725	998516.539	1085794.37	1477929.7

निर्यातकों के लिए विशेष पैकेज

536. श्री अधीर चौधरी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के निर्यातकों को विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप अनुमानत: कितने निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त पैकेज के कारण भारतीय कंपनियों के निर्यातकों की संख्या बढ़ी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में निर्यातकों की संख्या में अनुमानत: कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री चवराम रमेश) : (क) से (ङ) रुपये की मजबूती से उत्पन्न स्थिति और विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों जैसे वस्त्र, कालीन सहित हस्तशिल्प, चमड़ा, बागान एवं समुद्री उत्पादों में परिणामी नकारात्मक निर्यात वृद्धि के मद्देनजर और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन क्षेत्रों में रोजगार में कमी को न्यूनतम किया जाए, सरकार ने अनेक उपायों की घोषणा की थी जिनका उद्देश्य निर्यातकों को राहत प्रदान करना था। इनमें लदान-पूर्व एवं लदान-पश्चात ऋण पर ब्याज में कमी करना, ड्राबैक और डी०ई०पी०बी० दरों में वृद्धि करना, भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी/छूट हेतु सेवाओं का चयन करना, कतिपय ई०ई०एफ०सी० शेयों पर ब्याज और विशेष कृषि एवं ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत उत्पादों की सूची में बढ़ोतरी करना तथा स्कीम के अंतर्गत राजस्व सीमा में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि करना शामिल हैं। यह उम्मीद है कि इन उपायों से रुपये की मजबूती का प्रभाव कुछ हद तक निष्प्रभावी होगा। इन उपायों से प्रभावित हुए निर्यातकों की संख्या का आकलन करना समय-पूर्व होगा।

ग्रामीण युवाओं को उच्च शिक्षा

537. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा को ग्रामीण युवाओं के लिए सुलभ बनाने तथा गरीब छात्रों के लिए सस्ती बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा बेहतर प्रतिभा को अध्यापन के पेशे की ओर आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों सहित समाज के अन्य लाभवंचित वर्गों के छात्रों हेतु कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपनी मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को शिक्षा सुलभ कराता है। कमजोर वर्गों को कम मूल्य पर शिक्षा सुलभ कराने तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि की जाएगी जो कि 11वीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए अर्थोपाय की जांच-पड़ताल करने के लिए एक वेतन समीक्षा समिति गठित की है।

[हिन्दी]

फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय

538. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री वी०के० दुग्गर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई फर्जी विदेशी विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं जो भारतीय छात्रों को धोखा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले संज्ञान में आए हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा उनके विरुद्ध लोगों को सचेत करने के लिए क्या जानकारी दी गई है; और

(घ) इस कार्रवाई का क्या परिणाम निकला?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) इस समय, केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भारत में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रवेश तथा संचालन हेतु विनियम बनाए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सूचना के अनुसार, भारत में ऐसे कई संस्थान हैं जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के

साथ सहयोग से तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने सामान्य जानकारी हेतु उन गैर अनुमोदित संस्थाओं की एक सूची अपनी वेबसाइट (www.aicte.ernet.in) पर प्रकाशित की है। इस संबंध में अग्रणी समाचारार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस भी जारी किए जाते हैं। संबंधित अधिकारियों को कारण-बताओं नोटिस भी जारी किए गए हैं।

देश में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश तथा संचालन के संबंध में एक वैधानिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बी०एस०एफ० तथा बी०डी०आर० का संयुक्त सीमा सम्मेलन

539. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बी०एस०एफ०) तथा बांग्लादेश राइफल्स (बी०डी०आर०) के अधिकारियों के बीच कोई संयुक्त सीमा सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें दोनों देशों द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) दोनों देशों द्वारा उक्त निर्णयों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पी० राधिका सेल्वी) : (क) और (घ) जी हां। महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश राइफल सीमा समन्वय सम्मेलन, 24-29 अक्टूबर, 2007 तक ढाका में हुआ था। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी जिसमें निम्नलिखित शामिल थें:–

(1) भारतीय भू-भाग में सीमा-पार के बांग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा किए गए अपराध,

(2) बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का भारत में अवैध प्रवास,

(3) स्थानीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं अपरिहार्य हो वहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के अन्दर सीमा पर बाड़ का निर्माण किया जाना,

(4) शून्य रेखा से 150 गज के अंदर विकासात्मक कार्य,

(5) बांग्लादेशी राष्ट्रिकों द्वारा मवेशियों, स्वापक पदार्थों आदि की तस्करी और प्राकृति संसाधनों के किए जा रहे अवैध दोहन को रोकना,

(6) भारतीय मुद्रा के जाली नोटों की तस्करी,

(7) बांग्लादेशी राइफल के कार्मिकों की घुसपैठ और उनके द्वारा भारतीय जमीन पर अपराध किया जाना।

(8) सीमा पर लगे खंम्भों का बांग्लादेश राइफल द्वारा संयुक्त रूप से सत्यापन किये जाने से इंनकार किया जाना।

(9) भारत में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों और आतंकवादी तत्वों के क्रियाकलाप,

(10) सुरक्षा से संबंधित मुद्दें।

दोनों ही सीमा चौकसी बल एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सीमा-पार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए उचित उपाय करने पर सहमत थे। यह निर्णय लिया गया कि बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों को तेजी से कार्यान्वित किया जाएगा।

फर्जी डिग्रियां

540. प्रो० महादेवराव शिवनकर :
प्रो० एम० रामदास :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां जारी करने वाले कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने फर्जी डिग्रियों के आधार पर पहले ही लाभ प्राप्त कर लिए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) शेष फर्जी डिग्रियों का पता लगाने तथा भविष्य में ऐसे घोटाले रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए जाली विश्वविद्यालय के रूप में संचालित अप्राधिकृत संस्थाओं पर निगरानी रखती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत वैद्य रूप से स्थापित विश्वविद्यालयों अथवा सम-विश्वविद्यालय घोषित संस्थाओं की जाली डिग्रियां जारी करने संबंधी आपराधिक कार्यकलापों के संबंध में केन्द्रीकृत रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

541. श्री पी०सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीव विज्ञान के क्षेत्र में कोई उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) और (ख) जी नहीं, तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास "उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालयों" के चयन हेतु एक स्कीम मौजूद है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालयों और अध्यापकों की कमी

542. श्री महावीर भगोरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल आवश्यकता के बनम्बत केवल 77.24 प्रतिशत विद्यालय ही उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वर्तमान मांग और उपलब्धता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कमी को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है;

(ङ) यदि हां, तो अध्यापकों की मांग और उपलब्धता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) अध्यापकों की कमी को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (ग) यद्यपि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के 7वें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (2002) की रिपोर्ट के अनुसार 3 कि०मी० के भीतर 78.11 प्रतिशत जनसंख्या को उच्च प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाते थे। वर्ष 2001-02 में सर्व शिक्षा अभियान के शुरू होने के बाद 124890 उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, प्रत्येक दो प्राथमिक स्कूलों पर अधिकतम एक उच्च प्राथमिक स्कूल प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार-विमर्श के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थिति की समीक्षा की जाती है।

(घ) से (च) देश में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-छात्र का 32:1 का अनुपात है। राष्ट्रीय मानक 1:40 का है।

[अनुवाद]

चाय का नीलामी मूल्य

543. डा० अरूण कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय का बाजार मूल्य यथावत बने रहने के बावजूद चाय के नीलामी मूल्य में कमी लाने वाले कारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चाय और "ग्रीन लीफ" का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु नीलामी बाजार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) "गुवाहाटी टी एक्शन मार्केट" का सुधार सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) चाय सहित वस्तुओं की कीमतें मुख्यत:

रखाव हेतु वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात/घरेलू खरीद, आयकर अधिनियम की धारा 10 क क के अंतर्गत पहले पांच वर्षों के लिए एस०ई०जेड० इकाइयों की निर्यात आय पर आयकर में 100 प्रतिशत की छूट की, अगले 5 वर्षों के लिए 50 प्रतिशत और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए पुन: प्रयुक्त निर्यात लाभ के 50 प्रतिशत की छूट आयकर अधिनियम की धारा 155 ञ ख के अंतर्गत न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट; एस०ई०जेड० इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग श्रृंखलाओं के जरिए बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के एक वर्ष में 500 मिलियन अम० डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति; केन्द्रीय बिक्री कर, सेवा कर से छूट, एकल खिड़की निकासी; राज्य के बिक्री कर और अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई अन्य लेवियों से छूट।

विवरण

अधिसूचित एस०ई०जेडों० की राज्यवार सूची

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

आंध्र प्रदेश : दिवीज लेबोरेट्रीज लि० 105.495, विप्रो लि०, 6.48; अपाचे एस०ई०जेड० डेवलपमेंट इंडिया प्रा०लि०, 126.9; एल० एंड टी० फिनिक्स इन्फो पार्क प्रा०लि०, 10; हैदराबाद जैम्स एस०ई०जेड०, लि० 80.93; सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि०, 10.5; सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि०, 12; सनडियू प्रोपर्टीज प्रा० लि०, 16.29; सी०एम०सी० लि० 20.59; संघी एस०ई०जेड० प्रा० लि०, 202.4; व्हाइट फील्ड पेपर मिल्स लि०, 109.81; आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लि० (ए०पी०आई०आई०सी०) 36; हेट्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० 100.28; फैब सिटी एस०पी०बी० (इंडिया) प्रा० लि०, 120.06; आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लि० (ए०पी०आई०आई०सी०) 12; इदु टेक्जोन प्रा० लि०, 60.7; लैंको हिल्स टेक्नोलोजी पार्क प्रा०लि०, 11.77; एम्मार हिल्स टाउनशिप प्रा० लि०, 10.33; ब्रांडिक्स इंडिया अपेरल सिटी प्रा० लि० 404.7; आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लि०, 16; ए०पी०आई० आई०सी०, 2206.03; ब्रह्माणी इन्फ्राटेक प्रा०लि०, 60.7; मयतास इंटर प्राइजेज एस०ई०जेड० प्रा० लि०, 15.96; काकीनाडा एस०ई०जेड० प्रा० लि०. 1035.6688; ए०पी०आई०आई०सी०, 20.53; डी०एल०एफ० कमर्शियल डेवलपर्स लि०. 10.617; रामकी फार्मासिटी (इंडिया) प्रा० लि०. 247.39; टॉपनोच इन्फास्ट्राक्चर लि०, 14.5; दिव्यश्री एन०एस० एल० इन्फ्रास्टक्चर प्रा० लि० 10.52; जे०टी० होल्डिंग्स प्रा० लि० 28.33; रूद्रदेव इन्फोपार्क प्रा० लि०, 12.25; सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेज लि०, 20; स्टारगेज प्रोपर्टीज प्रा० लि०, 68.96; सीरीन प्रोपर्टीज प्रा० लि० 26.895; महावीर स्काई स्क्रैपर्स लि० 22-78; नियोजन प्रोपर्टीज प्रा० लि०, 141.65; सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (आई०टी० एवं सी०) आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरा (हुडा) के जरिए 47.6; आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लि०, 101.17; मयतास वेन्चर्स एस०ई०जेड० प्रा० लि० 14.15; मयतास हिल्स काउटी एस०ई०जेड० प्रा० लि०, 29.87; आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लि० 40.47; आंध्र प्रदेश औद्योगिकी अवरंचना निगम लि०, 111; लाहरी इन्फास्ट्रक्चर लि०, 108.49; वी०आर० इटरप्राइजेज, 10.12; नवयुग लीगल स्टेट्स प्रा० लि०, 10.218; सत्यवेदु रिजर्व इन्फ्रा सिटी प्रा० लि०, 1022.264; वी०जी०टी०एम० शहरी विकास प्राधिकरण, 16.44; मैस फैब्रिक पार्क (इंडिया) प्रा० लि०, 229.29।

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ प्रशासन, 31.4966; चंडीगढ़ प्रशासन, 26.96;

गोवा: मेडीटैब स्पेशियलटीज प्रा० लि०, 123.2; पेनिन्शुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्रा० लि०, 20.365; के रहेजा कार्पोरेशन प्रा० लि०, 105.91।

गुजरात: रिलायन्स जामनगर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, 1224.1; मुंद्रा पोर्ट एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र, 2648-19.00; जाइडस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, 48.83; एस्सार एस०ई०जेड० हजीरा लि० 247.5222; गुजरात औद्योगिक विकास निगम, 28; दाहेज एस०ई०जेड० लि०, 1718-93-87; गुजरात औद्योगिक विकास निगम, 38-04-13; अदानी पावर प्रा० लि०, 293-88-10; गणेश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, 10.5623; सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, 100-99-00; गुजरात हीरा बोर्स, 73-87-97; वेल्स्पन अन्जार एस०ई०जेड० लि०, 109-59-07।

हरियाणा: उप्पल डेवलपर प्रा०लि०, 106.3101; डी०एल०एफ० लि०, 12.06; ओरिएन्ट क्राफ्ट इन्फ्राक्ट्रक्चर लि०, 114.8318; डी०एल०एफ० साइबर सिटी डेवलपर्स लि० 10.73; सेलेक्टो सिस्टम्स प्रा० लि०, 3.34; डॉ० फ्रेश हेल्थकेयर प्रा० लि०, 23.429; लक्सर साइबर सिटी प्रा० लि०, 27.07845; पार्श्वनाथ एस०ई०जेड० लि०, 42.0745; सिनसिटी हरियाणा एस०ई०जेड० डेवलपर्स प्रा० लि०, 67.64; मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्रा० लि०, 10.393; रिलायन्स हरियाणा एस०ई०जेड० लि०, 439.66।

झारखंड: आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 36.4218।

केरल: इन्फोपार्क, 30.7683; कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, 115.25; कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, 285.8413; इलैक्ट्रॉनिक्स टैक्नोलौजी पार्क्स - केरल, 12.55; इलेक्ट्रॉनिक्स टैक्नोलौजी पावरी केरल, 34.47.5; केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा), 10.121; केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, 12.52; केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (किन्फ्रा), 12.141।

कर्नाटक: विप्रो लि०, 6.48; विप्रो लि०, 5.17; बायोकॉन लि०, 35.55; विकास टेलीकाम लि०, 36.85; आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०, 27.91; टैंगलिन डेवलपमेंट्स लि०, 26.673; कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के०आई०ए०डी०बी०), 233.307; श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्रा० लि०, 21.76; सेसना गार्डन्स डेवलपर्स प्रा० लि०, 19.33; मान्यता प्रोमोटर्स प्रा० लि०, 22.34; एच०सी०एल० टेक्नोलॉजीज लि०, 10.98; सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लि०, 10.87; कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के०आई०ए०डी०बी०), 159.733; इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लि०, 25.45; इन्फोसिस टेक्नोलौजीज लि०, 123.61; कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, 37.49; प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०, 10.36; सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि, 259.3262; मंगलौर एस०ई०जेड० लि०, 587.921।

महाराष्ट्र: सीरम बायो फार्मा पार्क, 23.1793; ई०ओ०एन० खैरादी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, 18; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास, 118.13 हेक्टैयर; विप्रो लि०, 20; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास, कार्पोरेशन, 150; रॉयल पाम्स (इंडिया) प्रा० लि०, 21.8; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास कार्पोरेशन, 200; सिंटेल इंटरनेशनल प्रा० लि०, 16; दि मंत्री स्टड फार्म प्रा० लि०, 15.79; हीरानंदानी बिल्डर्स, 12.5891; बजाज ऑटो लि०, 100.26; वकर्खाट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि०, 107.06; इन्फोसिस टेक्नोलोजीज लि०, 31.49; महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लि०, 1511.51; महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लि०, 223.56; के रहेजा यूनिवर्सल प्रा० लि०, 20.654; मागरपटटा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०, 11.98; एम०आई०डी०सी०, 208; के रहेजा यूनिविर्सल प्रा० लि०, 13.07; डी०एल०एफ० आकृति इन्फो पार्क (पुणे) लि०, 10.33; फ्लैगशिप इन्फास्ट्रक्चर प्रा० लि० 11.7943; सीरीन प्रोपर्टीज प्रा० लि०, 19.34।

मध्य प्रदेश: मेडीकैप्स आई०टी० पार्क प्रा० लि०, 11.936; एम०पी० औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि०, 7.99; क्वार्कसिटी इंडिया प्रा० लि०, 13.75; पार्श्वनार्थ डेवलपर्स लि०, 30.981।

उड़ीसा: उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, 69.15।

पंजाब: रेनबेक्सी लेबोरेटरीज प्रा० लि०, 32.374।

राजस्थान: महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि०, 76.1।

तमिलनाडु: फ्लैक्सट्रानिक्स टेक्नोलोजीज (इंडिया) प्रा० लि०, 101.21; टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज लि०, 28.53; सिंटेल इंटरनेशनल प्रा० लि०, 11.73; ई०टी०एल० इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रा० लि०, 10.57; हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लि०, 11; श्रीराम प्रोपर्टीज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, 10 हेक्टेयर, कोयम्बटूर हाइटेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, 34.66; डी०एल०एफ० इन्फोसिटी डेवलपर्स (चेन्नई) लि०, 13.29; तमिलनाडु राज्य औद्योगिक संवर्धन निगम, 189.77.1; तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक निगम, 11.76; तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक निगम, 152.66.5; हकीन्डा इन्फोटेक एंड रिएलटर्स प्रा० लि०, 26.615; चेय्यार एस०ई०जेड० डेवलपर्स प्रा० लि०, 111.33.50; बन्नारी टैक्नोपार्क्स प्रा० लि०, 24-05.5; अरूण एक्सेलों इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, 11.09.0; जिलियन इस्टेट्स प्रा० लि०, 18.60.4; स्पेन वेन्चर्स प्रा० लि०, 10.49; सुजलोन इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, 104.66.40; ई०टी०ए० टेक्नपार्क प्रा० लि०, 10.36; न्यू चेन्नई टाउनशिप प्रा० लि०, 125.002; तमिलनाडु राज्य औद्योगिक सवंर्धन निगम, 140.75.50।

उत्तर प्रदेश: मोजर बायर इंडिया लि०, 11.9; अंसल आई०टी० सिटी एंड पार्क्स लि०, 30.41; एच०सी०एल० टेक्नोलोजीज लि०, 16.91; ओ०एस०ई० इन्फ्रास्ट्रक्चर 10.11753; एन०आई०आई०टी० टेक्नोलॉजीज लि०, 10.2; विप्रो लि०, 20.23।

उत्तरांचल: पार्श्वनाथ डेवलपर्स लि०, 13.5426।

पश्चिम बंगाल: एम०एल० डालमिया एंड कंपनी लि०, 48.5623; एनफील्ड एक्सपोट्स लि०, 28.972।

(आई०टी०/आई०टी०ई०एस० – सूचना प्रौद्योगिकी/
सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं)

एल्युमीनियम का उत्पादन

548. श्री रामदास आठवले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक एल्युमीनियम उत्पादक इकाइयों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी मात्रा में एल्युमीनियम का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या एल्युमीनियम के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) संबंधित कंपनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादक कंपनियों द्वारा उत्पादित एल्युमीनियम की कुल मात्रा निम्नानुसार है:–

1	2	3	4
14.	उड़ीसा	35.	बोध
		36.	गजपति
		37.	मलकानगिरि
		38.	नवरंगपुर
		39.	रायगढ़
		40.	कन्धमाल
15.	पंजाब	41.	आर०सी०एफ० संख्या 2 कपूरथला
16.	राजस्थान	42.	डुंगरपुर
		43.	चित्तौड़गढ़
17.	तमिलनाडु	44.	तिरूवन्नामलाई
		45.	धर्मपुरी
		46.	शिवगंगा
		47.	गांधीग्राम, डिंडिगुल
18.	त्रिपुरा	48.	धलाई
19.	उत्तर प्रदेश	49.	बदायूँ
		50.	माटी अकबरपुर, कानपुर देहात
20.	पश्चिम बंगाल	51.	दक्षिण दिनाजपुर
		52.	बीरभूम
		53.	नाडिया (रानाघाट)

जवाहर नवोदय विद्यालय

551. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :**
डा० एम० जगन्नाथ :
श्री संजय धोत्रे :
श्री जोवाकिम बखला :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने नवोदय विद्यालय खोले गऐ;

(ग) देश में राज्य-वार ऐसे कितने विद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि निर्धारित, स्वीकृत और खर्च की गई;

(ङ) कितने विद्यालयों के पास स्थायी इमारत और कंप्यूटर सुविधाएं हैं और ऐसे विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो अस्थायी इमारतों में चल रहे हैं; और

(च) ऐसे विद्यालयों को स्थायी इमारतों में स्थानांतरित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) देश में इस समय चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संचालित किए गए जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) नवोदय विद्यालय स्कीम में देश के प्रत्येक जिले में एक विद्यालय खोलने की परकिल्पना की गई। देश के 50 जिलों (तमिलनाडु छोड़कर) में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। इनमें से, 6 जिलों में कोई ग्रामीण जनसंख्या नहीं है, और शेष 44 जिले निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित हैं:–

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जिन जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, उनकी संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
असम	1
छत्तीसगढ़	2
दिल्ली	5

1	2
गुजरात	7
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	8
कर्नाटक	2
महाराष्ट्र	2
मिजोरम	5
नागालैंड	1
पंजाब	2
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	3
कुल	44

इन 44 जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना पहले के कुछ वर्षों में विद्यालय चलाने के लिए अस्थायी आवास प्रदान करने और स्थायी बनाने के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करने हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्ताव पर निर्भर करता है।

(घ) निधियां राज्य-वार निर्धारित या संस्वीकृत नहीं की जाती। मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति को गत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	नवोदय विद्यालय समिति को संस्वीकृति की गई निधियां	नवोदय विद्यालय समिति द्वारा उपयोग की गई निधियां
2004-05	588.66	587.22
2005-06	721.85	730.20**
2006-07	818.65	828.79**

(**) संस्वीकृत निधियों के अतिरिक्त उपयोग की गई राशि की पूर्ति गत वर्ष के अंत शेष और संबंधीत वर्ष की आंतरिक आय से की गई है।

(ङ) इस समय 417 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थायी इमारतों में चल रहे हैं और 541 जवाहर नवोदय विद्यालयों को कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान की गई है। 132 जवाहर नवोदय विद्यालय अस्थायी भवनों में चल रहे हैं। अस्थायी भवनों में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) विद्यालयों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण हेतु नवोदय विद्यालय समिति को उपयुक्त भूमि प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित सरकारों से नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है।

विवरण-I

दिनांक 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार देश में चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
आंध्र प्रदेश	22
अरूणाचल प्रदेश	16
असम	26
बिहार	38
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	16
दादर और नगर हवेली	1
दमन और दीव	2
दिल्ली	2
गोवा	2
गुजरात	18
हरियाणा	20
हिमाचल प्रदेश	11
जम्मू-कश्मीर	14

1	2
झारखंड	22
कर्नाटक	27
केरल	14
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	48
महाराष्ट्र	31
मणिपुर	9
मेघालय	7
मिजोरम	3
नागालैण्ड	10
उड़ीसा	30
पांडिचेरी	4
पंजाब	18
राजस्थान	32
सिक्किम	4
त्रिपुरा	3
उत्तरांचल	13
उत्तर प्रदेश	67
पश्चिम बंगाल	15
कुल	549

विवरण-II

दिनांक 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चल रहे/खोले गए जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार, जिला-वार संख्या

2004-05			2005-06			2006-07			2007-08 (दिनांक 31.10.07 की स्थिति के अनुसार)		
क्रम सं०	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	क्रम सं०	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	क्रम सं०	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या	क्रम सं०	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	मेघालय	2	1.	अरूणाचल प्रदेश	1	1.	अरूणाचल प्रदेश	3	1.	असम	2
	कुल	2	2.	छत्तीसगढ़	1	2.	असम	4	2.	बिहार	1
			3.	हिमाचल प्रदेश	1	3.	बिहार	2	3.	हरियाणा	1
			4.	मध्य प्रदेश	2	4.	छत्तीसगढ़	4	4.	झारखंड	1
			5.	उड़ीसा	1	5.	हरियाणा	1	5.	उड़ीसा	1
			6.	मिजोरम	1	6.	झारखंड	1	6.	पंजाब	1
			7.	सिक्किम	1	7.	मध्य प्रदेश	1	7.	उत्तर प्रदेश	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8.	उत्तरांचल	1	8.	मिजोरम	1	8.	उत्तरांचल	1
			9.	पश्चिम बंगाल	4	9.	नागालैंड	3	9.	पश्चिम बंगाल	1
				कुल	**13**	10.	उड़ीसा	5		**कुल**	**10**
						11.	उत्तर प्रदेश	1			
						12.	पश्चिम बंगाल	4			
							कुल	**30**			

विवरण-III

अस्थायी स्थल पर चल रहे जवाहर नवोदय विद्यालयों की राज्य-वार और जिला-वार स्थिति

क्रम संख्या	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम
1	2	3
1.	अरूणाचल प्रदेश	अंजाओ
2.	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी कार्मेंग
3.	अरूणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
4.	अरूणाचल प्रदेश	कुरूंग कुमे
5.	अरूणाचल प्रदेश	लोअर सुबानश्री
6.	अरूणाचल प्रदेश	पापुम पारे
7.	अरूणाचल प्रदेश	तवांग
8.	अरूणाचल प्रदेश	तिरप
9.	अरूणाचल प्रदेश	अपर देवांग वैली
10.	अरूणाचल प्रदेश	अपर सियांग
11.	अरूणाचल प्रदेश	अपर [illegible]श्री
12.	अरूणाचल प्रदेश	पश्चिमी कर्मेग
13.	असम	बक्सा
14.	असम	बोंगाईगांव
15.	असम	चिरांग
16.	असम	धुबरी
17.	असम	नगांव
18.	असम	उत्तरी कछार हिल्स
19.	असम	उदलगुरी
20.	बिहार	अरवाल
21.	बिहार	भागलपुर
22.	बिहार	गोपालगंज
23.	बिहार	जहानाबाद
24.	बिहार	खगड़िया
25.	बिहार	लखीसराय
26.	बिहार	मधुबनी
27.	बिहार	पटना
28.	बिहार	रोहतास
29.	बिहार	शिवहर
30.	छत्तीसगढ़	बस्तर

1	2	3
31.	छत्तीसगढ़	धमतरी
32.	छत्तीसगढ़	जांजगीर (चंपा)
33.	छत्तीसगढ़	जशपुर
34.	छत्तीसगढ़	कांकेर
35.	छत्तीसगढ़	कवरधा
36.	छत्तीसगढ़	कोरिया (बैकुंठपुर)
37.	गुजरात	मेहसाना
38.	गुजरात	पंचमहल
39.	गुजरात	बड़ौदरा
40.	हरियाणा	अंबाला
41.	हरियाणा	फतेहाबाद
42.	हरियाणा	गुड़गांव
43.	हरियाणा	रोहतक
44.	हरियाणा	यमुनानगर
45.	हिमाचल प्रदेश	किनौर
46.	हिमाचल प्रदेश	लहौल और स्पीति
47.	जम्मू-कश्मीर	कारगिल
48.	झारखंड	धनबाद
49.	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम
50.	झारखंड	गड़वा
51.	झारखंड	जामताड़ा
52.	झारखंड	कोडरमा
53.	झारखंड	पाकुड़
54.	झारखंड	पलामू
55.	झारखंड	साहेबगंज
56.	झारखंड	सिमडेगा
57.	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम
58.	केरल	वायनाड
59.	मध्य प्रदेश	बदवानी
60.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर
61.	मध्य प्रदेश	डिंडौरी
62.	मध्य प्रदेश	गुना
63.	मध्य प्रदेश	हर्दा
64.	मध्य प्रदेश	शहडोल
65.	मध्य प्रदेश	उमरिया
66.	महाराष्ट्र	अकोला
67.	महाराष्ट्र	परभानी
68.	मणिपुर	पूर्वी इंफाल
69.	मणिपुर	तिमांगलोंग
70.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स
71.	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स
72.	मेघालय	पश्चिमी गारो हिल्स
73.	मिजोरम	चंफाई
74.	मिजोरम	सेछ
75.	नागालैंड	दिमापुर
76.	नागालैंड	किफरी
77.	नागालैंड	मोकाकचुंग
78.	नागालैंड	मोन
79.	नागालैंड	पीरेन
80.	नागालैंड	टीवेनजैंग

1	2	3
81.	नागालैंड	वोखा
82.	नागालैंड	जोनोबुटो
83.	उड़ीसा	अंगुल
84.	उड़ीसा	बारगढ़
85.	उड़ीसा	भद्रक
86.	उड़ीसा	बौद्ध
87.	उड़ीसा	देवगढ़
88.	उड़ीसा	गजपति
89.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर
90.	उड़ीसा	जाजपुर
91.	उड़ीसा	झारसुगड़ा
92.	उड़ीसा	खोरधा
93.	उड़ीसा	मलकानगिरी
94.	उड़ीसा	नबरंगपुर
95.	उड़ीसा	नवगढ़
96.	उड़ीसा	रायगढ़
97.	उड़ीसा	सोनपुर
98.	पंजाब	अमृतसर
99.	राजस्थान	हनुमानगढ़
100.	राजस्थान	करौली
101.	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम
102.	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम
103.	सिक्किम	दक्षिणी सिक्किम
104.	उत्तर प्रदेश	अंबेडकरनगर
105.	उत्तर प्रदेश	औरिया
106.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
107.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
108.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर
109.	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर
110.	उत्तर प्रदेश	जेपीनगर
111.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
112.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र
113.	उत्तरांचल	बागेश्वर
114.	उत्तरांचल	देहरादून
115.	उत्तरांचल	नैनीताल
116.	उत्तरांचल	पौरीगढ़वाल
117.	उत्तरांचल	पिथौरागढ़
118.	पश्चिम बंगाल	24 नौर्थ परगना
119.	पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा
120.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
121.	पश्चिम बंगाल	बर्द्धमान
122.	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार
123.	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग
124.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
125.	पश्चिम बंगाल	हुगली
126.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी
127.	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद
128.	पश्चिम बंगाल	नाडिया
129.	पश्चिम बंगाल	पूर्वी मिदनापुर
130.	पश्चिम बंगाल	पुरीलिया
131.	पश्चिम बंगाल	उत्तरी दिनाजपुर
132.	पश्चिम बंगाल	पश्चिमी मिदनापुर

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा मोबाइल फोन का दुरूपयोग

552. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
प्रो० रासा सिंह रावत :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद और अजमेर सहित देश के कुछ भागों में हाल में मोबाइल फोन के माध्यम से किये गये बम विस्फोटों के मद्देनजर इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में मुख्य रूप से किस बिन्दू पर चर्चा हुई;

(ग) इस बैठक में किन-किन एजेंसियों ने भाग लिया;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को ऐसे नए नियम बनाने को कहा है जिनका पालन मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मोबाइल कनेक्शनों का आतंकवादी गतिविधियों हेतु दुरूपयोग न किया जा सके यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है;

(च) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे बम विस्फोटों से आज तक हुए जान और माल के नुकसान का राज्य और संघ-राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं/किए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) देश में सुरक्षा की स्थिति और आतंकवादियों के मामलों के अभियोजन तथा उनकी जांच पड़ता में हुई प्रगति पर चर्चा करने एवं उनकी पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में केन्द्र एवं राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

(घ) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान! तथापि अनुज्ञापत्र करार में यह निर्धारित है कि अनुज्ञापी/सेवा प्रदायक प्रत्येक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप में अनुक्रमांकित करने से पहले उपयुक्त सत्यापन करेगा।

(च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हैदराबाद की मक्का मास्जिद में हुए विस्फोट में 9 व्यक्ति मारे गए तथा 58 अन्य लोग घायल हुए तथा अजमेर शरीफ स्थित दरगाह में हुए विस्फोट में 3 व्यक्ति मारे गए एवं 14 व्यक्ति घायल हुए।

(छ) सरकार आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। सरकार की नीति है कि वह आतंकवाद द्वारा सृजित चुनौतियों का सामना सरकार की बहु आयामी रणनीति से करेगी। इस रणनीति के अनुसरण में सरकार ने राजनैतिक, कानूनी, सुरक्षा और विकास पहलुओं पर विभिन्न उपाय किए हैं। सरकार उन सभी समूहों के साथ वार्ता करने की इच्छुक है जो हिंसा त्यागने और भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत हथियार समर्पण करने को सहमत हों। सितम्बर, 2004 में यथा संशोधित, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से निपटने का जरूरी प्रावधान है। सुरक्षा मोर्चे पर आतंकवादी राधी उपायों में सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावकारी सीमा प्रबंधन, आतंकवादी हिंसा बहुल क्षेत्रों में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने के लिए केन्द्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों और बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों के आसपास चौकसी एवं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना आसूचना संग्रहण और भागीदारी क्षमता, खासकर निचले स्तर पर, सुदृढ़ करना, पुलिस बलों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करना, इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन करना, केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों को विकसित तकनीक, आंयुध एवं उपस्करों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शामिल है और आतंकवाद के वैश्विक प्रभावों से निपटने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश

553. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में निजी-निवेश की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में शिक्षा के निजीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे निवेश को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) से (ङ) गत तीन वर्षों में देश में तकनीकी तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इस मंत्रालय द्वारा किये गए निवेश का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

रुपये करोड़ में

सैक्टर/वर्ष	2004-05	2005-06	2006-07
उच्चतर शिक्षा	810.65	843.57	1346.52
तकनीकी शिक्षा	615.74	711.18	863.15
कुल	1426.39	1554.75	2209.67

इस सैक्टर में निजी भागीदारी पहले ही अस्तित्व में है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई तकनीकी संस्थाओं को आरम्भ करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है, जिनमें से अधिकांश संस्थान निजी न्यासों/समितियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं।

इथोपिया और मोजाम्बिक के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौता (बी०आई०पी०ए०)

554. श्री वृज किशोर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अभी तक किन देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते (बी०आई०पी०ए०) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इथोपिया और मोजाम्बिक के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समझौते के लागू होने के बाद इन देशों के साथ व्यापार में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारत ने 15 नवम्बर, 2007 तक 67 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता किया है। जिन देशों के साथ भारत ने द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता किया है, उनकी सूची तथा इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने 5 जुलाई, 2007 को इथोपिया के साथ द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौते (बी०आई०पी० पी०ए०) पर हस्ताक्षर किए हैं। मोजाम्बिक के साथ कोई द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता नहीं किया गया है।

(घ) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण समझौता (बी०आई० पी०पी०ए०) के तहत व्यापार संबंधी मामले नहीं आते। बी०आई० पी०पी०ए० का उद्देश्य भारत और उस देश के बीच निवेश प्रवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जिसके साथ भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हों। इसके फलस्वरूप, दोनों देशों के निवेशक ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे निवेश की जाने वाली निधियों में वृद्धि होती है।

विवरण

क्र० सं०	देश	द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर करने की तारीख
1	2	3
1.	इंग्लैंड	14 मार्च, 1994
2.	रूसी संघ	23 दिसम्बर, 1994
3.	जर्मनी	10 जुलाई, 1995
4.	मलेशिया	3 अगस्त, 1995
5.	डेनमार्क	6 सितम्बर, 1995
6.	तुर्कमेनिस्तान	20 सितम्बर, 1995
7.	नीदरलैंड	6 नवम्बर, 1995
8.	इटली	23 नवम्बर, 1995
9.	ताजाकिस्तान	13 दिसम्बर, 1995
10.	इजराइल	29 जनवरी, 1996
11.	साउथ कोरिया	26 फरवरी, 1996
12.	पोलेण्ड	7 अक्तूबर, 1996

1	2	3
13.	चैक गणतंत्र	11 अक्तूबर, 1996
14.	कजाकिस्तान	9 दिसम्बर, 1996
15.	श्रीलंका	22 जनवरी, 1997
16.	वियतनाम	8 मार्च, 1997
17.	ओमान	2 अप्रैल, 1997
18.	स्वीटजरलैंड	4 अप्रैल, 1997
19.	मिस्र	9 अप्रैल, 1997
20.	किरगिज गणतंत्र	16 मई, 1997
21.	फ्रांस	2 सितम्बर, 1997
22.	स्पेन	30 सितम्बर, 1997
23.	बेल्जियम	31 अक्तूबर, 1997
24.	रोमानिया	17 नवम्बर, 1997
25.	मॉरिशस	4 सितम्बर, 1988
26.	तुर्की	17 सितम्बर, 1997
27.	बुल्गारिया	26 अगस्त, 1998 प्रोटोकाल साइन 12 सितम्बर, 2007
28.	मारोक्को	13 फरवरी, 1999
29.	इंडोनेशिया	10 फरवरी, 1999
30.	जिम्बावे	10 फरवरी, 1999
31.	आस्ट्रेलिया	26 फरवरी, 1999
32.	कतर	7 अप्रैल, 1999
33.	उजबेकिस्तान	18 मई, 1999
34.	अर्जेंटीना	20 अगस्त, 1999
35.	आस्ट्रिया	8 नवम्बर, 1999
36.	फिलिपिन्स	28 जनवरी, 2000
37.	पुर्तगाल	28 जून, 2000
38.	स्वीडन	4 जुलाई, 2000
39.	थाइलैण्ड	10 जुलाई, 2000
40.	लाओ पी०डी०आर०	9 नवम्बर, 2000
41.	मंगोलिया	3 जनवरी, 2001
42.	क्रोशिया	4 मई, 2001
43.	कुवैत	27 नवम्बर, 2001
44.	यूक्रेन	1 दिसम्बर, 2001
45.	साइप्रस	9 अप्रैल, 2002
46.	घाना	5 अगस्त, 2002
47.	यमन	30 अक्तूबर, 2002
48.	फिनलैण्ड	7 नवम्बर, 2002
49.	बेलारूस	27 नवम्बर, 2002
50.	ताइवान#	17 अक्तूबर, 2002
51.	युगोस्लाविया	31 जनवरी, 2003
52.	जिबोटी	19 मई, 2003
53.	अरमेनिया	23 मई, 2003
54.	सूडान	23 अक्तूबर, 2003
55.	हंगरी	3 नवम्बर, 2003
56.	बहरीन	13 जनवरी, 1994
57.	सऊदी अरेबिया	25 जनवरी, 1996
58.	बोस्निया और हर्जगोविना	12 सितम्बर, 2006
59.	स्लोवाक गणतंत्र	25 सितम्बर, 2006
60.	चीन	21 नवम्बर, 2006
61.	जार्डन	1 दिसम्बर, 2006
62.	त्रिनीदाद और टुबैगो	12 मार्च, 2007

1	2	3
63.	हेलेनिक गणतंत्र (यूनान)	26 अप्रैल, 2007
64.	मैक्सिको	21 मई, 2007
65.	लीबिया	26 मई, 2007
66.	आईसलैण्ड	29 जून, 2007
67.	इथोपिया	5 जुलाई, 2007

#भारत-तेपई एसो, तेपई और तेपई इकनोमिक एंड कल्चरल सेन्टर, नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई एकतरफा घोषणा।

समाचार और मनोरंजन के चैनल

555. **श्री जी० करूणाकर रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार पृथक-पृथक कितने समाचार और मनोरंजन चैनलों द्वारा अपने कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है;

(ख) भारतीय स्वामित्व और विदेशी भागीदारी के अंतर्गत राज्य-वार पृथक-पृथक कितने चैनल कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे चैनलों को विनियमन हेतु कोई विधान बनाने का विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त विधान के कब तक बनाये जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) दिनांक 15.11.2007 तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने 149 समाचार एवं समसामयिक विषयक टी०वी० चैनलों और 106 गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक टी०वी० चैनलों को भारत से अपलिंग करने की अनुमति दे दी है। विदेश से अपलिंक किए जाने वाले पांच (5) टी०वी० चैनलों को भी भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, विदेश से अपलिंक किए जाने वाले 52 टी०वी० चैनलों को अनन्तिम रूप से भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दी गई है। परिचालन की अनुमति अखिल भारतीय आधार पर दी गई है न कि राज्य-वार।

(ख) भारत से अपलिंक करने के लिए अनुमति प्राप्त कुल 255 चैनलों में से 123 चैनलों पर भारतीय स्वामित्व है जबकि 132 चैनलों पर मूल कंपनी में विदेशी इक्विटी के अलग-अलग घटक हैं। विदेश से अपलिंक किए जाने वाले और भारत में डाउनलिंक करने के लिए अनुमति प्राप्त कुल 57 टी०वी० चैनलों में से 2 टी०वी० चैनलों में भारतीय इक्विटी है जबकि शेष 55 टी०वी० चैनलों में विदेशी इक्विटी है।

(ग) से (च) मंत्रालय, प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक के प्रस्तावित मसौदे पर विचार कर रहा है। उक्त विधेयक अभी प्रारूप के स्तर पर है और इसके संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जा रहा है। उक्त विधेयक को अंतिम रूप देने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है क्योंकि परामर्श एक सतत् प्रक्रिया है।

शिक्षा को समवर्ती सूची से स्थानान्तरित करना

556. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य शिक्षा को भारत के संविधान में समवर्ती सूची से निकाल कर राज्य सूची में डालने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वर्कशेड स्कीम

557. **श्री वाडिगा रामकृष्णा** : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी बुनकरों और कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम के क्या उद्देश्य हैं;

(ख) यह योजना किस तिथि से आरम्भ हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभान्वित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वस्त्र मंत्रालय ने भी ऐसी ही योजना आरम्भ की है; और

(ङ) यदि हां, तो दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को किस प्रकार लाभ प्रदान किया जाएगा?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) के परामर्श से खादी सेक्टर में कताईकारों तथा बुनकारों के लिए वर्कशेडों के निर्माण हेतु "खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना" का प्रारूप तैयार किया है। खादी कारीगरों के लिए वर्कशेडों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने में इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

(i) बेहतर कार्यस्थल प्रदान करके बेहतर परिवेश प्रदान करना ताकि वे अपना कताई तथा बुनाई कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें, और

(ii) उनके उपकरणों तथा भण्डारण सहायक उपकरणों, सूत तथा वस्त्र आदि को रखने हेतु अधिक स्थान उपलब्ध कराना।

खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड योजना हेतु यह प्रस्ताव अभी अवधारणा के स्तर पर है और अपेक्षा की जाती है कि यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना होगी।

(ख) इस योजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव अभी अवधारणा के स्तर पर है और अभी इसका मूल्यांकन योजना आयोग और अन्य संगठनों/मंत्रालयों द्वारा किया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) कपड़ा मंत्रालय (विकास आयुक्त, हथकरघा कार्यालय) ने 11वीं योजना के दौरान समेकित हथकरघा विकास योजना (आई०एच०डी०एस०) कार्यान्वित करने हेतु प्रस्ताव किया है जिसका वर्कशेड योजना एक घटक होगा। आई०एच०डी०एस० को अभी अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

(ङ) खादी बुनकरों तथा कारीगरों के लिए प्रस्तावित वर्कशेड योजना के तहत लगभग 20 वर्ग मीटर स्थान प्रति इकाई वाले वर्कशेड के निर्माण हेतु 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) अथवा लागत का 75%] जो भी कम हो, प्रदान करने करा प्रस्ताव है। 95 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 11वीं योजना अवधि के दौरान 38,000 खादी कारीगरों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

कपड़ा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आई०एच०डी०एस० के वर्कशेड योजना घटक के तहत क्लस्टरों के अंतर्गत तथा बाहर के बुनकरों को शामिल किया जाएगा। 20 वर्ग मीटर वाले वर्कशेड के निर्माण के लिए गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी के बुनकरों को 25,000/- रुपये का केवल 75%, अर्थात 18,750/- रुपये की सहायता प्राप्त होने की अपेक्षा है।

सीमेंट की कीमतों में वृद्धि

558. **प्रो० महादेवराव शिवनकर :**
श्री पी०सी० थामस :
प्रो० एम० रामदास :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में सीमेंट की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें भी बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान माह-वार सीमेंट की कीमतों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) निर्माण उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सीमेंट विनिर्माताओं की अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के विरोध में देश में निर्माण क्रियाकलापों को बंद करने की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो सीमेंट विनिर्माताओं के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(च) सीमेंट की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सीमेंट का उत्पादन और प्रेषण प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। सीमेंट विनिर्माता संघ के अनुसार वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में सीमेंट का कुल उत्पादन क्रमश: 127.57 मिलियन टन, 141.81 मिलियन टन और 155.66 मिलियन टन था। मांग और पूर्ति के बीच असमानता के कारण सीमेंट का औसत मूल्य दिसम्बर, 2005 में 158 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर अक्तूबर, 2007 में 231 रुपये प्रति बोरी हो गया है। माह-वार मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सीमेंट, इस्पात आदि जैसी अन्तर्वेशी सामग्री के मूल्य में होने वाले किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी का निर्माण संबंधी उद्योग पर परिणामी प्रभाव पड़ेगा।

(घ) और (ङ) बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ने सीमेंट विनिर्माताओं की अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के विरोध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग

(एम०आर०टी०पी०सी०) जो एक अर्द्धशासी निकाय है, मामले पर पहले ही कार्रवाई कर रहा है।

(च) सरकार ने सीमेंट की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बाजार में उसकी आपूर्ति बढ़ाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। इसके अंतर्गत सीमेंट पर आयात शुल्क को घटाकर "शून्य" करते हुए तथा समतुल्य शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा-शुल्क, आदि को हटाते हुए आयात को सुगम बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के एक उद्यम – एम०एम०टी०सी० लिमिटेड और टैनसेम नामक तमिलनाडु राज्य सरकार के एक उद्यम को बाजार में आयातित सीमेंट की अच्छी मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 के प्रावधानों के तहत सीमेंट आयात करने हेतु विशेष छूट दी गई है। इन उपायों के कारण सीमेंट के मूल्यों में काफी हद तक स्थिरता आई है और मार्च से अक्तूबर, 2007 के बीच इनमें केवल 2.67 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्शायी गई है।

विवरण

वर्ष	माह	प्रति बोरी औसत मूल्य रुपए में	दिसम्बर, 2005 से हुई मूल्य वृद्धि	दिसम्बर, 2005 से मूल्यो में बढ़ोत्तरी की प्रतिशत
1	2	3	4	5
2005	दिसम्बर	158		
2006	जनवरी	163	5	3.2%
	फरवरी	175	17	10.8%
	मार्च	189	31	19.6%
	अप्रैल	199	41	25.9%
	मई	200	42	26.6%
	जून	201	43	27.2%
	जुलाई	201	43	27.2%
	अगस्त	201	43	27.2%
	सितम्बर	202	44	27.8%
	अक्तूबर	205	47	29.7%
	नवम्बर	208	50	31.6%
	दिसम्बर	209	51	32.3%
2007	जनवरी	209	51	32.3%
	फरवरी	212	54	34.2%
	मार्च	225	67	42.4%
	अप्रैल	226	68	43.0%
	मई	226	68	43.0%
	जून	227	69	43.7%
	जुलाई	229	71	44.9%
	अगस्त	231	73	46.2%
	सितम्बर	231	73	46.2%
	अक्तूबर	231	73	46.2%

सैंटर फॉर जियोमैटिक एण्ड एनवायरनमैंट मैनेजमैंट की स्थापना

559. श्री पी०सी० थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सैंटर फॉर जियोमैटिक एण्ड एनवायरनमैंट मैनेजमैंट की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में केन्द्र के साथ भागीदारी करने वाला संयुक्त उद्यम संबंधी कोई प्रस्ताव तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : (क) जियोमैटिक और इनवायरमैंट मैनेजमैंट हेतु एक केन्द्र स्थापित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव इस समय मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विशेष जरूरत वाले बच्चे

560. **श्री महावीर भगोरा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नामांकित बच्चों में केवल 64 प्रतिशत बच्चों को ही विशेष जरूरत वाले बच्चों (सी०डब्ल्यू०एस०एन०) के रूप में पहचाना गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ऐसे बच्चों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों ने काई उपाय किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे बच्चों के नामांकन में पिछड़ रहे राज्यों के लिए कोई अतिरिक्त पैकेज तैयार किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में से 90.44 प्रतिशत बच्चों को सितम्बर 2007 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियमित स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना/वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केन्द्रों तथा गृह-आधारित शिक्षा में शामिल किया गया है। राज्यों की क्षमता-निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है ताकि वे सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवयकताओं वाले बच्चों के लिए कार्यकलापों को संचालित करने में सक्षम हो सकें।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों संबंधी राष्ट्रीय नीति

561. **श्री एस०के० खारवेनथन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानिऱों के कल्याणार्थ कोई राष्ट्रीय नीति/योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) नई नीति को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। सरकार ने 1969 में "पूर्व अंडमान राजनैतिक कैदी स्कीम" नामक एक स्कीम शुरू की थी जिसके अंतर्गत ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई थी जिन्होंने पांच वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए सैल्यूयर जेल, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान द्वीप समूह) में सजा काटी हो। भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1972 में स्वतंत्रता सैनानियों के सभी वर्गों को कवर करते हुए एक नियमित "स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम" शुरू की गई थी। इस स्कीम को उदारीकृत बनाया गया था तथा "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980" के रूप में पुन: नामित किया गया था। स्कीम की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

I. **सम्मान पेंशन प्रदान करने हेतु पात्रता**

स्वतंत्रता सेनानियों की निम्नलिखित श्रेणियां सम्मान पेंशन की पात्र हैं:

(क) वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में कम से कम 6 माह की सजा भोगी है (महिला और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में 3 माह)

(ख) वह व्यक्ति जो छह माह या इससे अधिक अवधि के लिए भूमिगत रहा है।

(ग) वह व्यक्ति जो छह माह या उससे अधिक अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहा या अपने जिले से बाहर किया गया हो।

(घ) वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क कर दी गई हो और बेच दी गई हो।

(ङ) वह व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गया हो।

(च) वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में भाग लेने के

कारण अपनी सरकारी नौकरी (स्थानीय निकायों में नौकरी सहित केन्द्र/राज्य सरकार) खो दी और इस प्रकार वह आजीविका के साधन से वंचित हो गया हो।

(छ) वह व्यक्ति जिसे बेंत/कोड़े/कोड़ों की मार के 10 प्रहारों की सजा दी गई हो।

2. यदि उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में आने वाला स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है, तब कोई भी पात्र आश्रित अर्थात विधवा/विधुर, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां, माता और पिता आश्रित परिवार पेंशन के पात्र होंगे।

3. किसी शहीद, अर्थात आई०एन०ए० सहित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान मारे गए या कार्रवाई के दौरान या हिरासत में मारे गए किसी व्यक्ति या जिसे मृत्यु दंड की सजा दी गई हो, या भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया हो, का कोई एक आश्रित सम्मान पेंशन का भी पात्र होगा।

II. पेंशन की दर

स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के विभिन्न वर्गों को प्रति माह प्रदान की जाने वाली पेंशन और महंगाई राहत की वर्तमान दर नीचे दी गई है:–

क्रम	श्रेणी	मूलभूत पेंशन	मंहगाई राहत
i	(क) अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदी	7,330/-	4,984/-
	(ख) वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया से बाहर यातनाएं भोगी (आई०एन०ए० को छोड़कर)	6,830/-	4,644/-
ii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई०एन०ए० सहित)	6,330/-	4,304/-
iii.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	संबंधित पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी के अनुरूप पात्रता	संबंधित पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी के अनुरूप पात्रता
iv.	अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (तीन तक)	1,500/- प्रत्येक	1,020/- प्रत्येक
v.	माता और पिता	1,000/- प्रत्येक	680/- प्रत्येक

III. अन्य सुविधाएं

(i) एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा/विधुर को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/ए०सी० स्लीपर);

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधायें/स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी०जी०एच०एस०) की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

(iii) स्थापना प्रभारों के बगैर और आधार किराये का भुगतान करने पर संभाव्यता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन;

(iv) दिल्ली में रह रहे स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल का रिहायशी आवास (समग्र रूप से 5% विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत)

(v) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर को छः माह की अवधि तक आवास रखने की अनुमति भी दी जाती है; और

(vi) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है उनके लिए नई दिल्ली में स्थापित फ्रीडम फाइटर्स होम में आवास की व्यवस्था।

(vii) उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, अंडमान के भूत-पूर्व स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित सुविधाओं के भी पात्र हैं:–

(क) एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए मुफ्त समुद्री यात्रा की सुविधा; और

(ख) एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा।

(viii) स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जा रही सभी प्रमुख सुविधायें, उनकी विधवा/विधुरों को भी प्रदान की जाती हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्रों का कंप्यूटरीकरण

562. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्यक्रमों के बेहतर प्रसारण के लिए आकाशवाणी केंद्रों का कंप्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केंद्र पर होने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्यौरे के 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

563. श्री रामदास आठवले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित अल्पसंख्यकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए कोई "अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ" गठित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तिथि को किया गया; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इसके गठन से अब तक कितनी शिकायतें निपटाई गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) मंत्रालय को समय-समय पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित अल्पसंख्यकों की शिकायतें/रिपोर्ट प्राप्त होती रहती है। चूंकि कानून और व्यवस्था संविधान में राज्य का विषय है इसलिए ये शिकायतें/रिपोर्ट कानून के अनुरूप उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी जाती है। जब कभी आवश्यक माना जाता है अल्पसंख्यकों के बीच शांति एवं सौहार्द स्थापित करने और उन के संरक्षण हेतु कदम उठाने के लिए उपयुक्त सलाह/निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कॅयर उद्योग का नवीकरण

564. श्री किसनभाई वी० पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना अवधि में कॅयर उद्योग में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने और इसका उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन के लिए कॅयर उद्योग को धनराशि किस प्रकार प्राप्त होगी;

(घ) क्या कॅयर उद्योग के आधुनिकीकरण से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) 11वीं योजना के दौरान 99 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 'कॅयर उद्योग का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन' नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना में कॅयर यार्न की कताई करने वालों और घरेलू तथा निर्यात बाजार के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों की बुनाई और उत्पादन में लगी अति लघु/घरेलू इकाइयों को चरणबद्ध रूप में आर्थिक मदद दिए जाने का प्रावधान है।

(ग) योजना का कुल परिव्यय अनंतिम रूप से 243 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(i) भारत सरकार से अनुदान – 99 करोड़ रुपये

(ii) वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण – 132 करोड़ रुपये

(iii) लाभार्थी का योगदान – 12 करोड़ रुपये

प्रस्तावित योजना के परिव्यय का अनुपात निम्नलिखित है:–

श्रेणी	निवेश%	सावधि ऋण%	अनुदान%
कताई	5	55	40
अति लघु/घरेलू	5	55	40

(घ) और (ङ) इस योजना में XIवीं योजना के दौरान लगभग 60,800 लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें से 36,800 के नए रोजगार होने की उम्मीद है। यह योजना सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार

565. **श्री सुभाष महरिया :**
श्री एस० अजय कुमार :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :
श्री देविदास पिंगले :
श्री मो० ताहिर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा के अधिकार विधेयक के मसौदे में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस बारे में अपने स्वयं के कानून बनाने संबंधी सरकार के सुझाव को नकार दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हमारे संविधान में उल्लिखित 'शिक्षा का अधिकार' नीति-निर्देशक सिद्धान्तपूर्ण हो गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (छ) संविधान का अनुच्छेद 21ए जो 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देता है, के अनुपालन में यह प्रावधान करते हुए कि "राज्य छह से चौदह वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उस ढंग से प्रदान करेगा जैसा राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे", शिक्षा का अधिकार संबंधी मानक विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया गया था जिसे रूपरेखा के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए उनके बीच परिचालित किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मुख्य आपत्तियां इन मुद्दों पर उठाई गई हैं:-

1. राज्य विधान के लिए मानक विधेयक द्वारा केंद्रीय विधन के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव।

2. शिक्षा का अधिकार संबंधी मानक विधेयक के अधिनियमन अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मौजूदा अधिनियमों में संशोधन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ सर्व शिक्षा अभियान निधीयन का संबंध।

3. प्रत्येक राज्य सरकार के राजस्व पर कानून व व्यवस्था के बाद प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का प्रभार सबसे अधिक होना।

4. नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए वित्तीय देयता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाना।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यक्त किए गए कड़े विरोधों को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल मसलों की जांच करने और इस मामले पर आगे उचित कार्रवाई करने के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए 06 नवम्बर, 2007 को उच्च स्तरीय दल जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष शामिल हैं, की बैठक आयोजित की गई ताकि सरकार की उस प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके जिससे संविधान की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप दिए जाने के संबंध में समुचित कानून बनाना सुसाध्य होगा। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्यों को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए बजटीय आबंटनों में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी की है।

[अनुवाद]

देश में स्वर्ण का अनुमानित भण्डार

566. **श्री असादुद्दीन ओवैसी :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वर्ण का अनुमानित भण्डार कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल वार्षिक उत्पादन और मांग कितनी रही;

(ग) क्या कुछ राज्य जिनमें स्वर्ण भण्डार होने की संभावना है उन्होंने इसका दोहन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी) : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार स्वर्ण अयस्क (प्राइमरी) का कुल भण्डार 19.25 मिलियन टन आंका गया है। राज्य-वार ब्यौरा निम्नवत है:

(मिलियन टन में)

राज्य	कुल भण्डार
आन्ध्र प्रदेश	1.54
झारखण्ड	0.09
कर्नाटक	17.62

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने का कुल वार्षिक उत्पादन निम्नानुसार है:

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
कर्नाटक	3.501	2.846	2.336
झारखण्ड	0.025	0.201	0.154
गुजरात (उपोत्पाद के तौर पर)	5.154	6.710	10.335
कुल	8.680	9.757	12.825

2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान सोने की घरेलू खपत क्रमश: 791.136 टन, 733.103 टन तथा 725.888 टन रहा है।

(ग) से (ङ) सोने का उत्पादन खनन पर निर्भर करता है जो विस्तृत गवेषण कार्यकलापों के पूरा होने के बाद ही आरंभ होगा। झारखण्ड और कर्नाटक में सोने के लिए खनन किया जाता है। 1.4.2004 से 31.3.2007 तक सोने के लिए 2 खनन पट्टे तथा 3 पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन संसूचित किये गये हैं और इनके ब्यौरे खान मंत्रालय की वेबसाइट (http://mines.nic.in) पर उपलब्ध है।

लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध

567. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री अनन्त नायक :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार लौह अयस्क की कितनी मात्रा निर्यात की गई और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) देश में भारी मांग होने के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क को निर्यात करने के क्या कारण हैं;

(ङ) भावी लक्ष्य सहित गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में लौह-अयस्क की कुल कितनी आवश्यकता रही;

(च) क्या सकरार का विचार लौह-अयस्क निर्यात को और घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लौह-अयस्क नीति पर पुनर्विचार करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। लौह अयस्क का उत्पादन मौजूदा घरेलू मांग से अधिक है। खनन एवं आकार देने तथा ढेलेदार अयस्क के अंशांकन के दौरान उत्पादित अधिशेष लौह अयस्क फाइन्स को निर्यातों के माध्यम से खाली किया जा रहा है क्योंकि घरेलू इस्पात उद्योग से इसकी मांग कम है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार निर्यातित लौह अयस्क की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन हैं। दिनांक 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार इन संसाधनों से अनुमानित मात्रा 25.25 बिलियन टन है जिसमें 14.63 बिलियन टन हेमेटाइट और 10.619 बिलियन टन मैग्नेटाइट शामिल है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योगों की मांग से काफी अधिक है और अधिशेष लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लौह अयस्क की मांग निम्नानुसार थी:—

(मात्रा मिलियन टन में)

वर्ष	घरेलू मांग
1	2
2004-05	54.00
2005-06 (अनंतिम)	58.00
2006-07 (अनंतिम)	उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 के अनुसार 110 मिलियन टन के इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक भारत में लौह अयस्क की मांग 190 मिलियन टन होगी। इस्पात मंत्रालय ने "राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में निर्धारित कार्यनीतिक लक्ष्यों का पुनरावलोकन" संबंधी विषय पर एक अध्ययन किया था। अध्ययन के अनुसार 104 मिलियन टन (अपरिष्कृत इस्पात) की संभावित क्षमता निर्माण की तुलना में वर्ष 2011-12 तक लौह अयस्क की जरूरत 158 मिलियन टन है। वर्ष 2019-20 तक 175 मिलियन टन (अपरिष्कृत इस्पात) की संभावित क्षमता निर्माण की तुलना में प्रौद्योगिकी प्रक्रिया/पद्धतियों के समान मिश्रण को मानते हुए लौह अयस्क की जरूरत 256 मिलियन टन तक बनती है।

(च) से (ज) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा लौह अयस्क निर्यात नीति घरेलू प्रयोजन और अधिशेष मात्रा के निर्यात के लिए लौह अयस्क के विवेकपूर्ण उपयोग को विनियमित करती है और बढ़ावा देती है।

विवरण

देश-वार लौह अयस्क निर्यात

(मात्रा मिलियन टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

देश	2004-05		2005-06 (अनंतिम)		2006-07 (अनंतिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन	59.40	11,132.69	74.13	15,186.31	80.16	16,609.22
जापान	11.13	1,128.00	10.33	1,506.18	8.63	1,492.42
दक्षिण कोरिया	2.18	397.60	1.32	158.18	1.91	280.64
ताइवान	0.61	111.25	0.14	15.88	—	—
यूरोप	2.89	527.09	2.10	350.28	2.07	303.22
अन्य	1.94	353.83	1.25	158.17	1.02	150.57
कुल	78.15	13,650.46	89.27	17,375.00	93.79	18,836.07

स्रोत: गुणवत्ता-गोवा खनिज अयस्क निर्यातक एसोसिएशन (जी०एम०ओ०ई०ए०), कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लि० (के०आई०ओ०सी०एल०), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन०एम०डी०सी०), एम०एम०टी०सी० लि० और निजी निर्यातक

मूल्य — मूल्य इन वर्षों के दौरान मात्राओं एवं मूल्य प्रवृत्ति तथा जी०एम०ओ०ई०ए०, के आई०ओ०सी०एल० एवं एम०एम०टी०सी० द्वारा सूचना के आधार पर अनुमानित हैं।

गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003

568. **श्री पी०एस० गड़वी :**
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 की जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अपेक्षित अनुमोदन दिया सके; और

(ङ) इसे कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बी० राजिका सैल्वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) से (ङ) राज्य विधायनों की तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात् (i) केन्द्रीय कानूनों के साथ उनकी विसंगति (ii) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से अपसरण और (iii) कानूनी और संविधानिक वैधता। गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 में नीतिगत मुद्दे विहित हैं जिन्हें हल किया जाना है इसलिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

खाड़ी देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

569. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य गल्फ कोआपरेशन काउंसिल (जी०सी०सी०) के देशों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफ०टी०ए०) की धीमी प्रक्रिया पर अपना असंतोष जाहिर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2005-06 की तुलना में 2006-07 के दौरान भारत और जी०सी०सी० देशों के बीच व्यापार ब्यौरा क्या है; और

(घ) जी०सी०सी० देशों के साथ शीघ्र से शीघ्र एफ०टी०ए० को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) व्यापार आर्थिक संबंध समिति (टी०ई०आर०सी०) ने दिनांक 27 जुलाई, 2005 को हुई अपनी चौथी बैठक में यह निर्णय लिया था कि वाणिज्य विभाग द्वारा जी०सी०सी० देशों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफ०टी०ए०) पर वार्ता करने के लिए कार्यवाही की जाए। भारत-जी०सी०सी०एफ०टी० ए० पर वार्ताओं का पहला दौर 21 एवं 22 मार्च, 2006 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। वार्ताओं के दूसरे दौरे का आयोजन करने के लिए जी०सी०सी० सचिवालय का उत्तर प्रतीक्षित है।

वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान भारत एवं जी०सी०सी० देशों के बीच व्यापार का ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान भारत एवं जी०सी०सी० देशों के बीच व्यापार

क्र० सं०	देश	2005-2006			2006-2007		
		निर्यात	आयात (गैर-तेल मदें)	कुल व्यापार (गैर-तेल मदें)	निर्यात	आयात (गैर-तेल मदें)	कुल व्यापार (गैर-तेल मदें)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बहरीन आई०एस०	192.25	189.56	381.81	182.46	192.48	374.94
2.	कुवैत	513.73	461.85	975.58	611.24	237.58	848.82
3.	ओमान	408.43	265.59	674.02	627.01	301.98	928.99

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	कतर	259.34	901.62	1,160.96	329.47	392.55	722.02
5.	सऊदी अरब	1,809.77	1,632.34	3,442.11	2,582.83	1,091.44	3,674.27
6.	संयुक्त अरब अमीरात	8,591.79	4,354.08	12,945.87	12,014.74	3,973.57	15,988.31
	जी०सी०सी० का कुल व्यापार	11,775.31	7,805.04	19,580.35	16,347.75	6,189.6	22,537.35
	भारत के कुल व्यापार में जी०सी०सी० का % हिस्सा	11.42	5.23	7.76	12.94	4.64	8.67
	भारत का कुल व्यापार	103,090.54	149,165.73	252256.27	126,331.09	133,491.52	259,822.61

मछलियों का आयात

570. **श्री जी० करूणाकर रेड्डी :**
श्री एस० अजय कुमार :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों से मछलियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मछलियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान ई०यू० देशों से भारत में हुए मछलियों के आयात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस०ई०ए०आई०) से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से पांच सितारा होटलों एवं दूतावासों द्वारा तथा भारत में आगे मूल्यवर्धन हेतु केवल 5.08 करोड़ रुपये मूल्य के श्रिम्प, कटल फिश तथा स्क्विड जैसे समुद्री खाद्य का आयात किया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार वाणिज्य विभाग को किसी राज्य परकार से मछलियों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

वाणिज्य विभाग
निर्यात आयात डाटा बैंक
आयात: क्षेत्रवार, सभी वस्तुएं

दिनांक : 15/11/2007
मूल्य: लाख रुपए में
एच०एस० कोड के अनुसार चिन्हित

क्र० सं०			2005-2006	2006-2007	% वृद्धि
1	2	3	4	5	6
1.	030199	अन्य जीवित मछलियां	11.30		

1	2	3	4	5	6
2.	030212	पैसिफिक सेलमॉन (ऑनर्क्रेच्स नरका, ग्रेबशा आदि) एटलांटिक सेलमॉन (सेलमो स्लार) तथा डैन्यून सेलमॉन (हैको हैको)		0.26	
3.	030219	अन्य सेलमॉन डेई, ताजे/प्रशीतित लीवर तथा रोज को छोड़कर	3.40	61.78	1,716.33
4.	030261	सारडाइन्स (सारडिनेला ब्रिसलिंग अथवा स्प्राट्र्स) ताजे/प्रशीतित		6.26	
5.	030269	अन्य मछली ताजा/प्रशीतित, लीवर तथा रोज को छोड़कर	0.42	2.02	376.61
6.	030270	ताजी अथवा प्रशीतित मछली के लीवर तथा रोज	0.71		
7.	030311	सॉकी सेलमॉन (रेड सेलमॉन) (आकोरिंक्स नेरका) प्रशीतित फिशा फिल्ट अन्य फिश मीट को छोड़कर		0.24	
8.	030322	अटलांटिक सेलमॉन (सेलमो सेलार) तथा डेन्यूबा सेलमॉन (हूको हूको) प्रशीतित लीवर तथा रोज छोड़कर		4.39	
9.	030371	सारडाइन्स (सारडिनेला ब्रिसलिंग अथवा स्प्राट्र्स) प्रशीतित लीवर तथा रोज को छोड़कर	0.19		
10.	030379	प्रशीतित लीवर तथा रोज को छोड़कर अनय प्रशीतित मछलियां	0.34		
11.	030420	प्रशीतित फिश फिलेट्स (बीमा बनाकर अथवा बीमा रहित)	44.04	5.57	-87.36
12.	030490	अन्य फिलेट्स (प्रशीतित को छोड़कर) एवं अन्य फिश मीट	0.90	0.80	-11.12
13.	030530	फिश फिलेट्स सुखाए गए नमकीन/ब्राइन में नॉन स्मोक्ड	0.88	0.17	-80.80
14.	030541	पैसिफिक सेलमॉन (ऑनक्रेच्स नारका ग्रेबशा आदि) अटलांटिक सेलमॉन (सेलमो सेलार) डैन्यूब सेलमॉन (हेको हेको)	0.08	7.42	9,232.09
15.	030542	फिलेट्स सहित हेरिंग्स स्मोक्ड	0.04		
16.	030559	अन्य सुखी मछली नमकीन हो अथवा न हों नॉन स्मोक्ड	11.06		
17.	030569	अन्य नमकीन मछली/ब्राइन में, सुखाई न गई हो, नॉट स्मोक्ड	0.10	2.89	2,752.11
18.	030612	लॉब्स्टर (होमारस एस०पी०पी०) प्रशीतित मसेल्स (म्यूइलस एस०पी०पी० आदि) जीवित ताजा/प्रशीतित	49.43	15.58	-68.48
19.	030613	श्रिम्प तथा प्रॉन प्रशीतित	261.45	350.51	34.07
20.	030614	क्रैब्स प्रशीतित	27.76		
21.	030622	लॉब्स्टर (होमारस एस०पी०पी०) प्रशीतित नहीं		15.68	
22.	030731	(म्यूइलस एस०पी०पी० आदि) जीवित ताजा/प्रशीतित	0.03		

1	2	3	4	5	6
23.	030741	कटल फिश तथा स्क्विड जीवित ताजा/ठंडी	112.92	17.93	-84.13
24.	030749	कटल फिश तथा स्क्विड जीवित ताजा/ठंडी को छोड़कर	27.25	7.35	-73.05
25.	030799	अन्य मोलस्क जीवित ताजा/ठंडे को छोड़कर		9.76	
		कुल	552.30	508.61	-7.90

पी०एम०एफ० के कार्मिकों द्वारा अपने सहकर्मियों की हत्या

571. श्री प्रो० महादेवराव शिवनकर :
प्रो० एम० रामदास :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जुलाई, 2007 "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डिनाइड लीव, जवान किल्स मेजर इन जे एण्ड के", नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसी कितनी घटनाएं आई हैं जिनमें बल-वार अर्ध सैन्य बलों के जवानों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या की गई;

(ग) क्या सरकार ने जवानों के काम के माहौल का कोई अध्ययन किया है और अर्ध सैन्य बलों के जवानों के इस प्रकार के व्यवहार के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाया हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अर्ध सैन्य बलों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को तनाव मुक्त रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों के लिए कोई प्रणाली तैयारी की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, हां।

(ख)

बल का नाम	2004	2005	2006
1	2	3	4
के०औ०सु०ब०	01	02	शून्य
भा०ति०सी०पु०	शून्य	01	शून्य
सी०सु०ब०	05	11	10
के०रि०पु०ब०	05	05	04
एस०एस०बी०	शून्य	02	शून्य
असम राइफल्स	02	02	11

(ग) और (घ) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी०पी०आर० एण्ड डी०) द्वारा किए गए अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि परिवार से अलग रहना, अत्यधिक आवाजाही ड्यूटी का लम्बा समय आदि के प्रमुख कारण हैं जिससे केन्द्रीय पुलिस बलों के कार्मिकों में तनाव पैदा होता है जिस वजह से वे ऐसा व्यवहार करते हैं।

(ङ) और (च) सभी अर्ध सैनिक बलों में एक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों में तनाव कम करने के उपाय भी किए गए है। सरकार ने भी उनकी परिवार आवास की हकदारी को बढ़ाया है और उन्हें राहत देने के लिए अधिक रिहायशी आवास बनाने के उपाय किए है।

[हिन्दी]

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

572. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा० चिन्ता मोहन :
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की स्थिति के अनुसार सरकार को विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए राज्य-वार कुल कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) उनमें से अभी तक स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(घ) राज्य-वार इन प्रस्तावों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(च) प्रत्येक परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार एस०ई०जेडों० की स्थापना हेतु आवेदन संबंधित राज्य सरकारों और सीधे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 10 फरवरी, 2006 से 31 मार्च, 2007 के बीच 745 आवेदन प्राप्त हुए थे और 1 अप्रैल, 2007 से 15 नवम्बर, 2007 के बीच और 166 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, एस०ई०जेडों० हेतु अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए केवल उन्हीं प्रस्तावों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनकी एस०ई० जेड० अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश की जाती है। 10 फरवरी, 2006 को एस०ई०जेड० अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद से अनुमोदन बोर्ड की 19 बैठकें हुई हैं जिनमें एस०ई०जेडों की स्थापना के लिए 405 औपचारिक अनुमोदन तथा 168 सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से सिफारिश किए गए 26 प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। औपचारिक एवं सैद्धांतिक अनुमोदन तथा विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:–

राज्य	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक हेतु सूचीबद्ध प्रस्ताव
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	66	5	1
चंडीगढ़	2		
छत्तीसगढ़	1	2	
दादर नगर हवेली	3	0	
दिल्ली	2		
गोवा	7		
गुजरात	37	12	
हरियाणा	32	18	
हिमाचल प्रदेश	0	4	
झारखंड	1		
कर्नाटक	39	15	1
केरल	11	2	
मध्य प्रदेश	10	7	2
महाराष्ट्र	84	40	2
नागालैंड	2		
उड़ीसा	9	6	
पांडिचेरी	1		
पंजाब	6	7	1
राजस्थान	5	10	
तमिलनाडु	55	14	13
उत्तरांचल	3	1	1
उत्तर प्रदेश	13	9	4
पश्चिम बंगाल	16	16	1
कुल	405	168	26

(च) एस०ई०जेड० नियमावली, 2006 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार एस०ई०जेडों० की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम क्षेत्र संबंधी अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:–

प्रकार	क्षेत्र	विशेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र
बहु-उत्पाद	1000 हेक्टेयर (5000 हेक्टेयर की निर्धारित अधिकतम सीमा)	200 हेक्टेयर
बहु-सेवा	100 हेक्टेयर	100 हेक्टेयर
क्षेत्र विशिष्ट	100 हेक्टेयर	50 हेक्टेयर
सूचना प्रौद्योगिकी	10 हेक्टेयर एवं 1 लाख वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र	10 हेक्टेयर एवं 1 लाख वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
रत्न एवं आभूषण	10 हेक्टेयर एवं 50 हजार वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र	10 हेक्टेयर एवं 50 हजार वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
जैव-प्रौद्योगिकी एवं अपारंपरिक ऊर्जा	10 हेक्टेयर एवं 40 हजार वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र	10 हेक्टेयर एवं 40 हजार वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र
एफ०टी०डब्ल्यू०जेड०	40 हेक्टेयर एवं 1 लाख वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र	40 हेक्टेयर एवं 1 लाख वर्ग मी० का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र

[अनुवाद]

एस०एस०ए० के अंतर्गत लक्ष्य

573. **श्री अधीर चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि निर्धारित/आबंटित की गई है; और

(घ) लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : (क) से (घ) 11वीं योजना को अंतिम रूप योजना आयोग द्वारा दिया जाना है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संबंध में XIवीं योजना कार्यदल की रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी गयी है।

एस०ई०जेड०/ई०ओ०यू० के अंतर्गत वस्तुओं के निर्यात हेतु लक्ष्य

574. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006-2007 और 2007-08 के लिए विशेष आर्थिक जोन (एस०ई०जेड०)/निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई०ओ०यू०) के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं/मदों के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) एस०ई०जेडों०/ई०ओ०यू० के लिए विभिन्न वस्तुओं/मदों के निर्यात हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 2005-06, 2006-07 के दौरान एस०ई०जेडों०/ई०ओ०यू० से निर्यात क्रमशः निम्नानुसार हुए हैं:–

निर्यात (करोड़ रुपए में)

वर्ष	एस०ई०जेड०	ई०ओ०यू०
2005-06	22839.48	49462.35
2006-07	34494.651	51979.94 (अनंतिम)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

(लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने सुबह कार्य स्थगन का नोटिस दिया था कि आज क्वेश्चन ऑवर समेत सभी कार्यवाही स्थगित करके पहले नंदीग्राम पर चर्चा करायी जाये। प्रश्न काल तो स्थगित हुआ, लेकिन वह कार्य स्थगन पर न होकर हल्ला-गुल्ला पर हुआ। हम आपसे निवेदन करते हैं कि कोई भी कार्यवाही शुरू करने से पहले से कम से कम हमारा व्यू तो जान लेना चाहिए कि हमने जो कार्य स्थगन का नोटिस दिया है, उसका कारण क्या है? हमारा व्यू भी नहीं जाना जा रहा है और उस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, कृपया निष्पक्ष रहिए। मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कम से कम, मुझे बोलने तो दीजिए। यह तो ठीक नहीं है कि केवल आप ही बोलेंगे; आप मेरे व्यवहार पर टीका-टिप्पणी करेंगे; आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि माननीय सदस्य इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं – मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं – विपक्ष के एक प्रमुख नेता ने मुझसे बात की, मैंने कहा: कृपया स्थगन प्रस्ताव पर जोर न दें; यदि आप चाहते हैं कि इस पर कोई चर्चा की जाए, तो कृपया उसके लिए उचित तरीके से सूचना दें। तत्पश्चात कल मैंने सभी माननीय नेताओं को बुलाया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे कक्ष में बैठक के लिए थोड़ा समय निकाला। जब मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे कई बार आग्रह किया कि आप इस विषय पर आपस में सलाह कर लें, तब आप भी तो वहां उपस्थित थे। सामान्यतया, मैं यह नहीं बताता कि ऐसी बैठकों में क्या हुआ, परन्तु क्योंकि अध्यक्षपीठ के विरुद्ध भी आक्षेप लगाये गए हैं, अतः मुझे देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, शिष्टाचार का पालन करें।

मैंने आप, सबसे एक व्यक्तिगत निवेदन किया है। सदन के नेता, बहुत से प्रमुख नेताओं ने भी उस बैठक में भाग लिया था। मैंने कहा था कि कृपया इस मामले को समुचित रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि इस पर चर्चा की अनुमति दी जा सके। मुझे कल बताया गया था कि सदन के नेता ने इसे किसी रूप में लाने का सुझाव दिया है परन्तु वह स्वीकार्य नहीं था। तत्पश्चात्, मैंने विपक्ष के माननीय नेता, माननीय उपनेता से इस विषय में बात की और पुनः इस कार्य को किये जाने का आग्रह किया। परन्तु इसका अनुकूल प्रत्युत्तर नहीं मिला।

अब, यदि प्रतिदिन स्थगन प्रस्ताव या प्रश्नकाल के स्थगन की सूचना दी जाएगी, तो सभा अपनी कार्यवाही कैसे कर पाएगी और मैं अब यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप सभा में क्यों आ रहे हैं?

एक अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी कार्य किया जाना है, कृपया इसे करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही तो समस्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी-अभी, नारे लगाये जाने की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के दौरान मुझे इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। मैंने अपराह्न 1.15 बजे सभी नेताओं की एक बैठक बुलायी है। कृपया आइए और सहयोग कीजिए; हमें, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। मैंने क्या अपराध किया है। हर कोई जानता है कि · ·

(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : पहले भी आपने नियम 193 के अधीन ऐसी एक चर्चा करायी है। अगर आप चाहें तो यहां भी स्वत: इसे परिवर्तित कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : 'अगर आप चाहें' यह कहने का आपका क्या अभिप्राय है? 'अगर आप चाहें' कहकर आप क्या आक्षेप कर रहे हैं? मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप हर चीज को तोड़-मरोड़ रहे हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है · · *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे यह विनम्र निवेदन करता हूं कि अपराह्न 1.15 बजे नेताओं की बैठक में भाग लें।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो कहा, उस पर हमें भी अपनी बात कहने की आप इजाजत दीजिए। हम आपसे लगातार दो दिन से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नंदीग्राम में जो कुछ हुआ है, उससे ज्यादा भीषण घटना देश में और कोई नहीं हो सकती। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) महोदय, मैं राष्ट्रपति आदेश, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 के अनुसरण में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जो 14 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1937(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 7178/07]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, मैं श्री माणिकराव होडल्या गावित की ओर से भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित उपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारत का राज्य संप्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007, जो 4 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 643(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 7179/07]

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : महोदय, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2007, जो 3 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 7180/07]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल ड्राफ्ट्समैन समूह 'ख' और समूह 'ग' पद (कॉम्बेटाइण्ड) भर्ती नियम, 2007, जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 64 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल कॉम्बेटाइण्ड कॉन्सटेबल (दफतरी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007, जो 21 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 65 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल वाटर विंग समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007, जो 28 अप्रैल, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 67 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल०टी० 7181/07]

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु चिकित्सा संवर्ग, निरीक्षक (ड्रेसर वेटरिनरी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007, जो 24 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 622(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर संवर्ग, कॉन्सटेबल (पायोनियर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007, जो 20 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल०टी० 7182/07]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, पेपर्स ले मत करवाइए। *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : महोदय इसका एक भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) (एक) स्टेट मिशन अथोरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य, क्षेत्र पोर्टब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट मिशन अथोरिटी, सर्व शिक्षा अभियान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य, क्षेत्र पोर्टब्लेयर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7183/07]

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं श्री अश्विन कुमार की ओर से (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अखबारी कागज नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2007, जो 6 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1361 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 7184/07]

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, नन्दीग्राम की घटना से भयंकर कुछ और नहीं हो सकता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : महोदय, श्री जयराम रमेश की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र-सभा पटल पर रखती हूं–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) एस०टी०सी०एल० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एस०टी०सी०एल० लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 7185/07]

(2) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 7186/07]

(3) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड कर्मचारी (परिवीक्षा) नियम, 2007, जो 21 मई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 363(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 7187/07]

(4) (एक) इंडियन डायमंड इन्स्टीटयूट, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमंड इन्स्टीटयूट, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल०टी० 7188/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं–

(1) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7189/07]

(3) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7190/07]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी० 7191/07]

(7) (एक) डा०बी०आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डा०बी०आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2004-2005, वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7192/07]

(9) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी]

(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7193/07]

(11)(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7194/07]

(13)(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7195/07]

(15)(एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7196/07]

(17)(एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7197/07]

(19)(एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7198/07]

(21)(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7199/07]

(23)(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7200/07]

(25)(एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7201/07]

(27) एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 7202/07]

(28)(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7203/07]

(30)(एक) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7204/07]

(32)(एक) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोडे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, कोझीकोडे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7205/07]

[श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी]

(34)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7206/07]

(36)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7207/07]

(38)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7208/07]

(40)(एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7209/07]

(42)(एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7210/07]

(44) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 7211/07]

(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती वी० राधिका सेल्वी) : महोदय, मैं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन (अभिकथित अपराध की सूचना) नियम, 2007, जो 13 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 544 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल०टी० 7212/07]

अपराह्न 12.07 बजे

(इस समय श्री सैयद शाहनवाज हुसैन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस शान्त नहीं है और ऐसी स्थिति में पेपर्स सदन के पटल पर ले किए जा रहे हैं। यह गलत हो रहा है क्योंकि इस समय हाउस आर्डर में नहीं है। *(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां से चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2007-08 के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(2) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2007-08)' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(3) 'पेट्रो रसायनों की मांग और उपलब्धता' विषय पर समिति के 18वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

(4) 'उर्वरकों का उत्पादन, खरीद और संचलन' विषय पर समिति के 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां, अठारहवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दे' विषय पर 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन;

(2) विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी 15वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन;

(3) 'प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.08½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

एक सौ चौबीसवां, एक सौ पच्चीसवां और एक सौ छब्बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : महोदय, मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति सबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विमान से वहन (संशोधन) विधेयक, 2007 संबंधी समिति का 124वां प्रतिवेदन*;

(2) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 116वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी समिति का 125वां प्रतिवेदन; और

(3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी समिति का 126वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब ध्यानाकर्षण संबंधी विषयों पर चर्चा करेगी – श्री गुरूदास दास गुप्त

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अंतिम बार यह अवसर दे रहा हूं। इस पर दो बजे के बाद चर्चा होगी।

सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.09 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*क्रम सं० 1 पर दिया गया प्रतिवेदन 17 अक्तूबर, 2007 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय सभापति, राज्य सभा के निदेशों के निदेश 31(1) के अंतर्गत माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया था माननीय सभापति ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया था। उसी दिन अध्यक्ष, लोक सभाको तद्नुसार सूचित किया गया था।

अपराह्न 2.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : उपाध्यक्ष जी, हम लोग सबसे पहले नंदीग्राम पर चर्चा करना चाहते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 15 – माननीय वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम।

अपराह्न 2.01 बजे

[अनुवाद]

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2007-08

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 2007-08 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 7213/07]

अपराह्न 2.01½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 2005-06

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 7214/07]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा बुधवार, 21 नवम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.02 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा बुधवार, 21 नवम्बर, 2007/30 कार्तिक, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	61
2.	श्री रामपाल सिंह श्री बाडिगा रामकृष्णा	62
3.	श्री हेमलाल मुर्मू डा० एम० जगन्नाथ	63
4.	श्री रामदास आठवले	64
5.	डा० आर० सेनथिल	65
6.	डा० के०एस० मनोज	66
7.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान योगी आदित्य नाथ	67
8.	श्री काशीराम राणा श्री मनसुखभाई डी० वसावा	68
9.	श्री किसनभाई वी० पटेल	69
10.	श्री सुभाष महरिया श्रीमती निवेदता माने	70
11.	श्री के०एस० राव	71
12.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्री बापू हरी चौरे	72
13.	श्री मदन लाल शर्मा	73
14.	श्री एन०एन० कृष्णदास श्री रनेन बर्मन	74
15.	श्री मोहन जेना	75
16.	श्री एम० अप्पादुरई प्रो० महादेवराव शिवनकर	76
17.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री मो० ताहिर	77
18.	श्री पुन्नू लाल मोहले	78
19.	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	79
20.	श्री सुग्रीव सिंह	80

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे०एम०	429, 446
2.	आचार्य, श्री वसुदेव	466
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	494, 529, 553, 567
4.	अग्रवाल, डा० धीरेंद्र	422, 450, 457, 503, 524
5.	अहीर, श्री हंसराज गं०	442, 451, 487, 494, 506,
6.	अजय कुमार, श्री एस०	565, 570
7.	अर्गल, श्री अशोक	473
8.	आठवले, श्री रामदास	486, 524, 548, 563
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	446, 465, 515
10.	बर्मन, श्री हितेन	456
11.	बखला, श्री जोवाकिम	431, 551
12.	भडाना, श्री अवतार सिंह	424, 482
13.	भगोरा, श्री महावीर	459, 513, 542, 560
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	432, 496

1	2	3
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	409
16.	बोस, श्री सुब्रत	408, 511
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	427
18.	चन्द्रप्पन, श्री सी०के०	512
19.	चौरे, श्री बापू हरी	490, 497, 527, 531
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	444, 454, 509
21.	चिन्ता मोहन, डा०	506, 572
22.	चौधरी, श्री पंकज	435
23.	चौधरी, श्री अधीर	442, 499, 536, 573
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	421, 428, 467, 499, 552
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद	484, 547, 562, 572
26.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	439
27.	धोत्रे, श्री संजय	490, 497, 527, 531, 551
28.	धूमल, प्रो० प्रेम कुमार	411, 484
29.	गद्दीगौडर, श्री पी०सी०	463
30.	गढ़वी, श्री पी०एस०	568
31.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	489, 526, 550, 565, 566
32.	गंगवार, श्री संतोष	423, 435, 438, 439, 502
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	490, 527, 551
34.	जगन्नाथ डा०एम०	508, 551
35.	जैन, श्री पुष्प	533
36.	जेना, श्री मोहन	493
37.	झा, श्री रघुनाथ	429
38.	जिन्दल, श्री नवीन	421
39.	जोगी, श्री अजीत	433, 469
40.	कथीरिया, डा० वल्लभभाई	468
41.	खारवेनथन, श्री एस०के०	419, 478, 520, 546, 561
42.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	417, 430, 517
43.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	447
44.	कृष्णा, श्री विजय	460, 517, 544
45.	कृष्णदास, श्री एन०एन०	492
46.	कुन्नूर, श्री मंजुनाथ	550
47.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	506
48.	महरिया, श्री सुभाष	489, 526, 550, 565
49.	महतो, श्री नरहरि	433, 489
50.	मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार	435, 438
51.	मंडल, श्री सनत कुमार	446, 528
52.	माने, श्रीमती निवेदिता	489, 526, 550, 574
53.	मनोज, डा० के०एस०	550
54.	मसूद, श्री रशीद	473, 519, 545
55.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	434, 567
56.	मिश्रा, डा० राजेश	429, 446
57.	मो० ताहिर, श्री	451, 489, 550, 565
58.	मुर्मू, श्री हेमलाल	485, 523
59.	नायक, श्री अनन्त	567
60.	निखिल कुमार, श्री	442, 455, 499

1	2	3
61.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	480, 528, 552, 566
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	438, 462
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए०	448, 503
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी०	488, 525, 549, 564
65.	पाठक, श्री ब्रजेश	435, 451
66.	पिंगले, श्री देविदास	489, 526, 565
67.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	416, 523, 552
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	410, 454, 505
69.	राजगोपाल, श्री एल०	414, 438, 451, 500
70.	राजेन्द्रन, श्री पी०	572
71.	रामदास, प्रो० एम०	485, 510, 540, 558, 571
72.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	483, 534, 557
73.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	468, 472
74.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	512
75.	रावले, श्री मोहन	449, 489, 504
76.	रावत, प्रो० रासा सिंह	547, 552
77.	रेड्डी, श्री जी० करूणाकर	420, 479, 521, 555, 570
78.	रेड्डी, श्री एम० राजा मोहन	433, 442, 453
79.	रेड्डी, श्री एम० श्रीनिवासुलु	433, 443, 497, 500, 537
80.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	433
81.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	450, 501, 505
82.	रिजीजू, श्री किरेन	416, 435, 523, 552
83.	साई प्रताप, श्री इ०	437, 485
84.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	418, 446, 465, 495, 530
85.	शर्मा, डा० अरुण कुमार	464, 514, 543
86.	सेनथिल, डा० आर०	487
87.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	430
88.	शर्मा, श्री मदन लाल	491, 522
89.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	481, 529, 533, 556
90.	शिवनकर, प्रो० महादेवराव	510, 540, 558, 571
91.	सिद्दीश्वर, श्री जी०एम०	410, 413, 442, 476, 535
92.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	470
93.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	444, 501, 511, 538
94.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	445
95.	सिंह, श्री गणेश	441
96.	सिंह, श्री राकेश	471
97.	सिंह, श्री रेवती रमन	426, 438, 487, 518
98.	सिंह, श्री सुग्रीव	488, 525, 549, 564
99.	सिंह, श्री उदय	440
100.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	412, 475, 539
101.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	425
102.	सुमन, श्री रामजीलाल	506, 572
103.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन वी०	415, 477, 568
104.	थामस, श्री पी०सी०	458, 512, 541, 558, 559
105.	तुम्मर, श्री वी०के०	448, 509, 538

1	2	3
106.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	436, 498, 532, 554, 569
107.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	452, 507, 539
108.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी०	524
109.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम०पी०	437
110.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	473
111.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	456, 461
112.	यादव, श्री एम० अंजनकुमार	407, 474
113.	यादव, श्री गिरिधारी	457
114.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	489, 550, 565, 574
115.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	467, 516

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	68, 78, 79
गृह	:	61, 63, 66, 67, 70, 76, 77
मानव संसाधन विकास	:	62, 64, 65, 69, 72, 74, 75
सूचना और प्रसारण	:	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	71, 73, 80
खान	:	
संसदीय कार्य	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	411, 413, 421, 422, 424, 426, 444, 451, 458, 468, 475, 484, 488, 494, 496, 498, 500, 501, 506, 512, 515, 525, 527, 532, 536, 543, 547, 554, 558, 567, 569, 570, 572, 574
गृह	:	409, 410, 417, 418, 419, 429, 432, 435, 439, 440, 447, 448, 450, 464, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 477, 479, 480, 487, 495, 499, 503, 504, 507, 513, 514, 516, 523, 526, 528, 539, 552, 561, 563, 568, 571
मानव संसाधन विकास	:	408, 414, 415, 416, 425, 427, 428, 430, 431, 433, 437, 441, 442, 443, 452, 454, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 478, 481, 483, 485, 489, 490, 492, 493, 497, 502, 505, 508, 510, 511, 518, 519, 520, 522, 529, 530, 531, 533, 535, 537, 538, 540, 541, 542, 545, 546, 549, 550, 551, 553, 556, 559, 560, 565, 573
सूचना और प्रसारण	:	412, 420, 423, 436, 438, 445, 446, 449, 453, 482, 486, 517, 521, 524, 555, 562
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	407, 460, 474, 476, 491, 509, 534, 544, 557, 564
खान	:	434, 457, 548, 566
संसदीय कार्य	:	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।